राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ४ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पच्चीसवां दिवस संख्या १८

बृहस्पतिवार,

दिनांक २० मार्च १९६६,

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०५ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[मुख्यमंत्री, गृह, पशुपालन, स्वायत्त-शासन, यातायात, कृषि, आयुर्वेद, सहकारी, जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, जनसम्पर्क, खादी तथा ग्रामोद्योग, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग।]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

सुमेरपुर में रक्षा कोष के लिए एकत्रित किया गया धन

४०६ **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) १९६५ के भारत-पाक युद्ध के दौरान पंचायत समिति, सुमेरपुर में रक्षा कोष का चन्दा इकट्ठा किया गया उसमें रोकड़ के अलावा क्या क्या सामग्री दान-दाताओं से प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त सामग्री की रसीदें दान-दाताओं को दी गईं ? यदि हाँ, तो कब कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) उक्त सामग्री का क्या क्या उपयोग किया गया ? यदि उपयोग नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ? और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उपमंत्री सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री रामसिंह कुड़ी : सुगन ही खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

प्राचीन मूर्तियों की चोरी

४०७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) एवं श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) तथा श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान की प्राचीन मूर्तियों के तस्कर व्यापारी अहमदाबाद में पुलिस द्वारा पकड़े गये हैं तथा अनेक मूर्तियां दिल्ली में पकड़ी गई हैं ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तार से बताने की कृपा करें।

(३) मूर्तियों तथा कलाकृतियों की बढ़ती हुई चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, गृह विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां।

(२) राज्य में गत दो वर्षो से ८७ कैसेज विभिन्न स्थानों पर मूर्ति चोरियों के पंजीबद्ध हुए थे। स्थानीय पुलिस व अपराध शाखा ने इन चोरियों का पता चलाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की। उपरोक्त पंजीबद्ध हुए अपराधों में से २० कैसेज में ४८ अभियुक्त बंदी बनाये गये हैं व ४१ अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किये जा चुके हैं। अब तक १० मूर्तियां अहमदाबाद से, २१ पालनपुर से, २ बम्बई से, १५२ दिल्ली से, ५ भरतपुर से व २ जयपुर से बरामद की गई हैं।

(३) राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों को मूर्ति–चोरी के कैसेज के बारे में सचेत रहने व इस प्रकार की घटनाओं का मुस्तैदी से पता चलाने के सरकार द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया देखिये परिशिष्ठ संख्या...१...)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि हमारे यहां जो आर्क्योलाजी के स्थान हैं वे ज्यादातर जंगलों में हैं और वहां पर पहले का पूरा प्रबन्ध नहीं होने के कारण चोरों के गिरोह जबरदस्ती मूर्तियों को उठाकर ले जाते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आर्क्योलाजी का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है लेकिन जहां तक उनकी सुरक्षा का सम्बन्ध है कभी भी पुलिस विभाग से उन्होंने इस प्रकार की मांग नहीं की है कि वहां विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : क्या यह सही है कि वहां पर अगर पहरे का प्रबन्ध किया जाय तो राज्य पर बड़ा भारी बोझ आता है और वहां पर जो मूर्तियां है उनको म्यूजियम में क्यों नहीं लाया जाय ताकि चोरी होने का भय न रहे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसका मुझ से सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह जो पकड़ी गई हैं मूर्तियां तो इनमें सवाई माधोपुर से जो मूर्तियां चोरी गई हैं वे भी बरामद हुई हैं कि नहीं ?

Page No 3

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई स्पेसिफिक केस तो आपने पूछा नहीं। आपने तो राजस्थान की सारी स्थिति पूछी है वह मैंने निवेदन कर दी हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : ये चोर अधिकांश किस जाति के हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : जाति विशेष का पता नहीं है। जो पकड़े गये हैं उनसे बरामद की गई हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : चोरों का गिरोह है जो कि फारेन में मूर्तियां बेचते हैं इसके बारे में आपको कोई जानकारी है कि वे बाहर कैसे भेजते हैं जब कि कस्टम में इसकी रोक होती है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की डिमाण्ड रखी गई थी तो माननीय गृह मन्त्रीजी ने इस बारे में स्पष्ट जवाब दे दिया था और यह बताया कि इसमें किस प्रकार से गिरोह फारेन में ये चीजें बेचते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

इन्टेन्सिव कैटल डेवलपमेंट योजना।

४०८. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर व बीकानेर में इन्टेन्सिव डेवलपमेंट योजना आरम्भ कर दी गई है? अगर हां, तो इसके केन्द्र किस किस जिले में कितने कितने हैं और उनकी पशु संख्या आज तक कितनी हैं? सूचि सदन की मेज पर रखें।

(२) पूर्ण योजना कितने की है और कब तक पूरी करनी है?

(३) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला थरपारकर नस्ल के लिए उपयुक्त है? अगर हां, तो जैसलमेर में आज थरपारकर नस्ल के लिए इन्टेन्सिव केटल डेवलपमेंट योजना क्यों नहीं लागू की गई?

(४) क्या ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो कब तक लागू की जावेगी? अगर नहीं, तो क्या कारण है?

राज्य मंत्री पशु-पालन (श्री मनफूल सिंह) : केवल बीकानेर में सघन पशु-विकास योजना प्रारम्भ की गई है। इसके केन्द्र केवल बीकानेर जिले में हैं तथा बीकानेर जिले की पशु-संख्या ३,९६,००० है। सम्बन्धित सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(२) पूर्ण योजना एक करोड़ बीस लाख रुपये की है, तथा इसे १९७१-७२ तक पूर्ण करना है।

(३) जी हां। धनराशि के अभाव में, उक्त योजना वहां पर लागू नहीं की गई है।

(४) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण यह

(श्री मनफूल सिंह)

योजना जैसलमेर जिले में लागू नहीं की जा सकती। वैसे वहां पर थरपारकर नस्ल की वंश-वृद्धि हेतु चांदन (जैसलमेर) में एक पशु प्रजनन केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित कर दिया है। जैसलमेर जिले में नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह नस्ल सुधार योजना जैसलमेर में कब तक क्रियान्वित की जायगी ?

श्री मनफूल सिंह : यह चल रही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : चल रही है तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री मनफूल सिंह : चान्दन बैल पर १५० गायें और कुछ बुल्स हैं और यह कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, सांवरमल बासोतिया।

नगरपालिका नवलगढ़ के कैशियर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

४०९. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) यह सही है कि नवलगढ़ नगर-पालिका के अकाउन्टेन्ट-कम-कैशियर श्री महावीर प्रसाद चौथदार के विरुद्ध हरिजनों एवं अन्य कर्मचारियों के प्रोवीडेंट फन्ड के रुपये में गड़बड़ी करने की शिकायत राज्य सरकार के पास आई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष स्थानीय निकाय के उप-निदेशक द्वारा उक्त नगरपालिका का निरीक्षण करते समय भी यह मामला उनके सामने आया था और अपनी रिपोर्ट में उप-निदेशक ने इस मामले का उल्लेख किया था ?

(३) क्या इस मामले की जांच एस.डी.ओ. नवलगढ़ ने की थी ?

(४) एस. डी. ओ. की रिपोर्ट क्या आई और उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इस मामले में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

राज्यमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी नहीं। राज्य सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई।

(२) जी नहीं। प्रोविडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में किसी गड़बड़ी की न तो कोई जानकारी ही उप निदेशक के सामने आई और न इस सम्बन्ध में उनकी रिपोर्ट में कोई उल्लेख ही है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

Page No 5

श्री सांवरमल बासोतिया : अध्यक्ष महोदय, वहां उप-निदेशक पधारे थे तो क्या उनके सामने प्रोवीडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई थी, गबन के मामले हैं।

श्रीमती सुमित्रा : प्रोविडेन्टफण्ड के बारे में मैंने कहा कि कोई शिकायत नहीं थी लेकिन कम्पलसरी सेविंग के बारे में जो वहां पर कर्मचारी थे उनके केशियर के खिलाफ शिकायत की थी।

श्री सांवरमल बासोतिया : इस बारे में क्या हुआ ?

श्रीमती सुमित्रा : उस बारे में एस. डी. ओ. ने जांच की थी और एस. डी. ओ. ने जांच करके जिलाधीश, झुन्झनूं को भेज दी और राज्य सरकार के पास जिलाधीश से रिपोर्ट आ गई है, उस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री सांवरमल बासोतिया : यह कार्यवाही कब चालू की गई थी और कितना टाइम हो गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : जिलाधीश, झुन्झनूं के पास एस. डी. ओ. की रिपोर्ट २०-१-६८ को गई थी और अभी थोड़े ही दिन हुए जिलाधीश की रिपोर्ट यहाँ पर आई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : प्रश्न संख्या-४१०।

ग्राम खांजना में कत्ल एवं डकैती के मामले

४१०. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** : (सवाई माधोपुर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नवम्बर, ६८ में एस. पी. हैडक्वार्टर्स सवाई माधोपुर से ५ मील दूर पर ही लम्बे सड़क ग्राम खांजना थाना खांजना डूंगर में कत्ल व डकैती हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि आस पास के गांवों के लोगों ने लिखित में पुलिस को सवाई माधोपुर कस्बे के पहाड़ों व इसके ईद गिर्द क्षेत्र डाकुओं के विचरने की रिपोर्ट मई, जून सन् १९६८ में ही कई बार दी थी और स्थानीय विधायक ने भी इस आशंका की ओर पुलिस का ध्यान आकृष्ट किया था ? यदि हां, तो इस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या पुलिस ने उक्त डकैती में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये थे यदि हां, तो कौन कौन और उन्हें कितने दिन गिरफ्तारी में रक्खा और क्यों छोड़ा ?

(४) क्या पुलिस को खांजना की उक्त डकैती के अपराधियों का सुराग लगा है ? यदि हां, तो यह अपराध किस गेंग द्वारा किये जाने का पता लगा ?

(५) भविष्य में ऐसी वारदात को इस क्षेत्र में होने से रोकने को पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं ?

राज्य मन्त्री गृह: (श्री हीरालाल देवपुरा)

(१) जी नहीं। अलवत्ता एक डकैती की घटना दिनांक ९-१० अक्टूबर ६८ की बीच की रात को ग्राम खांजना में मोतीलाल के घर पर हुई थी। जिसमें मोतीलाल के पिता घासीलाल महाजन को हत्या भी की गई थी।

(२) जी नहीं ऐसी कोई दरख्स्तें मई जून ६८ में पुलिस को देना नहीं पाया जाता। पुलिस व आर. ए. सी. द्वारा इस क्षेत्र में सदैव पेट्रोलिंग किया जाता रहा है।

(३) मोतीलाल महाजन के घर हुई डकैती के सम्बन्ध में एक मुलजिम बजरंगा को दिनांक २०-११-६८ को गिरफ्तार किया गया था। उसे १४ दिन तक पुलिस हिरासत में रख कर तफतीश की गई, बाद में जुडिशियल लाकअप कराया गया व कार्यवाही शनाख्तगी करवाई गई। मुलजिम शनाख्त न होने से जमानत पर अदालत द्वारा छोड़ा गया। सम्बन्धित डकैती को पनाह देने के आरोप पर २ मुलजिमान के खिलाफ ह० द० २१६ ता० हि० अदालत में चालान पेश किया गया है जो जेर ट्रायल है।

(४) उक्त डकैती श्योबरनसिंह गेंग के द्वारा करना पाया जाता है। यह गेंग मध्य प्रदेश का है।

(५) पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग सतर्कता से किया जाता है। डकैतों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। खांजना डूंगर व खांडार में आर० ए० सी० की एक्स्ट्रा टुकड़िया तैनात को गई हैं जो लगातार गश्त व नाका-बन्दी करती हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह सही है कि खांजना डूंगर में डकैती पड़ो थी और उस गांव में आर. ए. सी. के और लुहाड़ गांव में भी आर. ए. सी. के आदमी लगाये गये थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : खांजना डूंगर तक आर ए. सी. के लोग पहुँचते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह पहले से लगे हुए थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने नम्बर दो में यह स्वीकार किया है कि आर. ए. सी. की टुकड़ियां गश्त करती रहती थीं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : प्रश्न यह है कि गांव वालों ने शिकायत की थी। मैं स्वय एस. पी. से मिला था और उसके बाद खांजना को आर. ए. सी. की टुकड़ी ९ तारीख को चालू की गई है। क्या यह बात नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जानकारी यह नहीं है कि टुकड़ी लागाई है जो बराबर गश्त लगाये जा रही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने उत्तर में यह दिया है कि सरपंच की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास अण्डर रजिस्टर्ड लेटर की रसीद है मैंने स्वयं जुलाई के महीने में, सरपंच और इलाके वालों के कहने पर, अण्डर रजिस्टर्ड लेटर भेजा है, उस पत्र के पहुँचने की सूचना नहीं दी है। आर्डनरी पत्रों की सूचना नहीं देते हैं, इसलिए मैंने अण्डर रजिस्टर्ड क्वर भेजा।

श्री अध्यक्ष : रजिस्टर्ड लेटर भेजा या कवर ?

श्री बृजवल्लभ शर्मा : मैंने एस. पी. और कलक्टर को भी भेजा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास जानकारी के अनुसार कोई लेटर उनके पास नहीं पहुँचा है। यह आप बता रहे हैं तो जानकारी कर लेंगे।

श्री बृजवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से एक बात की जानकारी चाहूंगा कि सवाई माधोपुर का पहाड़ है, वहां पर डेढ़ महीने तक डकैत पड़े रहे। शहर वाले यह सूचना दे रहे हैं कि डाकू पड़े हुए हैं। शिवपुर का एक आदमी पकड़ लाये थे। उसने वहां यह सूचना दी थी। शहर वाले एस. पी. और कलक्टर से मिले।

श्री अध्यक्ष : क्या इसकी जानकारी है ?

श्री बृजवल्लभ शर्मा : उसके बाद स्वयं पत्र लिखकर दिया, फिर भी यह जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आपने जैसा बताया। उसकी जानकारी करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, ४११ श्री यातायात मन्त्री।

ग्राम पनवाड़ा में रात्रि को बस के ठहरने की व्यवस्था

४११. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पनवाड़ की ओर से दहीखेड़ा-अकलेरा बसों को रात पनवाड़ ठहरने बाबत दरखास्त की हुई है और कुछ मालिक मोटर पनवाड़ रात ठहरने को तैयार भी हैं ? यदि हां, तो कृपया बतावें कि दहीखेड़ा में रात कितनी बसें ठहरती हैं और किन किन स्थानों पर जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पनवाड़ से अकलेरा जाने वाली सवारियों को दहीखेड़ा जाने में दिक्कत होती है जब कि दहीखेड़ा की सवारियों को पनवाड़ से चलने वाली मोटर के कारण दिक्कत नहीं हो सकती क्योंकि दहीखेड़ा पनवाड़ अकलेरा सड़क पर रास्ते का गांव है ?

(३) क्या यह सही है कि पनवाड़ खानपुर क्षेत्र का आखिरी बड़ा गांव है और इसकी आबादी दहीखेड़ा से अधिक है ? यदि हां तो बसों को जो रात पनवाड़ ठहरने को तैयार हैं, पनवाड़ से चलने की व रात

Page No 8

(श्रीमती शिवकुमारी)

ठहरने की इजाजत देने में विभाग को क्या आपत्ति है ?

उपमन्त्री, यातायात (श्री समर्थलाल)

(१) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(२) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(३) जी हां, यह सही है। अकलेरा-दहीखेड़ा वालों की पनवाड़ तक वृद्धिकरण की प्रार्थना पत्र आने पर नियमानुसार विचार हो सकता है।

श्रीमती शिवकुमारी : अध्यक्ष महोदय, एक जवाब के उत्तर में बताया गया है कि जिसमें ठहराने के बाबत दरखास्त की गई है तो उत्तर दिया नहीं। कृपया बतलावें किन किन स्थानों पर ठहरती है तो जवाब में कहा जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दीजिए ?

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री समर्थलाल : अकलेरा-पनवाड़ का आवेदन पत्र नहीं है। तीन बसें दहीखेड़ा में ठहरती हैं।

श्री रामकिशन : आवाज सुनाई नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दिया ?

श्री समर्थलाल : दहीखेड़ा और पनवाड़ मोटर मालिकों का आवेदन पत्र नहीं है। तीन बसें दही खेड़ा में ठहरती हैं।

श्रीमती शिवकुमारी : यह पूछा गया है, दहीखेड़ा-अकलेरा की गाड़ियां रात्रि में पनवाड़ में ठहरनी चाहिए। ताकि जो यात्री जाते हैं, उनको सुविधा हो जाए। एक बस सर्विस वाले ने कई दरखास्त दी हैं, वह चाहता है कि बस सर्विस पनवाड़ में ठहरे।

श्री अध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में कोई दरखास्त दी गई है ?

श्री समर्थलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई दरखास्त नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : सुविधा का सुझाव दिया गया है, उस पर क्या उत्तर है ?

श्री समर्थलाल : नियमानुसार, दरखास्त आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री केसरीसिंह हाडा : नियमानुसार क्या कार्यवाही की जाएगी।

श्री जुझारसिंह : दरखास्त है। मैंने खुद ने देखी हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ?

नेक्स्ट श्री निवास शारदा !

Page No 9

कल्याण सोना गेहूं बीज का बेचान

४१२. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा : क्या कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या इस वर्ष रबी की फसल के लिए उन्नत किस्म का कल्याण सोना गेहूँ का बीज कृषि विभाग के अलावा प्राईवेट पार्टियों ने भी विक्रय किया ? क्या जिन प्राईवेट पार्टीज ने विक्रय किया उन्हें कृषि विभाग द्वारा मान्यता दी गई थी ?

(२) क्या यह सच है कि चित्तौड़गढ़ के आस पास के गांवों में नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में कृषि विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में नकली बीज बिकवाया गया जो विभागीय न होकर प्राईवेट था ?

(३) क्या यह सच है कि नकली बीज को सरकारी बीज के नाम से बेचा गया ? क्या यह भी सत्य हैं कि नकली बीज वितरण के विरुद्ध किसानों द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की गई ?

यदि हां तो ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या नकली बीज वितरण के विरुद्ध शिकायत कर्त्ताओं से विभागीय अधिकारियों ने सम्पर्क कर कोई जानकारी की ? यदि हां, तो किसने और किन किन से ? सम्पर्क कर्त्ता अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

उपमन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, सूचना के अभाव में इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट

जयपुर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

४१३. **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर जिले में वर्तमान में कितने औषधालय, किस किस श्रेणी के कहां २ चल रहे हैं ? सूचना मय विवरण के पूर्ण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन औषधालयों में कितने ऐसे कर्मचारी व वैद्य हैं जिन्हें वर्तमान पद पर कार्य करते दो या दो वर्ष से अधिक समय हो गया है, ऐसे कर्मचारियों व वैद्यों के नाम पद, वर्तमान स्थान पर नियुक्ति की तिथि व प्रथम नियुक्ति की तिथि की सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(३) इन कर्मचारियों में से कितने ऐसे वैद्य हैं जो वर्तमान में अपने गांवों में ही नियुक्त हैं। उनके नामों की सूची मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या राज्य सरकार एवं सम्बन्धित अधिकारियों के पास उपरोक्त आशय की कोई शिकायतें आई हैं। यदि हां तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों नहीं ? सूचना सदन की मेज पर पूर्ण विवरण सहित रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री आयुर्वेद (श्री समर्थलाल) : (१) माधव विलास चिकित्सालय सेठ सूरजमल वाला आयुर्वेदिक (ए)श्रेणी अस्पताल के अतिरिक्त जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जयपुर के अन्तर्गत (बी) श्रेणी के १७ औषधालय हैं व (सी) श्रेणी के १६५ औषधालय हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) वैद्य— ६४

उप वैद्य धात्री—६२

चतुर्थ श्रेणी—६२

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ६ सूची संलग्न हैं।

(४) गठवाड़ी, राणावास, तथा महेन्द-वास से शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच करने पर निराधार पाई गई। विवरण पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लादूराम सुलानियाँ : आपने यह बताया है कि शिकायतें निराधार पाई गई हैं। जांच किससे करवाई गई है?

राज्य मंत्री आयुर्वेद (श्री जयकिशन शर्मा) : इन्क्वायरी की गई है।

श्री लादूराम सुलानियां : यह दस वर्ष से है।

श्री जयकिशन शर्मा : १० वर्ष से नहीं है। दो साल से ज्यादा है। महेन्द्रवास में भगवत शर्मा है जिनकी पोस्टिंग...

(विराम)

श्री अध्यक्ष : उपमन्त्री बतला दें। वह पढ़कर आये हैं।

श्री जयकिशन शर्मा : नवम्बर ६१ में हुई है। उसके बीच में उन्हें डेपूटेशन पर भेज दिया गया था बाहर।

श्री लादूराम सुलानियां : सबसे पहले आपने पोस्टिंग कब किया था?

श्री जयकिशन शर्मा : महेंदरवास वाला? सन् १९६१ में।

श्री लादूराम सुलानिया : आठ वर्ष में बदली क्यों नहीं की?

श्री जयकिशन शर्मा : एक बार की थी, कुछ दिनों के लिये।

श्री लादूराम सुलानियां : कितने दिन बाद वापिस वहां पोस्टिंग कर दिया?

श्री जयकिशन शर्मा : जब किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हैं, तो छोटे कर्मचारी को वहाँ रहने का अधिकार है, इसमें हटाने की कोई बात नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न यह है कि किसी को तो आठदस बरस लगातार वहाँ रखते हैं एक ही जगह, और किसी २ का हर छः माह में ट्रांसफर हो

Page No 11

(श्री लादूराम सुलानिया)

जाता है। कोई छोटा वैद्य है, अच्छी तरह से सेवा करता है, उसको तो फेंक देते हैं ट्रांसफर में और कोई वैद्य दस बरस में एक ही जगह पर काम कर रहा है। क्या यह नियमानुसार है ?

श्री अध्यक्ष : क्या नियमों अनुसार उस व्यक्ति को वहा रखना उचित है ?

श्री जयकिशन शर्मा : नियमों के प्रतिकूल नही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह उचित समझते हैं कि आठ दस बरस में किसी का स्थानान्तरण नहीं हो। जिस गांव का व्यक्ति है उसको उसी जगह रखा जाये, क्या यह स्वस्थ परम्परा है ?

श्री जयकिशन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैद्य अगर उसी गांव में रहता है तो ज्यादा फायदे मंद रहता है, इसलिये मुझे यह परम्परा ठीक ही मालूम पड़ती है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अगर मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि यह उचित है और स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है, तो जनतन्त्र के सिद्धान्त से क्या मन्त्री महोदय यह स्वस्थ परम्परा अनुभव करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री केसरी सिंह हाड़ा !

श्री लादूराम सुलानियां : एक विशेष प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन करना चाहता हूँ...............

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सूची दी है उसको देखते हैं ....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। यस, श्री केसरीसिंह हाड़ा।

सहकारी शक्कर फैक्टरी केशोरायपाटन

४१४. **श्री केसरी सिंह हाड़ा** (हिंडोली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) केशोराय पाटन को सहकारी शक्कर फैक्टरी को सरकार द्वारा कितना कर्ज दिया गया और कब ?

(२) इस फैक्टरी का निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया ?

(३) क्या जमीन खरीदी की रकम कोटा मंडी को चुका दी गई है ? यह रकम कितनी है ?

Page No 12

(श्रीकेसरीसिंह हाड़ा)

(४) क्या फैक्टरी का उत्पादन कार्य जनवरी १९६९ में शुरू हो गया है ?

(५) इसकी रोजाना कितने मन गन्ना खपाने की क्षमता है ? पूरे सीजन के लिए कितने मन गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी ?

(६) तहसील पाटन व बूंदी के कितने काश्तकारों को गन्ने के लिये तकावी दी गई ? यह कर्जा किसके द्वारा दिया गया और कितने सालों में वसूल किया जावेगा ? अनुदान की रकम हर काश्तकार को कितनी दी गई ?

(७) इस वर्ष फैक्टरी के लिये कितने एकड़ गन्ना लगाया गया है ?

(८) क्या फैक्टरी के लिये सुरक्षा अधिकारी का चयन कर लिया गया है ? यदि हां तो किसके द्वारा कब और किसे किया गया ?

उपमन्त्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) : (१) सरकार द्वारा केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि० को कोई कर्ज नहीं दिया गया।

(२) इस फैक्टरी का निर्माण कार्य जुन १९६८ से प्रारम्भ हुआ ।

(३) जी हां, पूरी रकम चुकादी गई है। यह रकम रुपये २,१८,९१४.८८ पैसे हैं।

(४) जी नहीं।

(५) इस फैक्टरी की गन्ना खपाने की क्षमता प्रतिदिन १२५० टन है । पूरे सीजन के लिये १,८७,५०० टन गन्ने की आवश्यकता होगी।

(६) तहसील पाटन व बूंदी में काश्तकारों को गन्ने के लिये इस वर्ष (१९६८-६९) मे कोई तकावी नहीं दी गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुदान की रकम इस वर्ष १५५ रुपये प्रति एकड़ से दी गई है।

(७) गन्ना अभी बोया जा रहा है।

(८) जी नहीं।

श्री केसरी सिंह हाडा : क्या यह सही है कि अगर सरकार द्वारा कर्ज नहीं दिया गया तो क्या सहकारी बैंक द्वारा भी नहीं दिया गया ?

श्री राम देव सिंह : सरकार के इसमें कितने शेयर्स हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : सरकार के कितने शेयर्स हैं ?

श्री रामदेवसिंह : ३५ लाख के।

श्री केसरीसिंह हाडा : आपने फर्माया कि सिक्युरिटी आफिसर की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। तो क्या यह सही नहीं है कि श्री हीरालाल को सिक्युरिटी आफिसर नियुक्त किया है ?

Page No 13

श्री रामदेव सिंह : हीरालाल को सहायक सिक्युरिटी ग्राफिसर नियुक्त किया गया है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सहायक ही सही। ग्रापने तो कहा कि सिक्युरिटी ग्राफिसर नियुक्त ही नहीं किया है ग्राप तो एकदम उड़ा गये।

श्री रामदेव सिंह : सहायक सिक्युरिटी ग्राफिसर के लिये ग्रापने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। ग्रौर उसको भी केवल तीन माह के लिये रखा है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सहायक है तो सहायक के लिये कह सकते थे, लेकिन झूंठ बोलने की ग्रादत जो पड़ गई है वह कैसे जाये।

जब उनको कर्ज नहीं दिया गया, तो क्या ये १५५ रुपये प्रति एकड़ ग्रनुदान ही दिया गया ?

श्री रामदेवसिंह : मिल की तरफ से तो कोई कर्ज नहीं दिया गया।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : १५५ रुपये किसकी ग्रोर से दिये गये ?

श्री रामदेव सिंह : यह कृषि विभाग की तरफ से दिया गया।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : तो केवल १५५ रुपये ग्रनुदान ही दिया ? कर्ज नहीं दिया ?

श्री रामदेव सिंह : कर्ज वहां की सहकारी बैंक की तरफ से दिया गया है।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें कि काश्तकारों को कितना कर्ज दिया गया है। ये कहते हैं कि १५५ रुपये ग्रनुदान दिया है। तो क्या केवल ग्रनुदान ही दिया है ?

श्री रामदेव सिंह : १९६७-६८ में वहां के केन्द्रीय बैंक की तरफ से ५१८३३१ रुपया का ऋण दिया गया, ग्रौर इस साल भी ८ लाख देने का प्रावधान है।

प्रश्न सं० ४१५

श्री ग्रध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

प्रश्न सं० ४१६

श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल।

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

श्री रामचन्द्र ग्रार्य।

खाद का कारखाना

४१७. **श्री रामचन्द्र ग्रार्य** (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में रसायनिक खाद किस जिले में ज्यादा खर्च होता है ? जिले

Page No 14

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि खाद बनाने का कच्चा माल बीकानेर डिवीजन में सबसे अधिक है ? यदि हां, तो यहां पर खाद का कारखाना क्यों नहीं है ?

(३) क्या सरकार जिला श्री गंगानगर या बीकानेर डिवीजन में खाद का कारखाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक खुल जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) राजस्थान में रसायनिक खाद की खपत सबसे ज्यादा श्री गंगानगर जिले में होती है। जिलेवार १९६७-६८ की खाद की खपत से आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(२) व (३) राज्य सरकार खाद का कारखाना खोलने का विचार नहीं रखती है। यदि कोई व्यक्ति कारखाना खोलने का इच्छुक हो तो उसके औचित्य पर विचार किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि तीन प्रश्न पूछे हैं और आपने केवल दो का ही उत्तर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर पूरा हो गया। तीनों ही दे दिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने प्रश्न संख्या (२) में पूछा था कि क्या यह सही है कि खाद बनाने का कच्चा माल बीकानेर डिवीजन में सबसे अधिक है, इसका आपने उत्तर नहीं दिया।

श्री हरिसिंह : (२) का उत्तर दिया है कि राज्य सरकार खाद का कारखाना खोलने का विचार नहीं रखती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने यह पूछा है कि कच्चा माल कहां ज्यादा निकलता है, उसकी जानकारी नहीं दी है।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर में फर्टीलाइजर प्लांट लगाने के लिये। तो जब उन्होंने देखा है कि कच्चा माल मिल सकता है तभी तो उन्होंने दरख्वास्तें दी होंगी वहां के लिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने उत्तर दिया है कि सरकार की ओर से कोई कारखाना खोलने का विचार नहीं है। तो फिर क्या राज्य सरकार इसको सहकारी क्षेत्र में खोलने का इन्तजाम करेंगी ?

श्री शोभाराम : फर्टीलाइजर प्लांट के लिये पांच छः जगहें उपयुक्त मानी गई हैं उनमें से एक जगह के लिये एक दरख्वास्त आई है जिस पर अभी राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं किया।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में ही है, आप ने हनुमानगढ़ को अलग जिला बताया।

Page No 15

श्री शोभाराम : मैंने कहा कि राजस्थान भर में दो जगहों पर कारखाना खोला जा सकता है और वे हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर।

श्री रामचन्द्र आर्य : कारखाने खोलने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आपने जिलों की सूची में हनुमानगढ़ का जिला बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगानगर में ३४,६५३ क्विटल खड़ी उत्पन्न होता है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो उसको दबाने के लिये आपने हनुमानगढ़ का नाम जोड़ दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री शोभाराम : गंगानगर जिले में दो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफीसर हैं। एक गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर है और हनुमानगढ़ का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफीसर अलग है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ के साथ आप इस तरह का दरोगापना करते रहेंगे और वहां पर खाद कारखाना नहीं खोलेंगे....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान जगह है जहां पर काफी खाद का इस्तेमाल करते हैं। आपने खाद का कारखाना कोटा में खोला है, वहां पर भी आठ हजार क्विन्टल खाद खर्च होती है, इसके मुकाबले में वहां पर काफी खाद का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में क्या इस पर आपका पुनर्विचार करने का इरादा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! क्या विचार करने का इरादा नहीं है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कारखाना लगायेगा तो उसके पास इतनी रकम नहीं होगी। फिर सरकार खुद क्यों नहीं खोलती है। मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या विचार नहीं रखती है सरकार ?

श्री शोभाराम : मैंने निवेदन किया कि पांच सात दरख्वास्तें अभी तक राजस्थान सरकार के सामने जेर गौर हैं। जैसे कि राजस्थान के कई स्थानों पर कारखाने खोलना चाहते हैं-एक हनुमानगढ़ के लिए है, एक गंगानगर के लिए है, एक कोटा के लिए है, एक जयपुर के लिए है-इन स्थानों के लिए दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिन पर कुछ फैसला चाहते हैं। जब कारखाने लगाने को तैयार हैं तो ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार की अपनी तरफ से कारखाना लगाने की मंशा नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या सरकार यह जानकारी नहीं रखती है....

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ : क्या इसके लिए किसी एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया है जो इस बात की जांच करे, कहां अच्छे प्रोपेक्ट्स हैं, कहां अच्छा सा मेटिरियल है, कहां ज्यादा खपत है और पब्लिक सेक्टर में कहां अच्छे कारखाने खुल सकते हैं।

श्री शोभाराम : एग्रीकल्चर के साथ दो तीन आफीसर को अटेच करके दरख्वास्तों को एक्जामिन किया जा रहा है और कच्चे माल की कहां सुविधा मिलेगी—इस पर विचार किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि जल्दी इस पर फैसला होगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रोफेसर केदार !

नगरपालिकाओं को अनुदान दिया जाने का आधार

४१८. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की नगरपालिकाओं को अनुदान किस आधार पर दिया जाता है ? यह अनुदान आबादी के बढ़ने के साथ बढ़ा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि नगर परिषद क्षेत्रों में चलने वाले सिनेमागृह तथा चक्की और मोटर आदि से जो आमदनी होती थी उसे सरकार ने लिया है और अब नगर परिषद् को उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) राजस्थान की नगरपालिकाओं को सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान दिये जाने हेतु प्रभावशील नियम १९६४ के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान दिया जाता है जो जनसंख्या के आधार पर ५० पैसे से प्रति व्यक्ति होता है। अनुदान के लिए जनसंख्या वही मान्य है जो अन्तिम जनगणना के आधार पर दी गई है।

(२) हालांकि सरकार द्वारा मनोरंजन कर की वसूली की जाती है किन्तु सम्बन्धित नगरपालिकाओं को नियमित रूप से मनोरंजन कर का हिस्सा दिया जाता है। यह रकम वर्ष १९५८ से पूर्व के तीन वर्षों में होने वाली आय के औसत पर दी जाती है।

जिन नगरपालिकाओं को चक्की मोटर आदि के लाइसेन्स फीस आदि से जो आय होती थी वैसे ही अब भी होती है। उनके अधिकारों में राज्य सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार जो लोकल बाडीज को ग्रान्ट्स देती है पोपूलेशन के अलावा क्या कोई और भी उसका आधार है ?

श्रीमती सुमित्रा : नहीं, जनसंख्या ही आधार है।

श्री केदारनाथ : लोकल बाडीज के फाइनेन्सेज का ग्रोगमेंट हो और रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे हो, लोन्स एण्ड ग्रान्ट्स का-क्या इस बारे में इंडिपेन्डेंट बोर्ड या कमेटी बनाने पर विचार कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री भीखा भाई)-कोई ग्रावश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दिग्विजय सिंह।

श्री आईदानसिंह : ४१६

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि ४२० कांग्रेस में पहले ही है।

ग्राम कठमाना में मृत्यु भोज

४१६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) [श्री आईदानसिंह भीनमाल द्वारा पूछागया] : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि माह जनवरी, १९६९ में ग्राम कठमाना, जिला टोंक में एक बड़े पैमाने पर नुक्ता (मृत्यु भोज) का आयोजन हुआ था ? यदि हाँ, तो किस तारीख को ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस मृत्यु भोज में पुलिस में सूचना दे दी गई थी ? जिस पर पुलिस अधिकारी मय फोर्स वहां पहुँच गए थे ?

(३) क्या यह सत्य है कि मृत्यु भोज से सम्बन्धित लोगों ने पुलिस पर हमला किया था, जिससे स्थिति गम्भीर हो गई थी और जिलाधीश टोंक एस. पी. टोंक को बाद में और फोर्स लेकर जाना पड़ा ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ? यदि हां, तो कितने और उनके विरुद्ध क्या मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ?

(५) क्या यह सत्य है कि पुलिस द्वारा उन लोगों पर हमले का कोई मुकदमा सी. आर. पी. सी. १८७ के तहत नहीं दर्ज किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(६) क्या यह सत्य है कि मुलजिमों को अब तक भी पुलिस ने हिरासत में ले रक्खा है ? यदि हां, तो अब कब तक चालान पेश कर दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां। यह सत्य है कि दिनांक ३१ जनवरी सन् १९६९ को ग्राम कठमाना जिला टोंक में एक बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज का आयोजन हुआ था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! वापिस पढ़ दीजिये !

श्री हीरालाल देवपुरा : (१) जी हां। यह सत्य है कि दिनांक ३१ जनवरी १९६९ को ग्राम कठमाना जिला टोंक में एक बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज का आयोजन हुआ था।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(२) जी हाँ। यह सत्य है कि इसकी सूचना पुलिस थाना पीपलु को दे दी गई थी और पुलिस अधिकारी बाद कायमी मुकदमा नम्बर ५ दफा ३।७ असेंसियल कामोडिटीज एक्ट मय फोर्स के मौके पर पहुँच गये थे।

(३) जी हाँ। यह सत्य है कि मृत्यु भोज से सम्बन्धित लोगो ने पुलिस फोर्स को घेर कर हमला कर दिया था जिससे स्थिति गम्भीर हो गई थी। एस. पी. टोंक व जिलाधीश टोंक को घटना स्थल पर स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए जाना पड़ा था।

(४) जी हाँ। यह सत्य है कि कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तादाद कुल ९८ है। इनके विरुद्ध गेस्ट कंट्रोल आर्डर, राजस्थान सन् १९६५ की खिलाफ वर्जी में धारा ३।७ ई. सी. एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा नं० ५ दिनांक ३१-१-६६ थाना पीपुल अंकित किया जो बाद तफतीश अदालत में चालान किया जा चुका है।

(५) जी हां। यह सत्य है कि हमलावरों के खिलाफ धारा सी. आर. पी. सी. की धारा १८७ के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, चूंकि धारा १८७ जाब्ता फौज-दारी इस मामले में लागू नहीं होती थी।

(६) जी नहीं। कोई भी व्यक्ति इस समय हिरासत पुलिस में नहीं है। मुकदमे का चालान दिनांक १४-३-६६ को पेश अदालत किया जा चुका है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा निवेदन है.......

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी वादविवाद हो चुका है, स्थगन प्रस्ताव आ चुका है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं मन्त्री महोदय से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वह मृत व्यक्ति जिसका मृत्यु भोज किया गया, उसका नाम क्या था ?

श्री अध्यक्ष : सब प्रश्न पहले पूछ लिये गये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसका उत्तर नहीं दिया गया है और अब भी देने को तयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनवरी १९६६ को जो मृत्यु भोज हुआ, राज्य सरकार उसके सम्बन्ध में क्या यह बताने को तैयार नहीं है कि मृत व्यक्ति कौन था ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री हीरलाल देवपुरा : मैंने जवाब में बताया था कि उसकी पत्नी सूजा की मृत्यु हुई।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : कब हुई ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कब हुई ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही नही है कि जिस औरत की मृत्यु पर कहा जा रहा है कि उसका मृत्यु भोज हुआ, उसको लगभग इससे चार-पाँच महीने पहले मृत्यु हुई थी ?

Page No 19

श्री हीरालाल देवपुरा : मृत्यु कभी हुई हो, मृत्यु भोज कभी भी किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : शास्त्रीय आधार नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसकी सूचना कब प्राप्त हुई थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इसको काफी समय पहले ही लिया जा चुका है और काफी सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सम्माननीय सदस्य !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा, क्या यह सही है कि ३ और ७ दफा असेंसियल कामोडिटीज एक्ट का आफेन्स बेलेबल आफेन्स है, लेकिन यह जो ९८ आदमी गिरफ्तार हुए थे, यह पन्द्रह दिन तक पुलिस की हिरासत में रहे और इनकी कोई जमानत नहीं हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बेलेबल आफेन्स है, नहीं, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कानूनी मामला है........

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसमें साफ लिखा है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : बेलेबल है। कोई सेक्शन दूसरा था इसमें ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नहीं साहब। क्या यह सही है कि ३ और ७ के अलावा कोई दूसरी दफा इस मुकदमें में नहीं थी और कोई आफेन्स ऐसा नहीं था जो बेलेबल नहीं हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरी धारा नहीं थी। ३ और ७ धारा थी असेंसियल कामोडिटीज एक्ट की।

श्री कृष्ण कुमार गोयल क्या यह सही है कि बेलेबल आफेन्स होते हुए भी, इन ९८ लोगों को पन्द्रह दिन रिमाण्ड पर रखा गया और पुलिस ने जमानत नहीं ली ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इनको विदिन ट्वन्टी फोर आवर्स अदालत में पेश कर दिया गया और फिर यह अदालत का काम था कि उनकी जमानत हो या नहीं हो। आइ कान्ट से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिन ९८ आदमियों को मृत्यु भोज के नाम पर गिरफ्तार किया गया इनकी पन्द्रह दिन तक जमानत नहीं ली गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि अदालत में क्या हुआ क्या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह

मिनी बसों का परमिट

४२०. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितनी मिनी बसों का परमिट दिया हुआ है और कितनी कितनी किन किन नेशनेलाइज्ड रूट्स पर चल रही हैं ? मालिकों के नामों की सूची भी सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) मिनी बसों को परमिट किन शर्तों पर दिया जाता है ? शर्तों की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कृपया यह भी बतायें कि क्या इनके चलाये जाने से यातायात विभाग की आमदनी को धक्का लगा है ? यदि हां, तो अनुमानतः कितना ?

(३) मिनी बसों को रूट की सवारियां उठाने से रोके जाने बाबत क्या कदम उठाये गये हैं और उनमें कहां तक कामयाबी मिली है ?

उपमन्त्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) राजस्थान में प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जयपुर द्वारा अब तक २० परमिट मिनी बसों के लिये दिये हुये हैं। यह परमिट समस्थ राजस्थान के लिये दिये हुए हैं किसी विशेष रूट के लिय नहीं दिये हुए हैं इसलिए किसी विशेष रूट पर चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। मालिकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मिनी बसें कान्ट्रेक्ट कैरेज की परिभाषा में आती हैं। कान्ट्रेक्ट कैरेज की परिभाषा मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा २ उप धारा (३) में दी हुई है और उसी में शर्त दर्ज की हुई हैं। परिभाषा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। मिनी बसों के चलने से यातायात विभाग की आमदनी को कोई धक्का नहीं लगा है।

(३) ऐसे रूट की सवारियां कान्ट्रेक्ट कैरेज की शर्तों के विरुद्ध उठाने पर पुलिस कर्मचारी या यातायात विभाग के कर्मचारी व अधिकारी इनको चलने में समय समय पर रोकते हैं। एवं चालान आदि करते हैं। हाल ही में एक विशेष अभियान फरवरी १९६९ में मनाया गया था जिसके तहत परमिट की खिलाफवर्जी करने वाले मिनी बसों के मालिकों का चालान किया गया व गाड़ियां बन्द की गई। न्यायालय से निर्णय होना शेष है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये

श्री जुझारसिंह : आपके पास रोडवेज की तरफ से कोई कम्पलेन्ट है कि मिनी बसेज की वजह से आमदनी में फर्क आ रहा है ?

श्री समर्थलाल : हमारे यहां इस सम्बन्ध में कोई कम्प्लेन्ट नहीं है।

श्री जुझारसिंह : रोडवेज का कोई आब्जेक्शन नहीं है आपके पास ?

श्री अध्यक्ष : रोडवेज का कोइ आब्जेक्शन है इस सम्बन्ध में ?

Page No 21

श्री समर्थलाल : रोडवेज का इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई अ.ब्जेक्शन नहीं हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : वाह ! वाह !

श्री जुझार सिंह : कान्ट्रेक्ट कैरेज डेफीनेशन में मिनी बसेज के अलावा और कौन कौनसो आती हैं ।

श्री समर्थलाल : कान्ट्रेन्स कैरेज की डेफीनेशन में मिनी बसेज और टेम्पो आदि आते हैं।

श्री जुझार सिंह : आदि में दूसरे क्या हैं ?

श्री केसरी सिंह हाडा : आधी नहीं, पूरी कौन कौन सी आती हैं ।

श्री अध्यक्ष : डेफीनेशन आपको मालूम हो तो आप कह दीजिए कि इट इज डिफाइन्ड ।

श्री जुझार सिंह : प्राइवेट टैक्सी क्या इसके अन्दर ही आ.ती है?

श्री समर्थलाल : स्टेट कैरेज के अन्दर आती है ?

श्री जुझार सिंह : किसके ?

श्री अध्यक्ष : स्टेट कैरेज !

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : स्टेट कैरेज में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह स्टेट कैरेज क्या होता है ।

श्री जुझारसिंह : यह कन्ट्रेक्ट कैरेज के तहत कहा कि पोइन्ट टू पोइन्ट विहिकल्स हैं, जो राजस्थान भर में ले जाने की हैं, यह बड़ा वेग टर्म है, जिससे कोटा जाने के लिए टोंक भी स्टोप हो सकता है, निवाई भी स्टोप हो सकता है, देवली भी स्टोप हो सकता है और बीच में सभी स्टोप्स की सवारियां लेते हैं और कहने को इस क्लाज के प्रोटेक्शन में आजाते हैं, ये सब जगह की सवारियां, टोंक, निवाई, देवली की सवारियां ले जाते हैं और इससे नेशनेलाइज्ड रूट की जो बसेज हैं उनको बड़ा घाटा होता है ।

श्री समर्थ लाल : माननीय अध्यक्षजी मैंने निवेदन किया कि अगर इस प्रकार की बात है तो आर०टी०ओ० जयपुर ने ५ चालान किये हैं, और भी इस प्रकार के चालान किये गये हैं और उनकी कार्यवाही अदालतों में चल रही है ।

श्री जुझारसिंह : क्या आप मिनी बसेज के ओपरेटर्स की तरफ से बोल रहे हैं या स्टेट की तरफ से बोल रहे हैं । मैं आपको जानकारी के लिये कह दूं कि यह सब सरकार को जानकारी है कि ये कान्ट्रेक्ट बेसिस पर नहीं चलती हैं

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बात सही हैं और गवर्नमेंट को इससे घाटा हो रहा है ।

श्री जुझारसिंह : आपने यह सब अपने आपको डिफेण्ड करने के लिये कहा हैं·······

श्री अध्यक्ष : क्या यह स्थिति आपकी जानकारी में है ?

श्री समर्थ लाल : गवर्नमेंट कैरेज के आधार पर चलती हैं उसमें क्लाज दो, (तीन) मीटर विहिकल एक्ट १९३९:

Contract carriage means a motor vehicle which carries a passenger or passengers for hire or reward under a contract."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किसका उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ लूं कि जुझारसिंहजी ने जिस सवाल का उत्तर पूछा, क्या यह उस ही का जवाब है ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसमें सत्यता है और कई बार ऐसी शिकायतें आई भी हैं, उनमें सत्यता भी है। इसीलिये इसको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, कोशिश की है और आयन्दा भी विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो कि रेगुलर नेशनेलाइज्ड रूट्स की सर्विसेज के यात्रियों को ले जायं, इसकी हम व्यवस्था करेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : तुलसीदास जी ने कहा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई उपमन्त्री जी ने कहा है वे समरथ लाल हैं, इसके लिए उनको कोई दोष नहीं हैं, उन्होंने कहा है वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

नेक्स्ट।

जयपुर नगर का मास्टर प्लान

४२१. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर नगर का मास्टर प्लान बनाने के लिये किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और समिति के के सदस्य कौन कोन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या 'मास्टर प्लान' तैयार करने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो कौन सी ?

राज्यमन्त्री स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) मास्टर प्लान बनाने के लिये मुख्य नगर आयोजक एवं वास्तु स्थिति सलाहकार को नियुक्त किया गया है, उनको सलाह देने के लिए समिति दिनांक ७-१०-६४ को गठित की गई है, सलाहकार समिति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकिशन : आपने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता, किस बात का प्रश्न

(श्री राम किशन)

नहीं उठता, क्या आपका मास्टर प्लान से है ?

श्रीमती सुमित्रा : आपने पूछा कि क्या मास्टर प्लान तैयार करने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है, तो मैंने कहा कि अन्तिम तिथि तय नहीं है क्योंकि इसमें दिक्कत यह आ रही है कि गजट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे, नियम प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक यह नहीं कर सकते । अभी नियमों को प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जा रही है, उसके बाद मास्टर प्लान प्रकाशित करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम कब तक बन जायेंगे और कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : नियम बन गये हैं, प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मास्टर प्लान के अन्तर्गत जयपुर शहर का डेवेलपमेंट हो और हैप-हैजर्ड वे में आज जिस प्रकार के कन्स्ट्रक्शन्स हो रहे हैं उनको रोकने के सम्बन्ध में क्या नगर न्यास को और नगरपालिका आदेश दे दिये गये हैं क्या ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भीखाभाई : मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्लान बना हुआ है, प्रकाशित करने का किसको अधिकार है, उसे प्रकाशित करके ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करके, वह सब होने के बार मे सब होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मास्टर प्लान बना रहे हैं, इसमें बहुत देरी आपने की है । अब तक वह कभी का बन जाना चाहिये था । पर मास्टर प्लान में विलम्ब हुआ, नियम प्रकाशित नहीं हुए, और आज जयपुर के आसपास जिस प्रकार का हैपहैजर्ड वे में डेवेलपमेंट हो रहा है, वह सब आपने जीप में आते जाते देखा है, आपको मालूम होगा कि मैन रोडस पर किस प्रकार शो रूम्स बन रहे हैं, किस प्रकार दुकानें बन रही हैं, मकान बन रहे है, जमीनों का कन्वर्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर लेंड पर मकान बन रहे हैं, हैपहैजर्ड वे में यह सब कुछ हो रहा है । इसके लिए क्या नगर न्यास को या नगर परिषद को आपने आदेश दिये हैं कि यह मास्टर प्लान बन रहा है, उसके विपरीत कोई भी कन्स्ट्रक्शन नहीं हो, और जो इस प्रकार के कन्स्ट्रक्शन्स हो रहे हैं उनको रोक दिया जाय ?

श्री भीखाभाई : It is a suggestion for action, Sir. That will be done.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने आदेश जारी किया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जब जब मीटिंगें होती हैं उनमें इस बात पर बराबर ध्यान दिया जाता है । अभी यू. आई. टी. के चेअरमैन की कान्फेन्स हुई थी तो उसमें भी यह बात रखी गई थी ।

श्री लादूराम सुलानियां : प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है जब तक मास्टर प्लान पूरा नहीं हो जाय, लागू नहीं हो जाय, उस

(श्री लादूराम सुलानियां)

बीच में जो मास्टर प्लान के विपरीत दना-दन इमारते बन रही हैं, दुकानें मकान बन रहे हैं, उनको रोकने के आपने नगरपरिषद को या नगर न्यास को आदेश दिये हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि मास्टर प्लान में किस प्रकार की चीज रखी गई है उस ही को ध्यान में रख कर काम किया जाना चाहिये। कृषि भूमि की आबादी की भूमि में परिवर्तन करने के नियम बनाये उनमें भी इस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि ट्रस्ट और नगर न्यास द्वारा जो चीज पेश होगी उसके माफिक किया जाय। वह सब होने के बाद यह सब किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम होगा कि ५ बत्ती, भगवानदास रोड पर किस प्रकार बिल्डिंग्स की लाइन फुट पाथ तक रोड तक खड़ी हो गई है, क्या आपके नाक के नीचे, जहां से आप रोज गुज-रते हैं, इस तरह के मकान आपको देखने को नहीं मिले, क्या इस तरह की दुकानें, शोरूम, मकान नहीं बन रहे हैं इस हैप हैजर्ड ग्रोथ को रोकने के लिये क्या आपने कोई कदम उठाया है ? एम, एल. एज क्वार्टर्स के पास करोड़ों रुपयों की जमीन बर्बाद हो रही है, आपके विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं होने के कारण करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो रही है, ५ एम. एल. एज। क्वार्टर बने हुये हैं, वहां भैंसें बन्ध रही हैं एम।एल.एज. क्वाटर्स की जगह। इस प्रकार का जयपुर मास्टर प्लान आप बनाने जा रहे हैं।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके सम्बन्ध में एक विवाद चलरहा है, हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट में। वक्फ कहता है कि यह जमीन हमारी है, ट्रस्ट कहता है कि यह जमीन हमारी है। इसलिये माननीय सदस्यकी भावनाए हैं उनको मैं मानता हूं,इसमें शक नहीं है पर जो बात उन्होने कही है हैप हैजर्ड ग्रोथ की बात कही हैं, यह बात बिल-कुल गलत है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या मास्टर प्लान होगा, लीगल एड-वाइजर क्या राय देते हैं, चीफ टाउन प्लानर क्या राय देते हैं, इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हैप हजर्ड ग्रोथ नहीं हो रही है यह कहना गलत है। दस हजार मकान बने हैं। यू०आई०टी० में नक्शे पास हुए नहीं, कर्जा लिया नहीं और अनअथोराइज्ड तरीके से मकानात बना लिए।

श्री अध्यक्ष : इस पोजीशन को असेस कर लीजिये कि हैप हैजर्ड ग्रोथ है या नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय,जयपुर नगर का सत्यनाश कर दिया और फिर कहते हैं कि हैप हैजर्ड नहीं है।

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर हियर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय की चलती नहीं है, अध्यक्ष महोदय। सुखाड़िया साहब पर सुमित्रा जी का ज्यादा पावर है।

श्री रामकिशन : (वैर) १९ आदमियों के नाम समिति में है उनमें इलाके के निर्वाचित विधान सभा सदस्य और लोक सभा के सदस्य का नाम नहीं है।

श्री भीखाभाई : इस पोइन्ट को एक्जामिन नहीं किया है।

श्री रामकिशन : आप बांसुरी ही बजा देते हैं क्या बोलते है यह पता ही नहीं लगता।

श्री भीखाभाई : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ही बांसुरी बजाते हैं, मैं कैसे बजा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : उनकी बांसुरी बजनी चाहिये।

अभी यह प्रश्न इनके सामने नहीं आया है।

श्री रामकिशन : इन्डस्ट्रीज के अध्यक्ष को रखा है, जिला परिषद् के प्रमुख को रखा है। क्या आप उचित नहीं समझते कि विधान सभा और लोक सभा के निर्वाचित सदस्य भी इस समिति में होने चाहिये जिससे प्रमाणित राय आ सके ?

श्री भीखाभाई : आवश्यक नहीं है। सरकार ध्यान रख सकती है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो ख्याल किया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर : यह राजधानी की सुन्दरता का प्रश्न है। यह आरोप भी लगाया गया कि बहुत सारे मकान अवैध रूप से बनाये जा रहे हैं जिसका योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है तो कम से कम ऐसे मकानात बनाने के लिए रोकथाम करने के लिए कोई इंटरिम प्लान की व्यवस्था करनी चाहिये। हर एक बात पर विचाराधीन समस्या रख कर बहुत सारा बिगाड़ हो जाता है तो आपका प्लान समयोचित रूप से भी नहीं आ पाता जो प्लानिंग करते हैं मण्डल हेडेड है, मैंने बारबार कहा है कि डिले डिफीटस दी इक्विटी। जितनी देर करेंगे अनावश्यक प्लान आवेगा। बहुत सारे मकानात अवैध रूप से बनकर जयपुर की सुन्दर बिस्मार हो जावेगी। बिगड़ जावेगी आपको इन्टरिम योजना पर भी विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : **नेक्स्ट**—श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण—प्रश्न संख्या ४२२।

श्री लादूराम मुलानियाँ—बहुत महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—असमर्थ हूं माननीय सदस्य। कई प्रश्न लेते हैं अभी। माननीय सदस्यों ने जो सवालात पूछे उनका स्पष्टीकरण आ गया है। बुद्धिगम्य भी है।

श्री विजयसिंह (मकराना)—जन सम्पर्क मन्त्रीजी ऐसा मालूम होता है मन्त्री महोदय अन्डरग्राउन्ड चले गये हैं।

राजस्थान के पत्रों को विज्ञापन

४२२ **दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान में दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक, मासिक, आदि कुल कितने कितने कौन कौन से पत्र प्रकाशित होते हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। यह भी बतलाया जाये कि इनमें से कितने व कौन से पत्र एप्रूव्ड लिस्ट में हैं ?

(२) इन एप्रूव्ड लिस्ट वाले समाचार पत्रों को गत दो वर्ष में कितना २ विज्ञापन दिया गया व किस आधार पर ? जिलेवार सूची दी जाये।

(३) क्या यह सही है कि समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन में से निश्चित प्रतिशत धनराशि किसी फंड के नाम से अच्छे अखबारों को विशेष सहयोग देने के लिये काटी गई थी ? यदि हां तो कितनी धनराशि उस कोष में एकत्रित हो गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कोष का निश्चय के बाद में त्याग दिया गया और काटी गई रकम संबंधितों को लौटा दी गई ?

(५) उक्त प्रकार का निश्चय करने और त्यागने के क्या कारण थे ?

(६) स्वस्थ पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं है तो क्या राज्य सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती ?

राज्य मंत्री जनसम्पर्क विभाग—

(श्री हीरालाल देवपुरा) (१) राजस्थान में प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि पत्रों की जिलेवार सूची (परिशिष्ट क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

एप्रूव्ड पत्रों की प्रति परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

(२) सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। विज्ञापन सरकारी विज्ञापन नियम १९६२ में दिये गये प्रावधानों के आधार पर दिये जाते हैं।

(३) प्रोग्रेसिव अखबार व पत्रकारों को अवार्ड देने के लिये विज्ञापन बिल से १५ प्रतिशत कटौती का प्रावधान नियमों में किया गया। रु० २३,१८३.१४ पैसे की धनराशि एकत्रित हुई थी।

(४) जी हां उपर्युक्त धनराशि में से अब तक रुपये १४.७५९.४९ पैसे सम्बन्धित पत्रों को लौटाये जा चुके हैं। शेष के लिये कार्यवाही की जा रही हैं।

(५) राजस्थान के प्रगतिशील पत्रों व पत्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिये नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया था। राजस्थान के बाहर के बहुत से समाचारपत्रों एवं राजस्थान के कुछ पत्रों में इस कटौती के सम्बन्ध में आपत्ति की थी एवं कटौती कराके बिलों का भुगतान लेने एवं विज्ञापन प्रकाशित करने से मना कर दिया था। अतः सरकार ने अपना निर्णय बदलना उचित समझा। तदानुसार नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(६) स्वस्थ पत्रकारिता को प्रोत्साहन दने ले लिये पत्रों का वर्गीकरण किया है। उस आधार पर उनके लिये विज्ञापन की दरें निश्चित है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

श्री दौलतराम सारण—अध्यक्ष महोदय, आप यह कहते हैं कि विज्ञापन को स्वस्थ पत्रकारिता के लिये वर्गीकरण किया गया इस वर्गीकरण के आधार पर आप विज्ञापन देते हैं। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रों की आपने सूची दी है। उसमें देखने से मालूम होता है कि आपने (ए) श्रेणी से (बी) श्रेणी वाले को ज्यादा दिया और (बी) श्रेणी में भी आपस में फर्क रखा। दैनिकों में भी आपने अन्तर किया है। राजस्थान के जो मशहूर पत्र हैं उनको आपने कम दिया है। जो एक पृष्ठ के अखबार निकलते हैं उनको ज्यादा दिया है। इस प्रकार से जो आप फर्क करते हैं इसका क्या कारण है।

श्री **हीरालाल देवपुरा**—पत्रों का वर्गीकरण किया गया। विज्ञापन दिये जाते है। उनकी अलग अलग दरें हैं। (ए) की ऊंची दरें हैं, (बी) श्रेणी की उससे कम और (सी) उससे नीची। अब प्रश्न यह है कि अलग अलग पत्रों को बराबर विज्ञापन क्यों नहीं दिये गये हैं। दो केटेगरीज होती हैं। एक क्लासिफाइड और दूसरी सजावट जिस क्षेत्र से जो पत्र निकलता है उसमें पार्टीकुलरली कोई विज्ञापन दिलाना चाहे तो क्लासिफाइड की श्रेणी में आता है विज्ञापन अलग अलग पत्रों को दिये जाते हैं। इसलिये अमाउन्ट में फर्क हो सकता है कि किसको कितना मिल जाता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से दरें निश्चित हैं।

श्री दौलतराम सारण—कम अधिक मिलने का क्या कारण ? जैसे राष्ट्रदूत को २०,५२०.५० दैनिक राजस्थान पत्रिका को २१,७६९.४४ रु० और दैनिक नवज्योति को २९,५२४.६४ रु०. दैनिक अधिकार को २२,०८९.७६ रु०, दैनिक लोकवाणी जयपुर को ९,३३४.६० रु०, दै० अमर राजस्थान १४,९७१.०० रु०, दैनिक मशाल को १०१.६४ रु० इनके सरकुलेशन इनकी पृष्ठ संख्या आदि में बहुत फर्क होते हुये भी विज्ञापनों में क्यों असमानता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा—बराबर विज्ञापन मिल जावेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोकवाणी और मशाल का जिक्र किया। बीच में ये बन्द हो गये तो उनको विज्ञापन नहीं मिले। वापिस चालू हो गये तो मिलने लग गये। क्लासिफाइड विज्ञापन जो मिलते हैं जिस क्षेत्र में अखबार का प्रचलन होता है उस हिसाब से मिलता है बहुत से विज्ञापन पर्टीकूलर एरिया के लिये होते हैं तो उनको मिलता है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार)—राजस्थान जन सम्पर्क का कार्यालय की विज्ञापन नीति की आलोचना हुई थी तो उसको लेकर बाद में एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया था, उसको क्या भंग कर दिया गया है ?

Page No 28

श्री हीरालाल देवपुरा—यह सही है कि बोर्ड बना हुआ है जब जब बोर्ड की बैठक बुलाई गई तो समय पर न होने से खास लाभ नहीं हो पाया। उस वक्त स्थगित किया गया। पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—आपने जो यह सूची दी है क्या यह सही है कि डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स के ऐसे पत्रों को विज्ञापन दिये गये हैं जो अब तक राज्य सरकार के द्वारा एप्रूव्ड भी नहीं हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा—अनएप्रूव्ड पत्रों के लिए इस प्रश्न में नहीं पूछा गया। इसलिये उनकी सूची नहीं दी गई। जो एप्रूव्ड हैं उनकी सूची दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—क्या सरकार यह उचित समझती है कि जो पत्र एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है और राज्य सरकार ने एप्रूव नहीं किया है और क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है उनको एडवरटाइजमेंट दिया जाना नियमों के विरुद्ध है।

श्री हीरालाल देवपुरा : नियमों के विरुद्ध नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा एप्रूव्ड के अतिरिक्त भी दे सकती है उसके मेरिट के आधार पर ही दिया जाना है। नया पत्र निकलता है। छः महीने तक उसको एप्रूव नहीं किया जाता है उसको विज्ञापन देने में हर्ज नहीं है। आर्थिक दृष्टि से लाभ दिलाने की दृष्टि से नहीं दिये जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है नियमों के अंतर्गत जो राज्य सरकार ने बनाये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हाँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार के यह नोटिस में आया है कि दैनिक नव ज्योति अखबार को केटोगेराइजेशन कमेटी ने (बी) में रखा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उनके बाद कन्सल्ट करके (ए) श्रेणी में लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार के अनुसार इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन (ए) क्लास के अनुसार किया जावेगा। २० हजार, २२ हजार और २६ हजार के जो विज्ञापन जिन पत्रों को दिये गये हैं वे सब (ए) केटेगरी के हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हाँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, अधिकार दैनिक, नवज्योति (ए) केटेगरी के हैं ? (ए) केटेगरी एज केटोगराइज्ड बाइदी केटोगेराइजेशन कमेटी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उनके बाद निर्णय दिया गया। स्टेन्डर्ड के जो पत्र थे कमेटी ने उसके बाद ही किया है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मेरा सवाल कुछ है। राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, अधिकार, नवज्योति जो नियम केटोगेराइजेशन के बने हुए हैं और राजस्थान सरकार ने केटोगेराइज किया है ये चार (ए) श्रेणी के हैं ?

Page No 29

श्री हीरालाल देवपुरा : किस प्रकार ये मेरिट के अनुसार आते हैं यह जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपके पास जानकारी है क्या ? आप तो नवज्योति की जानकारी लेकर आये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : (बी) से (ए) श्रेणी क्यों दी गई यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : फ्रन्ट पेज पर सुखाड़ियाजी की तस्वीर छाप दे और बाकी दूसरों में इस प्रकार की प्रक्रिया चले ब्लेक मेलिंग करने की कोशिश करे उनको आप एड्वरटाइजमेन्ट देते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका ध्यान रखा जाता है। कोई उनको एडवरटाइजमेंट नहीं दिया गया है। कभी किसी को दिया गया हो तो केटेगरी में आते ही उनको दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे समाचार पत्र जो मौका परस्त हैं, मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर छापते हैं और दूसरों के बारे में जैसा माननीय स्पीकर महोदय के बारे में उनके व्यक्तित्व को लेकर किस प्रकार भर्त्सना की गई और आप उनको एडवरटाइजमेन्ट देते हैं तो ऐसे पत्रों को क्यों विज्ञापन रिलीज़ करते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा हो सकता है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्यों उनको रिलीज़ करते हैं ? जो पत्र चेयर को इस प्रकार मेलाइन करते हैं उनको क्यों विज्ञापन रीलिज़ करते हैं ? आप अखबारों में फोटो छपवा कर प्रशंसा लेते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : केवल फोटो छाप दिया इसलिये एडवरटाइजमेन्ट नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : ऐसे पत्रों को माननीय मंत्री महोदय देखा करिये।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पत्र प्रकाशित होने से पहले एडवरटाइजमेन्ट दिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा मेरे कोई मामला ध्यान में नहीं है। माननीय सदस्य बतायेंगे तो जांच करा लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : क्या कई ऐसे पत्रों को प्रकाशन से पहले डिक्लेरेशन लेना चाहिये डिक्लेरेशन मिला नहीं और पत्र प्रकाशित कर रहे हैं और उनको एडवरटाइजमेन्ट दिये जा रहे हैं और खाली पेज एडवरटाइजमेन्ट के छपे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दो वर्ष में विज्ञापनों के मामले को लेकर भयंकर घोटाले हुये हैं, जितने घोटाले हुए हैं माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मन्त्री महोदय मेरी चुनौती स्वीकार करें, पत्र एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं और उनको एडवरटाइजमेन्ट दे रहे है, जो अखबार बन्द पड़े हुए हैं उनको एडवरटाइजमेन्ट दे देते हैं,अपने मर्जीदानों को विज्ञापन दे दिये गये हैं, जो कृपा पात्र हैं और चापलूसी करते हैं उनको एडवरटाइजमेन्ट दे देते हैं, जो राज्य में स्वस्थ पत्रकारिता को पनपाते हैं ऐसे पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं, एक घिनौनी पोलिसी डाइरेक्टोरेट ने गत दो वर्षों से अपना रखी है, मैं निवेदन करूंगा कि लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं के स्थापनार्थ इस हाउस की एक कमेटी बनाई जाय, या एक स्पेशल आफिसर सरकार नियुक्त करे जो इस बात का पता लगाये कि गत दो वर्ष में विज्ञापन देने के मामले में क्या घिनौना कार्य किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है न वर्गीकरण का ध्यान रखा गया है, न पत्र की पृष्ठ संख्या है, न उसकी नियमितता का ध्यान है, न उसके मैटर का ध्यान रखा गया है, राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, अधिकार, नवज्योति दैनिक पत्रों को अलग अलग तरीके से विज्ञापनों का पैसा दिया गया है, जो एक एक पन्ने के निकलने वाले पत्र हैं उनको बीस बीस हजार रुपया, पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपया दे दिया गया है जो नियमित निकलने वाले दैनिक पत्र है उनको कम दिया गया है और जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि फ्रन्ट पेज पर फोटो छाप दिया उसको विज्ञापन दे दिया गया, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं अखबार उनको विज्ञापन मिल जाता है, व्यक्तित्व पर हमला करते हैं उनको बड़ी मात्रा में विज्ञापन दिये गये हैं, इस प्रकार विज्ञापन देने की जो राज्य सरकार की नीति है वह किन्हीं आधारों पर निर्धारित नहीं है वह केवल किन्हीं आपसी और निहित स्वार्थों पर आधारित है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जनतन्त्र के अन्तर्गत अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और सरकार एडवरटाइजमेन्ट के रूप में मनमाने तौर पर आरबिट्रेरी तौर पर अगर डमी पेपर्स को हजारों रुपया देती है तो इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए और विरोधी पक्ष के नाते सरकार के ऊपर कोई न कोई अंकुश लगाया जाना एक स्वाभाविक और उचित है । सरकार को विरोधी पक्ष की उचित मांग पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये । आरबिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेट रूप से मनमाने तौर पर अखबारों को प्रश्रय देते हैं तो यह बुरी और भद्दी प्रक्रिया है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक आश्वासन दिला दें....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

प्रश्न कर्ता ।

श्री दौलतराम सारण : आजकल जिस रूप में, अध्यक्ष महोदय, पत्र प्रकाशित हो रहे हैं उन्होंने प्रेस के पोइन्ट ऑफ व्यू से घिनौना रास्ता अपनाया है और जनमत और जनमत के व्यू पोइन्ट से को गलत तरीके से अपमानित कर रहे हैं। अच्छे पत्रों के साथ सरकार भेदभाव बरतती है। इस सम्बन्ध में किसी कमेटी द्वारा या किसी उच्चाधिकारी के द्वारा जांच करायी जाय और कोई आधार स्थापित किया जाय। नहीं तो, प्रेस बड़ा गलत तरीका अख्तियार कर रहा है। ऐसे लोग इसक्षेत्र में आ गये हैं जिनको एक लाइन लिखना नहीं आती, एक शब्द जानते नहीं पत्रकारिता का। कल अगले अंक में पढ़िये, इस तरह के शीर्षक लगा कर जनता की भावनाओं को उभाड़ कर एक प्रकार का खराब वातावरण फैलाते हैं, भले लोगों की इज्जत उतारने की हिमाकत करते हैं, ऐसे पत्रों को यह सरकार विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करती है और जो दैनिक पत्र जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को निभा कर कार्य कर रहे हैं उनकी यह सरकार उपेक्षा करती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। यह प्रश्न जो सदन के सम्मुख आया है अखबारों के कई अंश साप्ताहिक आदि के देखने को मिलते हैं उनसे पता चलता है कि माननीय सदस्यों के ऊपर इन पत्रों के द्वारा गमभीर आरोप लगाये जाते हैं, उनकी गम्भीर आलोचना की जाती है यहां तक कि उनका करेक्टर असेसिनेशन तक किया जाता है, इसलिए में माननीय सदस्यों की प्रिविलेजेज को सुरक्षा के लिये आप से निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्यों पर निरर्थक आरोप जो पत्र लगाये करते हैं उनको आप स्वयम् देखिये और उनके विरुद्ध कोई ऐक्शन लीजिये. साथ ही एडवरटाइज मेन्ट की जो व्यवस्था है उस पर भी देखिये। **(विराम)**

प्रश्न समाप्त हुए। इसके साथ ही स्थगित प्रश्न भी समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, फाइरिंग के सम्बन्ध में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ३३ नम्बर का क्वेश्चन है उसको एडजोर्न किया था।

श्री अध्यक्ष : एक सप्ताह में वापिस ले लूंगा। स्थागित प्रश्न सब ले लिये जावेंगे।

श्री रामसिंह कुडी : पिछले सत्र में भी उसको स्थगित किया गया था।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जोबनेर की जल प्रदाय योजना

४१५, **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

नगर पालिका क्षेत्र जोबनेर में सन् १६६६ के आखिर में जल प्रदाय योजना का शिलान्यास तत्कालीन विधान सभा-अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा के करकमलों द्वारा

(श्री पी० के० चौधरी)

सम्पन्न हुआ था ? यदि हाँ, तो आज तक कहां पर जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण बताने की कृपा करें तथा वहां पर जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

जी हाँ, परन्तु योजना स्वीकृत न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अब योजना का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

गंगापुर-वजीरपुर सड़क निर्माण कार्य

४१६. **श्री रिद्धीचन्द पालीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) गंगापुर से वजीरपुर रोड का कार्य अचानक क्यों बन्द कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सच है कि इस रोड पर लाखों रुपये का पत्थर, मिट्टी, डामर व लकड़ी पड़ी हुई है और चोरी जाना शुरू हो गई है ?

(३) क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता द्वारा बार बार काम चालू रखने की प्रार्थना करने पर भी अधिशाषी अभियन्ता टोंक द्वारा काम बन्द कराया जा रहा है ?

(४) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) अर्थाभाव के कारण

(२) १५,००० रु० के पत्थर १००० रु० डामर व १००० रु० की लकड़ी आदि सड़क पर हैं। सामान चोरी होना सही नहीं है।

(३) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण कार्य बन्द है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान सचिवालय में कर्मचारियों का अनुपात

२७५ **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. राजस्थान सचिवालय में किस किस श्रेणी में कितने कितने कर्मचारी हैं तथा इनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या व प्रतिशत क्या है ?

२. क्या यह सत्य है कि सचिवालय में राज्य के प्रत्येक जिले का अनुपातिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व नहीं है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का जिलेवार वर्गीकरण बताने की कृपा करें। यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान सचिवालय के राज्य कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार संख्या

(श्री मुख्य मन्त्री)

तथा उसमें अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या व उसका प्रतिशत निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	सेवा का नाम	कु. सं.	अनु. जन जाति के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
१.	राज्य पत्रित सेवा	७२	—	—
२.	अधीनस्थ सेवा	२६	—	—
३.	मंत्रालयिक सेवा	९९७	१३	१.३०
४.	चतुर्थ श्रेणी सेवा	५१५	२१	४.००

(२) जी हां।

भारतीय संविधान एवं केन्द्रीय तथा राजस्थान द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत जिलेवार प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए राज्य सेवाओं में नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है, न यह सम्भव ही है और न उचित ही। अतः जिलेवार प्रतिनिधित्व के आधार पर सचिवालय में किसी भी वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

अजमेर जिले में रिटायर्ड व्यक्तियों के पेन्शन के मामले

२७६ **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. अजमेर जिले में ५८ साला से ५५ साला रिटायरमेंट आयु होने से दिनांक ३०-६-६७, ३०-९-६७ व ३१-१२-६७ तक कितने कर्मचारी रिटायर हुए?

२. इनमें से कितनों के पेन्शन केस तय हो गए?

३. कितनों के पेन्शन केस बन कर पेन्शन पेपर चल रहे हैं?

४. कितनोंके पेन्शन केस अभी तक नहीं बन पाये हैं और क्यों?

(स्थगित किया गया)

सरपंचो की गिरफ्तारी सम्बंधी नीति

२७७ **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

१. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह कोई नीति निर्धारित की है कि सरपंचों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? यदि हां, तो कब से और यह नीति निर्धारित करने के बाद किन किन मामलों में कब कब पुलिस ने स्वीकृति सरकार से मांगी और किन किन मामलो में कब कब सरकार ने स्वीकृति दी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२. क्या यह भी सत्य है कि कुछ मामलों में पुलिस ने नीति का पालन नहीं किया और बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के कुछ सरपंचों को गिरफ्तार किया है? यदि हां, तो किन किन को कब कब? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

३. इस प्रकार के आदेशों के खिलाफ पुलिस द्वारा सरपंचों को गिरफ्तार करने के मामलों में राज्य सरकार ने उक्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सवाई माधोपुर में मूर्तियों की चोरी

२७८. **श्री हरिबल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जनवरी सन् ६८ से जनवरी सन् ६९ तक सवाई माधोपुर जिले में मूर्तियां चोरी जाने के कितने मामले दर्ज रजिस्टर हुए और ये मामले किस किस स्थान से मूर्तियां चोरी जाने के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मामलों में से किस किस मामले की चोरियां पुलिस बरामद करने में कामयाब हुई और कितने ऐसे मामलों का चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) माह जनवरी सन् ६८ से माह जनवरी सन् ६९ तक मण्डल सवाई माधोपुर में २० अभियोग मूर्तियां चोरी जाने के पंजिबद्ध हुए हैं। यह मामले जिन स्थानों से मूर्तियां चोरी जाने से सम्बन्धित हैं उसका उल्लेख संलग्न तालिका में किया गया है।

(२) उपरोक्त कुल अभियोगों में से चार में मूर्तियां बरामद कीं। इनमें एक का चालान किया, दो जेर तफतीश हैं। बाकी समस्त में एफ० आर० दी गई है। तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट-७ देखिये)

थाना परबतसर में चोरी का मामला

२७९. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि थाना परबतसर जिला नागौर के थानेदार ने मुकदमा सं० ९७/६८, ता. १५-११-६८ में मौजा बूडसू में चोरी का माल कीमतन रु० ३,०००) का अपने कब्जे में लिया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त माल मुलजिमान जबरदस्ती पुलिस हिरासत से उठा कर ले गये ?

(३) यदि हां, तो पुलिस मुलजिमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है व ९७।५८ में अब तक क्या किया गया ?

(४) यदि मुकदमा ९७।६८ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्या कारण है ? कब तक कार्यवाही होगी ?

उत्तर

(१) जी हां। ३०००) रु० का कीमतन लूंग पूसाराम के कब्जे से पुलिस कब्जे में लिया गया था।

Page No 35

(गृह मन्त्री)

(२) इस माल पर अपना हक समझते हुये. विजयसिंह अनधिकृत तरीके से यह माल मुन्सिफ कोर्ट परबतसर के स्टे के बहाने पर उठा ले गया ।

(३) (।) पुलिस जब्त शुदा माल जिसको विजय सिंह झूठे शपथ पत्र के आधार पर माल नीलामी के विरुद्ध प्राप्त स्टे के बिना पर उठा ले गया था, उसके बाबत एस. एच. ओ. ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट परबतसर में दरख्वास्त पेश कर सही स्थिति अदालत को बताई है। यह दरख्वास्त अदालत के विचाराधीन है।

(।।) केस नं० ६७।६८ में पुलिस ने मौके की कार्यवाही की, गवाहान के बयान लिये, माल जब्त किया व उसकी नीलामी के लिये कार्यवाही की। आगे तफतीश जारी है।

(४) जी नहीं, कार्यवाही चल रही है, केस जेर तफतीश है जिसमें शीघ्र ही निर्णय पर पहुँचा जायगा ।

कुओं के निर्माण हेतु अलाट हुई धनराशि

२८०. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) झुंझुनूं जिले की पंचायत समितियों को चालू वित्तीय वर्ष में कितने रुपये कुओं के निर्माण तथा उनकी मरम्मत हेतु अलॉट किये गये ? उपरोक्त आँकड़े पंचायत समिति के अनुसार बताये जावें ।

(२) झुंझनूं जिले में कितने ट्यूब वैल्स अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के जरिये आज तक खुदवाये गये ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ? दूसरे जिलों में कितने खुदवाये गये ?

(३) चालू वित्तीय वर्ष में अलवर जिले की पंचायत समितियों को समिति वार कुओं के निर्माण तथा उनकी मरम्मत हेतु कितनी धनराशि दी गई ?

उत्तर

(१) झुंझनू जिले की निम्न पंचायत समितियों को वर्ष १६६८-६६ में कूप निर्माण के लिए निम्नलिखित ऋण दिया गया है :—

पंचायत समिति का नाम	राशि
१. अलीसर	१०,०००)
२. चिड़ावा	१०,०००)

कूप मरम्मत के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है ।

(२) झुन्झनूं जिले में राजस्थान ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा २७ (सत्ताईस) नलकूप बनाए गये हैं तथा अन्य जिलों में निर्माण किये गये नलकूपों की संख्या ३११ (तीन सौ ग्यारह) हैं ।

(कृषि मन्त्री)

(३) अलवर जिले की किसी पंचायत समिति को चालू वित्तीय वर्ष में कुओं के निर्माण या मरम्मत के लिए कोई राशि का आवंटन नहीं किया गया।

तहसील सांचोर में सिंचाई कुए

२८१. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में कृषि सिंचाई कुओं की संख्या पिछले पाँच वर्षों में काफी अधिक बढ़ी है ? अगर हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर में काश्तकारों ने अपनी ही मेहनत से कुओं में बोरिंग करके काफी संख्या में सिंचाई कुओं पर पम्पिग सैट्स लगाये हैं ? अगर हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा काश्तकारों को क्या क्या मदद दी गई है ? आगे उत्पादन को बढ़ाने के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

(३) पिछले पांच सालों में तहसील सांचोर में सालवार कितने नये बेरे बने एवं कितने सालवार नए पम्पिग सैट्स लगे ?

(स्थगित किया गया)

मंडी कमेटियां

२२८, **श्री हरिवल्लभ शर्मा** : (सवाई-माधोपुर)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला सवाईमाधोपुर में राज्य सरकार ने कौन कौन सी मंडियां राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम के अधीन घोषित की हैं और इन मंडियों में कृषि उपज मंडी कमेटी कब मनोनीत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मंडी कमेटियों में से किस किस कमेटी के प्रथम आम चुनाव कब कब कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इन निर्वाचन कमेटियों में से किस किस कमेटी का पूर्ण गठन होकर नई कमेटियों ने काम आरम्भ कर दिया है और कब से ? यदि नहीं तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जिला सवाईमाधोपुर में 4 कृषि उपज मंडी समितियाँ स्थापित की गई हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) चारों मंडी समितियों के प्रथम चुनाव नियमानुसार हो चुके हैं विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) जी नहीं क्योंकि चुनाव परिणाम अभी राज्य पत्र में प्रकाशित नहीं हुए हैं। अतः इस प्रश्न पर विशेष टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

कोटा डिविजन में कृषि फार्मिंग सहकारी समितियां

283. **श्री झुन्झार सिंह** (रामगंज मंडी) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कोटा डिविजन में कितनी कृषि फार्मिंग सहकारी समितियां बनाई हुई हैं और अलग अलग पंचायत समितियों में कितनी कितनी हैं ?

(२) इन कृषि फार्मिंग सोसायटियों में कितनी कितनी किन किन स्थानों पर काम कर रही हैं और कितनी बेकार हैं ?

(३) किन किन पंचायत समितियों में कब कब से कृषि फार्मिंग निरीक्षक के पद कायम किये हुए हैं और उनके साथ कितना कितना अमला मंजूर है ? अलग अलग पंचायत समितियों में इस सीगे पर हुये खर्चे की तफसील बताने की कृपा करें । निरीक्षकों द्वारा कितना टी. ए. व डी. ए. उठाया गया है ।

उत्तर

(१) कोटा डिविजन में कुल सहकारी कृषि समितियों की संख्या १०६ हैं । पंचायत समितिवार सहकारी कृषि समितियों की संख्या परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(२) इन कृषि फार्मिंग सोसायटियों में जितनी २ जिन जिन स्थानों पर कार्य कर रही हैं व निष्क्रिय हैं, वह निम्न प्रकार है:-

नाम यूनिट	कार्य कर रही कृषि समितियों की संख्या	निष्क्रिय-सहकारी समितियों की संख्या
झालावाड़	२	७
कोटा	२	६
बूंदी	५	१४
बांरा	२०	२०
टोंक	११	१९
	४०	६६

(३) बांरा यूनिट व बून्दी यूनिट में क्रमशः दिनांक ९-१०-६३, ४-३-६६ एवं ५-११-६० से कृषि निरीक्षक काम कर रहे हैं, और इनके साथ कोई अमला मंजूर नहीं है । इन पर जो खर्चा हुआ है वह इस प्रकार है :—

(४)

क्रमसं०	नाम यूनिट	वेतन एवं भत्ता	यात्रा भत्ता
१-	बांरा	२६७७८-६८	६२३८-००
२-	बून्दी	८१७०-३१	१४२१-३८

(कृपया परिशिष्ट-९ देखिये)

स्वास्थ्य निरीक्षक का वेतन स्थितिकरण

२८४ **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या श्री रूपाराम, स्वास्थ्य निरी-

(श्री रामसिंह कुड़ी)

क्षक, जो पहले भी सोमाणी ग्राम सुधारक केन्द्र मौलासर में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे, का सन् १-४-५० से वेतन स्थितिकरण (फिक्सेशन इन यू. पी. एस.) नहीं हुआ ?

(२) क्या स्पेशल सचिव सहकारी विभाग ने रूपाराम स्वास्थ्य निरीक्षक का कैटेगराइजेशन किया है जिसके सन्दर्भ रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या एफ. ८ (१४) सीडी. आर. आर. आर. पार्ट ११५६, दिनांक २८-६-६८ को लिखा गया था ?

(३) क्या वेतन स्थितिकरण के अभाव में कर्मचारी को प्रतिमाह लगभग एक सौ रुपये की आर्थिक हानि हो रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा इंटिग्रेशन के बकाया मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जो पद मौलासर रूरल डवलपमेंट सेन्टर के, इस सेन्टर के डीडवाना सिटी ब्लाक में विलिनीकरण के कारण समाप्त कर दिये गये थे, उन पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की सेवाओं के इन्टीग्रेशन न किये जाने के फलस्वरूप उनका कैटेगेराईजेशन नहीं किया गया। सैनीटरी इन्सपेक्टर का पद भी इनमें से एक था। अब चूंकि ऐसे पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों में से एक श्री हरीसिंह ने उच्च न्यायालय में इसी संबंध में रिटयाचिका पेश करदी है, इसलिये जब तक उसका निर्णय न हो जावे, कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(३) इस बारे में मौजूदा स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता।

अग्रगामी खादी संघ, साँपला

२८५. श्री देवीलाल बुरासिया : क्या खादी बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में ग्राम सांपला में अग्रगामी खादी संघ सांपला नाम की संस्था है ? अगर है, तो वह कितने साल से काम कर रही है और उसकी कितनी शाखा हैं ?

(२) क्या इसकी कभी खादी कमीशन जयपुर ने जांच की थी ? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन में रखें।

(३) क्या यह सही है कि सरवाड़ भण्डार व मनोहरपुरा भण्डार पर क्रमशः ३५ मन व ६० मन रूई सन् १९६२ में खरीद बताई है जब कि रुई खरीदी नहीं गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

(४) इस संघ का सन् ६० से ६८ तक का उत्पादन तथा बिक्री का लेखा जोखा सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या इस संस्था का कभी आडिट हुआ है ?

(खादी बोर्ड मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां । संस्था ने ५८–५९ से कार्य प्रारंभ किया था जिसके सरवाड़ तहसील में निम्नांकित प्रमाणित स्थान पर उप केन्द्र थे।

(१) सरवाड (२) सांपला (३) मनोहरपुर (४) फतहगढ़ (५) बोरडा (६) हिंगोनिया (७) टाटोली ।

(२) खादी कमीशन कार्यालय जयपुर द्वारा अक्तूबर १९६७ में इस संस्था की जांच कराई गई थी । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(३] ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(४) उक्त संस्था द्वारा कार्यरत दिनांक तक वार्षिक उत्पादन-बिक्री निम्न प्रकार रही।

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
६०–६१	१–१९	१–३०
६१–६२	२–२१	२–३४
६२–६३	२–४०	२–४४
६३–६४	कार्य बन्द रहा।	
६४–६५	०–४६	०–४५
६५–६६	०–८२	०–७५
६६–६७	०–४४	०–४४

उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सन् ६७–६८ से कार्य बन्द है।

(५) इस संस्था का सन् ६५ तक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा हिसाब आडिट हुआ है लेकिन आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

गंगानगर में चलने वाली बसें

२८६. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला श्री गंगानगर में कुल कितनी बसें राज्य पथ-परिवहन निगम की चल रही हैं ? रूट वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि पहले जो प्राइवेट बसें चलती थीं उनसे निगम की बसें आधी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शहर में सिर्फ एक ही बस अड्डा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस कारण जनता को कष्ट होता है ?

(४) क्या सरकारी जानकारी में है कि काफी मर्तबा २-४ सवारी बैठाकर ही बसें रवाना हो जाती हैं और रास्ते पर खड़ी सवारियों नहीं ली जाती हैं ?

(५) क्या यह सही है कि निगम की बसें चलाने के बाद में जनता में बडा असंतोष पैदा हुआ है क्योंकि बसें समय पर नहीं जाती रास्ते में सवारी नहीं ली जाती और घंटों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तक टिकट के लिये सवारियों को कतार में खडा रहना पड़ता है ?

(६) क्या यह सही है कि रास्ते में बसें खराब होने से कई घंटों तक सवारी वहीं पर पडी रहती हैं जिससे जनता में भारी असंतोष है क्योंकि जब तक दूसरी बस का इन्तजाम नहीं होता पीछे से आने वाली बसों में सवारी नहीं बैठाई जाती ?

उत्तर

(१) श्री गंगानगर में निगम द्वारा ५३ बसें निम्न मार्गों पर चलाई जा रही है :—

मार्ग	गाडियों की संख्या	सेवायें
१—रायसिहनगर—रावतसर	५	४
२—रायसिहनगर गंगानगर	१५	३८
३—गंगानगर-पदमपुर	६	३०
४—गंगानगर-रावतसर	१७	३६
५-गंगानगर-हनुमानगढ	७	२०
	५३	१२८

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । जनता से इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(४) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं । अगर कोई बस रास्ते में खराब होती है, तो बाद में जाने वाली बस सवारियों को गंतव्य स्थान पर ले जाती है ।

बस मार्गों पर अन्य वाहन चलाने के परमिट

२८७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृत बस मार्गों पर किसी व्यक्ति या फर्म को टैम्पों व अन्य वाहन चलाने का परमिट दिया है ?

(२) यदि हां, तो किस किस मार्ग पर किस किस व्यक्ति को परमिट दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि जयपुर-कोटा एवं कोटा-अजमेर रोडवेज बस मार्गों पर टैम्पों आदि वाहनों को परमिट दिये हैं और वे यात्रियों को किराया लेकर ले जाते हैं ? यदि हां, तो किस नियम से परमिट दिये ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) ऐसे परमिट नहीं दिये हैं ।

Page No 41

रोडवेज की बसों द्वारा अधिक किराया की वसूली

२८८. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज बसों ने सन् ६७–६८ में कोटा के दशहरा मेले एवं अजमेर के उर्स के मेले के अवसर पर यात्रियों से निर्धारित बस किराये से अधिक पैसा वसूल किया है ?

(२) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितने पैसे अधिक लिये और किस नियम से वसूल किया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगानगर से हिन्दूमलकोट जाने वाली रेल्वे लाइन

२८९. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) गंगानगर से हिन्दूमलकोट जाने वाली रेल्वे लाइन कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि इस रेल्वे लाईन के कार्य में भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार को कुछ धन खर्च करने की शर्त थी ? यदि हां, तो कुल खर्चा कितना भारत सरकार द्वारा लगेगा और राजस्थान सरकार से कितना खर्चा किया जावेगा और कितनी मील की यह रेल्वे लाईन है ?

(३) क्या यह सही है कि फिलहाल काफी दिनों से रेल्वे लाईन का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो कब से और किस कारण से निर्माण कार्य रुका हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि गंगानगर–हिन्दूमलकोट रेल्वे लाईन का निर्माण कार्य पूरा होने से गंगानगर से सीधा दिल्ली से बडी लाईन का रास्ता खुल जाता है ? यदि हां, तो सीमावर्ती जिला को दिल्ली से जोडने के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रख कर इसे शीघ्र पूरा करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध करेगी ?

उत्तर

(१) गंगानगर से हिन्दूमलकोट रेल्वे लाईन का काफी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुछ कार्य बाकी है और उसको शीघ्र ही पूरा करने की कार्यवाही भारत सरकार के रेल्वे विभाग द्वारा की जा रही है।

(२) यह सही है कि इस लाइन के लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से यह वायदा किया था कि पटरी की मिट्टी और प्लेट फार्म की मिट्टी डलवाने का काम श्रमदान द्वारा करवा दिया जावेगा और रेलवे स्टेशन बनवाने के लिये स्किल्ड और अन–स्किल्ड श्रमिक भी श्रमदान द्वारा दिलाये जायेंगे। परन्तु क्योंकि बाद में स्थानीय जनता श्रमदान करने को तैयार नहीं थी

(यातायात मंत्री)

इसलिये इस काम के लिये जनता से ५,८७,०००—रुपये की धन राशि एकत्रित की गई और कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कराया गया जिसमें श्रमदान की एवज में एकत्रित उपरोक्त ५,८७,०००—रु० की धनराशि से ८५,०००—रुपये राज्य सरकार द्वारा अधिक खर्च किये गये। शेष रेलवे लाईन आदि बनाने का काम रेलवे विभाग द्वारा ही किया जाना है अतः भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्चे के बारे में राजस्थान सरकार को जानकारी नहीं है। यह रेलवे लाईन २७-५६ किलोमीटर लम्बी है।

(३) यह सही नहीं है। रेलवे विभाग द्वारा कार्य चालू है।

(४) यह सही है कि इस रेलवे लाईन के निर्माण कार्य पूरा होने से गंगानगर से सीधी दिल्ली बड़ी लाईन का रास्ता खुल जावेगा। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने पहले भी अनुरोध किया है और आवश्यकता हुई तो और भी करने को तैयार है।

जल प्रदाय योजना, लाडनूं के पानी के बिलों की बकाया

२६०. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना लाडनूं के पानी के बिल नगर पालिका लाडनूं में बकाया है? यदि हां, तो कब से कितने रुपयों के?

(२) क्या जल प्रदाय योजनाओं द्वारा उपभोक्ताओं से रकम वसूल करने के लिये कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सामान्य उपभोक्ताओं और नगर पालिकाओं से रकम वसूली का एक ही तरीका अपनाया जाता है या अलग अलग?

(४) उपरोक्त बकाया वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और नियमानुसार क्या कार्यवाही करनी चाहिए थी?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९६५ से, कुल रुपये ६३०२०)७३ माह दिसम्बर, १९६८ तक।

(२) जी हां प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३) जी हां, अलग २ नियम नहीं बने हुए हैं।

(४) इस सम्बन्ध में नगरपालिका को समय २ पर भुगतान के लिए लिखा जा रहा है। भुगतान न होने पर जल सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहिए था, किन्तु जनता की असुविधा को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका।

(सूची—विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नादोती तहसील क्षेत्र में वाटर सप्लाई स्कीम

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

नादोती तहसील में सोप केमला कुंजोल शहर कमेटी आदि स्थानों में जो वाटर सप्लाई स्कीम चालू की जाने को थी उसका आज तक क्या हुआ है ? क्या यह सही है कि गर्मी के दिनों में पुनः पानी की समस्या हो जावेगी ?

उत्तर

नादोती तहसील के सोप, केमला, कुंजाल, शहर कमेटी आदि १० गांवों को मिलाकर एक क्षेत्रीय योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसकी अनुमानित लागत २०.६६ लाख रुपये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने व धन की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी। जी हां पानी की कठिनाई है।

जालोर में पीने के पानी की कमी

२९२. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सत्य है कि जालोर शहर में पेयजल का अभाव है ? अगर हां तो इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है ? यह योजना कब तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है ? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

(२) क्या इस योजना के लिए कोई नए नलकूप तैयार किए गए हैं ? अगर हां तो कितने व कितनी दूरी पर ?

(३) इस पेय जल योजना द्वारा शहर की पीने के पानी की समस्या कितने सालों तक हल हो सकेगी ? कितनी जन संख्या तक पानी पर्याप्त होगा? अगर भविष्य में पानी की कमी हुई तो उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी ?

उत्तर

(१) जी हां। जल प्रसाधनों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने ४.५४ लाख रु० की लागत की योजना बनाई है। योजना सरकार के विचाराधीन है। योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(२) जी नहीं, जालोर कस्बे के लिये सोनपुरा एक नलकूप (जो २५० नलकूप योजना में खोदा गया है) से पानी प्राप्त किया जावेगा यह जालोर से लगभग ४ मील की दूरी पर है।

(३) १० साल तक, २०,००० की जनसंख्या तक पानी पर्याप्त होगा। यह उसी वक्त देखा जा सकेगा।

नेयड़ (सांचोर) में मीठे पानी का अभाव

२९३. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सांचोर के 'नेयड' क्षेत्र में लोगों को पीने का मीठा स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में जमीन के नीचे का पानी भी खारा है, और इससे नलकूप भी नहीं बन सकता ? अगर हां, तो इस क्षेत्र के लोगों की पेयजल की भयंकर समस्या के समाधान के बारे में निकट भविष्य में सरकार क्या सोच रही है ?

(३) सरकार सांचोर के नेपेड क्षेत्र एवं अन्य जगह जहां का पानी खारा है, की पेयजल की समस्या का समाधान कब तक कर सकेगी ? इस क्षेत्र के लिए क्या योजना बनाई जा रही है ? इसकी कार्यान्वितिके लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(१) जी हां !

(२) जी हां, इस क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए ५ क्षेत्रीय योजनाएं बनाये जाने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में लिया हुआ है मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर ही कार्य हाथ में लिया जा सकेगा ।

(३) यह मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है। नेयड़ क्षेत्र एवं अन्य जगह जहां का पानी खारा ही है के लिये १ ; क्षेत्रीय योजनाऐं बनाये जाने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में लिया गया है इसकी क्रियान्विति के लिये अनुमानतः २७. ८७ लाख रुपयों की आवश्यकता होगी ।

ग्राम लाठी की पेयजल योजना

२९४. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम लाठो,जिला जैसलमेर की पेयजल योजना बन चुकी है और ग्राम पचायत की तरफ से १५,०००) की राशि भी आज पांच वर्ष से जमा हो चुकी है ? अगर हां, तो आज तक इस योजना को कार्य रूप में क्यों नहीं लाया गया और कब तक पूर्ण की जावेगी ?

उत्तर

योजना का कार्य निर्माणाधीन है, ग्राम पंचायत की ओर से १५०००/-रु० की राशि नहीं वरन् १४५०/-रु० की धनराशि दिनांक ६-५-६६ को प्राप्त हुई है। योजना का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है और शीघ्र ही जल वितरण शुरू किये जाने की आशा है।

भादरा तहसील के गांवों में पानी की सप्लाई

२९५. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) भादरा तहसील के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें या तो कुओं का पानी मीठा है या

(श्री हंसराज आर्य)

नहर का पानी उपलब्ध है उन गांवों को गांवों की ओर से अपने हिस्से की १० प्रतिशत धनराशि देने पर सरकार कितने गांवों के लिए वाटर वर्क्स से पानी देने को तैयार है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि अनुमानत: एक गांव पर ढाई लाख रुपया खर्च होगा और इसके लिए पांच छ: गांव तैयार हैं ?

उत्तर

(१) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं हैं। और न किसी गांव से कोई योजना बनाने हेतु प्रस्ताव ही पास हुआ है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिकाओं की आबादी

२६६. श्री **रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) किन किन नगरपालिकाओं की आबादी सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार पच्चीस हजार से अधिक है ?

(२) क्या यह सही है कि पच्चीस हजार से कम आबादी के कस्बों में अरबन एसेसमेन्ट जमीन की बिक्री पर देय नहीं हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार इस पर पुन: विचार कर एक लाख से अधिक आबादी के नगरों में ही अरबन एसेसमेन्ट लागू करने का संशोधन करेगी या २० गुना लेकर समाप्त करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

ग्रामीण जल वितरण योजना

२६७. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष ६८-६९ में ग्रामीण जल वितरण योजना बनाई गई थी और उनके लिए एल. आई. सी. से ऋण भी प्राप्त किया गया था ? यदि हां, तो इस योजना में कौन कौन से ग्राम थे और इन पर कितनी कितनी धनराशि मांगी गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 69-70 के लिए भी कुछ और ग्राम जल वितरण योजना के लिए चुन लिए गये हैं ? यदि हां तो कौन कौन से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या उनियारा नगरपालिका क्षेत्र जिला टोंक को भी वर्ष 69-70 के लिए

Page No 46

(स्वायत्त शासन मंत्री)

चुना गया है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरु हो जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

झालावाड़-सुनेल सड़क

298. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या झालावाड से सुनेल तक सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और उसका सर्वे भी करवाया जा चुका है ? यदि हां, तो इस सड़क की लम्बाई कितनी है और यह कौन कौन से गांवों से होकर सुनेल पहुँचेगी ?

(२) क्या यह सही है कि यह सड़क पाटन से सुनेल वाया दूबल्या सर्वे की गई है और इसका एलाइन मेन्ट बदल कर दूबल्या के बजाय सजोनिया गारिया किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? नये अलाइनमेन्ट से सड़क की लम्बाई में कितनी कमी या बढ़ोतरी हो जावेगी ? इस सड़क का काम कब से शुरु करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, सर्वे कराया गया है सड़क की लम्बाई १७ मील है। यह सड़क सजोनिया, श्यामपुर, कोलाखड़ी होती हुई सुनेल पहुँचेगी।

(२) सड़क का रेखण परिवर्तन नहीं हुआ है पूर्व स्वीकृत रेखण पर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है ।

रतनगढ़ नगर से पूर्व की ओर जाने वाली रेल्वे लाइन

299. **श्री लालचन्द वेद** (सुजानगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि रतनगढ़ नगर में पूर्व की तरफ रेल्वे लाइन जो कि चूरू की तरफ जाती है वहां पर शहर से भरतीया ढाणी जाने के लिये बहुत ज्यादा ऊंचाई पड़ती है और वहां पुल बनाना अति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर रेल्वे विभाग से लिखा पढ़ी की है ?

(स्थगित किया गया)

बकाया धनराशि

६००. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

नागौर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० का रोड वर्क का व बिल्डिंग वर्क का सहकारी समितियों का, कितना कितना रुपया कब कब से बकाया है ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

वर्क्स के पेटे कोई रकम देय नहीं है ।

(सार्वजनिक निर्माणमंत्री)

केवल सीक्योरिटी की रकम विभाग में जमा है जो निम्न प्रकार से हैं ।

१. मैसर्स महावीर श्रमिक ठेका सहकारी समिति परवतसर १६६५-०० ।

२. श्रार्जाद श्रमिक ठेका सहकारी समिति मेडता शहर ११६१-०० ।

३. मैसर्स कटलावास श्रमिक सहकारी समिति ५७१-०० ।

मुंडवा-रोल सड़क

३०१ **श्री रामसिंह कुडी** (जायल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. नागौर जिले में मुंडवा से रोल तक क्या कोई सड़क है ? यदि हां, तो उसकी मेन्टेनेन्स करने में पिछले ८ वर्षों में कितना कितना व्यय हुआ ?

२. क्या इस मुंडवा रोल सड़क से ग्राम डिडिया कलां तक कोई सड़क इस सड़क के निर्माण के साथ ही करीब एक मील की श्रप्रोच रोड़ बनी हुई है ? यदि हां, तो इस श्रप्रोच रोड़ के मेन्टेनेन्स में गत 8 वर्षों में कितना कितना रुपया व्यय हुआ ?

उत्तर

१. सड़क है । ८ वर्षों में मेन्टेनेन्स पर खर्च की गई धन राशि का ब्यौरा सूची (श्र) में प्रस्तुत है ।

२. जी हां । इस एप्रोच रोड़ की देख रेख पर खर्च की धन राशि श्रासोप रोल श्रप्रोच मुख्य रोड में शामिल है ।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

बूंदी जिले में भारत सेवक समाज को ठेके

३०२ **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. बूंदी जिले में भारत सेवक समाज को कहां कहां के किस किस साल में श्रौर किस कार्य के ठेके दिये गये ?

२. इन ठेकों की श्रवधि क्या थी ? क्या यह कार्य ठेके की श्रवधि के श्रन्दर समाप्त किये गये ?

३. इन ठेकों की रकम का क्या मुकम्मिल कार्य पूर्ण होने के बाद में भुगतान किया गया है ?

४. क्या इनके द्वारा कोई कार्य श्रवधि के श्रन्दर पूरा नहीं करने पर भी जमानत की रकम विभाग ने जब्त नहीं की ?

उत्तर

१. श्रवधि की सूचना प्रश्न १ के उत्तर में प्रस्तुत सूची (श्र) में श्रंकित है ।

२. कार्य ठेके की श्रवधि में नहीं हुये हैं ।

३. ज्यों ज्यों किये गये कार्य के रनिंग बिल प्राप्त हुये हैं भुगतान किया गया है ।

Page No 48

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

४. देरी के अपराध में पैनेल्टी लगाई गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

स्थगित प्रश्न
२७-२-६६

कोटा जिले में अपराधों की घटनायें

२६. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. कोटा नगर व जिले में वर्ष सन् ६८ में कितनी घटनायें चोरी, अपहरण, कत्ल मारपीट की घटित हुईं ? कृपया थानेवार बताने की कृपा करें ।

२. उपरोक्त में से कितने अपराधी पकड़े गये, कितने के चालान हुये व कितनों को सजा हुई व कितनी बरामदगी हुई ?

३. क्या यह सही है कि कोटा जिले में सन् ६८ में अपराधों की घटनायें राज्य के अन्य इलाकों की अपेक्षा सबसे अधिक हुई है ? अगर हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
५-३-६६

वृद्धावस्था पेन्शन

३६. **श्री गंगासहाय कोली** (कठूमर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. वृद्धावस्था पेन्शन देने के लिये स्कीम राजस्थान में कब से चालू की गई ?

२. अब तक कितने लोगों को पेन्शन दी गई ? इस पेन्शन प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
६-३-६६

रिवाइज्ड स्केल में पे फिक्शेसन के मामले

७१ **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सच है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज जो अब राजस्थान राज्य परिवहन निगम हो गया है के अधिकतर अराजपत्रित कर्मचारियों के रिवाइज्ड स्केल में वेतन फिक्शेशन के मामले सन् १६६० ई० अथवा उसके पहले से भी आज तक तय नहीं हुये हैं और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां भी वेतन में नहीं जोडी हुई हैं ? ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व साथ ही नामवार प्रत्येक का ऐसा मामला कब से पेंडिंग है और क्यों है इसका भी उल्लेख इस सूची में करने की कृपा करें ।

(श्री फूलचन्द बाफना)

उत्तर

निम्न कर्मचारियों के फिक्सेशन केसेज सन् १९६०-६१ के अभी तक तय नहीं हुए हैं, कारण उनके नाम के सामने अंकित है—

संख्या	नाम	आगार	कारण
१.	श्री गोकुल राम; चालक	अजमेर आगार	सर्विस रेकार्ड गत विभाग से न आने की वजह।
२.	श्री अक्षयसिंह, याता० निरी०	,,	सेवाभिलेख प्राप्त नहीं हुआ।
३.	श्री किशन, च०श्रे०कर्मचारी	,,	पंचायत समिति भिनाय से रिकार्ड एक माह पूर्व प्राप्त हुआ है बकाया भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
४.	श्री मिश्री मोहन हल्किया सहा० याता० निरीक्षक	,, ,,	गत विभाग से सेवाभिलेख प्राप्त नहीं हुआ इस वजह से।
५.	श्री नाथूराम, कनिष्ठ कार्यदेशक	सिरोही आगार	सर्विस रिकार्ड डाईरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट को फिक्सेशन हेतु भेजा गया है।

स्थगित प्रश्न

११-३-६९

तहसील छीपाबड़ोद व छाबड़ा में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई के लिए ट्यूब वैल्स का सर्वे

१४४. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील छीपाबड़ोद व छबड़ा जिला कोटा में कृषि योग्य बहुत ही लम्बे चौड़े मैदान हैं जहां पर वर्षों से लोग खेती करते आ रहे हैं?

(२) क्या इस मैदानों में सिंचाई के लिए ट्यूब वैल्स कामयाब हो सकते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर ट्यूब-वैल्स के लिए सर्वे कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी हां तहसील छीपा बड़ौद व छबड़ा में कृषि योग्य काफी लम्बे चौड़े मैदान हैं।

(२) इन मैदानों में सिंचाई के लिये कुछ स्थानों के कुओं में बोरिंग किया जा

(कृषि मन्त्री)

सकता है। यह कार्य व्यापारिक आधारों पर सम्बन्धित काश्तकारों से प्रार्थना पत्र पर राजस्थान भू जल मण्डल द्वारा सुविधा अनुसार कार्यान्वित कराया जा सकता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : विवशता है। कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं माननीय सदस्य।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री गंगासहाय व श्री नन्दलाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि गत ३१ जनवरी को वाड़ी के सी० ओ० ने धौलपुर में उदयभानु पत्र के सम्पादक को बाड़ी के मार्ग में बस से उतार कर उनको पीटा है किन्तु सरकार द्वारा सी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त दो स्थगन प्रस्तावों की और सूचनाएं प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है:-

(१) श्री रामसिंह कुड़ी ? सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी है उसमे यह कहा गया है कि पुलिस थाना पांचोड़ी के थानेद्वारा एक शादीशुदा लड़की को गोंवा बड़ी तहसील नागौर में उसके पति के घर से जबरदस्ती पकड़ कर प्राइवेट जीप में ले जाने का प्रयत्न किया गया तथा उसके साथ मारपीट की गई और गांव के लोग इकट्ठे हो जाने पर पुलिस वालों ने वहां के कई निवासियों के विरुद्ध मुकदमें बनाये गये। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(२) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि जिला गंगानगर के भाखरा व गंगकैनाल क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में दो दो मुरब्बा भूमि इस शर्त पर अलाट की गई थी कि सरकार द्वारा जब तक भूमि में सिंचाई का समुचित प्रबन्ध नहीं कर दिया जावेगा तब तक उनसे केवल भू-राजस्व ही वसूल किया जायेगा और अब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कैनाल में भूमि अलोटमेन्ट नियम १६६७ को लागू किया जाकर उन भूमिहीन काश्तकारों से किश्तें जमा कराने के नोटिस दिये गये हैं।

उपनिवेशन विभाग से सम्बन्धित मांग पर २५ मार्च, १६६६ को विचार किया जायेगा। अतः इस मामले को उस दिन कटौती प्रस्ताव के जरिए उठाया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री पुखराज कालानी।

Page No 51

श्री रामचन्द्र आर्य—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—अध्यक्ष को थोड़ी फुर्सत दे दें। वह आसन पर बैठ जाय फिर आप खड़े हो जायं।

श्री देवीदत्त गाड़िया—मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, उस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन यह है

श्री रामचन्द्र आर्य—ऐसे ही लोगों ने जबरदस्ती वहां शुरु कर दिया है
उनमें एक बड़ा....

श्री अध्यक्ष—मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य के पुनः उठ खड़े होने पर

स्वीकार नहीं किया है इसको—आपके स्थगन प्रस्तावों को मैंने स्वीकार नहीं किया है। इसकी व्यवस्था दे दी है इसलिये प्रश्न नहीं उठता वाद-विवाद करने का। स्थान ग्रहण करें।

आपका मेरा समझौता कुछ मसलों पर है लेकिन कुछ मसलों पर नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य—आर्य का भी स्थगन प्रस्ताव कभी स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—कभी न कभी सन्तोष प्रकट करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया—उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष—आज जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में वाद-विवाद करने का प्रश्न नहीं उठता, माननीय सदस्य। यह व्यवस्था, परम्परा बराबर रही है कि जिन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है आसन द्वारा, उस पर कोई वाद-विवाद यहां नहीं होता है। कोई प्रश्न नहीं उठता एक्सप्लेन नहीं किया जाता, रिमार्क्स नहीं होता। इस व्यवस्था में आपका सहयोग भी है, आप जानते हैं। इस प्रश्न पर सहयोग करते भी हैं, फिर क्यों उठ जाते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया—यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। मेरा यह निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष—रिपोर्ट मांगी है तो फिर निवेदन करना। और अधिक रिपोर्ट चाहते हैं तो कहें बजाय यहां निवेदन करने के। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा—सदन के सामने राष्ट्रीय मिल मजदूर संस्थायें एक प्रदर्शन करने जा रही है, उसके सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने किया है....

श्री अध्यक्ष—आज ११ बजे मिला है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री मूलचन्द डागा—इस पर क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष—इसको देखने का मुझे मौका नहीं मिला है। स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल—अध्यक्ष

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

महोदय, सदन के सामने रुपारेल नदी के पानी को रोकने के बारे में भरतपुर जिले की डीग, कामां, पहाड़ी तहसीलों को उजाड़ने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर आपने यह व्यवस्था........

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य, आप नहीं थे उस समय यह बात हो चुकी है। थोड़ी सी जानकारी आप सेक्रेटेरियेट से लें। पूछताछ करलें।

यह प्रश्न नहीं उठता है।

(प्रतिवेदनों का उपस्थापन)

श्री पुखराज कालानी

श्री पुखराज कालानी (सभापति, जनलेखा समिति)—अध्यक्ष महोदय मैं जन-लेखा समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ—

१. विनियोग लेखे, १९६६-६७ में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर चौथा प्रतिवेदन तथा

२. जन लेखा समिति के नवें प्रतिवेदन–तीसरी विधान सभा में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर पांचवा प्रतिवेदन।

(याचिकाओं का उपस्थापन)

श्री अध्यक्ष—निम्नांकित सदस्यों द्वारा याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री बालसिंह सोढा।

श्री बालसिंह सोढा—अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में कालेज व गांवों में स्कूलें खुलवाने के सम्बन्ध में दो याचिकायें देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सन् १९६५ में भारत-पाक संघर्ष में सीमा पर रहने वाले नागरिकों की चल व अचल सम्पत्ति के नुकसान का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री हरलालसिंह

श्री हरलाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से रींगस सड़क की दुर्दशा व उस पर सन् १९६८ में खर्च किये गये पैसे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से खण्डेला सड़क को पूरा कराने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर के अस्पताल के मरीजों के रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

Page No 53

श्री अध्यक्ष—श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी—अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में वाटर वर्क्स द्वारा पिछले ८ वर्षों की बकाया के नाम पर जनता को परेशान किये जाने से सम्बन्धित ४ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल—अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती आदिवासी छात्रावास के भवन निर्माण हेतु भू-खण्ड दिलवाने के सम्बन्ध में ४ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रतापगढ़ नगरपालिका के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री रामचन्द्र आर्य—अध्यक्ष महोदय, मेरी दो याचिकायें हैं।

श्री अध्यक्ष—आप नहीं थे। मैंने इसको थोड़ा सा समाप्त कर दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य—मैं पेशाब करने गया था।

श्री अध्यक्ष—छुट्टी ले लेते। छुट्टी लेनी चाहिये।

जारी रखें माननीय सदस्य

श्री रामचंद्र आर्य—अध्यक्ष महोदय, नोहर से सिरसा जाने वाली अधूरी सड़क को पूर्ण करने सम्बन्धी दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल की रावतसर ब्रांच कैनाल की सफाई एवं मरम्मत करने सम्बन्धी दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—प्रतापगढ़ नगरपालिका के सम्बन्ध में वक्तव्य। मन्त्री महोदय।

श्री विजयसिंह (मकराना)—एक मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, मकराना के संबंध में

श्री अध्यक्ष : अभी मुझ को कोई जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह : मैंने दो दिन पहले जानकारी दे दी थी।

श्री अध्यक्ष : इस बिजनैस में नहीं है। उधर की जानकारी करूंगा। मन्त्री महोदय।

श्री भीखा भाई (मन्त्री, स्वायत शासन विभाग) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव में दो मुद्दे उठाये गये हैं, जिसमें पहला मुद्दा गत दो साल से नगरपालिका की सभायें न बुलाये जाने बाबत हैं। इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि अधिनियम की धारा ७० के प्रावधानों के अनुसार महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की साधारण बैठक बुलाई जानी चाहिये, जिससे कि बोर्ड के साधारण काम निबटाये जा

(श्री भीखा भाई)

सकें। ऐसी मीटिंग बुलाने का कर्तव्य नगर-पालिका के अध्यक्ष का है, किन्तु बोर्ड ने अपने प्रस्ताव संख्या ५९ दिनांक २५-४-६७ के द्वारा बोर्ड में निहित समस्त अधिकार सर्व सम्मति से तत्कालीन अध्यक्ष, श्री नन्द-किशोर जोशी को हस्तान्तरित कर दिये थे और अध्यक्ष ने विधिवत् रूप से बोर्ड का दिन प्रतिदिन का कार्य किया। इससे बोर्ड के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी माननीय अध्यक्ष जब भी स्थगन प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ था, मैंने सविस्तार उस पर वक्तव्य देकर इस सदन के सम्मान का पालन करने की कोशिश की थी। अध्यक्ष महोदय, किसी बोर्ड द्वारा अपने समस्त अधिकार किसी एक व्यक्ति को हस्तान्तरित न किये जा सके, जिससे कि बाद में किसी को शिकायत हो अथवा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं कि हस्तांतरित व्यक्ति बोर्ड को बाई पास कर सके, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा ७८ के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका-शक्तियों, कर्तव्यों, कर्तव्यों तथा प्रबन्धात्मक कृत्यों के प्रत्यायोजन पर प्रतिबन्ध, मर्यादा व शर्तें निर्धारित करने सम्बन्धी, नियम, १९६८ बनाये किन्तु कुछ नगरपालिकाओं द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई और वहां से स्टे आर्डर दिया गया है।

स्थगन प्रस्ताव में दूसरा मुद्दा सन् १९६९-७० का बजट नगरपालिका द्वारा पारित न किये जाने बाबत है, जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि नगरपालिका के अध्यक्ष श्री नन्दकिशोर जोशी ने अपने अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दे दिया है जो दिनांक २२-२-६९ को प्रभावशील हुआ।

चूंकि अध्यक्ष के पद का स्थान रिक्त होने पर और उपाध्यक्ष के अभाव में जिन्हें उनके विरुद्ध धारा ६३ तहत की जा रही कार्य-वाही में निलम्बित किया हुआ था, नगर पालिका के सदस्य धारा ७८ (२) के प्राव-धानों के अन्तर्गत कार्य वाहक अध्यक्ष का चुनाव कर अपने दिन प्रतिदिन का कार्य कर सकते थे और जिसके अनुसार नगरपालिका का बजट पारित करवाने की कार्यवाही भी की जा सकती थी। चूंकि अब राज्य सर-कार द्वारा उपाध्यक्ष का निलम्बन आदेश प्रत्याहरित कर दिया गया है। अतः वे अध्यक्षपद का कार्य करने के लिये सक्षम है और ऐसी आशा है कि वे अपने कर्तव्यों का अनु-पालन कर नगरपालिका का बजट पारित किये जाने सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्य-वाही करेंगे।

इससे प्रतीत होगा कि राज्य सरकार ने नगरपालिका के मौलिक अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं किया है।

ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय व सदस्यगणों से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हैं।

इसके अलावा यह मामला सब जुडिस है, मामला हाईकोर्ट मे पेण्डिग है इसलिए इस पर अधिक कहने में असमर्थ हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारा) अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने जिस ढंग से इस स्थगन प्रस्ताव का उत्तर दिया वह इस बात का प्रतीक है। स्वायत्त शासन मन्त्री जी............

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं गत दो तीन वर्षों से बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में नगरपालिका के जो कुल सदस्य है उनकी संख्या १४ है। ८ जनसंघ के एक स्वतन्त्रपार्टी के बाकी के तीन कांग्रेस के और दो इण्डीपेण्डेण्ट थे। उन्होंने तार द्वारा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाने के बारे में आपसे कहा गया उसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

बोर्ड के सदस्यों ने आपको बारबार कहा चेयरमैन ने सदस्यों के बार बार मांग करने पर भी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई। बोर्ड का बजट चेयरमैन ने बाला भेज दिया जो अवैधानिक है उस पर आपने स्वीकृति नहीं दी उस पर क्या कार्यवाही की ?

अध्यक्ष महोदय, में यह भी पूछना चाहता हूं जब अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक एक बार नहीं बुलाई जो बाकी के सदस्य थे नगरपालिका अधिनियम के नियमानुसार बैठक की और प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव द्वारा यह भी कहा गया बोर्ड ने चेयरमैन को अधिकार दिया था। चेयरमैन की अयोग्यता तानाशाही और गलत कार्यवाही के कारण प्रस्ताव को वापिस लेते हैं। उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि कार्यवाही के लिये जिलाधीश व मन्त्री महोदय के पास भेजी आपने उस पर क्या कार्यवाही की ?

हाईकोर्ट से आदेश आने पर चेयरमैन ने २२-१-६६ को त्यागपत्र दे दिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उन्होंने २२ जनवरी को स्तीफा दे दिया है। क्या यह बात सही है हाईकोर्ट ने चेयरमैन को निलम्बित करने का वर्डिक्ट दिया ? क्या उसके बाद उसने त्याग पत्र नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ जब २२ जनवरी ६६ को चेयरमैन ने स्तीफा दे दिया उस समय वाइस चेयरमैन राज्य सरकार द्वारा निलम्बित थे। जन प्रतिनिधियों की संस्था के बारे में मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीमहोदय से पूछना चाहता हूँ २२-१-६६ को जब अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो वाइस चेयरमैन को जो सरकार द्वारा निलम्बित था उनको जनवरी फरवरी मार्च में आप नगरपालिका में बिठाते हैं। उसके जिलाधीश को लिखने के बाद एस. डी. एम. के लिखने के बाद भी वाइस चेयरमैन को कहते कहते हैं कि वह बोर्ड की कार्यवाही चलावे, क्या इस तरह से स्वायत्त शासी संस्थाओं के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होता ?

एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ नगरपालिका जो सदस्य श्री चांदमल जैन और श्री चांदमल सारंग जिनको पहले निलम्बित किया फिर दुबारा उनको किन कारणों से निलम्बन से बरी कर दिया। उसके बारे में यह कहा गया था कि वे राज्य सरकार के पास आकर अपने अभाव अभियोग पेश नहीं करते तब

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तक बहाल नहीं किया जायगा। मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं आपने दस मार्च की तारीख दोनों सदस्यों को दी। चान्दमल पल्लीवाल ने १२तारीख को वहां आकर उप-स्वायत्त शासन मन्त्री को अपने अभाव अभियोग पेश किये और उस पर राज्य सरकार ने उनको बहाल किया। वाइस चेयरमैन को आपने किस आधार पर बहाल किया जब कि उसने आमने सामने आकर अपने अभाव अभियोग पेश नहीं किये ? अब वजट कब बनेगा ? कब पास होगा ? बोर्ड की मिटिंग कब होगी, अध्यक्ष का चुनाव करना चाहते हैं ? जब तक चेयरमेन का चुनाव नहीं होगा राजनैतिक आधार पर एक मंत्री जी के इशारे पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष ने जो काम किया उसका एक मात्र कारण यह है कि एक मंत्री जी ने वायदा किया उनके कहने पर कितना घृणित काम कर सकते थे वह किया। मैं आपकी इजाजत से बताना चाहता हूँ राजस्थान सरकार ने प्रतापगढ़ के एक देवस्थान मन्दिर को राज्य सरकार के आदेश से उसका मूल उत्तराधिकारी कोई और है बोर्ड के अध्यक्ष के भाई को चार्ज दे दिया जिसके बारे में २७-४-६६ को आदेश हुए। उसके बारे में उपार्युक्त देवस्थान ने चार्ज दिलाने का आदेश दिया। इस तरह से चेयरमेन के रिश्तेदार को गलत ढग से दिया गया वह उस पर जमा हुआ है। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है।

माननीय मंत्री महोदय घोषणा करे चेयरमेन का चुनाव कब करायेंगे वाइस चेयरमेन का स्टे कब किया। बजट के लिए आप मिटिंग कब बुलायेंगे कौन बुलायगा और चेयरमैंन का चुनाव कब होगा ?

एक मेरे पास तार आया है जो नगर-पालिका के जनसंघी सदस्य श्री बंशीलाल ने दिया है :

Chairmand resignation accepted. Collector not issuing notice for fresh election. Work suffering, Kindly instruct Collector to hold elections otherwise agitation certain.

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से यह तीन महिने की अवधि समाप्त होजायगी।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसके लिए मैं निवेदन करूं कि यह आफन रिपोपटेड है। ये इस प्रश्न को इस सदन में एक बार नहीं, कई बार उठा चुके हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको भलीभांति विदित है कि इसी प्रश्न को लेकर यहाँ अनशन भी किया गया था। और इसी प्रश्न को लेने के बाद हमने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया कि किसी प्रकार से रेस्टोरेशन हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो हाई कोर्ट का तमाचा लगने के बाद दुरुस्त हुए हैं आपके दिमाग।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये दो मुद्दे उठाये और दोनों का जवाब मैंने दे दिया।

पहला तो यह उठाया, पहले वक्त में नन्दकिशोर अध्यक्ष थे और सारे बोर्ड को अधिकार दे दिया था उसके अन्तर्गत उस प्रकार के अधिकार बोर्ड को थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास कर दिया।

श्री भीखाभाई : इस पर हमने तत्काल कार्यवाही की। ६८ में इस प्रकार का बोर्ड बना जिनमें कुछ लोग मिलकर अधिकार व्यक्तियों को देकर जो कुछ काम करना चाहते थे रोक दिया। प्रतापगढ़ म्यूनिसिपेलिटी में इस प्रकार की चीज हो रही थी। अगर यह नहीं करते तो हालांकि कई जगह रिट पेश हुई है, लोगों ने इसको रेसिस्ट किया नगरपालिका ने रेसिस्ट किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अधिकार उनके पास से म्यूनिसिपेलिटी ने विथड्रा कर लिये। यह बहुत बड़ा स्टेप है। जागरुकता का परिचायक है। इसलिए यह कहना कि कुछ नहीं किया, सही नहीं है।

अब रहा सवाल यह कि चिन्तित हम इस बात पर हैं कि ६९-७० का बजट पास नहीं हुआ है। तो मैंने तो यह कभी नहीं कहा कि ये जनसंघ के लोग हैं, या कि स्वतन्त्र पार्टी के हैं, या कांग्रेस के मेम्बर हैं। वक्तव्य में मैंने कहा था मुझे मालूम नहीं, कौनसा कलर है, कौन से सदस्य हैं। हम किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं। फिर किसी प्रकार के पक्षपात की बात नहीं है। हम न्यायपूर्ण काम करते हैं। इस तरह काम करते हुए दोनों सदस्यों को निलम्बित किया था। अब उसको कैंसिल करने के बाद में निवेदन करना चाहता हूँ कि यह माननीय सदस्य चाहते हैं कि चुनाव करा दो। मैं कौन होता हूँ चुनाव कराने वाला।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष। कुछ समझ में आता नहीं क्या बोल रहे हैं।

श्री भीखाभाई : बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : जो समझ में आता था वह भी बन्द हो गया आपके बीच में बोलने से।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे यह चाहते हैं कि उसका बजट पास हो, मैं भी यही चाहता हूँ, पर डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिये। चुनाव के नियम बने हुए हैं। माननीय सदस्य भी जानते हैं। पर वे चाहते हैं कि किसी तरह यह बात उठा ली जावे। सरकार को मजबूर किया जावे। सरकार को क्यों मजबूर किया जावे ? अध्यक्ष महोदय, चुनाव जिलाधीश के द्वारा कराये जाते हैं नगरपालिका एक्ट में यह सब साफ है। ये कहते हैं चुनाव का काम चुनाव विभाग के सुपुर्द कर दिया जाय। वह कहां नियमोंमें है। मैं यह कहदूं चुनाव कराना जरूरी है पर यह कलेक्टर को अधिकार है वह देखे कब कराना है, उसको लॉ आर्डर की पोजीशन भी देखनी है, वह पैदा हो सकती है।

(श्री भीखा भाई)

तो चुनाव कराने को उसे देखने करने का काम जिलाधीश का है। ये मेरे से कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बड़ा मुश्किल काम है।

श्री भीखाभाई : दोनों सदस्यों को वाइस प्रेसीडेन्ट को और दूसरे को, इतना बता देता हूँ, दोनों एक सी चीजों पर निलम्बित किये गये। उनको रिइन्स्टेट किया है। वियड्रा किया है मुकदमा। उनके खिलाफ जुडीशियल इन्क्वायरी का आर्डर दिया है। इसलिए कि आरोप एक से हैं, पर प्रूव करना सफाई पेश करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मामला छोटा सा है। वह हाई कोर्ट में पेश है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कह सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा था कि यहां कोई स्वायत शासन मन्त्री न बोलकर कोई नगरपालिका का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोल रहा है। आज यह कह कर कि चुनावों से इनका सम्बन्ध नहीं, मामले को टालकर नहीं चला जा सकेगा। क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि हर नगरपालिका का चुनाव नियमानुसार और समय पर हो इसको वह देखे और उसका बजट पास कराया जाय, और अगर नहीं होता है तो उसकी तह में जाकर देखें कि क्यों नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी से कि क्या आप ने चुनाव विभाग को आगाह किया है कि जो सस्पेण्डेड मेम्बर लिस्ट पर से हटा दिये गये हैं, उनको लिस्ट पर ले और उनको लेकर चुनाव नियमानुसार ठीक समय पर कराये।

प्रतापगढ़ नगरपालिका में यह पहला अवसर नहीं हैं, लगातार तीन चार बार वहाँ ऐसा ही हो चुका है और उसकी सदन में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। मजबूर होकर हाई कोर्ट तक में जाना पड़ा है। वहां से ताड़ना पड़ी तो चेयरमैन को कहा गया कि स्तीफा दो। आपने कोई महरबानी नहीं की है उनका स्तीफा दिलवाकर आपने। अपने को बचाने के लिए स्तीफा दिलाया है। वह तो रिट अभी पेण्डिंग है। आपको अभी तो बहुत रिमार्क्स मिलने वाले हैं। आपने मनमानी की। लोगों को सस्पेण्ड किया फिक्टिशस ग्राउन्ड्स पर, फिर मतलब के लिए रिइन्स्टेट किया। चुनावों को टालने को आपने हरचन्द कोशिश की। आपने मेजोरिटी को माइनोरिटी में और माइनोरिटी को मेजोरिटी में बदलने की जो तोड़ कोशिश की यह तो सब हाई कोर्ट का फैसला आवेगा तब मालूम पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया है।

मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज मार्च का महीना समाप्त होने आरहा है अप्रेल का महीना आने वाला है। मेम्बर रिइन्स्टेट हो चुके हैं, क्या आपने जिलाधीश से आग्रह किया है, उनको पूछा है कि तुरन्त चेयरमैन का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है ताकि अगले साल का बजट पास किया जा सके और चुनाव के बाद नगरपालिका का तन्त्र ठीक तरह से चलने लगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे आप जवाब दें उसका।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद फिर बात नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या १७-२-६९ को प्रतापगढ़ नगरपालिका के सदस्यों ने आपको कोई पत्र नहीं लिखा कि नगरपालिका के चेयरमैन श्री नन्द किशोर जोशी दि० २२ जनवरी, १९६९ को चेयरमैन के पद से अपना स्तीफा दे चुके हैं। वाइस चेयरमैन श्री चान्दमल सालनिया एडवोकेट को भी राज्य सरकार ने व.इस चेयरमैन के पद से निलम्बित कर रखा है। ऐसी स्थिति में हमने स्थानीय अधिशासी अधिकारी को नगरपालिका सदस्यों की एक बैठक अध्यक्षीय शक्तियां कर्त्तव्यों तथा प्रबन्धात्मक कृत्यों के प्रत्यायोजन नियम १९६८ के नियम ३ के अनुसार बुलाने हेतु पत्र दिया था लेकिन आज तक बैठक नहीं बुलाई गई, है, और गत डेढ़ माह से नगरपालिका का कार्य बन्द पड़ा है। स्थानीय जनता को इस कारण से बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं व...

श्री अध्यक्ष : प्रमुख अंश पढ़ लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ....नगरपालिका प्रतापगढ़ को भी गम्भीर आर्थिक हानि हो रही है। चूंकि चेयरमैन श्री नन्दकिशोर जोशी अपने चेयरमैन पद से स्तीफा दे चुके हैं इसलिये अब श्रीमान से निवेदन है कि शीघ्रता-शीघ्र नगरपालिका के चेयरमैन का चुनाव करवाने हेतु बैठक बुलाये जाने के लिये कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जावे ताकि नगरपालिका प्रतापगढ़ का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

श्री अध्यक्ष : समझ गये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने इस पत्र पर कार्यवाही की कोई ? चित्तौड़ जिलाधीश को लिखा कि वहाँ के चुनाव जल्दी कराएं। वह आपका प्रतिनिधि है। आपने उसको आदेश क्यों नहीं दिया ? अब उसके चुनाव कब हो जावेंगे ? तीन महीने शेष हैं उसकी मियाद के। आप यह समय टालना चाहते हैं। क्योंकि वहां जनसंघ के सदस्य बहुमत में हैं और आप में से एक मंत्री ने कहा है कि जब तक मैं मन्त्रीमण्डल में हूँ प्रतापगढ़ की नगरपालिका एक दिन भी नहीं चलने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतन्त्र में अगर आपकी आस्था है तो प्रतापगढ़ नगरपालिका के चेयरमैनशिप का चुनाव शीघ्र करावें। वहां का बजट और सारा काम विधिवत् ढंग से होना चाहिये।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय,....

श्री देवीदत्त गाड़िया : और कलेक्टर यह कहता है कि मेरे पास चेयरमैन का रेजिगनेशन नहीं आया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह और बता दें कि क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगरपालिका की अवधि इस जून माह के अन्दर ही समाप्त होने वाली है। यह और बता दें। आप चाहते हैं कि ३ महीने और निकाल दें।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय

Page No 60

(श्री भीखाभाई)

सदस्य ने यह कहा कि प्रतापगढ़ नगरपालिका के सदस्यों ने कोई लिखित चिट्ठी भेजी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे याद पड़ता है चिट्ठी या पत्र जरूर आया था लेकिन एक सवाल यह है कि क्या हम कानून की धाराओं का उल्लंघन करके अपनी ओर से किसी बात को कह दें ? मैं यह निवेदन करना चाहता था कि धारा ७८ के तहत कार्यवाही स्वयं सदस्यों के द्वारा की जा सकती है। जब सदस्य मेजोरिटी में थे–अगर यह कहते हैं कि बहुमत में थे तो उनको अधिकार था कि वह किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त करके कार्य कर सकते थे। आज यह उनको अधिकार है कि आज भी वह चाहें तो वाइस प्रेसीडेन्ट के जरिये से या अपने अध्यक्ष के चुनाव की बात को जिलाधीश से मिलकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर कर सकते हैं। मैंने साफ निवेदन किया और मैं इस संबध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रूल्स स्पष्ट हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है राजस्थान सरकार की ओर से

"The State Government hereby makes the following rules namely rules to be called Rajasthan Municipalities Election of Chairman, Vice-Chirman, President and Vice President Rules, 1959.

उसका पार्ट (१) है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ! आप (श्री भीखाभाई) रूल को पढ़िये।

श्री भीखाभाई : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्ट (१) उसके साथ में पार्ट (२) में जिस प्रकार का प्रोसीजर तीन-चार प्रश्नों में लिखा हुआ है चेयरमैन और उप-चेयरमैन का किस प्रकार से चुनाव हो सकेगा, प्रेसीडेन्ट और वाइस-प्रेसीडेन्ट का चुनाव कैसे हो सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा में, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट को लागू करके चुनाव की पद्धति को बदला गया है। पहले स्वायत्त शासन विभाग इस चुनाव को कराता था। आपके इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूल्स उस पर एप्लाई होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे क्यों कहते हैं कि मैं उसका चुनाव कराऊं। वह अपने ढंग से जब सदस्यगण कर सकते हैं या जिलाधीश के द्वारा कराया जा सकता है और जहां तक उस समय का सवाल है उसमें मैंने निवदन किया कि व्यवस्था टेम्पोरेरी की जानी चाहिए क्योंकि जो प्रतापगढ़ नगरपालिका की परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एस० डी० ओ० को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दोनों को काम दिलाने का प्रावधान करते हुए उनको इस प्रकार के अधिकार दे दिये हैं और उनको मौका दिया गया था कि अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनका बहुमत है तो वह अपना कोई कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकते हैं। आज भी चुन सकते हैं और भविष्य में भी चुन सकते हैं और आगे कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्री जी ने जो बात कही उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है बोर्ड में यदि विरोधी पक्ष का बहुमत है तो वह बोर्ड की बैठक बुलाकर कार्यवाही कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के सदस्यों ने एक बोर्ड की बैठक सब ने की और प्रोसीडिंग्स लिखी, प्रस्ताव पास किया। उन सारी कार्यवाहियों की प्रतिलिपि और ओरीजिनल कागज कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को दिये। उन्होंने नहीं लिये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यहां मंत्री के पास आये और उन्होंने जो कार्यवाही की सदस्यों ने बहुमत के आधार पर उसको मंत्री जी ने लेने से इन्कार कर दिया। उन सदस्यों ने निवेदन किया कि आप सारी की सारी कार्यवाही जो हमने आज के १० महीने पहले की है आप लेकर कलेक्टर को भेजें और मंत्री महोदय आपने उसके ऊपर क्या किया? वाइस प्रेसीडेन्ट और प्रेसीडेन्ट का चुनाव हो जायेगा आप तो यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

अनुदान की मांगें— श्री हरिदेव जोशी, उद्योग मंत्री मांगें प्रस्तुत करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर कल विरोधी दल की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उस पर व्यवस्था दी जाये कि राज्य सरकार इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट की फाइडिंग्स को मानती है·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें बेरी कमीशन की रिपोर्ट इस समय नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवधान न डालें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय ······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस समय नहीं। इसका भी समय आता है। आर्डर, आर्डर।

मांगों पर मैं पहले यह सूचना दे दूं माननीय सदस्यों को कि ५ बजे इन मांगों का उत्तर होगा। समय इसके लिए पहले ही निर्धारित हो चुका है जो इस तरह है:

कांग्रेस	१ घंटा ४५ मिनट
स्वतन्त्र	४५ मिनट
जनसंघ	३० मिनट
बी० के० डी०	१५ से २० मिनट

एस० एस० पी० १५ से २० मिनट

इन्डीपेन्डेन्ट १५ से २० मिनट

माननीय मंत्री महोदय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य । देखिये कभी कभी ख्याल किया जाय । मैं बहुत ख्याल रखता हूं माननीय सदस्य का ।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह ख्याल रखने नहीं रखने का सवाल नहीं है......

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इस समय उठाने का भी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह दो करोड़ जनता के जन-जीवन का सवाल है.......

श्री अध्यक्ष : इस समय उठाने का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य मांगों का प्रश्न आ गया है । फिर अगर मांगे जल्दी समाप्त हो जाये उस समय आप इस प्रश्न की प्रक्रिया के अन्तर्गत, नियमों के अन्तर्गत उठा सकते हैं । मेरा विश्वास है आप स्थान ग्रहण किये हुए ही रहेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय.... ...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय पैरों पर खड़े हो गये । स्थान ग्रहण करें, कृपया ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मांगों का जहां तक सवाल है हमारी भी मांग चल रही है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कल भी हमने निवेदन किया था कि इसके ऊपर राज्य सरकार ने क्या डिसीजन लिया यह हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार उसका क्या डिसीजन लेती वह हमें सूचित करें ।

श्री अध्यक्ष : मैं पूछूंगा राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में ।

मन्त्री महोदय ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक...........

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय... ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य जो बोलें अंकित नहीं किया जाय । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

अनुदान की मांगों पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के सम्बन्ध में ३१मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,५३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७८,२२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३५,३७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री भीखाभाई (जनस्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,४६,४४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये)

मांग संख्या २१

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्रों में अधिक उद्योग लगाने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्सहित न करने व निजी क्षेत्र में अनुचित संरक्षण व अनावश्यक मदद दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में १०० रुपये कम कर दिये जाय (पाली जिले में कालू-आनन्दपुर की नल योजना पूरी न करने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की नल योजनाएं लम्बे अर्से से अधूरी रहने व प्रगति नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री मूलचन्द डागा (पाली) ;

५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में बड़े उद्योग नहीं खोलने पर चर्चा के लिए)।

६. मांग संख्या, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिये जाय (राजकीय उद्योगों में आवश्यक

(श्री मूलचन्द डागा)

सफलता न मिलने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (राजकीय उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाने पर चर्चा के लिए)।

८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर के भिन्न भिन्न स्थानों में लघु उद्योग लगाने से जनता को भारी कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १००रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में पेयजल उपलब्ध करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

१०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांवों में पीने के पानी की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

११. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया उन्मूलन के लिये नियुक्त निरीक्षकों के स्थायीकरण में किये जाने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील के १० गांवों में बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

१३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव मांडवला, तहसील जालौर, की जलप्रदाय योजना काम न करने के कारण जनता को भारी तकलीफ हो रही है, इसपर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जिला पाली के गांव खैरवा को जलप्रदाय योजना चालू करने हेतु पैनावा, साली, पादरला, सुन्देला व साकदड़ा के गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली के गॉव खूटाणी, लांमडा, पांचपदरिया पव पुखतारी में खारे पानी के कारण ग्रामीण जनता को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री रामनारायण (मंडावा) **:**

१६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में तेल उद्योग के संबंध में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामनारायण)

१७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनु जिले में कुटीर उद्योग की स्थापना में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

१८, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग को दी जाने वाली सहायता की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

१६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खनिज सम्पदा की खोज में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

२०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय [कस्बा टमकोर (जि० झुंझुनू) में पेयजल व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिए]।

२१. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपए कम कर दिया जाय (यहनसर (जि० झुंझुनू) में जलप्रदाय योजना का कार्य चालू न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

२२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के मीठे पानी की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय [लक्ष्मण डूंगरी वाटर सप्लाई (जयपुर) के खराब पानी के निकास से आसपास के खेत व सड़क खराब होने पर चर्चा के लिये]।

२४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग मेंसे १०० रुपया कम कर दिया जाय [लक्ष्मणडूंगरी वाटर सप्लाई (जयपुर) की पाइप लाइन हमेशा टूट जाती है जिससे जयपुर शहर में पीने के पानी की हमेशा किल्लत रहती है, इस पर चर्चा के लिये]।

२५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया विभाग के सर्वेलेन्स इन्सपेक्टरों का स्थायीकरण न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : २६ मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०१ रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ऊन की बहुतायत होते हुये भी वहां ऊनी मील स्थापित करने में राज्य सरकार की उदासीनता बरतने के बारे में चर्चा के लिये)।

२७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उद्योग के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में राजकीय ऊनी मील की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

२८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाडमेर जिले में सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

२९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में रोकफोस्फेट का बाहुल्य होते हुए भी इसका उपयोग करने में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या १७

३० मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के हल करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

३१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय [बायतू(बाड़मेर) पंचायत समिति क्षेत्र में नलकूप खुदवाने और पाइप लाइन डलवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये] ।

३२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (उंडू नलकूल से रतेउ, शहर, खीपदा, कानोड एवं बालतू तक पाइप लाइन योजना की क्रियान्विति में ढिलाई बरतने से विषम रिथति पैदा हो गई है, इस पर चर्चा के लिए)

३३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में कपूरडी से भादरेश की पाइप लाइन योजना स्वीकृत करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : ३४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों की स्थापना में क्षेत्रीय भावना होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

३५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण पेय जल व्यवस्था में व्यापक राजनैतिक आधार पर कार्य होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री गंगा सहाय (कठूमर सु) :

३६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

३७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (स्वचालित कर्घों के अधिष्टान पर चर्चा के लिये)।

३८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

३९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग के विकास पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

४०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री फूलचंद बाफना (सुमेरपुर)

४१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था से गांवों के धंधे बरबाद हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

४२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य की योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार की शिथिल व गलत व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :

४३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के योजनाबद्ध विकास न होने एवं उनमें हो रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

४४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जनता द्वारा उचित आर्थिक जन सहयोग देने पर भी सरकार मीठे पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)

४५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के प्रारम्भण के समय इस बात पर ध्यान रखा जाय कि बेकारी की समस्या कैसे हल हो, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

४६. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ऐसे उद्योगों पर पूंजी लगाने को प्रोत्साहन दिया जाये जिससे बेकारी की समस्या हल हो)।

मांग संख्या १७

४७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत सरकारी जनता के लिये जल व्यवस्था नहीं कर पाए इस पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन योजना से उत्पन्न होने वाली बुराइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री दुर्गालाल बाढ़दार, (हवामहल जयपुर)।

४९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग चलाने वाले को दिए जाने वाले लोन में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

५०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य की दृष्टि से राज्य सरकार ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

५१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर जनता को पूर्ण जल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

५२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में पुरानी छोटी पाइप लाईन बड़ी पाइप लाइन में परिवर्तित कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

५३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत की कमी न होने के कारण भी जल का प्रेशर पूरा नहीं रहता और जनता की कठिनाइयां बढ़ रही हैं इस पर चर्चा के लिए)।

५४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पुरानी बस्ती शहर जयपुर में स्टेट के टाइम की या १"

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

१।।" की लाइन में आबादी को देखते हुए अत्यधिक कनेक्शन दिए जाने के कारण तथा पानी के प्रेशर की कमी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा)

५५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

५६. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९९-(औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के नाम पर किये गये खर्चे के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या २१

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर)

५७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जेसलमेर जिले में ऊन उद्योग व खाद कारखाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

५८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग से १०० रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय ग्रामीण पेय जल योजना के तहत जैसलमेर क्षेत्र में एक भी योजना नहीं ली गई जो पक्षपातपूर्ण व राजनैतिक आधार व भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है इस पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या २१

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)

५९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)

६०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टौंक में चमड़े का कारखाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

६१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर आदि शहरों में पानी को अच्छी व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

६२. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (निवाई कस्बे की जल योजना को पूरा करने में देरी पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या २१

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.)

६३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी से सीमेंट फैक्टरी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

६४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वैज्ञानिक विभागों में लगे विशेषज्ञों को प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

६५. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी लागत अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंक के पत्रों में सुधार करने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १७

६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल प्रदाय योजना को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

६७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्र में हरिजन कोलोनियों में पीने के पानी की सुविधा दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री रणजीतसिंह (ओसिया):

६८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ओसियां व फलोदी में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की उदासीन वृत्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

६९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में नल योजना भली प्रकार लागू न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

७०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग स्थापना में जनता को सरकार द्वारा प्रोत्साहन न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

७१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य

(श्री भगवान दास शास्त्री)

सुधार कार्य में लगे अधिकारियों पर अनुचित रूप से व्यय किये जाने पर भी जनता को उचित राहत नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्य २१

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

७२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में उद्योगों की स्थापना नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

७३. मांग संख्या ५७ मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उन गांवों में पेय जल हेतु जहां मीठा पानी है, वाटर वर्क्स विभाग को उचित राशि स्वीकार न करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

७४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग विस्तार में सरकार की उदासीन वृत्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

७५. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खेतीबाड़ी के लिये क्रूड तेल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

७६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में दुग्ध उद्योग योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

७७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में लघु उद्योग के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १४

७८. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर के मण्डोर में लगी पुरानी मूर्तियों में जाम्भोजी की मूर्ति हटा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

७९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खनिज विभाग द्वारा खनिज की खोज के बारे में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १७

८०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ६०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पेय जल की भयंकर समस्या को हल करने

(श्री रघुनाथ विश्नोई).

में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री राम सिंह कुडी (जायल): ८१ मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (लघु उद्योगों का विस्तार सघन तरीके से न किये जाने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

८२ मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट के समुत्खनन पर राज्य का एकाधिकार नहीं होने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये) ।

८३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायें (संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालकों के पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

८४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायें (बड़े उद्योग सरकार के नियंत्रण में ही चालू किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

८५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (औद्योगिक उत्पादन का निर्यात सरकारी माध्यम से किये जाने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

८६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (इम्पोर्टेड माल के शत-प्रतिशत सदुपयोग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकारी नीति का अननुमोदन) ।

८७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (बिक्री में दी जाने वाले छूटों के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

८८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (इन्डस्ट्रियल व मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन राजनैतिक आधार पर करने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

८९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक गांव के प्रत्येक लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अनुदान दिया जावे या लगान या किसी प्रकार के करों में रियायत दी जाकर सभी लघु उद्योगों को गांव के स्तर पर बढ़ावा दिये जाने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये) ।

९०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सभी बड़े उद्योग सरकारी या सहकारी माध्यम से चलाये जाने एवं चालू बड़े उद्योगों का क्रमिक अधिग्रहण करने हेतु चर्चा के लिये) ।

(श्री रामसिंह कुडी)

९१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग के अन्तर्गत इस मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बड़े उद्योगों को दी जाने वाली करों की छूटों व अन्य रियासतों से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि आंकी जाकर उसका कुछ न कुछ प्रतिशत उस उद्योग में लगे मजदूरों व कर्मचारियों की बोनस की जमा राशि में शामिल करने आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

९२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग की स्थापना कराते समय इस बात को ध्यान में रखा जावे कि वह बेकारी की समस्या हल कराने में सहायक हो सकेगा या नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

९३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान लघु उद्योग मंडल का गठन व संचालन राजनैतिक दृष्टिकोण से हो रहा है विकास के दृष्टिकोण से नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

९४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् में सेठों के बजाय उनके मुनीमों एवं टेकनीशियनों एवं उनके उद्योगों का संचालन करने वाले मैनेजरों को बुलाया जाना व स्थाई सदस्य रखने की व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

९५. मांगसंख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग को क्रमिक तौर से अपने आप खड़े हो जाने की क्षमता प्राप्त करने योग्य बनाने एवं निरन्तर दिये जाने वाले अनुदान को क्रमिक ढंग से बंद करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

९६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा के वस्त्रों की बिक्री सप्ताह, मना कर छूट दी जाना बंद किया जावे, इस पर चर्चा के लिए)।

९७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक उद्योग के लिए प्रत्येक जिलास्तर पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कम से कम ६० रुपये की छात्रवृत्ति दी जाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाय एवं प्रशिक्षण पूरा होते ही प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में रोजगार की व्यवस्था की जावे, इस पर चर्चा के लिए)।

९८. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के लिए ऋण स्वीकृत करने व वितरित करने का अधिकार, क्षमता व व्यवस्था जिला स्तर पर हो एवं जो भी संस्थान या सरकार ऋण दे वही जिला स्तर की व्यवस्था के माध्यम को दे एवं बड़े उद्योगों के ऋण वितरण के लिए बोर्ड हो इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

९९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक -२७

(श्री रामसिंह कुड़ी)

वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिप्सम परियोजना का काम बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

१००, मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक २७ – वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिये जाय (चूने के भट्टे अधिक छोटे छोटे ठेके पर रियायती दरों पर दिये जावे एव सुविधायें देकर अधिक चूना हर क्षेत्र में पैदा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१०१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ – वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नागौर में सरकारी क्षेत्र में जिप्सम भंडारों के पास सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

१०२, मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खनिजों, लघु उद्योगों एवं कृषि योजनाओं एवं अन्य विकास योजनाओं पर हर साल जो व्यय प्रदर्शन आदि पर होता है वह सब प्रकार का व्यय सभी विभागों में बन्द कर जिला स्तर पर किया जाय इस पर चर्चा के लिए)।

१०३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ – वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूने के भट्टे हर क्षेत्र में व सस्ती दरों पर प्रत्येक पांच मील के क्षेत्र में स्थापित करने आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१०४. मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के नागौर, बीकानेर व गंगानगर जिलों में उपलब्ध जिप्सम के अतुल्य भण्डारों के सदुपयोग करने की दृष्टि से एवं इन जिलो में राजस्थान के माल के सहयोग से कृषि क्षमता के विकास को देखते हुये इस जिप्सम का सरकारी क्षेत्र में खाद कारखाना इन्हीं जिलों में स्थापित किए जावें, इस संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३९

१०५. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (अलवर सेन्ट्रल को० बेंक के सभी ऐसे बेंकों के ऋण को हिस्सा पूंजी अशदान में परिवर्तन हेतु राशियां दी जावें इस निति का अननुमोदन)

१०६. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक-९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भंडार लाभप्रद न होने से बन्द किये जावें, इस पर चर्चा के लिये)।

१०७. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००

(श्री रामसिंह कुड़ी)

रुपया कम कर दिया जाय (राज्य भण्डार निगम के कार्य क्षेत्र में विस्तार व सुधार की निश्चित योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१०८. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत नियमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१०९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (६ गांवों में पीने के पानी की योजनाओं के लिये जिलेवार मास्टर प्लान्स के आधार पर युद्धस्तर पर काम शुरू नहीं होने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

११०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रिलीफ डिपार्टमेंट के अभिकरण द्वारा सूखे स्थानों में जल प्रदाय योजनाएँ चालू करने के बारे में चर्चा के लिये)।

१११. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तरीय व्यापक रोगों के इन्चार्ज तथा परिवार नियोजन अधिकारी जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रखने पर चर्चा के लिये)।

११२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (व्यापक रोगों के सम्बन्ध में होने वाले व्यय में से जीपों को हटाकर ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ११३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (जयपुर जिले का Idustrialisation न करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

११४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सांभर में ग्रामीण Industrial Estate की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

११५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मंडा भीमसिंह तहसील फुलेरा में Rural water supply चालू रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

११६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हरसोली (तहसील फुलेरा) में रूरल वाटर

(श्री पी.के. चौधरी)

स्कीम चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

११७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (करनसर (तहसील फुलेरा) में रूरल वाटर स्कीम चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में जल प्रदाय योजना निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : ११९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग पतियों से सरकारी रकम की वसूली न होने बाबत चर्चा के लिए) ।

१२०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को राज्य द्वारा आकर्षित नहीं करने बाबत चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

१२१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाली एवं सादड़ी में जल प्रदाय योजनायें चालू नहीं करने बाबत चर्चा के लिये) ।

१२२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भुन्डारा, तहसील बाली, में जल प्रदाय योजना से पानी नहीं मिलने बाबत चर्चा के लिये) ।

१२३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में तैयार जल प्रदाय योजनाओं को चालू करने बाबत चर्चा के लिये) ।

१२४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत कुंवारे आदिवासियों की नसबन्दी करने पर चर्चा के लिए) ।

१२५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय, (विधवाओं, कुंवारों, एवं बूढ़ों की नसबन्दी करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री जयनारायण रौत (लसाड़िया) : १२६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लैदर

(श्री जयनारायण रौत)

टेनरी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव सेक्टर में लेने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : १२७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां में कुटीर लघु एवं बड़े उद्योग न खोलने सम्बन्धी सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

१२८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रविवार को रेल द्वारा आये हुए माल को गोदामों में रखने हेतु गोदाम खोलने के कारण बारां मण्डी में व्यापारियों का शोप एक्ट के अंतर्गत चालान कर दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

१२९. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नापतोल विभाग के क्षेत्रीय इंसपेक्टर्स की पोस्ट निरर्थक है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

१३०. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी उद्योगों में चल रहे घाटे एवं घोटालों के साथ साथ मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं अधिकारी की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

१३१. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर हाइटेक फैक्ट्री की दुर्दशा व भारी नुकसान आदि पर चर्चा के लिये)।

१३२. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट उद्योगों पर सरकारी हिस्से व ऋण के रूप में लग रही राशियों के दुरूपयोग होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१३३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति शाहबाद आदिवासी क्षेत्र में प्रमुख ग्राम शाहबाद, राजपुर, देवरी, मुडियर तथा किशनगंज में नल योजना लागू की जाने बाबत चर्चा के लिये)।

१३४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अनेक स्थानों पर वर्षों पूर्व नल योजना पूर्ण हो गई, लेकिन चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१३५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के अन्ता ग्राम में नल योजना लागू किए जाने बाबत चर्चा के लिये)।

१३६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां नल योजना के सम्बन्ध में बरती जा रही उपेक्षा पूर्ण व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मुवालाल चोधरी (दूदू) : १३७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण उद्योग को बलशाली बनाने हेतु सरकार की ओर से सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

१३८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१३९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खाने पीने की चीजों में मिलावट से जन-स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री रतनलाल रोत (चौरासी मु०) : १४०. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पत्थरों की खानों का विकास करने के बारे में चर्चा के लिये)।

१४१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में खनिज उद्योगों का विस्तार न हो पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग मु०) : १४२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले से प्रशिक्षण केन्द्र को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

१४३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : १४४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव पूरबसर तहसील नोहर की जिप्सम कम्पनी चूना खोदने से कुण्ड, तालाब को नुकसान पहुँच रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

१४५. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के अन्तर्गत मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय (जिला गंगानगर के औद्योगिकरण करने में सरकार बुरी तरह से असफल रही है इस के बारे में नीति का अननुमोदन)।

१४६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव रामपुरा व कजवाणी व टोपरिया थालडका व बुधगालिया (तहसील नोहर) में ईंटों के भट्टों पर पाबन्दी से ईंट, भट्टा उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

१४७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५--उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तेल घानी उद्योग को नहीं पनपने दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

१४८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल क्षेत्र में ईंटों के उद्योग पर भारी पाबन्दी से ईंट, भटठा उद्योग को भारी नुकसान हुआ है व ईंटें बहुत महंगी होजाने से हर प्रकार के निर्माण कार्यों को नुकसान पहुँचा है। इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

१४९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किसानों से मिट्टी, चूना, पत्थर घरू कार्यों के लिए खोदने पर भी रॉयल्टी वसूल की जाती है इस पर चर्चा के लिए)।

१५०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के काश्तकारों की काश्त की भूमि में से उनकी मरजी के बिना जिप्सम कम्पनी, बीकानेर द्वारा रेलवे लाइन निकालने से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

१५१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव किसनपुरा तहसील सूरतगढ़ के काश्तकारों को काश्त की भूमि से जबरन जिप्सम निकालने से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

१५२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव ठुकराना में भयंकर अकाल के होने पर भी सरकार द्वारा पानी पीने का इन्तजाम न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

१५३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पाडूसर तहसील नोहर में सरकार द्वारा धन खर्च करने पर भी जल व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

१५४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर के वाटर वर्क्स को चालू करनेमें हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

१५५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में पेय जल की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१५६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के ग्रामों में कुओं का पानी दूषित होने से पीने योग्य नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

१५७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बड़ोपुल तहसील सूरतगढ़ में तालाब बाढ़ में भर जाने से उत्पन्न पेय जल संकट के निराकरण हेतु जल प्रदाय योजना चालू करने पर चर्चा के लिए)।

१५८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पलू तहसील नोहर में मीठे पानी को पास के ग्रामों में पहुँचाने हेतु जल दाय योजना बनाने पर चर्चा के लिए)।

१५९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में पंचायत समिति नोहर द्वारा पीने के पानी का प्लान तैयार किया गया था उसके मुताबिक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

१६०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा केकाना तहसील नोहर की जनता के लिये शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए)।

१६१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारानी ग्राम (तहसील नोहर) में आबाद व्यक्तियों के लिये नहरोंसे गांव तक पक्के नाले तामीर करवाये जाकर पीने का पानी दिलाने का इन्तजाम कराने पर चर्चा के लिये)।

१६२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गाँव पांडूसर (तहसील नोहर) में वाटर -वर्क्स बन्द होने से जनता को भारी कष्ट हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

१६३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (जल प्रबन्ध हेतु सरकार का सही रूप में रुपया नहीं लग पाता और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, इस सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

१६४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (छबड़ा) १६५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा क्षेत्र को लघु व कुटीर उद्योग खोले जाने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा व छीपा बड़ोद क्षेत्र में नल योजना लागू करने पर चर्चा के लिये)।

१६७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपा बड़ोद क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : (नोखा) १६८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में औद्योगिक धन्धों में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

१६९. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१७०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर में हरिजनों को शुद्ध जल व समान अधिकार से पानी पिलाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

१७१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लालमदेसर कोट के हरिजनों के पीने के पानी की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१७२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर नोखा मंडी, गंगासर आदि शहरों में पाइप लाइन डालने व हरिजन बस्तियों में पानी आदि का इन्तजाम करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

१७३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नोखा मन्डी में हरिजनों को शुद्ध पानी का इन्तजाम करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१७४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम पाँचू में हरिजनों को शुद्ध पानी का समान अधिकार नहीं मिल रहा है और सरकार ऐसा अधिकार दिलाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१७५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील के ग्राम ककुंक में पानी का इन्तजाम सरकार नहीं कर सकी, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : १७६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम झोटवाड़ा औद्योगिक बस्ती में जाने वाली सड़क पर बिजली लगाने पर चर्चा के लिए)।

१७७ मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जयपुर में चालू उद्योगों के अन्दर परिगणित जातियों के श्रमिकों को प्रायोरिटी देने हेतु चर्चा के लिये)।

१७८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामूहिक उद्योगों के अन्दर ग्राम घोटालों पर चर्चा के लिए)।

१७९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योगों के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के अन्तर्गत कर्मचारियों के मनोरंजन की उत्तम व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

१८०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक उद्योगों के अन्दर मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों व ऐसे उद्योगों में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१८१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के अन्दर १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वेतन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १४

१८२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार इन्जीनियरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री लादूराम सुलानियां)

मांग संख्या १७

१८३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तोड़-गढ़) १८४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शूगरमिल भूपालसागर द्वारा किसानों को उपज का मूल्य समय पर पेमेन्ट न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१८५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सीमेन्ट फेक्टरी चित्तौड़गढ़ के ड्राई प्लान्ट से जो मिट्टी उड़ती है उससे फसलें बरबाद हो रही हैं उस पर नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

१८६, मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय(चित्तोड़ जिले में सावा, घोसुण्डा एवं बसी में जलप्रदाय योजना कार्य शीघ्र पूरी कराए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

१८७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय(विजयपुर तहसील चित्तौड़गढ़) को ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत लेने के बारे में चर्चा के लिये)

१८८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय(चित्तौड़गढ़ जल प्रदाय योजना का विस्तार किया जाकर चित्तौड़गढ़ किला एवं सेती ग्राम को जल सप्लाई करने के बारे मे चर्चा के लिये)।

१८९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक३० जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जल प्रदाय योजना का विस्तार चित्तोड़ किला एवं सेती, बापूनगर तक किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

१९० मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाए (नवीन ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत विजयपुर तहसील चित्तौड़गढ़ जल प्रदाय योजना चालू वर्ष में हाथ में लिए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

१९१ मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक३० जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय(चित्तौड़गढ़ जिले में चल रही ग्रामीण जल प्रदाय योजना, सावा घोसुण्डा, कनेरा, बसी, बेंगू, को जल्दी पूरा किया जाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री नाथूराम (बागीडोरा) १६२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिले में छोटे व बड़े उद्योगों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज (चूरू): १६३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजनाओं में से प्रशिक्षण प्रोग्राम हटाये जाने अथवा प्रयोगाधिकारियों पद निर्वाचन करने पर चर्चा के लिये)।

१६४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बुनकर बस्ती, सुजानगढ़ पर खर्च किए गए धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

१६५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी अधिकारियों को अतकनीकी पदों पर लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

१६६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चुरू व नागौर में स्थापित ऊनी मिलों की असफलता के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): १६७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक सर्वेक्षण और अनुसंधान के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या १७

१६८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०- जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (नगर जल प्रदाय योजना पर खर्चा ग्रामीण जल प्रदाय योजना से बहुत ज्यादा हो यहा है, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

१६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रायला-तहसील बनेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): २००. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (घोषित सालन एरिया की जमीनों का एलॉटमेंट नहीं करने के कारण नमक के कम उत्पादन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नागौर व चुरू ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं द्वारा ग्रामों में कम सुविधा देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

२०२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ताल छापर में नमक बनाने की जमीनों को नियमानुसार डेवलप न करने पर भी लीज केन्सल नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

२०३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५, उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ताल छापर में नमक बनाने की जमीनों का गलत रूप से ९९ वर्ष की लीज पर दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

२०४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया (लाडनूं जिला नागोर की खानों को रोयल्टी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों से अनियमित रूप से रायल्टी वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

२०६. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट प्लान्ट डीडवाना, में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)।

२०७. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कोयले के वितरण में की गई धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

२०८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (श्री दीपचन्द पहाड़िया लाडनूं से खरीदे गये कुओं में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

२०९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं-सुजानगढ़ के बीच बिछाई गई पाईप लाईन में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिए)।

२१०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिए)।

२११. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं के गांवों की अधूरी जल प्रदाय योजनाएं पूरी नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।)

Page No 86

(श्री हरजीराम बुरड़क)

२१२. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपयाकम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनू द्वारा पूरे शहर में पानी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

२१३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रोडु में जलप्रदाय योजना को सर्वे हो जाने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

२१४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के फर्जी ओपरेशन्स बतला कर सरकार से रकम प्राप्त करने वाले डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)

२१५ मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (असँजीलियरी हैल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग के समय वेतन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री मोहनलाल मोदी : (नीम का थाना) २१६मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत माँग में से १०० कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

२१७ मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (म्युनिसिपल क्षेत्र नीम का थाना (जिला सीकर) में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिए)।

माँग संख्या २१

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)

२१८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों के खोले जाने के स्थानों के चयन में राजनीतिक दृष्टिकोण सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

२१९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योगों में चल रही मनमानी व पक्षपात पर सरकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति पर चर्चा के लिए)।

२२०. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योग में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए)।

२२१. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग को उचित सहायता प्रदान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री श्रवण लाल)

२२२. मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गृह उद्योगों को पनपाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

२२३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी उद्योगों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

२२४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योगों के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कई बार जनता में घोषणा करने पर भी करौली में सीमेंट उद्योग नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

२२५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योगों के प्रति बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

२२६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योगों के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छोटे ग्रामोउद्योगों को अनुदान व सबसिडी देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

२२७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग में लगे बुनकरों के प्रति सरकार के उदासीनतापूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

२२८. मांग संख्या २१, मुख्य मांग शीर्षक ३५ उद्योगों के अन्तर्गत मांग से से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

२२९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों को पर्याप्त सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२३०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योगों में दिये जा रहे कर्ज, अनुदान आदि में भारी पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

२३१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन व करौली की खानों तक आने जाने के साधन जुटाने में विभाग की लापरवाही की चर्चा के लिए)।

२३२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (करौली पत्थर की खानों को लीज पर देने व ठेका

(श्री श्रवणलाल)

रिन्यूवल करके मोनोपोली को बढ़ावा दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

२३३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (करौली की खानों को ठेकेदार को दिये जाने में विभाग के पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

२३४ मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

२३५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खान विभाग की बकाया वसूली केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से रुकी हुई है, उसे तुरंत वसूल करने पर चर्चा के लिए)।

२३६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खनिज सम्पदा की खोज में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए)।

२३७. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में खनिज विकास के लिए सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १७

२३८. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पेय जल हेतु पशुओं के सम्बन्ध में उचित प्रावधान न होने सम्बन्धी सराकारी नीति का अनुमोदन)।

२३९ मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी एवं लूप के लिए किये जाने वाले खर्च के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

२४०. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में बहुत से ग्रामों में ५-५ मील तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

२४१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य हेतु रोग निवारणार्थ विभिन्न योजनाओं में सहयोग और समन्वय बैठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२४२ मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३० जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की अव्यवस्था होने से जन-धन की जो हानि हुई है उस पर चर्चा के लिए)।

(श्री श्रवणलाल)

२४३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्रामों व अधिक आबादी वाले कस्बों में जल-प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

२४४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा टोडा भीम (जिला सवाई माधोपुर) में जल योजना कार्य चालू करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

श्री श्रीनिवास (निम्बाहेड़ा) : २४५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा तहसील में खनिज विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

२४६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जलदाय योजना कनेरा (पंचायत समिति निम्बाहेड़ा) के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२४७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के अधीन प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपकेन्द्रों पर समुचित स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : २४८. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान को चलाने में अधिकारियों की अकर्मण्यता से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

२४९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग सन् १९६९-७० के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खान विभाग के संचालन और अधीक्षण कार्यालय में होने वाले फिजूल खर्च को कम करने पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : २५०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (रायल्टी व डैड रेन्ट की खनिज विभाग में बकाया वसूली विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन)।

२५१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अवधि समाप्त होने पर भी खान से पत्थर निकालने की अनुमति दी गई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

श्री हरि बल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : २५२. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (बड़े उद्योगों की भारी पूंजी ऋण कम ब्याज पर दिये जाने तथा फिर ऋण की समय पर वसूली नहीं करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

२५३. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अनार्थिक उद्योगों में पूंजी के नियोजन के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

२५४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा पन्द्रह वर्ष में भी पेय जल की व्यवस्था न किए जाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

२५५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया विभाग का कार्यालय दौसा से सवाई माधोपुर के बजाय राज्य सरकार के आदेशों के विपरित करोली ले जाए जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : २५६. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

२५७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं मिलता, जल की भारी कठिनाई है, इस पर चर्चा के लिये)।

२५८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के ग्राम पंचायत भांडारेज की जलप्रदाय योजना बजट ६७-६८ में स्वीकृत होने पर भी पूरा नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : २५९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में जल-प्रदाय योजना चालू नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : २६०. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०-

(श्री अ ईदान सिंह)

जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुछ ग्राम पंचायतों से पेय जल हेतु ५% जन सहयोग लेने पर भी कार्य शुरु नहीं किये हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु):
२६१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम खंडार, जिला सवाई माधोपुर) में जल-वितरण की अव्यवस्था पर के चर्चा लिये)।

२६२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे के वार्ड न० १४, १३, व २, में जल वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथुलाल करौल (जमवारामगढ़)
२६३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम अचरोल पंचायत समिति आमेर में नल योजना के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम): २६४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रावतसर जलप्रदाय योजना अधूरी पड़ी है और उसमें अव्यवस्था है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) २६५. मांग संख्या, १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रामगंज मंडी नल योजना का काम शुरु नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

२६६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद व रामगंज मन्डी क्षेत्र में ग्रामीण नल योजना के विकास में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्री राजवी रुपसिंह (सरदार शहर):
२६७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में पेय जल उपलब्ध करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद (झालरापाटन):
२६८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ व झालरापाटन के लिये शुद्ध पेय जल सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध के चर्चा में लिये)।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): २६६. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्ष ३०–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनूं जिले के ग्राम छापोली में ग्राम सहायता की राशि जमा कराये दो साल का अर्सा हो गया फिर भी जलदाय योजना चालू नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर)

२७०, मांग संख्या १७. मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के ग्रामों में पीने के पानी के कुओं पर धन–राशि नही मिलने से कुओं के कार्य अधूरे पड़े हैं इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) :

२७१ . मांग संख्या १७. मुख्य शीर्षक ३० -जन -स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खेमा के कुए की बस्ती में पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

२७२ . मांग संख्या १७. मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर के जतितियों के बास में सन् १९६२ में पैसे जमा कराने के पश्चात् भी पाईप कनेक्शन न देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री बिठठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) :

२७३. मांग संख्या १७. मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना शुद्ध जल-योजना गत १० वर्षों से पड़ी हुई है एवं विभाग की इस सम्बन्धी अनुचित नीति के कारण सरकार के हजारों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२७४. मांग संख्या १७. मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना जल-प्रदाय योजना ८ वर्षो से चल रही है किन्तु अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुवा इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

२७५ मांग संख्या १७. मुख्य शीर्षक ३० -जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर व सपेउ की जल-प्रदाय योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) :

२७६. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३० -जन--स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा का १०० रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर शहर में पेय--जल की सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु०) :

२७७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ६०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सावर ग्राम पंचायत द्वारा बनाये हुए दाईखाने को चालू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) :

२७८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव बाँसखो व पृथ्वी पुरा (तहसील बस्सी) में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये) ।

२७९. मांगसंख्या १७,मुख्यशीर्षक ३०-जन- स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १००

(श्री कन्हैयालाल)

रुपया कम कर दिया जाय (गांव गोनेर (तहसील सांगानेर) के पीने का पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : २८० मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी सादड़ी में नल-योजना का कार्य प्रारम्भ कराने तथा निकुम्भ के नल योजना का कार्य प्रारम्भ कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : २८१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में जल-प्रदाय योजना पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०) : २८२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर की जल प्रदाय योजना पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : २८३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के अनेक वाटर वर्क्स जैसे हमीरपुर, हरसोरा व अन्य स्थानों पर कई साल से बिना विजली के चालू न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना)। अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में उद्योग और दूसरी मांगें विचारार्थ पेश हैं। इस सम्बन्ध में जहां तक उद्योगों का सवाल है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की उद्योगों के संबंध में कोई नीति नहीं है। निरन्तर तरीके पर केवल एक ढ़कोसला खड़ा कर देने से उद्योग कभी पनप नहीं सकते। आज देश में बड़ी विचित्र हालत है। बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश में जो इन्जीनियर्स हैं वह ७२ हजार के करीब बेरोजगार हैं। पिछले सदन में इस बात को बड़ोलम्बो चौड़ो घोषणा की गई थी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक लम्बी चौड़ी रूप-रेखा रखी गई थी। मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि उसके उपर कुछ भी नहीं किया गया। जहां तक लघु उद्योगों का ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस देश की बेंकबोन है है तो वह केवल लघु उद्योग हैं। बड़े उद्योगों के बल पर हम देश की आर्थिक दशा को कभी सुधार नहीं सकते... इस देश के सामाजिक ढांचे को हम कभी उठा नहीं सकते जब तक कि इस देश में लघु उद्योगों का विकास पूरा तरह से नहीं होगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए सदन के सदस्यों को जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग हैं हमारे राजस्थान का जो राज्य- आय है····

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

(म० प० १२०५८)

····उसके अन्दर, उपाध्यक्षजी, लघु उद्योगों की जो स्थिति है, उनका जो कन्ट्रीब्यूशन है उसको हम अगर दृष्टि में रखें और उसके बाद इस सम्बन्ध में किस किस तरह से निरन्तर गिरावट आई है तो हमें अपनी स्थिति

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

का अच्छी तरह से भान हो जायगा कि हम कहां थे और कहां पर चले जा रहे हैं ? मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि ५४-५५ के अन्दर जो हमारे राज्य की टोटल राज्य-आय था उसके अन्दर लघु उद्योगों को जो स्थान था वह १५-०५ प्रतिशत था, और इसके बाद ५५-५६ में वह १५ और कुछ प्रतिशत घटा और ४४-४२ प्रतिशत रह गया। इसके मायने है कि निरन्तर गिरावट रही। १९६०-६१ में जब आंकड़े देखें, उपाध्यक्षजी, तो वह उससे घटकर १४-०७ प्रतिशत रह गई, और इस तरह से ६५-६६ के अगर आप आंकड़े देखें तो वह प्रतिशत और भी घटेगा। इसके मायने यह हैं कि वह १२.८६ प्रतिशत रह गया। इसके बाद ६६-६७ के अन्दर अगर हम आते हैं तो प्रतिशत १०.३१ रह गया। इसके बाद और आखिर में जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें निरन्तर गिरावट है। जो राज्य की टोटल आय हमारे राजस्थान की है उसमें लघु उद्योगों का जो हिस्सा सन् ५४-५५ के अन्दर १५-०५ था वह प्रतिशत घटकर ६७-६८ में ९-९९ प्रतिशत रह गया। इसके मायने यह हैं कि एक तरफ तो राज्य सरकार प्रगतिशीलता का दावा करती है, एक तरफ राज्य सरकार इस बात के झूठे नारे देती है कि हम इस देश का औद्योगिकरण कर रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप में इस बात के लिए पूरे हैं कि वे हमारी आंखें खोल दें कि निरन्तर तरीके से इस राजस्थान के अन्दर लघु उद्योगों का विनाश होता चला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि अगर आप आंकड़ें देखें माईनिंग के बारे में भी, वैज्ञानिक विभाग के बारे में भी मांग प्रस्तुत की गई है, अगर इसके भी आंकड़ें देखें तो उसमें भी स्थिति वैसी ही नजर आती है कि हम उत्तरोत्तर गिरावट की तरफ चले जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ६५-६६ में हमारे राज्य की जो टोटल आय थी उसके अन्दर खनिज का जो कन्ट्रीब्यूशन था वह १.२१ प्रतिशत था वह घटकर अब ६६-६७ में १.०४ रह गया और ६७-६८ में तो एक प्रतिशत से घटकर ०.९४ प्रतिशत रह गया। इसके मायने यह हैं कि हमारे राज्य की जो राज्य-इनकम है सालाना उसके अन्तर्गत निरन्तर चाहे वह खनिज का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो कि हम निरन्तर तरीके से पिछड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और आगे बढ़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है मैं इस संबंध में तमाम चीजों के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं जाना चाहूँगा, मगर हम देखें तो आज हमारे देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, हमारी इस देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वह केवल लघु उद्योग हैं। आज आप जापान का उदाहरण ले लीजिये। जापान ने जिस तरह से संसार के अन्दर आर्थिक क्षेत्र में जो तरक्की की है वह बड़े-बड़े उद्योगों के बल पर नहीं की है, उपाध्यक्ष महोदय, वह केवल छोटे-छोटे घरेलु उद्योगों, काटेज इन्डस्ट्रीज के बल पर। जापान की आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और सशक्त है कि आज संसार को चकाचौंध कर रही हैं। छोटे से द्वीप जापान ने विश्वयुद्ध के बाद जो तरक्की की है उसको देखें तो जापान ने इतनी आर्थिक तरक्की की है कि देश का काया-कल्प करके उसके आर्थिक ढांचे को सुधार दिया है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वह लघु उद्योगों के बल पर, वह कुटीर उद्योगों के बल पर था। आज राजस्थान में जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि ५४-५५ में हमारी विकास की जो स्थिति थी वह १५ पाइन्ट और कुछ थी और आज ६ पर आकर रह गई है। इस तरह से निरन्तर तरीके से आप पिछड़ते चले जा रहे हैं।

यही नहीं, उपाध्यक्षजी, मैं यहां पर ये बातें कहकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा कि लघु उद्योगों के कारण आज गांवों का विकास सम्भव है, उससे गांवों और शहरों का समान रूप से विकास होगा जो कि गांधीजी कहते थे। गांधीजी यह कहते थे कि हम ग्राम-स्वराज्य चाहेंगे सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक ढांचे के रूप में हम स्वावलम्बन की स्थिति लाकर एक ग्राम रिपब्लिक का काम करेंगे। जिस ग्राम-राज्य की कल्पना गांधीजी किया करते थे आज गांवों में छोटे-छोटे उद्योग बरबाद हो रहे हैं। आज किसान, मजदूर बेचारे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ चले जा रहे हैं। लघु उद्योगों का विकास करेंगे तो माइग्रेशन कम करेंगे और माइग्रेशन की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी।

इसके अलावा दूसरे तरीके से आज जो समाज की अर्थ व्यवस्था है उसमें हम यह देख रहे हैं कि इस देश के अन्दर कुछ परिवार ७५ परिवारों में, उपाध्यक्ष महोदय, आज की हमारे राष्ट्र की पूरी सम्पत्ति का ४० प्रतिशत है। आज उस पर उन्होंने अधिकार किया हुआ है। राष्ट्र की पूरी सम्पत्ति के ४० प्रतिशत पर केवल ७५ परिवार कुण्डली मारे बैठे हैं। इसके प्रतिकूल में ५२ करोड़ आदमी हैं हमारे देश के वे केवल ६० प्रतिशत जो राष्ट्रीय आय है उस पर गुजर-बसर करते हैं। आप देखिए, उपाध्यक्षजी, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो तीन लाख रुपये रोज पैदा करते हैं और दूसरी तरफ इसी देश के अन्दर ऐसे लोग हैं जो केवल तीन आने सवा तीन आने पर गुजारा करते हैं, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ में तो हालत और भी दुखद है। वहां तो और भी वह नीचे गिर जाती है। आप इस प्रकार की आर्थिक असमानता को समाप्त करना चाहते हैं, उसे अगर हम सुदृढ़ तरीके की समता लाना चाहते हैं तो हमें लघु उद्योगों का सहारा लेना पड़ेगा, और लघु उद्योग हमें अपनाने पड़ेंगे। दूसरा लघु उद्योगों में हम कम पूंजी से ज्यादे से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, परन्तु हमारी सरकार, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके नाम मैं नहीं गिनाना चाहता हूं, उनको देवस्थान का पैसा मिलता है, किसी को ३० लाख रुपया दे देते हैं और किसी को गारन्टी कर देते हैं। इस तरह से जो हमारा पैसा अनाप-शनाप दूसरे मुद्दों पर खर्च हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि काटेज इन्डस्ट्रीज लघु उद्योगों के महत्व को समझकर इस पर मुस्तैदी से काम करें, जोर से इसको एडॉप्ट करें जिससे कि राजस्थान का काया-कल्प हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। इस तरह से लघु उद्योगों का महत्व इसलिए भी है कि कभी लड़ाई छिड़ी देश में, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कभी स्थिति आये फिर से, तो बड़े बड़े उद्योग एक साथ में नष्ट किये जा सकते हैं बम्ब से या मिसाइल से तो जो बड़े बड़े उद्योगों पर हमारी आधारशिला रखी गई है उसको एक दम नष्ट कर दें और देश की

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जायगी और गिर जायगी। अगर गृह उद्योगों के बल पर देश के आर्थिक विकास की आधारशिला रखी जाय तो दुनिया का कोई देश हमारा इस आधार-शिला को, हमारे आर्थिक ढांचे को लड़खड़ा नहीं सकता इसलिए विशेष रूप से मै कहना चाहूँगा कि सैनिक दृष्टि से अगर आप देखें तो उस दृष्टि से भी जो लघु उद्योग हैं उनका विशेष महत्व हैं। उसको हमें नजर अन्दाज करके नहीं चलना पड़ेगा।

इसके विषय में अगर आप कहते हैं कि लघु उद्योगों की जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह कुछ ज्यादा आती है, परंतु उसके साथ-साथ में निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है लघुउद्योगों में तो कास्ट आफ डिस्ट्रिब्यूशन कम आती है, तो दोनों का मापदंड बन जाता है। आज यही कारण है कि लघु उधोगों की जो वस्तुएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं आज भी एक नहीं अनेकानेक लोग ऐसे हैं जो लघु उधोगों की चीजों को पसंद करते हैं।

उसके बाद राजस्थान के अंदर लघु उद्योगों का कैसा पोटेन्शल हैं, किस तरह का स्कोप है, क्या दायरा है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा।

जैसा मैं निवेदन करूं, सन् १९६२ में कारखाने नियम के अनुसार इस राजस्थान में जितने भी कारखाने पंजीकृत थे ४०२६१ थे। लगभग इतने रजिस्टर्ड थे। हमारे राजस्थान के अन्दर कुल जो उद्योग हैं, छोटे-बड़े उद्योग मिलाकर उनका १२ प्रतिशत था। इसका मतलब यह है कि ये राजस्थान की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा भाग अदा करते हैं। सन् ६१-६२ के आधार पर राजस्थान में १४३३ लाख पूरे उद्योगों में लगा हुआ था। उनके आधार पर ३५.८१ प्र० श० आता है। इसके माने यह है कि राजस्थान में लगभग एक बहुत बड़ा भाग अदा करने वाले हैं। यही नहीं, मैं निवेदन करूं, जो कुछ माल का प्रोडक्शन हुआ उसके आंकड़े हमारे मन्त्री जी बता देंगे। लेकिन और भी उद्योग आप ले सकते हैं। तेल-घानी उद्योग है। आज तेलघानी उद्योग अपने आप में मर रहा है। कलकत्ता और हावड़ा जा रहा है। लाखों मन तेल बाहर जा रहा है। तेल उद्योग को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो कि गांवों में तेल निकालते हैं और दूसरे मशीन। अगर मोटे तौर पर आंकड़े लिये जायें तो २० हजार परिवार निर्भर होते हैं। आज हमने तेल घानी उद्योग को नष्ट करने की साजिश की हैं। तब भी २० हजार परिवार लगे हुए हैं। हम उनकी मूलभूत समस्या पर विचार करें। वैसे तो बड़े उद्योग भी चले हैं। हालांकि बड़े उद्योगों की तरफ आता हूं तो ५ लाख और १० लाख की पूंजी के कारखाने भी हैं। इनके लघु उद्योग में रखा है। भरतपुर को आप देखें। अकेले भरतपुर में ८ छोटी छोटी मिलें हैं। परन्तु उनका कोई प्रोडक्शन नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजस्थान में जो लघु उद्योग हैं, उनका समुचित विकास हो। उसके लिए समस्या को हल करने के लिए कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। यही नहीं हमारे यहां का जो गुड़ बनाने का काम है, वह भी कम नहीं है। उसकी भरतपुर में दूसरी इण्डस्ट्रीज चला

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

सकते हैं। परन्तु हमने उसकी उपेक्षा की है। उसके आंकड़े दिये हैं तो यह आंकड़े भी बेचारे मरते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर बताऊं। १९६६ में शक्कर बनाने के आंकड़े १८.३५ मीटरिक टन हैं। सन् ६६ में बनता था। ये आंकड़े सन् ६७ में ८.४ रह गये हैं। इसके साथ ६८ में क्या स्थिति रही? ६८ में ५.८ हजार मीटरिक टन है। आप नतीजा देखिए, हमारे इस उद्योग की भी कैसी दयनीय दशा है ? इसके साथ ही मैं यहां पर निवेदन करूं कि जो पामगुड़ है। खजूर का ताडगुड़ है उसका भी हमारे यहां स्कोप है। आज भी ४० हजार आदमी डायरेक्टली और इण्डायरेक्टली राजस्थान में आजीविका उपार्जित करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो उद्योग मन्त्री हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस ताड़गुड़ को पापुलर बनाने के लिए कितनी राशि खर्च की। आपने पंच वर्षीय योजना की मार्फत कितनी धनराशि खर्च की है। आपने पंच वर्षीय योजना की मार्फत कितनी धनराशि खर्च की है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को कहूँगा जो पंचवर्षीय योजना का मसविदा आया है, उसमें १७ करोड़ रु० आया है। और १९ करोड़ की व्यवस्था की है। लघु उद्योगों के लिए ५।। करोड़ की व्यवस्था की है। जिसके लिए ९२ प्र० श० उद्योग हमारे राजस्थान के हैं। जिनमें १९ करोड़ में ५।। करोड़ लघु उद्योगों पर दिया गया। बाकी सब बड़े बड़े उद्योगों और लोगों की तरफ होगा। आप यह कहेंगे कि बड़े बड़े उद्योगों का भी महत्व है। मैं मानता हूँ। मैं उनको एक्सक्ल्यूड करके नहीं चलना चाहता हूं। उनकी हालत भी दयनीय है। आपके विभाग के आंकड़े क्या कहते हैं? कांच का उद्योग है, राजस्थान के अन्दर। उसमें सन् ६१ में ८१७ मीटरिक टन उत्पादन किया है। ६६ में २८८ मीटरिक टन उत्पादन रह गया है। ६७ में १२२ मीटरिक टन उत्पादन रह गया है। तो जो ६१ में कांच का उत्पादन ८१७ मीटरिक टन था वह ६७ में १२२ रह गया है।

यह प्रोग्रेस है बड़े उद्योगो की। अभी मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि धौलपुर के अन्दर जो हमारा एक कांच का कारखाना है, धौलपुर ग्लास वर्क्स—उसको आगामी मन्थ से खत्म कर रहे हैं। वहां हजारों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं। आज उन मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए आपको कोई कारगर कदम उठाना चाहिए था, उसके बजाय उनको भूख की भट्टी में झोंकने, दरो दर की ठोकरें खाने और भुखमरी के लिए निमंत्रण देना चाहते हैं। उस इलाके में जरायम बढ़ते हैं क्योंकि लोगों में असंतोष है और उस तमाम असंतोष का जो नतीजा होता है उस नतीजे को समाज को भुगतना पड़ता है। आप जो इस उद्योग को चलाने के बजाय इसको खत्म करने का निर्णय ले चुके हैं-यह स्थिति भयावह है।

यही नहीं, आप कहेंगे, नहीं साहब सूती कपड़े के उद्योग की हालत अच्छी है। आप सूती कपड़े के उद्योग के आंकड़ों को देखें तो इन आंकड़ों के आधार पर वह स्थिति पैदा हो जाती है जैसे राजस्थान में हमारे उद्योग मंत्री ने, उद्योग की पालिसी ने लाकर उसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है। मैं इसके

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

सम्बन्ध में ज्यादा लम्बे चौड़े विस्तार में न जाकर निवेदन करूंगा कि १९६१ में जहां हमारे राजस्थान के अन्दर ६६४ लाख मीटर कपड़ा पैदा हुआ, वहां आप १९६५ में आ जायं तो यह आंकड़ा गिरा है और हमने केवल ६११ लाख मीटर कपड़ा पैदा किया है। इस तरह चाहे सूती कपड़ा उद्योग हो, चाहे शक्कर उद्योग हो और चाहे कांच का उद्योग हो— इनके अन्दर आंकड़े निरन्तर गिर रहे हैं।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि आपने सीमेन्ट के उद्योग को क्यों छोड़ दिया है। सीमेन्ट उद्योग में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु वह भी नहीं के बराबर है। वह कैसे? १९६१ के अन्दर आज से आठ साल पहले जहां पर हमने ८१६ हजार मेट्रिक टन सीमेन्ट पैदा किया, वहां पर हमने थोड़ी सी वृद्धि करके १३४३ हजार मेट्रिक टन सीमेन्ट पैदा किया है। तो पिछले आठ साल के अन्दर थोड़ी सी बढ़ौतरी सीमेन्ट उत्पादन में की है, लेकिन आज राजस्थान को आवश्यकताओं को देखते हुए, निर्माण कार्यों को देखते हुए, देश की बढ़ती हुई सीमेन्ट की आवश्यकता कीपूर्ति के प्रश्न को देखते हुए, मै निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि यह वृद्धि नहीं के बराबर है। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में जायें यही स्थिति मिलेगी।

हमारे राजस्थान के उद्धार के वास्ते में निवेदन करना चाहूँगा कि हम लघु उद्योगों पर जोर दें, कुटीर उद्योगों पर जोर दें। आज हमारे सामने जो बेरोजगार नौजवान भाई हैं, युवक हैं, जो हट्टे कट्टे इन्सान हैं, वह भीख नहीं मांगना चाहते हैं, उनके हृदय में आग विद्यमान है, वह धरती का पेट चीर कर उत्पादन करके अपनी भूख मिटाना चाहते हैं और अपने बच्चों का पेट भरना चाहते हैं। इसी तरह से वह नौजवान हृदय उद्योग जमा कर, उद्योगों में काम करके, उनमें खून पसीना एक करके देश की उन्नति में अपने आपको खपाना चाहते हैं। लेकिन उद्योग मंत्री जी, इसका आपके पास क्या इलाज है? कौनसी रूप रेखा आपने इसके लिये रखी है? आज उद्योग--उत्पादन के आंकड़े गिरते चले जा रहे हैं, उद्योग चौपट होते जा रहे हैं, कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं और हमारे यहां धीरे धीरे बेरोजगारी और बढ़ रही है, आज तकनीकी लोग भी बेकार हैं, इकहत्तर हजार इन्जीनियर बेकार हैं, वह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आपके पास इसका इलाज नहीं है। यही नहीं, मैं आपको छोटे उद्योगों के बारे में, खद्दर और ताड़ गुड़ की बात कह रहा था। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) मैं ही बोलने वाला हूं अपने दल से.........

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है। दल का समय समाप्त हो गया है।

श्री मुकुट बिहारी लाल : ऐसा है, मैं कारगर नहीं बोलूं तो आप मुझे रोक दें।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा लम्बा नहीं होना चाहिए भाषण। पांच मिनिट और मिलेंगे।

श्री मुकुट बिहारी लाल : पांच मिनिट और सही।

इसी तरह से हमारे यहां पर जो धान

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कूटने का काम चलता है उसको एक व्यवस्थित ढंग दे सकते हैं। तेलों के बनाने का काम है उसको एक व्यवस्थित ढंग दे सकते हैं। आपको इसके बारे में कोई पालिसी बनानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज जो धान कूटने की मशीनें हैं उनको आप बन्द कर दें आप यह पालिसी बना कर चलें। इसी तरह से जो दाल का काम करने वाली औरतें हैं, हमारी माता और बहिनें, जो घर में काम करके दाल बना सकती हैं, दुकानों पर बना सकती हैं, झोंपड़ी में दाल का काम कर सकती हैं। इससे कितनों को रोजगार मिलने वाला है। आप यह काम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। केवल मन बनाने वाली बात है।

हाथ करघा के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। हाथ करघा उद्योग को भी हमारे राजस्थान के लिहाज से देखें, मैं देश की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर देश की बात कहने लगूंगा तो विश्व के जो आंकड़े हैं, उनसे मुझे तुलना करनी पड़ेगी। आज विश्व के आंकड़ों के आधार पर हमारे देश की स्थिति कुछ भी नहीं है। संसार के बड़े बड़े जो दो सौ उद्योग हैं, उनमें से १९९ नम्बर पर हिन्दुस्तान का एक उद्योग आता है, जो हमारे देश का स्टील उद्योग है, उसका नम्बर आता है। अगर हम भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन तीनों को मिला देते हैं, और उनको एक यूनिट बनावें तो स्टील उद्योग का १९९ नम्बर आता है, और तब भी अमेरिका के उद्योग के समान नहीं है।

आर्थिक दशा की बात करें तो देश के अन्दर तीन बड़ी बेंक हैं, पंजाब नेशनल बेंक स्टेट बेंक, सेन्ट्रल बेंक—इन तीनों बेंकों की जो पूंजी है, वह चार सौ करोड़, तीन सौ पचास करोड़, क्रमशः तीन सौ करोड़ के आस पास है। हिन्दुस्तान की जितनी भी बेंकें हैं, चाहे किसी तरह की हों, छोटी बड़ी बेंक हों -उन बेंकों की सम्मिलित पूंजी चार हजार करोड़ रुपये है, जब कि अमेरिका के अन्दर केवल बेंक आफ अमेरिका है, उसकी पूरी पूंजी १९,६०० हजार करोड़ रुपये की है। हिन्दुस्तान की समस्त बेंक की पूंजी चार हजार करोड़ है, और अमेरिका की केवल एक बेंक की पूंजी १९६०० हजार करोड़ है।

तो उद्योग की दृष्टि से मैं कह रहा था (समय-समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए समय की थोड़ी मांग की है। मैं निवेदन करूं कि हाथ करघा उद्योग की बात मैं आपको कह रहा था। आज हाथ करघा उद्योग का भी हमारे राजस्थान में कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। हमारे राजस्थान में ८८ हजार करघा चलते हैं, और ८८ हजार करघों से चार लाख ४० हजार आदमी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। परन्तु इस उद्योग के साथ जो सौतेला व्यवहार आज है वह पचास वर्ष पहले भी था। आज वैसा ही व्यवहार है. बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार चलता जा रहा है इसलिए यह उद्योग नष्ट होता जा रहा है। आज हमारे बुनकरों, हमारे पिजाई करने वाले, हमारे रगाई करने वाले और हमारे बुनने वाले की हालत देखें और गांधी जी की खादी की संस्थाओंकेक्रिया-कलापों को देखेंतो मालूम होगा कि खादी का थोड़ा सा विकास हुआ है

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

परन्तु उन बेचारे मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है। कताई वाले और पिंजाई वाले हैं उनकी दशा का कुछ कहना नहीं है। आज हमारे बुनकर मजदूरी करने के लिए विवश हो रहे हैं। आज उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। आज उनके द्वारा तैयार किया माल है, जो बिक्री के लिए तैयार माल है उसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने मांग की है कि उस हाथ करघा के उद्योग को पनपाने के लिए हमें विशेष रूप से कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, हमें योजना बना कर चलना पड़ेगा। हमें राजस्थान के कोने कोने में यह उद्योग पनपाना होगा। गांधीजी ने एक बात कही थी खादी उद्योग की बाबत कि यह चर्खा जितना घूमेगा, यह चर्खा चक्र जितना घूमेगा, इस देश की दरिद्रता उतनी ही तेजी के साथ में कम होगी। इस दरिद्रता का विनाश करेगा यह चक्र सुदर्शन। इस चर्खे का ही परिणाम था कि हमारे देश के अन्दर एक क्रान्ति आई। लंकाशायर की मिलें बन्द हो गईं और इस देश के अन्दर एक अभूतपूर्व क्रांति हुई। परन्तु इस खादी ग्रामोद्योग में जो घोटाले हैं मैं उनके अन्दर नहीं जाऊंगा क्योंकि श्रद्धेय माणिक्यलाल जी वर्मा ने अपने जीवन काल में, या अपने जीवन के अन्तिम दिनों में जब उनको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने एक बात कही थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि मुझे इस चोर मण्डली का नायक बना दिया है, मैं क्या करूं। यह उनके मनकी एक वेदना थी, यह उनके मन की एक पीड़ा थी। मैं केवल आलोचना की बात नहीं करता लेकिन आज जो यह खादी का उद्योग है, जिसके साथ हमारी भावनाओं का सवाल जुड़ा है, क्योंकि हमारे जो भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सिपाही थे, जो स्वतन्त्रता संग्राम केनानी थे, उनकी यह वेष-भूषा थी। जब खादी को धारण करते थे, १९४२ के अन्दर तो हमारे अन्दर एक जागरुकता आती थी, एक आत्म-सम्मान की भावना जागती थी। लेकिन आज कोई खादी पहनने वाला आदमी गांव में चला जाय तो वह क्या कहलाता है। मैं उस गाथा में नहीं जाना चाहता लेकिन उससे हमारी आत्मा में ठेस लगती है। मैं चाहूंगा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की मार्फत इस उद्योग को आप विकसित करें, हाथ करघा के काम को इस तरह विकसित करें। हमारे राजस्थान में रंगाई का, बंधाई का काम, प्रिन्ट का काम, बधेज का काम, फेंटे और चुनरियों का काम विकसित है। रंगाई, बंधेज और छपाई का काम जयपुर, जोधपुर में होता है, कितनी ही जगह यह काम होता है। आज जो हमारे यहां फारिनर्स आते हैं उनको देखिए, वह रंग बिरंगी चुनरी और साड़ी को देख कर झूमने लगते हैं। यहां के बन फेंटे बांध कर अच्छे-अच्छे विदेशी झूमने लगते हैं। यह हमारे राजस्थान की थाती है, लेकिन यह उद्योग आज नष्ट होता जा रहा है।

इसके अलावा दरी, निवार उद्योग भी आप चला सकते हैं। चमड़े के उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर पशु-पालन एक विशेष रूप का उद्योग है, इस पशु-पालन उद्योग के ऊपर आधारित हमारा चमड़े का उद्योग है। लेकिन आज हमारे राजस्थान का चमड़ा

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कहां चला आता है। आज वहा बाटानगर चला जाता है। मद्रास चला जाता है; कानपुर चला जाता है, आगरा चला जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम चमड़े के उद्योग को विकसित करें। हमारे राजस्थान के अन्दर जो चमड़े की जूतियां बनती हैं, हमारे गांव-गांव के जो राजस्थानीहैं, वह चमड़े की जूती, देशी जूती, गांवों में बनी हुई जूती, झोंपड़ी में बनी हुई जूती पहनते हैं। यही नही, इस चमड़े के उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े अच्छे- अच्छे ऊंचे घर घराने के, राज घराने के आदमी सलमा, सितारे जड़ी, नक्काशी की हुई जूतियां पहनते हैं,और मुगल कालीन जमाने में शहंशाह....

एक माननीय सदस्य : अकबर !

श्री मुकुट बिहारीलाल : नहीं,शाहजहां के जमाने से लेकर आज तक इन जूतियों का उपयोग किया जाता है। यह राजस्थान के लिए शान की बात है। परन्तु आज इसकी ओर कौन ध्यान देता है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत : आज उन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है।

श्री मुकुट बिहारीलाल : क्या कहा ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत : आज उन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है।

श्री मुकुट बिहारीलाल : आज उन पर टैक्स लगाया जाता है, आप देखिये, राजकुमारी जी क्या कह रही हैं। यही नहीं राजस्थान के अन्दर इस चमड़े के उद्योग के आधार पर क्या नही बन सकता....

श्री डूंगाराम राजोरिया : रानी साहिबा को तो आपने दूसरा जन्म दे दिया है।

श्री मुकुट बिहारीलाल : हम इससे चरस बना सकते हैं. जो हमारी कृषि का आधार है। मै कह सकता हूँ कि आज भी पम्पिग सेट चरस का स्थान नहीं ले सका है इसलिए जो चमड़ा उद्योग है इससे चरस बनायें, मशक बनायें, अटैची बनायें बैग बनाये। आप इस चमड़े के अच्छे से अच्छे बैग बना सकते है (समय समाप्ति सूचक घंटी) दो तीन बात और कहने के लिए तीन चार मिनट और लूंगा। इसी तरह से घोड़े की जीनों का सवाल है, यहाँ के चमड़े से ऊंचे से ऊंचे दर्जे की जीन बनती हैं। इस लिए राजस्थान के अन्दर इस उद्योग को पनपा सकते हैं। लेकिन आज इसमें कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, क्यों कमी आ रही है, इसमें कहां गलती है—इस चीज को देखने की आज आवश्यकता है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय,इसके साथ साथ हमारे यहां भेड़ पालन के साथ, ऊन का धागा बनाने का काम चालू कर सकते हैं। शोभारामजी बैठे हैं, अरे आपने तो गांधीजी के साथ कुछ काम किया है, पुराने जमाने के आदमी हैं, हमारे घरेलू धन्धों को पनपाओ, कम्बल बनवाइये, लोइयें बनवाइये, आसन बनवाइये, पहनने के लिये गरम कपड़े

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तैयार कराइये, ऊन के धागा बनाने के छोटे छोटे उद्योग चलाइये, घर घर में करघे चालू कर सकते हैं। हमारे उद्योग मंत्रीजी खादी और ग्रामोद्योग के लिए इनाम घोषित कर दें कि जो कोई अच्छे से अच्छे चर्खे का निर्माण करेगा, उसको एक लाख रुपये का इनाम दिया जायगा। आज जरूरत इस बात की है कि अम्बर चर्खे में और सुधार किया जाय, उसमें बाल बियरिंग फिट कर के और अच्छा बनाया जाय और अधिक विकसित किया जाय ताकि हाथ को कम ताकत पड़े और ज्यादा मात्रा में सूत काता जा सके, आज जरूरत इस बात की है कि घर घर में माताएं बहिनें छोटे छोटे घरेलू उद्योगों की ओर आकर्षित की जांय, उनको रोटी, रोजी और पैसा मुहैय्या कर सकें, ये काम आज नेशन बिल्डिंग के हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलने की आज आवश्यकता है।

मैं कह रहा था कि ऊन का उद्योग हमारे यहां राजस्थान में पनप सकता है। इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है कि आप ऊन का ग्रेडेशन कर दें और गांठों में बांध कर ऊन को बाहर भेज दें, इससे रोटी की समस्या रोजी की समस्या हल नहीं होने वाली है।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराना नक्कासी का काम, हाथी दांत पर नक्कासी का काम, लकड़ी पर नक्कासी का काम हमारे यहां से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हमारे भरतपुर में चन्दन की चवरी बनती थी, हाथी दांत के पंखे बनते थे, वे कारीगर आज धीरे धीरे मरते जा रहे हैं।

हमारे यहां वन सम्पदा है, वनों के आधार पर कत्थे का उद्योग शुरू कर सकते हैं, गोंद का उद्योग शुरू कर सकते हैं। लाख का काम शुरु कर सकते हैं। लाख का चूड़ा राजस्थान की थाती है। बयाना तहसील में अहमदाबाद में लाख की चूड़ियां बनाई जाती थीं, आज वह लखारा बर्बाद होकर, बेरोजगार होकर मिट्टी डालता फिरता है। खोह में कांच का काम होता था, बरखेड़ा, बयाना, बारां तहसील में लाख का काम होता था, वह आज चौपट हो रहा है। आज इन छोटे छोटे उद्योगों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है बड़े बढ़े सेठों पर। आपने पूरा वैभव पा लिया मिनिस्टर बन कर, आपकी कोई तमन्ना नहीं रही, छोटेपन से आज राजस्थान के अगुआ बन गये, इसके बाद एक ऐसी स्थिति रही है कि आप मुख्य मंत्री को हटाकर खुद मुख्य मंत्री बन बैठें, बड़े बड़े सेठों का ध्यान रख कर उनकी कृपा से आपको सफलता मिल सकती है पर गरीब की रोटी की समस्या हल नहीं कर सकते, गरीब की पेट की आग को आप शान्त नहीं कर सकते। उसकी भूख की समस्या को आप हल नहीं कर सकते यह समय है यश कमाने का, इसके लिये आप आगे आयें, उद्योगों में आप अपने आप को खपा दें, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा।....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बहुत ही सफल भाषण रहा है, आपसी विवाद में पड़ कर इसके महत्व को कम मत करिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल : आज ही तो बोला हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये समय दिया था, बहुत समय हो गया।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : दो मिनट और लूंगा वह भी उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के लिये लूंगा।

यही नहीं इसके साथ ही बीड़ी बनाने का काम है, गांव गांव में माताएं, बहनें बीड़ी बनाने का काम कर रही हैं, बीड़ियां बना रही हैं, इस उद्योग को भी आप पनपा सकते हैं, उनको रोटी, रोजी और अच्छा वेतन दिला सकते हैं।

यही नहीं, मैं निवेदन करूं कि हमारे अलवर, धौलपुर में अगर आप कोशिश करें तो माचिस का उद्योग पनप सकता है, हमारे यहां संगमरमर के उद्योग को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम ताजमहल को देखते हैं, ताजमहल संसार में प्रसिद्ध है। जब कोई जानने वाला हो तो उसके लिये ताजमहल हमारे राजस्थान की शान है, ताजमहल में हमारे राजस्थान के मकराने का पत्थर लगा है। पर आज मकराने की क्या हालत है, उसको कौन जानता है कि मकराना कहां है। आज मकराने का संगमरमर उद्योग अपनी मौत मर रहा है, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता को आपने देखा होगा, वह मकराने के पत्थर से बना है, वह मकराने का संगमरमर पत्थर हमारे राजस्थान की शान है, पर आज वह देखकर ही रह जाते हैं, कोई नहीं जानता कि मकराना राजस्थान में है। चाहे पार्लियामेंट हाउस हो दिल्ली का, वहां संगमरमर का पत्थर लगा है। संगमरमर केवल मकराने में ही नहीं दूसरी जगह पर भी है, अलवर में झिरी वगैरह में है, सिरोही में है, दूसरी जगह है।

बांसी, बारेठा, रूपवास की तहसील का लाल पत्थर, आज लाल किले का रेड स्टोन पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं राजस्थान की थाती हूँ। चाहे आगरे का लाल किला हो, चाहे दिल्ली का लाल किला, वह राजस्थान की शान है।

आज तक मथुरा के खान उद्योग को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। पत्थर के छोटे छोटे उद्योग चल सकते हैं, संगमरमर और दूसरे पत्थर के बर्तन बन सकते हैं। वैसे तो तांबे और पीतल के बर्तन बनते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य भाषण समाप्त हुआ। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं एक लाइन तो कह दूं।

इसलिये मैंने आपका समय लिया, उपाध्यक्षजी आपने कृपा कर निभाया, काफी समय आपने दिया। मैं निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के सामने लघु कुटीर उद्योगों का जो स्थान है, उसको नेग्लेक्ट कर के नहीं चलें, इनके विकास की आधारशिला मजबूती से रखें ताकि बेरोजगारी की समस्या, रोटी की समस्या, भूख की समस्या को हम हल कर

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

सकें, आर्थिक समस्याको हल कर सकें और राजस्थान को आगे बढ़ा सकें।

औद्योगिक बस्तियों की बात किसी और समय होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग को अगर मैं उद्योग का युग कहूँ तो ज्यादा ठीक होगा। संसार के दूसरे मुल्कों की नजरें हमारे सामने हैं। जिन देशों ने अपने उद्योगों को बढ़ाया आज उन देशों में बहबूदी है, प्रोस्पेरिटी है और दुनियां के अगुआ मुल्कों में वे गिने जाते हैं। हमारे सामने इसकी सबसे उम्दा नजीर जापान है। जापान हमारे देश के मुकाबले में एक बहुत छोटा सा मुल्क है पर उद्योगों की ताकत पर वह एक बड़ा शक्ति सम्पन्न देश बन चुका है क्योंकि आज वहां घर घर में उद्योग हैं। जो बड़े बड़े मुल्क उद्योगों का काम नहीं कर सकते वह एक छोटे से मुल्क ने कर दिया। जब हम राजस्थान की ओर नजर डालते हैं तो हमारा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य जो हो उसको उसकी जनता के लाभ के लिये अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। हमारे सामने सवाल आता है कि अगर हम हमारे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जनता अधिक से अधिक सहयोग दे सके तो उसके लिये जरूरत होती है अर्थ की। पर सवाल आता है कि अर्थ आये कहां से। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम जो खर्चा करते हैं, टैक्स पर टैक्स लगा कर खर्च करते हैं। हम राज्य सरकार को कहते हैं कि अगर आपको विकास करना है तो बार बार टैक्सों पर नजर मत डालो।

आप अपने अर्थ का उपार्जन करें और वह उपार्जन हो सकता है केवल उद्योगों के बढ़ने से। आज जब इस सवाल को लेकर चलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा राज्य का फर्ज हो जाता है कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करे, उनसे आमदनी हो और जो हमें आमदनी मिले उसको हम जनता के लिए खर्च करें, विकास के लिए खर्च करें, स्कूलों व अस्पतालों के लिए खर्च करें और दूसरी तरह की सुख सुविधाएं जनता को दे सकें लेकिन जब हम इस नजर से निजी क्षेत्र के उद्योगों की ओर नजर डालते हैं तो हमें निराशा ही नहीं अफसोस और दुःख होता है राज्य में २० साल के अर्से से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में कायम किए गए। उस पर नजर डालते हैं तो हमें नजर आता है कि केवल साढ़े तीन उद्योग हैं राज्य में। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में साढ़े तीन उद्योग हैं। एक गंगानगर का उद्योग है, एक छोटी सी मिल बीकानेर में है, एक डीडवाना में सोडियम सल्फेट है और जो आधा है हाई टेक वह कभी चलता है कभी बंद होता है। इस नजर से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की ओर ध्यान से सोचें। अगर हमारे राज्य में रा-मेटीरियल नहीं होता तो फिर भी अफसोस नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारे पास ईश्वर की कृपा से वह काफी है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

जब हम खानों की ओर नजर डालते हैं तो वास्तव में रत्नागर्भ जमीन राजस्थान की है। कौनसा पदार्थ इस जमीन के खजाने में छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान को खानों की नजर से, खनिज की नजर से म्यूजियम आफ दी मिनरल्स कहा जाता है लेकिन उन माइन्स की क्या दशा है ? यह एक अलग प्रश्न है। अपार सम्पदा है, रॉ-मेटीरियल्स हैं और उन पर हम कुछ काम नहीं कर सकते। एक नमक है। हमारे पास डीडवाना क्षेत्र में पचपदरा और सांभर जैसी विशाल झीलें हैं जिनमें नमक पैदा होता है। भारत के किसी दूसरे राज्य में सांभर जैसी नमक की झील है ? जिसके खुटने का सवाल नहीं। लेकिन आज नमक के उद्योग हमारे पास कितने हैं ? हमारे यहां से नमक जाता है, उसके कास्टिक सोड़ा के कारखाने अहमदाबाद में लगते हैं, उड़ीसा में लगते हैं और कलकत्ता में लगते हैं लेकिन हमारे राज्य में कास्टिक सोडा का कोई कारखाना नहीं। मंत्रीजी कहेंगे कि कोटा में लगा हुआ है, लेकिन वह डी० सी० एम० ने लगाया है अपनी राईन फैक्ट्री के लिए। लेकिन जितनी हमारे पास अतुल संपदा है नमक की, उसका उपयोग हमने नहीं किया। सारे देश में जो नमक पैदा होता है उसका ५० प्रतिशत राजस्थान पैदा करता है और राजस्थान में नमक का उद्योग नहीं ? हर साल नमक पैदा करते हैं ६० लाख क्विंटल और उसका उपयोग हम कहीं नहीं कर पा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को पुरानी बात याद दिलाती हूँ कि जब टी० टी० कृष्णामाचारी, वित्तमंत्री थे, तब पचपदरा और सांभर लेक को लेकर सवाल चला तो राजस्थान को उन्होंने पचपदरा व डीडवाना दे दिया लेकिन सांभर नहीं दिया इस शर्त के साथ कि केन्द्र अपने पास रखेगा और राज्य के इतने वित्तीय साधन नहीं कि उन पर कोई कारखाना लगा सके, इसलिए केंद्र सांभर पर इस तरह का उद्योग लगाये जिससे राज्य को फायदा मिले। इसके बाद कागजात चले, चर्चायें हुईं अखबारों में खबरें आईं कि सोडा एश की फैक्ट्री लगाई जा रही है, वह फैक्ट्री नहीं लगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इस शर्त पर सांभर हमसे ली गई कि केन्द्र वहाँ पर उद्योग लगाएगा और जब केन्द्र उद्योग लगाने में असफल रहा तो वापस सांभर को क्यों नहीं लिया ? क्यों नहीं अपना उद्योग हम कायम करें ? आप कहेंगे कि हमने डीडवाना सोडियम सल्फेट लगाया है। लेकिन जहाँ हमारे यहां ५० लाख क्विंटल नमक पैदा होता है वहां पर उनका उपयोग कर पा रहे हैं सिर्फ यहां कास्टिक सोडा का उद्योग होना चाहिए।

आज डीडवाना में सोडियम सल्फेट है वहाँ खारा पानी है उसमें कम खर्चा होगा। दूसरी जगह जो कास्टिक सोडा पैदा होता है उसके मुकाबले एक टन के पीछे २००) रुपए सस्ता रहेगा तब इस प्रकार की रोजी देकर इस तरह का कारखाना देकर राजस्थान की जनता की गरीबी को दूर क्यों नहीं करते ?

ऐसे रॉ-मेटीरियल्स के ५० नमूने रखे जा सकते हैं। अपने यहां हाइड है–जानवरों की खाल। राजस्थान से बाहर रोजाना १० हजार

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

खालें भेजी जाती हैं जिनकी कीमत करीब ८० हजार के हो जाती है लेकिन इसका फायदा किसान को नहीं मिलता, गडरिए को नहीं मिलता, पशुपालक को नहीं मिलता वह मिलता है बाटा को, मद्रास उठाता है और कानपुर को। वहां के लोग आते हैं, यहां से खाल खरीदकर ले जाते हैं और बहुत सस्ती कीमत में खाल खरीदकर ले जाते हैं, यहां कोई टैनिंग करने का प्रबन्ध नहीं। खाल में नमक मिलाकर भेजा जाता है। गर्मी के दिनों में बहुत सी खालें खराब हो जाती हैं, खरीदार बढ़िया बढ़िया छांटता है और घटिया खाल फेंक देता है और नुकसान होता है पशु पालक को और राज्य की अर्थ व्यवस्था को नुकसान होता है। आप इस प्रकार टैनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? माल हमारा और कारखाने खड़े हो बाहर ? इससे बढ़कर अफसोस और शर्म की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। हम लोग रॉ-मेटीरियल का उपयोग किसी तरह से नहीं कर सकते।

अगर हम यहां पर इस प्रकार के कारखानों खोले तो साथ ही साथ एनीमल बाइ प्रोडक्ट की कितनी चीजें बन सकती हैं। जो इन बातों को जानते हैं इसमें से कट निकलती है जो बैडमिन्टन और टेनिस के काम में आती है, हड्डियों का उपयोग होता है। इसकी दवाइयां बन सकती हैं। इसमें से एक पदार्थ निकलता है जिसकी हर जगह मांग है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं।

हमारे बहुत से मवेशी हैं, बाहर जाते हैं ट्रांस-माइग्रेशन हो जाता है क्योंकि उनको यहां खालों के दाम कम मिलते हैं, जानवर बाहर ले जांय ताकि उनको ज्यादा मिले। अकाल में मवेशियों की जिम्मेदारी हम पर है लेकिन राज्य की आय होनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। हमारे राज्य की जो पशु संपदा है ३० लाख की उसमें से ३० प्रतिशत मॉरटिलिटि होती है। अगर हाइड का कारखाना ट्रेनिंग के लिए लगा दिया जाय तो कितने मजदूरों को रोजी मिल जाय और जो पशुपालक हैं उनको भी पूरा काम मिल सके। इसकी गुंजाइश जयपुर, जोधपुर, टोंक, नसीराबाद व बाली में है। अगर यह काम आप नहीं कर सकते तो दूसरे जो व्यक्ति हैं निजी क्षेत्र में उनको सुविधा दें तो हमारे यहां चर्म उद्योग पनप सकें।

तीसरा रॉ-मेटीरियल है जिसे हम सब जानते हैं वह है ऊन। ऊन जो देश भर में पैदा होती है उसका ४० प्रतिशत राजस्थान में पैदा होता है और ३० मिलियन पाउंड पैदा होती है लेकिन हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। आप काटकर बाहर भेजते हैं। यहां कोई मिल नहीं। आप कहेंगे कि बीकानेर में कारखाना खोला है। मैं मानती हूं लेकिन कहां ३० मिलियन पाऊंड की पैदावार होती है और कहां एक बीकानेर की मिल ? उसमें सौवां प्रतिशत भी काम में नहीं लगता। अगर इसके लिए कारखाने खोले जायें तो पशुपालकों की आमदनी भी होगी, उनकी बहबूदी होगी। इधर आप फरमायेंगे कि चूरू और लाडनूं में वर्स्टेड मिल्स खोली हैं। मैं मानती हूँ कि वे घाटे में चल रही हैं लेकिन उसका कारण क्या हो सकता है ? वूल टाप्स

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

बाहर से मगाए जाते हैं। जब हमारे यहां कच्चा माल होता है उसकी मीलें नहीं खोलते हैं तो आप बाहर भेजते हैं। आप ने ऐसी मिलें खोलो जिनके लिए वूल टाप्स बाहर से मंगाते हैं। इस ओर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। मन्त्री महोदय की योग्यता और काबलियत में मुझे संदेह नहीं लेकिन यह शेष जरूर लगाऊंगी कि जो उनका ध्यान देना चाहिए था पब्लिक सैक्टर में कारखाना खोलने के लिए उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अगर इन पर कुछ भी ध्यान दिया जाता तो अच्छा होता। हमारे यहां जो ये तीन रॉ-मेटीरियल्स के भंडार हैं, इनको काम में लिया जाता तो राज्य की अर्थ-व्यवस्था कुछ और होती।

लोग दूसरे राज्यों में कारखाने खोलते जा रहे हैं लेकिन हमारे यहां तो एक तरह की गिरावट होती जा रही है, घर की चीज का उपयोग नहीं कर सकते ....

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : लाडनूं और चूरू की मिलें जो घाटे में चल रही हैं उसके लिए मेरे सिवा और किसी पर जिम्मेदारी नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वूल टाप्स बाहर से आए, मिल यहां है। मिल ऐसी खोलें जो यहां के रा-मेटीरियल से ही चले।

सोप स्टोन को लीजिए। हमारे सोप स्टोन से कास्मेटिक्स तैयार होते हैं। कास्मेटिक्स बनाने का एक कारखाना भी नहीं है। उस पर मोनोपोली कर रखी है पूना ने, हमारे यहां से कच्चा माल जाता है फिर बनकर आता है। आप इस ढंग से सोचते नहीं जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था की जड़ मजबूत हो, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। ऊपर से कितना ही पानी डालें उससे कुछ नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं। नजीर के लिए मैंने सोप स्टोन कहा। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार करते ? सरकार का फर्ज है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, हमें बताए कि कौन कौनसी चीजें कहां पैदा होती हैं, कहां सामान मिल सकता है, इनको लगाने से कितना फायदा होता है। अगर आपकी ऐसी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो वह बता दें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का टाइम अभी है.......

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी की सूची में बहुत से लोग हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं देख लूंगी.......

श्री उपाध्यक्ष : आपके १२-१३ सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : पार्टी की ओर से एतराज नहीं है तो....

श्री उपाध्यक्ष : बाद में एतराज आएगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : शायद आपको याद होगा कि कुछ साल

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

पहले बीकानेर में कांच का कारखाना था, कांच की चीजें बहुत ऊंचे दर्जे की बनती थीं। वह कहां गया ? आज हमारे राज्य में चाइना क्ले है अलवर में उसके भंडार हैं। आप कारखाना नहीं खोल सकते उन चीजों को यहां बनाते हैं यहां इन्सूलेटर्स बनायें, क्राकरी बनायें। यहां लाखों प्याले चाय के खपते हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं जहां चाय की प्याली नहीं पीते हों, चाहे पहाड़ी के बीच, चाहे रेगिस्तान हो छोटी ढाणियां हों झोपड़ियां हों तो भी उनको बाहर से सामान चीनी का मंगाना पड़ता है। जब हमारे घर में चीनी मिट्टी है तो चाहे वह घटिया किस्म की है तो उसको बनाकर क्यों नहीं काम में लेते ? लाखों ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन हम राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते। आपकी नजर जायगी कर लगाने पर। आपको हेंडीक्राफ्ट्स को पनपाना चाहिए लेकिन आपकी उल्टी नीति है, उस पर टैक्स लगाने की।

हम जब बाहर जाते हैं, मैंने बंगलोर में देखा, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में देखा वहां के उद्योगपति मिलते हैं तो जिक्र करते हैं, हमने भी कहा कि राजस्थान में आए वहां उद्योग लगायें। सभी जगह एक ही जवाब मिला कि जब मुख्यमंत्री यहां आते हैं यही कहते हैं कि राजस्थान में आओ, उद्योग लगाओ, उद्योग मंत्री आते हैं, यही कहते हैं कि आओ हम आपको कन्सेशन देंगे मदद देंगे लेकिन यहां आने पर कुछ नहीं होता, उद्योग विभाग में आकर चक्कर खा खा कर जाते हैं। पत्र लिखते हैं तो माकूल जवाब नहीं। यहां ६-६ महीने बैठकर चले जाते हैं, चक्कर लगाते हैं,। रेड टेपिज्म में कागज चले जाते है, हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते इतने चक्कर लगाना। इतनी रेड टेपिज्म उद्योग विभाग में चल रही है कि किसी के लिए उद्योग लगाना आसान बात नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योग लगे हुए हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं। कुछ उद्योग अच्छे चल रहे हैं लेकिन ज्यादातर छोटे छोटे उद्योग बोगस हैं। केवल कोटा प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, माल लेते हैं कोटा से, फिर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। हमारे उद्योगों को सबसे बड़ा धक्का लगाने वाली चीज यह है कि हम बाहर से जो कोटा आती है वह काम करने वाले को नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जाती है जो ब्लैक मार्केट करते हैं। पिछली बार भी मैंने विधानसभा में निवेदन किया था कि जो उद्योग चल रहे हैं उनकी जांच की जाय। यह देखा जाय कि कितनी कोटा उनको मिली है, कितनी बिजली खर्च की है, जितनी कोटा दे रहे हैं उतनी बिजली भी खर्च हुई या नहीं, लेबर है या नहीं। तब आपके सामने स्पष्ट हो जायगा, न तो बिजली जलती है न लेबर है और जो आप कोटा देते हैं सीधी ब्लैक मार्केट में जाती है।

जब हम सार्वजनिक क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो एक तउर मंत्री महोदय देंगे जो उनके पास रामबाण है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे के बिना उद्योग कैसे चलाया जाय। मैं अदब के साथ पूछना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से दूसरे राज्यों ने करोड़ों रुपयों का फायदा उठाया है, हमारे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

राज्य ने कितना फायदा उठाया है। जब वह बैंक मशीनों के लिए ८० प्रतिशत खर्चा देता है, दूसरे राज्यों ने करोड़ों का फायदा उठाकर अपने यहां उद्योग लगाए लेकिन हमारे यहां उद्योग विभाग चुप। आज तक आपने उस बैंक से पैसा नहीं लिया और कोई भी कारखाना उन्होंने नहीं लगाया, यह किसका दोष है? आप कहेंगे कि मशीन के लिए तो रुपया वहां से ले लें लेकिन आगे के लिए कहां से लें? हमारे यहां राजस्थान वित्त निगम है। आप उससे रकम लेकर इमारत बना सकते हैं, काम करने के लिए बैंकों की कमी नहीं। आप माल गोदाम में रखें और बैंक से रुपए लेकर चला सकते हैं। एक मामूली सेठ होता है १० लाख की पूंजी पर एक करोड़ का कारोबार करता है लेकिन हमारे पास करोड़ रुपए हैं, ८० लाख का कारोबार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि व्यवसायिक बुद्धि से काम नहीं करते हैं। कागजी कार्यवाही होती है, खानापूर्ति होती है, रसम अदायगी होती है।

जब तक हम अपने राज्य के उद्योगों को अपने प्राणों से प्यारा, जान से प्यारा नहीं मानेंगे तब तक यह उद्योग नहीं पनप सकता है। व्यवसाय को व्यवसायिक दृष्टि से देखना चाहिये, तब जाकर व्यवसाय किया जा सकता है। उसके लिये लगन होनी चाहिये, दिल में दर्द होना चाहिये। तब आप सफल हो सकते हैं, लोगों को काम दिला सकते हैं। रॉ-मैटेरियल के ऊपर दूसरे लोग, प्राइवेट व्यापारी और दूसरे राज्य मालामाल हो रहे हैं और हमारे यहां का पशु पालक, गरीब किसान भूखा है, मजदूर नंगा है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मन्त्री महोदय आप इसमें लगन से लग जांय, रात दिन लगन से काम करें और अपने अस्तित्व को आपको भूल जाना चाहिये तब कहीं जाकर आप उद्योगों को चला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी खास शिकायत मुझे यह है कि जब कभी सार्वजनिक क्षेत्रों में इस तरह के उद्योग लिये जाते हैं तो उसका सबसे बुरा नतीजा क्या होता है। यह नतीजा होता है कि वे घाटे में चलते हैं। दूसरे जो लोग हैं कैपेटलिस्ट लोग, इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और जो इनके समर्थक हैं, उनकी यह एक बड़ी मजाक हो गयी है। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं, वे घाटे में चल रहे हैं। उनकी तरह तरह से खिल्ली उड़ायी जाती है, मजाक उड़ाई जाती है। जो इसके पक्ष में हैं, उन लोगों को शर्म से अपना सिर नीचे डालकर बैठना होता है, जब उनको खिल्ली उड़ायी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? आप इसके लिये क्यों प्रबन्ध नहीं करते कि इनको घाटे से निकाला जा सके। इसके लिये आपको व्यवसाय को जानने वाले, समझने वाले कार्यकर्त्ताओं को, आफिसरों को रखना चाहिये जो इन कामों में प्रशिक्षित हों। आप किसी भी उद्योग के लिये विशेषज्ञ नहीं रखते हैं। आपके विभागों में आई. ए.-एस. आफिसर होता है, जिसको आप सबकी मास्टर की (Master koy) समझते हैं, उस आई. ए. एस.आफिसर रूपी कुंजी से आप सब तालों को खोलना चाहते हैं और

Page No 110

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

उम्मीद करते हैं कि वह सभी ताले खोल सकता है। व्यवसाय को व्यवसायिक बुद्धि रखने वाला ही चला सकता है। आई. ए.-एस. कैटेगरी नहीं चला सकती है। फिर भी इन आई. ए. एस. कैटेगरी में से जो इस बिजनैस लाइन में जाना चाहता है, उसको ट्रेनिंग में भेजें और जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आवें उनको व्यवसाय में लगावें। और वह अधिकारी वहां पर जमकर रहे। ५-१० साल तक रहे। अधिकतर यह होता है कि आप एक व्यक्ति को लगाते हैं और दूसरे दिन वह वहां से हटा दिया जाता है। आज एक को इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी बनाते हैं और वह सारी की सारी इन्डस्ट्रीज को संभालने वाला बना दिया जाता है और दूसरे साल वह कलक्टर बनकर रेवेन्यू का एक्सपर्ट बना दिया जाता है। तीसरे साल वह शिक्षा डाइरेक्टर बन कर शिक्षा का विशेषज्ञ एक्सपर्ट बन जाता है और चौथे साल वह शीप एण्ड वूल का माहिर बना दिया जाता है। ऐसे काम नहीं चल सकता। जिन व्यक्तियों को आप लगावें वे जम कर काम करें। विशेष प्रशिक्षण आप जिनको दिलावें वे व्यवसाय को जम कर चलावें। राज्य के हुक्मनामे की तरह उद्योगों को न चलावें। मुनीम की तरह वे काम करने वाले होने चाहिये। मुनीम जो कुछ काम करता है, उसके ऊपर जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, और उसको अधिकार भी होते हैं। आप जवाबदारी दीजिये, जिम्मेदारी डालियेगा उनके ऊपर और उनका पूरे अधिकार दीजिये कि जो काम वे करेंगे, उसी के हिसाब से उनकी तरक्की को जायेगी! सीनियोरिटी, जूनियोरिटी से किसी को अप-डाऊन मत करिये। ऐसे आफिसरों को इन्सेन्टिव मिलना चाहिये, कि हम अच्छा काम करेंगे तो तरक्की होगी। अच्छा नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। उनकी जवाबदारी डालिये। आज एडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत है कि क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी तक कोई किसी बात के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सारे कागजों पर जमा खर्च होता है। इधर से उधर कागज दौड़ते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस किसी व्यक्ति को इस कुर्सी पर बिठावें वह काबिल हो, योग्य हो और उसको जिम्मेदार बना दीजिये। उसको इन्सेन्टिव दिया जाय तब आप अपने पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को चला सकते हैं। आज हमारे पब्लिक सेक्टर के उद्योगों में लाखों करोड़ों का घाटा हो रहा है। पब्लिक सेक्टर की इमेज बिगड़ रही है, उससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि इस तरह की मजाकें कब तक चलती रहेंगी। इस तरह से हम जो टैक्स देने वाले हैं उनका करोड़ों का नुकसान होता रहेगा। हमारी जनता गरीब भूखी, ऐसी की ऐसी रहेगी। अन्त में मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे इन कारखानों को, मन्त्री महोदय उद्योगों को इस ढंग से लेकर चलावें कि हमारे यहां के लोगों की गरीबी मिट सके, बेरोजगारी दूर हो सके। हम देखते हैं कि इन्जीनियर हजारों सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं। वे आज दर दर मारे फिर रहे हैं। कोई जगह उनके लिये नहीं है। जो डिप्लोमा प्राप्त स्टुडेंट निकलेंगे, वे थोड़े दिनों तक इधर उधर घूम कर देखेंगे कि उनकी अभिलाषा पर, सुख के मंसूबों पर पानी फिर गया है। हम चाहते हैं कि इन पढ़े लिखे इन्जिनीयरों

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

को रोजगार दिया जाय, पढ़े लिखों को अन्न दिया जाय, प्रेक्टिकल हैंडस् को खपाया जाय और आम जनता की बहबूदी बढ़े तो इसके लिये हमें उद्योगों को पनपाना होगा। राजस्थान से जो रॉ-मेंटेरियल बाहर जाता है, तो हमें राजस्थान को दूसरे राज्यों की कोलोनी नहीं बनाना है। हमारे रॉ-मेंटेरियल का माल हमारे यहां ही बनाया जाय। यह तो वही स्थिति है जो हजारों,सैंकड़ों वर्ष पहले जैसे हमारे यहां से कच्चा माल मैनचेस्टर, लंका शायर जाता था और वहां से पक्का माल हमारे यहां आता था। इसी तरह आज भी राजस्थान दूसरो जगहों की कोलोनी बन रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे रॉ-मेंटेरियल से दूसरे लोग हमारा शोषण करें। हमारे लोगों को, जनता को, और सरकार को आत्मसम्मान के साथ सोचना चाहिये। राजस्थान में काम करने वालों की कमी नहीं है, रॉ-मेंटेरियल की कमी नहीं है काम को जानने वालों की, सूझ बूझ वालों की कमी नहीं है। कमी है, लगन, परिश्रम और चेष्टा करने की। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप तन, मन से इस में लगें और लगन से काम करें तो राजस्थान की बहबूदी हो सकेगी। जिस ढंग से, जिस ढांचे से हम चलते आ रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। यह आसान नहीं है यह मैं मानती हूं। आपको दृष्टिकोण बदलना होगा, मैथड़ बदलने होंगे, पालिसी बदलनी होगी और नयी पालिसी आधुनिक विचारों के साथ, नये समाजवादी दृष्टिकोण के साथ आपको इन उद्योगों में फंसना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

एक माननीय सदस्य : एक-दो मिनिट के लिये मुझे समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में आपको अवसर मिल जायेगा। डॉ० साहब की तबियत ठीक नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की है, इसलिये उनको जल्दी मौका दिया जा रहा है।

श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी : (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हरेक प्राणी को वायु, जल और खाद्यान्न की जरूरत होती है और जल के ऊपर इम्पारटेंस दी जानी चाहिये। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग इसको पूरी तरह से नहीं समझता है। अगर इस काम को पूरी तरह से किया जाय तो जनता को राहत होगी और अगर पानी ठीक तरह से दिया जाय तो वह विभाग पूजा जायेगा और इज्जत की दृष्टि से उसको देखा जायगा।

अब मैं आपको जोधपुर की समस्या के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। मथानियां में पेय जल की स्कीम तीन साल से शुरू की गई थी। हजारों रुपया खर्च हो गया, मशीनें आ गईं लेकिन वहां से पानी नहीं दिया गया। मेरे प्रश्न पूछने पर जवाब मिला ४-५ महीने में पंपिंग सैट आयेगा और पानी दे दिया जायेगा। फिर कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे, आन्दोलन किया, उसकी वजह से जवाब आया, एक हफ्ते में स्कीम शुरू कर दी जायेगी। ताज्जुब होता है यह विभाग आन्दोलन के सिवाय, स्ट्राइक के सिवाय बात नहीं मानता। यह सोचना

(श्री ओमदत्त भाटी)

होगा कि यह समस्या कितनी बुरी है कि बगैर आन्दोलन काम नहीं होता है।

दूसरा मैंने अभी प्रश्न पूछा, पानी के बिल के भुगतान के बारे में। १९६० का भुगतान करवा रहे हैं। अब आप सोचें कोई ८—१० साल पुराना बिल को रखेगा ? यह गलत हो रहा है। और जनता इससे परेशान है। लोग डबल पेमेन्ट क्यों करें ? जवाब में कहा है कि यह बकाया १५०० में है और करीब दो लाख की रकम है। ताज्जुब होता है यह देखा नहीं गया कि यह गलती किसके द्वारा हुई है। यह स्टाफ की गलती है। परन्तु स्टाफ को आप कुछ नहीं कहते हैं। आप उनके पीछे अपने ऊपर बुराई लेना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कर्मचारियों से सख्ती से काम लें और और इस बिल का भुगतान जनता से नहीं लिया जावे।

तीसरी बात में मण्डौर पेय जल योजना के बारे में कहूँगा। इलेक्शन के दौरान सन् ६७ में करीबन ५ लाख रुपया खर्च करके चांदपोल से १०" की पाइप लाइन मन्डौर तक लायी गयी है। वहां पानी की जरूरत नहीं है, यह मैं नहीं कहता हूँ। पानी की वहां बहुत जरुरत है। वहां पर कुए सूखे हैं। तीन टंकियां वहां बनाई गई हैं। दुःख के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय कि तीन साल में ही इन तीनों टंकियों से एक बूंद पानी नहीं मिला है।

तो यह ताज्जुब की बात है कि पांच लाख रुपया भी खर्च किया गया पानी की यदि कमी थी जोधपुर में तो यह दस इन्च का पाइप क्यों लगाया गया ?

तीसरा खानियां में १९६२ में दस उपभोक्ताओं ने पैसे जमा कराये लेकिन अभी तक किसी को पाइप लाइन का कनेक्शन नहीं दिया। एक महिने पहले पांच छः को दिया गया लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया।

खेमे के कुए के गांव में पानी की बड़ी कठिनाई है। यहाँ पर १५० घर हैं जिसमें से करीब ७५ Private connection लेने को तैयार हैं। कृपया इसको पानी देने के लिए जल्दी विचार करें।

तीसरा फिदूसर देवरिया खानों पर जहां पर करीब १५ हजार मजदूर काम करते हैं जो नगरपालिका क्षेत्र में है। वहाँ जांच करवाई गई वहाँ पर कोई पानी का इन्तजाम नहीं किया गया है।

एक आपने पानी के मिनिमम चार्जेज का आइटम भी रखा है। मेरे खयाल में यह ठीक नहीं है। हरेक को मीटर लगाना चाहिए मीटर बगैर कनेक्शन देते हैं ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि विभाग अपने मित्रों को, दोस्तों को कुछ फायदा पहुंचाने के लिए यह मिनिमम चार्जेज लगाता है वे जब बीस रुपये का पानी काम में लेते हैं और उनसे मिनिमम चार्जेज लिये जाते हैं। इस आइटम को हटा देना चाहिये। मीटर हर कनेक्शन लेने वाले के लगाने का आदेश होना चाहिये ताकि गलती न हो।

जोधपुर बढ़ता हुआ शहर है इसके

(श्री ओमदत्त भाटी)

भूतपूर्व महाराजा श्री उम्मेदसिंह जी बीस पच्चीस वर्ष पहले एक कैनाल लाये थे। जवाई बान्ध से उस समय तो पानी की खपत उतनी ही थी लेकिन अब बीस साल में शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है, शहर बोर्डर के पास है कुछ इण्डस्ट्रीज भी खुली हैं इसलिये इस शहर की पानी की समस्या का समाधान के लिये एक योजना बनाने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि तीन चार साल में शुरू हो रही है लेकिन अब भी वहां पानी की किल्लत है इसलिये इस ओर कदम उठाया जाना चाहिये। पानी की गत वर्ष भी कठिनाई थी, महकमा नहर ने इसके लिये कोई कदम नहीं उठाया। इस वास्ते भविष्य में तकलीफ न हो मेरी रिक्वेस्ट है इस योजना को जल्दी से जल्दी बनाया जाय।

जोधपुर में सात-आठ तालाब हैं गुलाब सागर बच्चा फतहसागर में पानी भरा हुआ रहता है। उस पानी को फिल्टर करके काम में लाना चाहिये ताकि जनता को पानी का कष्ट न रहे।

इसके अलावा सुपरविजन की बहुत कमी है पानी का लीकेज ज्यादा होता है। सुपरविजन को टाइट किया जाय। जोधपुर में पानी की कमी के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मांग संख्या १७, जन-स्वास्थ्य पर दो कटौती प्रस्ताव है गांव बांसखां व पृथ्वीपुरा (तहसील बस्सी) में पीने का पानी की चर्चा के लिए और दूसरा गांव गोनेर तहसील सांगानेर में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिए है इस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

गांव बांसखां में पानी की कमी होने से वहां के निवासियों को परेशानी है। इसलिए मैं समझता हूं कि नल योजना का कार्यक्रम हाथ में लिया जाय तो काम अच्छा हो, वहां पानी बहुत नीचे है। वहां हाई स्कूल भी खोल दिया गया है। उदाहरण के लिए निवेदन करूं वहां पीने के पानी के लिए कोली समाज ने कुआ बनवाया है, उसको गहरा भी किया गया फिर भी पानी की कमी है। इसकी वजह है कि वहां नीचे पत्थर आ गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार वहां पर पत्थर तोड़ने की मशीन भेजकर नीचे के पत्थर तुड़वा दिये जायं तो समस्या हल हो सकती है। आर्थिक सहायता देकर यह काम करवाया जाय। कोली समाज के पास पीने के पानी का दूसरा साधन नहीं है।

दूसरा पृथ्वीपुरा में कोली समाज को करीब दो मील से पानी लाना पड़ता है। उसके लिए कुआ भी खोदा है, वहां भी पत्थर निकले हैं। वहां के निवासी भी एक एक मील दूर से पानी लाते हैं इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ सरकार मशीन भेजकर पत्थर तुड़वा दे तो उनकी समस्या हल हो सकती है।

तहसील सांगानेर में बड़ा गांव गोनेर की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वहां सिर्फ एक पानी का कुआ है, तालाब के किनारे पानी भी काफी है। वहां

(श्री कन्हैयालाल)

एस० टी० सी० का ट्रेनिंग स्कूल है पहले पानी टंकी में पहुँचाया जाता है। उस पानी का उपयोग एस० टी० सी० वाले पीने के लिए करते हैं गांव को वह पानी नहीं दिया जाता है। वहां पर बड़ी टंकी बना दी जाय उसमें पानी चला जायगा तो गांव वाले भी उसका उपयोग कर सकते है और वह पानी सारे गांव को सप्लाई हो सकता है। क्योंकि गांव के अन्य कूओं में पानी खारा है, गर्मियों में पानी सूख जाता है इसलिए पानी के लिए जनता परेशान है। गोनेर में हर साल जगदीश जी महाराज का साल में दो बार मेला लगता है। प्रान्त के हर हिस्से के लोग दूर दूर से वहां आते हैं उनको पानी की दिक्कत रहती है। उस समय पानी की कमी हो जाती है तो गांव वालों को साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी होती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं परबतसर तहसील में पानी की जो कमी है उससे वहां की जनता को जो तकलीफ है उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर एक तालाब है उस पर बीस वर्षों में खुदाई का काम नहीं हुआ। परबतसर में जो पशु मेला होता है वह एशिया में सबसे बड़ा होता है उससे सरकार को दस लाख की आमदनी हर साल होती है। इतनी आमदनी होते हुए भी पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं है। न वाटर सप्लाई का बन्दोबस्त है और न उसके लाने के बारे में कोई योजना है। परबतसर में जो मेला होता है उन दिनों पशुओं के लिए और मेले के लिए पन्द्रह हजार रुपये का पानी बाहर से लाना पड़ता है। इस पर गवर्नमेंट का काफी खर्च होता है। खर्च की वजह से जो व्यापारी लोग आते हैं उनको बड़ी तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। और यहां तक वे तकलीफ सहते हैं कि बाहर से दूर दूर से पानी लाना पड़ता है पीने के लिये। इसलिए यह प्रार्थना करूंगा कि वहां पर पीने के पानी की सुविधा कराई जाय और नल योजना जो पहले वहां पर थी, वह क्यों उठाई गई? मैं फिर भी यह अनुरोध करूंगा कि वहां पानी का प्रबन्ध किया जाय। सरकार इतना रुपया खर्च करती है। अजमेर में नल योजना का काम शुरू किया था। तीन करोड़ रुपया खर्च किया। फिर भी हरीजन बस्तियों में शिड्यूल्ड कास्ट् की बस्तियों में पानी आज भी नहीं पहुंचाया गया है। यहाँ पर मिनिस्टर लोग डींग हांकते हैं कि पानी का बन्दोबस्त कर दिया है। पर वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और मजदूरों की बस्तियों में पानी का बन्दोबस्त नहीं हुआ है। पी० डब्लू०डी वालों से हम भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ पानी का प्रबन्ध क्यों नहीं करते हो तो वे कहते हैं नगरपालिका वाले जमीन नहीं देते हैं। हमसे दस हजार मांगते हैं जमीन का।

एक ओर पानी पहुंचाने के लिए एक योजना पर एक करोड़ रुपया खर्च हुआ था। पर पानी वहां अभी तक नहीं पहुंचा है। वहां पर कोई ऐसा पानी न होने की वजह

(श्री परसराम गंगाराम)

से कुए सूख गये हैं, और शिड्यूड कास्ट्स की बस्तियों में पानी का प्रबन्ध नहीं है।

इसलिये भीखाभाई मन्त्री साहब से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर पानी की समस्या जल्दी से जल्दी हल करें। गर्मी का मौसम आ रहा है, कुओं में पानी नहीं रहता, लोग रात को एक दो बजे उठकर पानी लाते हैं।

नागौर डिस्ट्रिक्ट में पानी का बहुत अभाव है। वहां भी प्रयत्न करें।

उद्योगों के बारे में अर्ज करूं। चर्म उद्योग की ओर सरकार ध्यान नहीं देती। देखने में तो यह छोटा उद्योग है, पर लाखों का काम इसमें होता है। आजकल बिजली का प्रचार होने से और कुओं पर बिजली आ जाने से चड़स का काम ठप्प हो गया है। गांव गांव में जो चड़सों का लघु उद्योग था वह समाप्त प्रायः हो गया है। आज तो बाटा कम्पनी अपना काम करती है जूतों में। यहां से कच्चा चमड़े का माल राजस्थान से बाहर जाता है और वहां पर रंगाई होकर वापिस वही माल यहां पर सात आठ रुपया किलो पर बिकता है। इससे हमारे चर्म उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। क्यों नहीं चर्म का एक ऐसा ही बड़ा उद्योग यहां पर स्थापित किया जाय। टेनरी यहीं खोल दी जाय जिससे काफी इसमें लोग लग सकें, राजस्थान में काफी अच्छे कुशल कारीगर इसके जानकार हैं। इस उद्योग में काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है।

चप्पल की मण्डी यहां अजमेर, जयपुर, जोधपुर साईड में मिलेगी जो चप्पल एक्सपर्ट्स यहां होते हैं उनका बनाया माल जर्मन, रशिया आदि बाहरी मुल्कों में जाता है और काफी धन कमाया जाता है। अगर यही उद्योग यहां राजस्थान में ही लगा दिया जाय तो काफी आमदनी राजस्थान में हो सकती है। इसके लिए एक बड़ी फेक्टरी यहां लगाई जा सकती है। यहां आदमी और कुशल कारीगर भी काफी हैं। ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि की तरफ अपनी चप्पलें भेजते हैं और वहां जाते भी हैं।

इसी तरह लोहा का उद्योग यहां पनप सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर यहां इसके मिल जावेंगे। इससे भी काफी पैसा पैदा किया जा सकता है।

जूतियां बनाने वाले बीकानेर, मारवाड़ साइड में बहुत हैं, यहां जयपुर में भी अच्छे कारीगर हैं। ये देश में मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली आदि नगरों को जाती हैं। इस नमूने की जूतियों का बड़े स्केल पर यहां कारखाना लगा दिया जाय तो काफी धन इकट्ठा हो सकता है और बेरोजगारी भी मिट सकती है।

मैं हमारे उद्योग मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि चर्म उद्योग की तरफ वे ध्यान दें। सहकारी संस्थाओं को, और व्यक्तिगत तौर से भी लोगों को इसके लिए लोन दें। इसके लिये डाइरेक्टर साहब के दफ्तर में जो अधिकारी इसके हों वे स्वयं व्यापार के एक्सपर्ट होने चाहिये और जानकार व्यक्तियों को इस महकमे में रखना चाहिए। यह छोटा महकमा नहीं है फिर जो लोग इसमें आते

(श्री परसराम गंगाराम)

हैं कुछ समझने लगते हैं कि साल दो साल बाद उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इसलिए डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट पर किसी अनुभवी व्यक्ति को आप रक्खें।

जूतियां और चप्पलें आदि जो स्थानीय लोग बनाते हैं वे उनको बेचने के लिये लेकर जब मेलों में जाते हैं तो टैक्स वगैरह की बड़ी दिक्कतें उनके सामने आती हैं। यह एक लघु उद्योग है। टैक्स वाले सताते है। तो इसके लिए कोई मार्केटिंग सोसायटी सरीखी संस्था कायम करने पर सरकार विचार करे ताकि इनकी ये कठिनाइयां दूर हों, बल्कि उनको प्रोत्साहन मिले और उनकी मेहनत का पैसा उनको समय पर आसानी से मिल जावे।

मैं ज्यादा न कहकर इतना ही निवेदन करूंगा कि इन उद्योगों के लिए आप ध्यान दें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सिलसिले में जो बहस चल रही है उस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा। हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका बजट दो ढाई लाख से चलकर आज १४ लाख तक पहुंच गया है। इनमें कुछ कारीगरों को प्रशिक्षण मिला है वहां नये यूनिट भी आए हैं लेकिन सरकार की ओर से बराबर इन परियोजनाओं का दर्जा कम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के प्रोजेक्ट आफिसर का दर्जा पहले डिप्टी डाइरेक्टर का था, और जिस रफ्तार से काम बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से वहां का काम और खर्चा भी बढ़ रहा है उसको देखते हुए ज्यादा जिम्मेदार अधिकारी को उस प्रोजेक्ट का कन्ट्रोल सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर का पद उल्टा अगले वर्ष में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद का डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद इन प्रोजेक्ट्स में जो असल में मकसद था नान-आफिसियल को चेयरमैन बनाने का था तो वह न कर के इसको कलेक्टर का एक सेल बना दिया है और प्रोजेक्ट आफिसर डिप्टी डाइरेक्टर के पद से असिस्टेन्ट डाइरेक्टर का पद बनाया गया और अब इसे जिला स्तर पर रख दिया गया है। इसका मैं विरोध करता हूं।

जो प्रशिक्षण केन्द्र इन परियोजनाओं में चलते थे उससे आर्टिजन को काफी राहत मिली थी। पर आज तो ऐसी स्थिति है कि इन दोनों प्रोजेक्टों में केवल एक प्रशिक्षण केन्द्र मूंज और मुड्डे बनाने का रह गया है। बाकी सब बन्द कर दिये हैं। उद्योग मंत्रालय व उद्योग विभाग कुशल हाथों में आया है तो मैं तो यह उम्मीद करके चल रहा था इन परियोजनाओं को बल मिलेगा और इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। पर वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई। यही हाल इसके अन्तर्गत चलाये जाने वाले बहुत ही उपयोगी प्रशिक्षण केन्द्रों का है। चूरू परियोजना में वहां की आवश्यकताको देखते हुए ऊनी वस्त्र उद्योगों में लगे हुये लोगों को राहत पहुँचाने के लिये एक मील

(श्री मेघराज पंवार)

बनी, ऊन का वहां काफी अच्छा स्कोप है। कुछ संस्थाएं खादी बोर्ड की भी हैं जो ऊन का धन्धा करती हैं। उनको दिक्कतें थीं, उनका जितना माल उत्पादित होता था उसे अमृतसर में लेजाकर प्रोसेसिंग और फिनिशिंग करवाते थे। उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छोटे आर्टीजन्स आनी उत्पादित वस्तु का वहीं फिनिश करवा सकें इसके लिए एक सेन्टर की वहां शुरुआत की गई थी। उसकी मशीनरी में ४०–५० हजार रुपया खरीदने में खर्च किया गया लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो साल तक बराबर वह मशीन ठप्प पड़ी रही। उसका इन्सपैक्टर चला गया, स्टाफ चला गया लेकिन एक सवाल को तय नहीं किया गया। उसमें बिजली का कनैक्शन नहीं दिया गया और दो साल तक उसमें इन्वेस्टेड पैसा बेकार रहा और लगे स्टाफ को, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ी। इसके थोड़े दिन बाद यह केन्द्र चालू किया गया। इसको साल या सवा साल ही हुआ होगा कुछ मशीनों पर काम भी शुरू नहीं हुआ था और वह सेन्टर बन्द कर दिया गया और उसके सारे सामान को नीलामी द्वारा बिक्री का आदेश दे दिया गया। आखिर इन योजनाओं के पीछे कुछ मकसद होते हैं और उद्देश्य होते हैं, खर्चा भी होता है और बिना सोचे समझे ही ऐसी उपयोगी योजनाओं को बन्द कर देने में बहुत नुकसान होता है। इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे जिले में सुजानगढ कस्बे में एक बुनकर बस्ती का निर्माण किया गया था इसमें २ लाख रुपये की लागत थी और करीब करीब यह काम पूरा हुआ। इसके साथ में वहाँ की बस्ती को बनाने वाले जिम्मेदार आदमियों और उद्योग विभाग के उस समय के अधिकारियों की सांठगांठ से बड़े घोटाले हुए और उसका काम बन्द हो गया और ७ साल से वह बराबर बन्द पड़ा है। लाखों रुपयों का ढेर हो गया और उसका एक पैसा भी उपयोग में नहीं आया। मैं यह कहूँ कि एक दर्जन से भी ज्यादा डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर ने उस काम को देखा है। आज उसके पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर, उसके किवाड़ और चौखटों को हटाकर लोग ले जा रहे हैं। उनका कोई धनी नहीं है। न तो कोई धनी है और न वह लोग हैं जिन्होंने इसको बनाने की जिम्मेदारी ली थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उसका कोई सदुपयोग करवायेंगे।

इसके अतिरिक्त नागौर में भी एक लोहे के औजार बनाने के धंधे में लगे हुए लोगों को फैसेलिटीज देने के लिए एक योजना बनी थी वह औजार जो वहां बनते हैं फोरेन कन्ट्रीज में जाते हैं। वहां की मार्केट में उनकी अच्छी सफाई नहीं होती है। इसलिए वह कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इस जरूरत को महसूस करते हुए एक हीट ट्रीटमेन्ट का प्लान्ट लगाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत कुछ स्टाफ भी रखा गया मगर काम शुरू नहीं किया गया और १।। वर्ष के बाद तक उन मशीनों के बक्से खुले ही नहीं और वह यों के यों इधर उधर डिस्पोज-आफ कर दिये गए।

(श्री मेघराज पंवार)

इस तरह से ऐसी उपयोगी योजनाओं को उनके शुरू होने से पहले ही उनको बन्द कर देने का क्या तात्पर्य है। आखिर इन योजनाओं को शुरू करने में पैसा खर्च होता है। इनके नतीजे देखने चाहिये। मैं यही निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदार म।

श्री बिरदाराम (जालोर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह निवेदन है कि योजनायें बनें। हमारे राजस्थान में उद्योगों में कोटा नहीं मिलने से यहां के उद्योगपति दूसरे दूसरे प्रान्तों में जाकर अपना उद्योग खोलते हैं। तो वहां से वह पैसा कमाते है और वहां पर भाषा का और प्रान्त का झगडा होता है। मैं भी वैसे बिलासपुर साइड रायपुर मध्यप्रदेश में खुद गया तो वहां के लोग यह कहते हैं कि यह ×मारवाडी और पंजाबी हम लोगों को लूटकर खा गये।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज्ड।

श्री बिरदाराम : आप देख लें बंगाल में और आसाम में मारवाड़ियों की क्या हालत है। हम चाहते है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुलने चाहिए। एक हमारा यह निवेदन है कि ट्यूब वेल के बारे में वहां पर मशीनें लगें और बिजली भी लगाई जाये। साथ में गवर्नमेन्ट को सोचना चाहिये कि ट्यूब वेल से कितने एकड़ सिंचाई हो सकती है। यह सरकार ने कभी सोचा है? दूसरा यह निवेदन है कि एक चमड़े का काम राजस्थान में रहने वाले गरीब लोग करते हैं। मैंने देखा है कि टैक्स लगा दिया है कच्चे चमड़े पर। वित्त मंत्री जी ने तो नहीं लगाया लेकिन आपके आफिसर्स तंग करते हैं। यह ३ परसेन्ट करते हैं। चमड़ा बाहर से आये तो १ परसेन्ट केन्द्रीय सरकार लेती है और २ परसेन्ट जहां से आता है वहां की सरकार लेती है। चमड़ा ज्यादातर बाहर से आता है। मैं यही निवेदन करूँगा कि हाथ से उद्योग करने वालों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिये और कच्चे चमड़े के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो कच्चा चमड़ा बनाते हैं और बेचते हैं तो उससे टैक्स किस बात का? प्रेस्ड सोल जो हैं वह कानपुर से आते हैं, मद्रास और बम्बई से आते हैं और वहां से टैक्स लगता है। बड़े व्यापारी हैं वह भी टैक्स देते हैं लेकिन हाथ से उद्योग करे तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

भीनमाल में एक जनरेटर पड़ा है उसको क्यों नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा तालाब में पानी नहीं है। वहां पर साल में दो मेले लगते हैं। अगर तालाब में पानी हो तो वह पशुओं के पीने के भी काम आ सकता है। जालोर में भी जवाहर नदी से जालोर तालाब में नहर लाने की स्कीम है तो उसको जल्दी से जल्दी मन्जूर कर दें तो यह बड़ी कृपा होगी।

समाज कल्याण में भी जो पैसा भीनमाल तहसील के लिए मांगा था वह भी पूरा नहीं दिया। एक हमने यह सुना है कि यह बड़ी अजीब सी बात है कि आज से १७

×अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गए

(श्री बिरदाराम)

साले पहले एक बापू बाजार बना था और वहां उस जगह पर एक रेगर रहता था उससे उसकी जमीन ली गई और उसको मुआवजा नहीं मिला।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

(म० प० २.२९)

उस रेगर को आज तक कुछ नहीं मिला है। उसने सरकार पर अपील भी की और वह जीत गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह रेगर आज १७ साल हो गया! उसकी कितनी कीमती जमीन बापू बाजार में ले ली। तो उसका सरकार की तरफ से मुझे उत्तर मिलना चाहिए। यह निवेदन है।

श्री गंगासहाय : सभापति महोदया...

श्रीमती सभानेत्री : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, मैंने जनस्वास्थ्य, उद्योग और वैज्ञानिक विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में मैं सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहिले पहले मैं जन-स्वास्थ्य को लेता हूं। भारत की आजादी प्राप्त करने के बाद में २१ साल होने आये हैं परन्तु हमने इस जल-समस्या को हल करने के लिए जो उदास नीति अपनाई है जिसका नतीजा यह हुआ है कि इस अकाल में हमें भयंकर जल-कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में इस समय जो जल-कष्ट की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है और विशेष रूप से जहां पर पानी खारा है वहां की स्थिति बड़ी भयंकर रूप धारण कर रही है, लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है। मैं २८-२९ जनवरी को मेरे क्षेत्र में गया, और मैंने वहां पर पाया कि उन गांवों में खारा पानी पीने और अपौष्टिक भोजन के करने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। मैं उन गांवों के नाम आपको बतलाना चाहता हूं और मैं विशेष रूप से इसलिए बतलाना चाहता हूं कि उन गांवों के बारे में जो समिति अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा द्वारा कानासर और काश्मीर गांवों के बारे में बनाई गई है वह उन गांवों के साथ-साथ उन गांवों में भी जाकर देखे कि किस प्रकार से खारा पानी पीने से और अपौष्टिक भोजन के करने से किस प्रकार लोगों का स्वास्थ्य दिनोंदिन गिरता जा रहा है। उनमें भयंकर बीमारियां हुई हैं उल्टी और दस्तों के कारण और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन गांवों में जाकर देखें। पहले पहल हीरा की ढ़ाणी, कंसूबला, रवाऊ मूलराज, सव ऊ पदम सिंह खोकसर रतेऊ, कानासर और उसके बाद काश्मीर जिसका नाम पहले ही कह दिया है। वह कमेटी उन गांवों में घूमने के लिए जा रही है। इन गांवों में भी बहुत मृत्यु हुई हैं इन रोगों के कारण, और यह विशेषकर खारे पानी के कारण स्थिति पैदा हुई है। डाक्टर्स भी गये हैं वहां और उन्होंने भी देखा और वे भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खारा पानी पीने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उसके बाद में जिला प्रशासन ने कुछ कदम उठाये हैं। उन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की है। यह एक अच्छा कदम उठाया है। परन्तु बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की भयंकर समस्या है। जहां खारा पानी है उन गांवों में पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। उन गांवों के नाम मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ —(१) भादरेश, (२) भुरटिया, (३) केसरीया यहां पर विशेषकर जल्दी से जल्दी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यहां ट्रकों द्वारा पानी पहुँचाने की आवश्यकता है। (४) सोनड़ी, (५) चूली, (६) कवास-कानोड, (७) पनावड़ा, (८) खीमसर, (९) रतंऊ जाजवा शहर वगैरह इन गांवों में अभी तक भी पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है, और जो बीमारियां उन गांवों में गई हैं वे संक्रामक रूप धारण कर रही हैं वे इन गांवों में भी आ सकती है और उसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। हमें इसके बारे में पहले से कदम उठाना चाहिए।

खास तौर से इस सम्बन्ध में जो सरकार इस साल कदम उठा रही है वह कदम अच्छे हैं। पहले जो योजनाओं के बारे में जो कदम उन्होंने उठाया था और ५०७ करोड़ खर्च हुए। उन योजनाओं में पहले १७,९४,९४,००० रुपये जो खर्च हुए हैं। ये सब नगरीय और ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं में खर्च हुए हैं। ५०७ करोड़ रुपये जो खर्च हुए हैं उसका दो सही दो बटा तीन पर्सेन्ट नगरीय जल-योजनाओं पर खर्च हुए हैं और ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं पर उससे कम खर्च हुए हैं नगरीय जल-प्रदाय योजनाओं पर ११,४६,५६,००० और ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं पर ६,४७,९६,००० रुपये खर्च हुए। इससे भी यह मालूम होता है कि गांवों की आबादी १ करोड़ ६८ लाख है यानी ८४–३ प्रतिशत है उसके लिए बहुत ही कम खर्च किया गया है और शहरों की आबादी जो ३३ लाख है वहां पर ज्यादा खर्च किया गया है, और रेगिस्तानी क्षेत्र में तो बहुत ही कम खर्च किया गया है। नगरीय और शहरी जल-प्रदाय योजना में २ $\frac{2}{3}$ पर्सेन्ट और ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं पर १/१।३ प्रतिशत खर्च किया गया है। अब ६९–७० के बजट में ४९.६० करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें ३ करोड़ १५ लाख रुपये ग्रामीण जल योजनाओं में खर्च किया जायेगा यानी ६ पर्सेन्ट ग्रामीण जल-प्रदाय योजना पर खर्च किया जायेगा। यह अच्छा कदम है और चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनी सरकार २५ करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। यह भी कदम उचित है, इसकी मैं सराहना करता हूँ।

मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्र में ट्यूब वैल्स का काम हाथ में लिया, परन्तु मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां खारे पानी की पट्टी है जहां खारा पानी है कुओं में है वहां पर टांके खोदने होंगे, रिजरवायर खोदने होंगे, क्योंकि गांवों में पाइप्स के जरिये सब जगहों पर पानी नहीं पहुँचाया जा सकता है और उन जगहों पर जहां खारा पानी है उन जगहों पर टांके बनाना आवश्यक है, क्योंकि जब बरसात अगर होती है तो टांके में पानी भर जाता है तो गर्मियों के दिनों में वह पानी काम में आ जाता है। अगर बरसात नहीं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

होती है तो ट्यूब वैल्स से इन टांकों में ट्रकों द्वारा लाकर पानी स्टोर किया जा सकता है। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि ट्यूब वैल्स से ट्रकों के द्वारा पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, परन्तु स्टोर कहां किया जाय वह प्रश्न पैदा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल संकट के समय टांके स्टोर करने के काम आ जायं और बरसात के समय में पानी इकट्ठा हो, तो यह पानी मीठा पानी होगा और उन लोगों को पीने को पानी मिल जाय। इसलिए यह जन-स्वास्थ्य विभाग को प्रोवीजन करना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि ५०० टांकों की व्यवस्था रेगिस्तानी क्षेत्र में करना चाहिए और ५०० टांकों का १५ हजार प्रति टांके के हिसाब से ७५ लाख रुपये इन टांकों के वास्ते प्रावधान रखना चाहिए।

मैंने विशेष तौर से देखा है कि वहाँ पर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोगों के सामने जल-कष्ट की बड़ी भयंकर समस्या है और आज की स्थिति में तो बहुत ही भयंकर समस्या है। उनके लिए पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए इन्डिविजुअल टांकों की व्यवस्था की जाय। इसमें एक टांके के लिए १५०० रुपये खर्च होते हैं। यह मैंने बहुत अच्छी तरह से हिसाब कर लिया है। उनको १५०० रुपये उधार दिये जायं और १० किश्तों में वसूल कर लिये जायं। अगर सरकार सबसिडी के रूप में कुछ अंश उन्हें दे सके तो बहुत अच्छा है। इन्डिविजुअल टांके अगर अनुसूचित जन-जातियों के लिए बनाये जायं तो उनको घरों पर पीने का पानी मिल जायगा। जो जाट किसान हैं या कलबी किसान हैं या दूसरे किसान हैं जिनकी स्थिति ठीक है वे इन्डिविजुअल टांके बना सकते है परन्तु ये लोग टांके नहीं बना सकते। उनको मीठा पानी मिले और घरों पर पानी मिले इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यह व्यवस्था करें कि इनको १५०० रुपये टांकों के लिए उधार दिये जायं। इस प्रकार से २५ लाख की व्यवस्था इसके लिए करें। इस प्रकार से एक करोड़ रुपयों की टांकों के लिए व्यवस्था करें।

रीजनल स्कीम्स के लिए ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई हैं रीजनल स्कीम बहुत अच्छी है। इसलिए ८५ लाख और बढ़ा दें। इस प्रकार ५ करोड़ की व्यवस्था करें तो टांकों का निर्माण कर सकेंगे। इण्डीवीजुअल टांकों का भी निर्माण भी आप करा सकेंगे और रीजनल स्कीम के अन्तर्गत ज्यादा काम हाथ में ले सकेंगे। ऊडी से लेकर वाहेतू तक जितने गांव पड़ते हैं सब गांवों की जनता को पानी का भयंकर जल कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए स्थायी हल करना पड़ेगा। आप अगर यह कहें कि इसके लिए ज्यादा खर्चा है तो इस तरह करने से चल नहीं सकता है। इस प्रकार की योजना लेनी पड़ेगी। बाहेतू पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं विशेष रूप से इस बात पर ...

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा ही समय और चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : बात यह है कि १०--१० मिनट का समय दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : ये तो वैसे ही बहुत दबे हुए हैं।

श्री हंसराज आर्य : पानी की व्यवस्था के लिए सुन तो लें।

श्री वृद्धिचंद जैन : ऊँडू से बाहेतू तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां मनुष्य पशुजीवन व्यतीत करते हैं। यह प्रजा तन्त्र में नहीं होना चाहिए। अब मैं विशेष तौर से इस बात पर आता हूँ कि दूसरी मांग जो है उसके बारे में मैं थोड़े से विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वैज्ञानिक मांग है। राकफास्फेट हमारे यहां बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में उपलब्ध हो रहा है। जैसा कि उदयपुर में भी उपलब्ध हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि बाड़मेर में एक्सप्लाईटेशन करना चाहिए। जिससे वहां काम बढ़ेगा। मजदूरों को मजदूरी मिल सकेगी। यह भी हमारा कहना है।

दूसरा मेरा यह कहना है कि इण्डियन आइल नेचुरल गैस कमीशन जैसलमेर जिले में गैस की प्राप्ति के लिए जो कोशिश कर रहा है, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि ४-५ साल से कोशिश की जा रही है। पहले एक फ्रांस की कम्पनी काम कर रही थी। इसके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए और अगर गैस अवेलेबिल होती है तो जैसा सऊदी अरब में विकास हुआ है तो यह क्षेत्र भी बहुत विकसित हो जाएगा। इसलिए आपको यह कदम उठाना चाहिए। इसके बारे में भी विशेष दिलचस्पी लेकर इस कार्य की गतिविधि बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे मैं जो विशेष तौर से बाड़मेर में वहां के विशेष उद्योग धन्धे हैं, रंगाई और छपाई के, वह मृत प्राय हो रहे हैं। पहले जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान नहीं था तो यह धन्धा चल रहा था। पाकिस्तान के लोग इस कपड़े का उपयोग करते थे। अब उस धन्धे में उन्होंने और तरक्की की है। कर्टेन भी बनाने लगे हैं। टेबिल क्लाथ और पलंग पोश भी बनाने लगे हैं। उन को और अधिक प्रशिक्षित करना चाहिए। इस धन्धे पर करीब १ हजार घर निर्भर है। इस धन्धे की भी आप प्रगति करिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री डूंगाराम !

श्री रामकिशन : सभापति महोदया,

श्रीमती सभानेत्री : श्री डूंगाराम !

विरोधी सदस्यों द्वारा धरने की घोषणा

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, मुझे बोलना नहीं है। एक बात के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

सभापति महोदया, कल इस सदन में बेरी आयोग के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी।

(श्री रामकिशन)

चर्चा के समय माननीय सतीशचन्द्र जी ने जो एलान किया था। उस एलान में दो बातें कही थीं। वह थीं धरना और भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में सभी विरोधी दलों की सलाह पर उन्होंने यह निश्चय स्थगित कर दिया था। सरकार को २४ घंटे का समय दिया गया था। अब तक राज्य सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। आया वह बेरी रिपोर्ट पर क्या करने जा रही है। बेरी आयोग के बारे में यहां काफी चर्चा हो चुकी है। इस समय हम विरोधी दल के लोग यह महसूस करते हैं कि सरकार, कुछ भी हो, इसका प्रजातन्त्री ढंग से गठन किया गया है और जिस आयोग का प्रजातन्त्री ढंग से गठन किया गया है, उस की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जा रही है। तो हम यह मानते हैं कि हमारा सदन में बैठना उपयोगी है या नहीं। इसलिए में एलान करता हूँ, अगर कल प्रश्नोत्तर के बाद भी राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया तो कल से विधान सभा के सामने सभी विरोधी दल धरना देंगे। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इसे गम्भीरता से लेकर हमारे निर्णय की ओर ध्यान देगी। मैं समय दे रहा हूँ। कल ११ बजे बाद हम इस पर अमल आरम्भ कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी जो भाई रामकिशन जी ने रखा है। हम सभी विरोधी दलों के लोगों ने मिलकर उनको यह निर्णय दिया है कि वह विधान सभा में घोषणा कर दें। हमारे सभी विरोधी दलों की ओर से यह निश्चय किया है। कल हम धरना देंगे। और आवश्यक हुआ तो और आगे कदम उठायेंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सभी विरोधी दल एक है। (विरोधी पक्ष की ओर से हर्ष ध्वनि) मिले हुए हैं। इस बात पर हम सरकार को मनवा कर ही छोड़ेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री रामकिशन जी ने और माननीय सदस्य श्री बद्रीप्रसाद जी ने जो भावना प्रकट की है, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि सरकार इस जूडीशियल फाइंडिंग बेरी कमीशन की है, उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, जनतन्त्री सिद्धान्तों के अनुसार जो जनता का अभिमत है, उसको अवहेलना करने को तैयार है। इस स्थिति में अगर सरकार इस विधान सभा को चलाना चाहती है तो यह एक तरह से मनमाने रूप से चलावे। इसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जितना विरोधी पक्ष के नाते जो हमको निवेदन करना था, सब निवेदन किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जो निवेदन करना था वह भी हमने किया है ऐसी स्थिति में दूसरा चारा नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि हम सदन का बहिष्कार करें और जो धरने का निर्णय विरोधी पक्षों द्वारा हुआ है, उसमें हम और हमारा दल साथ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, बेरी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यहां जो कुछ विचार सदन में व्यक्त किए गए, उसके बाद हम यह उम्मीद कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहे थे कि जो कुछ भी पीछे हुआ, सरकार कम से कम उनके निर्णय को स्वीकार करके उसको इम्पलीमेंट करेगी, और उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करके दोषी को सजा देगी। सभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बार-बार कहा, परन्तु सरकार की ओर से जो रुख अपनाया गया, सभापति महोदया, हम देखते हैं कि इस सवाल के साथ डेमोक्रसी का बहुत बुनियादी प्रश्न जुड़ा हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : पहले आपकी अभिव्यक्ति दी जा चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो निर्णय श्री रामकिशन जी ने सबकी ओर से बताया है उसमें मैं भी सहमत हूँ और हम कल से प्रश्नोत्तर काल के बाद इस धरने में शामिल होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना क्योंकि माननीय श्री रामकिशन जी ने जिस निर्णय की सूचना दी है वह हम सभी आपोजीशन पार्टीज के विधायकों की बैठक में विचार करने के बाद में हमने लिया है और हम सभी इस निर्णय के साथ में है, यह निर्णय हमें बहुत मजबूरी में लेना पड़ा है सरकार की हटधर्मी के कारण। ९ जनवरी को बेरी आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया, उस पर डेढ़ महीने तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और यहां तक कि प्रतिवेदन को प्रकाशित तक नहीं किया, और उसके बाद आज बीस मार्च हो गई, सदन में रिपोर्ट पेश हुए बाद आज २५ दिन और निकल गए। सदन में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया, केन्द्रिय सरकार ने, लोक सभा और राज्य सभा ने भी इस पर विचार किया और उसमें यह स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर अमल करें। उसके बाद मैंने परसों जब घोषणा की थी कि इस सम्बन्ध में मैं धरना करूंगा, उसके बाद सभी विरोधी दल के विधायकों ने यह निर्णय लिया है और उसकी वजह से मैंने अपना धरना स्थगित कर दिया। तो हमने सरकार को २४ घंटे का समय दिया है कि सरकार और गम्भीरता से इस पर विचार कर ले। हम इस बात के कोई शौकीन नहीं हैं कि धरने पर बैठा जाये, हमें मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। सरकार अगर लोकतांत्रिक तरीके से इस पर विचार नहीं कर रही है तो सरकार पर एक मॉरल प्रेशर लाने के लिए, उन पर नैतिक दबाव का यह कदम हमें उठाना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार अपनी हठधर्मी को छोड़ेगी और कल एक बजे से पहले ही बेरी आयोग की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने के लिए घोषणा करेगी। इलेक्टोरेट ने जो निर्णय इलेक्शन में दिया उसकी पवित्रता को तो आपने खत्म कर दिया और गोली चलाकर सरकार बनाई, और जब एक जुडिशियल वर्डिक्ट को भी ठोकर मार रहे हैं। इलेक्टोरेट की बात आप नहीं मानते, विपक्ष के विधायकों की बात को आप नहीं मानते और अब जुडीशियरी की बात को भी अगर आप नहीं मानते तो क्या लोकतन्त्र को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दफनाना चाहते हो? इस लिए हम जनता की भावना को प्रतिबिम्बित करते हुए यह कदम ले रहे हैं, किसी राजनीतिक भावना से हम यह कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार पर गुड सेन्स प्रिवेल करेगा और वे बेरी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे और उसको इम्पलीमेंट करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे, इस तरह की घोषणा वे कल करेंगे। बस मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदया, मैं समझता हूँ सदन को गरिमा को ध्यान में रखते हुए, सदन के प्रांगण को जिस काम में लेने की कोशिश माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह मैं समझता हूं यहां इस सदन के प्रांगण में नहीं होनी चाहिए। दोनों ओर के माननीय सदस्यों को जो कुछ भी कहना था उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिये, विचार-विमर्श हुआ। उसके बाद जो स्टेटमेंट माननीय होम मिनिस्टिर ने दिया और माननीय चीफ मिनिस्टर ने दिया, उसके बाद में समझता हूं सदन के प्रांगण को जिस काम में लेना चाहते हैं वह नहीं करना चाहिए। यह घरने की बात जो आप कर रहे हैं यह कहां तक उचित होगी, लोकतन्त्र के हित में कहां तक होगी, इसके बारे में मुझे शक है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे आपकी बातों पर शक है कि आप प्रजातन्त्र में विश्वास भी करते हैं या नहीं। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। अगर आप लोकतन्त्र को मानते होते तो हमें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन आप जानबूझ कर यह कह रहे हैं और हमको मजबूर कर रहे हैं इस कदम को उठाने के लिए। अगर राज्य सरकार का लोकतन्त्र में विश्वास होता....

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम देखते हैं कि इस प्रकार आप बेरी आयोग की फाइंडिंग्स को नहीं मानेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे। आप प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहते है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम।

अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु) : सभापति महोदया, सदन में आज तीन मांगों पर विचार हो रहा है, उनमें से दो पर मेरे कट मोशन्स है और मैं उनके संबंध मे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उद्योग के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। आज राजस्थान में जो औद्योगीकरण हो रहा है, वह नहीं के बराबर है। हर वर्ष डिमांडस आती हैं, हर साल बजट पेश होता है, लेकिन राज्य औद्योगीकरण के बारे में किसी प्रकार के कदम नहीं उठा रही है। कई माननीय सदस्य इस विषय पर, औद्योगीकरण के बारे में उद्योगों को पनपाने के बारे में, कई प्रकार के सुझाव सदन में प्रस्तुत करते हैं,

(डूंगाराम राजोरिया)

लेकिन राज्य सरकार अभी तक इस प्रकार से सोई हुई है। कम से कम राज्य सरकार को अपने दूसरे प्रदेशों को देखकर ही कुछ करना चाहिए, तो भी बहुत कुछ हो जाता। आज के युग में हम जिधर भी देखेंगे, दूसरे देशों को देखेंगे तो हमको नजर आयगा कि जो भी देश औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान देते हैं वही देश प्रगतिशील हैं और उस देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। उद्योग का इतना महत्व है।

श्री हरिदेव जोशी : थोड़ा माइक से दूर रहें आवाज साफ सुनाई नहीं देती।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उद्योग ही एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और साथ साथ देश में अनेक प्रकार की चीजें पैदा हो सकती हैं और उन चीजों को हम विदेशों को निर्यात करके अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकते है। खनिज पदार्थ जो हमारे यहां हैं, उनका भी अच्छा उपयोग हम औद्योगीकरण से कर सकते हैं और हमारे राजस्थान में जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदया, यह जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें कोई खास बात नहीं कही गई है। इसमें कहा है कि परामर्शदात्री परिषद बना ली है, बाकी जो गांवों के उद्योग हैं उन गांवों के उद्योग के विषय में केवल एक बात कही गई है कि हमने कुछ रुपया कुछ गांवों के औद्योगिकरण के लिये रखा है। लेकिन गांवों के औद्योगिकरण के लिए जो रूपरेखा रखी है उससे किस प्रकार औद्योगिकरण किया जायगा, गांवों में किस किस उद्योग को पनपाया जायगा, किन किन लोगों को उन उद्योगों में शामिल किया जाय—यह सब बातें राज्य सरकार ने इस प्रगति रिपोर्ट में क्यों नहीं बताई है? यह हमारे समझ में नहीं आया। तो मैं यह कहूंगा कि जितने भी पिछड़े हुए तबके हैं गांवों में, जो भूमि से वंचित हैं, जिनके पास किसी प्रकार का श्रम का साधन नहीं है, गांवों में केवल एकमात्र भूमि का साधन है, वह साधन उनके पास नहीं होने से धन्धे की तरफ से बिलकुल परेशान है। इसलिए गांवों के लिए जो आपने १४.८५ लाख रुपये का प्रावधान किया है, इस प्रावधान में से कुछ हिस्सा गांवों के पिछड़े हुए लोगों के लिए भी मिलना चाहिये। उन लोगों के छोटे धन्धों को पनपाने के लिए भी इसमें, यह जो रुपया गांवों के औद्योगिकरण के लिये रखा है, कुछ हिस्सा होना चाहिए। गांवों में जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे कि चमड़े का काम करने वाले हैं, जैसे बुनकर हैं, और कई प्रकार की श्रेणियों के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस रुपये का उपयोग होना चाहिए, न कि जैसा कि गये वर्षों में होता रहा है, जो भी गांवों को रुपया मिलता है वह बड़ी बडी कोमों के लोग ले लेते हैं। उस रुपये को औद्योगिकरण के नाम से लेकर चर्म, लुहार और बढ़ई के नाम से इधर उधर दे देते हैं, केवल नाम मात्र को उद्योग बता देते हैं, और जो उद्योग की सोसाइटी कायम की जाती हैं, उनमें दो चार आदमी ऐसे होते हैं जो सोसाइटी बना लेते हैं और बाकी कुछ लोगों के शेअर डाल लेते हैं और सरकार से रुपया लेने के बाद वह रुपया दो, चार, पांच

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

लोग खा जाते हैं। ऐसा काम नहीं होकर, यह जो गांव के औद्योगीकरण के लिए रुपया

(म० प्र० ३-००)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रखा है इसका सदुपयोग होना चाहिए।

इसके साथ ही दूसरी बात में यह निवेदन करूंगा कि शहरों में जो पिछड़ा हुआ तबका है। उस पिछड़े हुए तबके के लिए किसी प्रकार के उद्योग के सम्बन्ध में कोई राहत राज्य सरकार की ओर से आज तक नहीं दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में उन पिछड़े तबके के लोगों को, और जो भी उनके छोटे उद्योग हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए और सरकार सोचे जैसे दूसरे प्रदेशों में उद्योग पनपे हुए हैं उसी तरह यहां भी पनपावे, सरकार केवल मात्र का प्रचार ही नहीं करे कि उद्योगपति यहां आयें, उद्योगपतियों के लिए हमारे यहां राजस्थान में खुली छूट है, हम सब प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है। वैसे यह बात जो कही है यह भी ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा खास जोर इस पर रखें ताकि राजस्थान के जो प्रमुख शहर हैं, उनमें जो प्रमुख उद्योग हैं वह पनपें ताकि बेरोजगार लोगों को उनमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

जयपुर में जो उद्योग हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। जयपुर में मूर्तिकला का अजायबघर था, वहां मूर्ति कला का काम हुआ करता था। आज उसको बिलकुल बन्द सा कर दिया गया है और जो मूर्ति कला का काम था वह नष्ट हो गया है। अगर राज्य सरकार उस मूर्ति कला को कोई प्रोत्साहन देती, तो मैं जहां तक समझता हूं कि जयपुर के कई लोगों को इस मूर्ति कला में प्रोत्साहन मिल सकता और उनको रोजगार मिल सकता। बाकी इनको प्रोत्साहन न देकर इनको नष्ट करने वाली सरकार की नीति हो रही है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि यह सरकार इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सोने और चांदी के वर्क बना करते

थे। जयपुर में वह ऐसे बनते थे जो कि किसी जगह भी नहीं बनते हैं। जो यहां पर चांदी सोने के वरक बनते हैं, वह चांदी और सोने के बरक इस प्रकार के बनते हैं जो कि किसी जगह भी इस प्रकार के बरक नहीं बनते हैं। यह अच्छा उद्योग था और इस उद्योग में काफी लोग काम करा करते थे। बाकी जयपुर के इस उद्योग की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। आज इस उद्योग की ओर ध्यान दिया जाता तो मैं जहां तक समझता हूं पांच छः हजार आदमी इसमें काम करके अपनी रोजी कमा सकते थे। आज स्थिति यह हो रही है कि इस काम के लिए शुद्ध चांदी और शुद्ध सोना भी प्राप्त नहीं होता है। तो मैं उद्योग मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो मैंने यह उद्योग बताये हैं इनकी ओर सरकार ध्यान दें तो जयपुर के अन्दर काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मीनाकारी और जड़ाई के सम्बन्ध में। मीनाकारी और जड़ाई के लिए जयपुर राजस्थान में प्रसिद्ध था। मीनाकारी और जड़ाई का काम जयपुर में होता था। इस धन्धे में काम करने वाले लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन सरकार की ओर से नहीं दिया गया है और न इस धन्धे को पनपाने के लिए, जो पुरानी कला थी, उसकी ओर ध्यान दिया गया है। आज भी यहां पर जो विदेशों से लोग आते हैं वह यहां की दस्तकारी के काम को देख कर प्रसन्न हो हो जाते हैं लेकिन हमारी सरकार इस धन्धे को पिछड़ाना चाहती है। आज इन चीजों को पिछड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन आगे जाकर ध्यान आयगा कि अगर इस धन्धे को पनपाते तो हमारे देश को इससे काफी लाभ हो सकता था।

इसके अलावा पीतल के बरतनों की खुदाई का काम जयपुर में श्रेष्ठ होता था। बाकी पीतल के बरतनों की खुदाई के काम को भी जयपुर सरकार ने किसी प्रकारकी कोई सोसायटी बना कर या व्यक्तिगत लोन आदि देकर किसी प्रकार प्रोत्साहित करती तो, सरकार कर सकती थी। बाकी सरकार के जितने नुमाइन्दे हैं वह इस ओर ध्यान नहो देते हैं, केवल मैं जहां तक समझता हूं कांग्रेस की सरकार बनी रहे, इसी सम्बन्ध में उन लोगों का ध्यान रहता है, प्रदेश की

बढ़ोत्तरी के बारे में विचार नहीं किया जाता जहां तक सोचता हूं ,इस छोटे मोटे धन्धों की तरफ सरकार द्वारा ध्यान दिया जाय तो सरकार का और जनता को काफी लाभ हो सकता है।

इसके अलावा इस जयपुर के पास में सांगानेरी छपाई का काम होता था। आज सांगानेरी छपाई का काम नष्ट सा है। पहले पूरे सांगानेर कस्बे के लोग इस छपाई के काम से कमा कर खाते थे। बाकी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आठ हजार, सात हजार की आबादी छपाई के काम से कमा कर खाती थी, उनकी ओर से सरकार ने आंख मूंद ली हैं। इसके बारे में मैं कहूंगा, जो उद्योग विभाग में काम करने वाले हैं, जितने मुलाजिम हैं उन लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है, वह तो केवल बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने के पात्र हैं।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंधेज की साड़ियां और चुनरियों का काम जयपुर में बहुत अच्छा होता है। इस काम की ओर अगर सरकार ध्यान दे तो उससे काफी लोग रोजगार करके खा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय यह मैंने जितने भी उद्योग धन्धे बताये हैं, जितने छोटे उद्योग धन्धे बताये हैं, मैं जहां तक समझता हूं, मन्त्री महोदय इनकी ओर ध्यान देंगे।

इसके साथ ही एक बात मैं और भी निवेदन करूंगा, यहां पर आइरन स्टील सप्लाई एसोसियेसन सरकार की जो है, चद्दर के वितरण का काम करती है, वह गलत ढंग से करती है। जो चद्दर जिन लोगों को मिलनी चाहिए, जिन लोगों के घरों में आग लग जाती है उनको मिलनी चाहिये, जिनको चद्दर की जरूरत होती है उनको दो दो, पांच पांच चद्दर मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को बिलकुल नहीं देना चाहते हैं और जितनी चद्दरें आती हैं, वह सारी विदाउट परमिट बिक जाती है, ब्लेक से बिक जाती हैं। इस ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। आज जो भी एप्लीकेशन लेकर आता है, जिनके यहां आग लग जाती है, उसको चद्दर नहीं मिलती हैं और दस, बीस रुपये उनके बेकार चक्कर काटने में लग जाते हैं। जयपुर जैसे शहर में इस प्रकार की घटनायें हों, मैं कहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस प्रकार की शिकायतें की गई है कि जो भी चद्दरें आती हैं जिनका वितरण ठीक ढंग से होना

Page No 130

चाहिये, उनका ब्लेक हो जाता है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए आगे के समय में जो ब्लेक होता है वह नहीं होना चाहिये।

दूसरे जो जन स्वास्थ्य के बारे में मांग है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि खास कर जहां अकाल पडता है, उस इलाके में यह जल प्रदाय योजना न के बराबर है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो लोग अकाल से दुःखी है और जिनको पीने के पानी के लिए भी काफी मुसीबत उठानी पड़ती है उन लोगों के लिए किसी प्रकार का पानी का प्रबन्ध नहीं करना यह सरकार का कोई अच्छा कदम नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसलमेर जिला है वहां इन २० बर्षो में रीजनल वाटर सप्लाई का काम कतई सरकार द्वारा हाथ में नहीं लिया गया है, वहां के लोगों के लिए सरकार ने पानी की व्यवस्था नहीं की है कि है जब कि जैसलमेर का क्षेत्र हर वर्ष अकाल की लपेटमें आता है, वह रेतीला हिस्सा है और खास तोर से जब कि बोर्डर के पास पड़ता है, ऐसे इलाके में पानी की सप्लाई अच्छे ढंग से ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी करनी चाहिये।

दूसरी बात में शहरों और गांवों के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। शहरों और गांवों में जो भी पानी सप्लाई होता है. पानी सप्लाई की योजना बनती है तो वहां उन्हीं लोगों तक बनती है जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एवं हरिजनों की बस्तियों में पानी सप्लाई नहीं किया जाता है। पूरे शहर में पूरे गांव में पानी सप्लाई कर दिया जाता है पर इन पिछड़े वर्ग के लोगों की बस्तियों को वैसा का वैसा रख दिया जाता है। यह भी सरकार की बहुत गलत नीति है। जब सारे शहर को, सारे गांव को पानी सप्लाई किया जाय और एक दो वार्ड को यों ही रख दिया जाय यह तो अन्याय है, बिलकुल गलत नीति है सरकार की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाइब्स को पानी से वंचित नहीं रखा जाय।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इस सम्बन्ध में मैं एक हवाला सवाई माधोपुर का देता हूँ। वहां पर वार्ड नं० १३, १४ और २ में पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। सवाई माधोपुर में बाकी सब जगह पानी दिया जाता है पर उन वार्डों में पानी नहीं दिया जाता। इसी तरह बिजली भी उन वार्डों में नहीं दी जाती है। सरकार की इस प्रकार की भेदभावना की नीति कोई अच्छी नीति नहीं है, कि पिछड़े वर्ग के लोगों को बिजली और पानी से वंचित रखा जाता है। जब भी बजट आता है तो उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये प्रावधान किया जाता है, पर वह नाम मात्र को किया जाता है, कोई काम नहीं किया जाता। गये साल भी इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये बजट में प्रावधान रखा था पर बिजली नहीं लगाई गई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शहरों में या गांवों में जहां भी पानी की सप्लाई करे तो चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, सबके लिए पानी की सप्लाई समान रूप से करनी चाहिये। भेदभाव रखकर पिछड़े वर्ग के लोगों को पानी की सप्लाई से वंचित नहीं रखना चाहिये।

दौसा क्षेत्र के भांडारेज कस्बे के बारे में मैंने कटमोशन दिया है। गये साल भांडारेज जल योजना में आ गया है, गये साल ही जल योजना लागू हो कर वहां पानी दिया जाना चाहिये था। वहां की जनता ने १३००० रुपया भी जमा करा दिया। इसके लिए हमने सरकार से काफी लिखा पढ़ी की है, पूरी कोशिश की है, वहां का सरपंच बेचारा दो-दो चार-चार रोज तक जयपुर में रह कर चला जाता है, पर भांडारेज की जल प्रदाय योजना, नल योजना दो साल हो गये अभी तक लागू नहीं की है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि योजना लागू होने पर भी उसको छोड़ दिया जाता है तो यह सरकार की गलत नीति है। मैं मंत्री महोदय से जवाब में चाहूँगा कि भांडरेज को पानी मिले।

मैं दौसा के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा में करीब करीब २० हजार नागरिकों की आबादी है, लेकिन जल सप्लाई की योजना से केवल ८ हजार नागरिकों को पानी मिलता है, बाकी १२ हजार नागरिक यों ही रह जाते हैं। एक कुएं से पानी सप्लाई होता है। दौसा एक बड़ा अच्छा कस्बा है, सब डिविजन है, आवागमन के लिहाज से और दूसरी बातों के लिहाज से बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसको बहुत कम पानी मिलता है। आदमी को कम से कम पानी तो पूरा मिलना चाहिये। मैंने गत वर्ष भी दौसा के सम्बन्ध में कहा था कि वहां एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को पानी मिलता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि दौसा की जनता को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिये। इस सम्बंध में भी मंत्री महोदय मुझे संतुष्ट करें कि वहां की जनता के प्रति आपकी क्या आस्था है।

दौसा में सैंथल एक अच्छा कस्बा है,

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

वहां भी जल सप्लाई की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसके साथ ही साथ लवाना भी बहुत अच्छा और बड़ा कस्बा है, अच्छी आबादी है वहां पर भी पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इसके अलावा तहसील जमवा रामगढ़ में अचरोल कस्बा है, वहां की जनता ने भी जल प्रदाय योजना के लिये पैसा सरकार के पास जमा करा दिया है, वहां इसके लिये सर्वे वगैरह सब काम हो चुका है, खाली जल योजना लागू करनी है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अचरोल जमवा रामगढ़ तहसील में है, इसके बारे में भी पूरा ध्यान रख कर वहां जल प्रदाय योजना लागू करनी चाहिये। जब जनता ने सरकार के पास इसके लिये पैसा जमा करा दिया तो फिर सरकार को क्या मशा है । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर जल प्रदाय योजना जल्दी से जल्दी लागू करें ।

जितनी बातें मैंने निवेदन की हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहाय ।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थ रचना में गांवों का विशिष्ट स्थान रहा है, जब तक इस देश की सरकारों ने चाहे वे राजाओं की सरकारें हों, चाहे और किसी की हों, उन्होंने हमारे यहां कुटीर उद्योगों को उचित स्थान दिया, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया तब तक हमारे देश में न गरीबी थी, न बेकारी थी, न भूखमरी थी, चारों ओर देश में खुशहाली ही खुशहाली थी, हमारा देश समृद्ध और सम्पन्न एवं खुशहाल था तथा लोग इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे । पर जब से हमारे यहां इन कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की गई, हमारे देश में बेकारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ती गई । क्योंकि मैं खुद एक बुनकर हूं, बुनाई का धंधा करता हूं मेरे घर में बुनाई का धंधा होता है, इस उद्योग की भी सरकार ने घोर उपेक्षा की । राजस्थान में लाखों की संख्या में बुनकर हैं, २५ सहकारी समितियां बुनकरों की अलवर में थी पर सरकार की भेदभाव पूर्ण और उपेक्षापूर्ण नीति के कारण वे सब बुनकर सहकारी समितियां आज बन्द पड़ी हैं । इसी प्रकार राजस्थान में अनेकों बुनकर सहकारी समितियां थीं वे भी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण बन्द पडी हैं । आखिर इसका कारण क्या है ? क्या आप यह चाहते हैं कि जो लोग इन धंधों में लगे हुए हैं वे बिलकुल बेकार हो जायं, उनको आप कोई धंधा नहीं देना चाहते । अलवर जिले में जो पहले उद्योग थे वे आज देखने तक को नहीं मिलते हैं । वहां पर अनेक प्रकार के लघु उद्योग थे, जैसे लाख का उद्योग और अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग थे, वे सारे उद्योग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं । मैं यह कहूँगा कि अलवर जिले की तरफ राज्य सरकार ने औद्योगीकरण में पूरी उपेक्षा की है, जिसका परिणाम आज सामने है कि अलवर में आये दिन हड़तालें होती रहती हैं, बेरोजगार लोग आये दिन गड़बड़ियां पैदा करते हैं । मैं यह कहना चाहूँगा कि जब तक

(श्री गंगासहाय)

कुटीर उद्योगों को राज्य सरकारें प्रोत्साहन नहीं देंगी तब तक सारे देश में बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी बढ़ती जायगी और मुझे डर है कि हमारे देश में एक दिन वह स्थिति नहीं पैदा हो जाय कि सारे देश में अराजकता फैल जाय।

अलवर जिले में कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों के साथ साथ दूसरे उद्योगों के पनपने की भी काफी गुंजाइश है। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में सीमेंट बनाने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में है जिससे सीमेंट बनाया जा सकता है और सीमेंट उद्योग को वहां बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अलवर में माचिस उद्योग, जैसा कि माननीय मुकुट बिहारीलालजी ने कहा, काफी अच्छा पनप सकता है। इसके साथ ही साथ नीम अलवर क्षेत्र में बहुत होते हैं, लाखों मन निम्बोली वहां होती है, उसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी अगर इस उद्योग को पनपाया जाय तो बहुत अधिक मात्रा में अखाद्य तेल पैदा होगा जिससे खाद्य तेल की बचत होगी, साबुन नीम के तेल से बन सकेगा, इसके अलावा नीम का तेल दूसरे अनेक केमिकल्स में भी काम में आ सकेगा, इसके साथ ही साथ जो खली निम्बोली की बचती है, वह नर्सरी में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।

इन्डस्ट्रीज के डेवेलपमेंट हैड में २३९ हजार रुपया रखा गया है इसके लिये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर बुनकर सहकारी संघ के बारे में ९० हजार रुपया बकाया बताया गया है।

लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक बुनकर सहकारी संघ की कमर टूट गई है, सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, परंतु उनको कोई पैसा नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं राज्य बुनकर सहकारी संघ में वे लोग भी हैं जो प्राइवेट धंधा करते हैं, इसमें सोसाइटी में कुछ कर्मचारियों के लोग लगे हुए हैं उन्हीं का मामला पहले कर दिया जाता है और बुनकर सहकारी समितियों की उपेक्षा की जाती है। इससे बुनकर बेरोजगार होकर मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है और बुनकर अलवर और जयपुर में नहीं मिलेंगे और इसलिए दौसा क्षेत्र से चुनाव में कांग्रेस जीती। यह विरोधी दलों के हारने का कारण हो गया। बुनकरों की ओर सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया न आज ही दे रहे हैं।

इसी प्रकार वीवर्स हाउसिंग कालोनी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में बुनकर सहकारी संघ १९५५ से बराबर मांग करते आए हैं, अधिकारियों को लिखा है, मंत्रियों से भी मिले हैं, कई बार नक्शे बना चुके हैं लेकिन आज तक प्लाट्स नहीं मिले। जो स्थान वह धंधे के लिए चाहते हैं वह उनको नहीं मिले। उनको जो सेंट्रल सब्सिडी १:८० लाख की मिलने वाली थी वह लेप्स हो चुकी है। यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार सरकार का उचित नहीं। मैं आशा करता हूं कि बुनकरों की तरफ सरकार ध्यान देगी।

(श्री गंगासहाय)

इसी प्रकार सरकार ने स्माल इंडस्ट्रीज के बारे में टोटल प्रोवीजन ४४ हजार रखा है, १५००) स्टाईपेंड्स ट्रेनीज के लिए रखी हैं। जितना पैसा रखा है वह पे एण्ड अलाऊंसेज आफ स्टाफ में चले जाते हैं। आप इन धंधों की उपेक्षा न करें जिनमें लाखों लोग रोटी रोजी कमाते हैं उनकी उपेक्षा न करें। खादी संस्थाऐं आज भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुकी हैं और वहां पार्टीबाजी चल रही है। ग्रामोद्योगों में जमे मजदूर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के व शिड्यूल्ड टाईब्स के आम तौर से उनकी उपेक्षा की जाती है। अलवर जिले का सेक्रेटरी जयपुर में रहता है, भत्ता यहां से लेता है। क्या आवश्यकता है इतनी बड़ी तनख्वाह जयपुर में बैठे बैठे देने की? अलवर में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता? खादी संस्थाओं में ऐसे लोग बिठा रखे हैं इस प्रकार ग्रामोद्योग पनपने वाले नहीं, इससे बेरोजबारी बढ़ेगी। उसके साथ साथ देश में बेरोजगारी फैलेगी। इस प्रकार भेदभाव की नीति हटाई जाय।

आपने एक फैक्ट्री बांसवाड़ा में खोली है टायर व ट्यूब फैक्ट्री। जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें अधिकतर ५० प्रतिशत शेयर्स उद्योग मन्त्री के होंगे या उनके रिश्तेदारों के होंगे। ऐसे मामलों में....

श्री हरिदेव जोशी : कहां?

श्री गंगासहाय : टायर व ट्यूब फैक्ट्री बांसवाड़ा।

श्री हरिदेव जोशी : उसमें क्या हुआ?

श्री गंगासहाय : ५० प्रतिशत शेयर्स आप लोगों के हैं और अपने रिश्तेदारों को आपने वहां रखा है।

श्री हरिदेव जोशी : आप गम्भीरता से कह रहे हैं या ऐसे ही?

श्री गंगासहाय : जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ।

श्री हरिदेव जोशी : फैक्ट्री रजिस्टर हो गई?

श्री गंगासहाय : अभी बताऊंगा बिना रजिस्ट्रेशन के लोन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (उद्योग मंत्री से) : आप चकमा देने में माहिर हो।

श्री गंगासहाय : यह फैक्ट्री पहले ब्लेक लिस्ट की जा चुकी है। वहां १३ उद्योग चल रहे हैं। उस उद्योग में क्या कर दिया है? पानी की कमी के कारण नुकसान कृषि को हुआ है। ब्लेक मनी को व्हाइट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योगों की उपेक्षा क्यों की जाती है। इनको मजबूत करना है। इन उद्योगों से कांग्रेस सरकार को चन्दे की रकम नहीं मिलती, यही मुख्य कारण है। इसमें अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स के लोग लगे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ३१ हजार की थैली राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ओर से जोधपुर में भेंट की गई थी, सारे उद्योगपतियों से वसूल किया गया था और इतना ही नहीं उद्योग मन्त्री जी आपको

(श्री गंगासहाय) :

बताना चाहता हूं पंजाब में चुनाव के खर्चे के नाम पर २५ हजार आप खुद ले गए जोधपुर के उद्योगपतियों से....

श्री प्रद्युम्नसिंह : गलत है। मैं स्टेट एन्टरप्राइज का उपमन्त्री हूं, यह गलत है।

श्री गंगासहाय : जिंक स्मेल्टर उदयपुर में है लेकिन इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। मैनेजमेंट तथा ऊपर के अधिकारी मिलकर अच्छी तनख्वाह लेते हैं और सुख-सुविधायें प्राप्त करते हैं लेकिन कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरता जाता है। वह संट्रल उद्योग है लेकिन वहां सेंट्रल के पे-स्केल्स नहीं। डी० ए० सेंटर का नहीं और दूसरी सुविधायें नहीं मिलती। और जगह ५८ दिन छुट्टी होती है और यहां पर २८ दिन होती है। चिकित्सा सुविधायें उनको नहीं मिलती, ट्रेन्ड कम्पाउंडर नहीं। देबारी कारखाने में जो प्रोमोशन्स होते हैं वे सीनियोरिटी के आधार पर नहीं करते। अक्सर जो टेम्परेरी कर्मचारी होते हैं उनको निश्चित अवधि के बाद परमानेन्ट किया जाता है, वर्कचार्ज्ड पर नहीं रखा जाता है लेकिन यहां पर ऐसे आदेश नहीं हैं। इसलिए उनको ३० दिन के बजाय २४ दिन का वेतन मिलता है। इन लोगों की मांग है कि जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले हैं उनके कानून के अनुसार सब सुविधायें मिलनी चाहिए। उदयपुर (बी) क्लास सिटी है लेकिन उनको मकान किराया नहीं मिलता। इतना ही नहीं ठंडे पानी के लिए गर्मी के दिनों में परेशानी होती है, अधिकारीगण तो खस की टट्टियां लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा क्यों?

इस प्रकार रसायनिक कारखानों में जो जो भत्ता देते हैं वह इनको भी दिया जाय। कर्मचारियों को वहां पर रेस्ट करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उन कर्मचारियों के बच्चे कई मील दूर पढ़ने जाते हैं जबकि कारखाने के नजदीक ही उनके लिए स्कूल होना चाहिए। इतना ही नहीं आप उद्योग धन्धों को पनपाने के लिए हर तरह की तवज्जह देते हैं लेकिन रामा स्टील रोलिंग मिल्स एण्ड इन्जीनीयरिंग वर्क्स १९६१ में कोटा में काम कर रहा है...बीस परसेन्ट बोनस भी देता है। इसके होते हुए भी मशीनरी आदि पर ६० हजार रुपया खर्च किया है। २० फीट जमीन और चाहता है। उसकी उपेक्षा की जा रही है। निश्चित अवधि में यह भूमि का हिस्सा उसको दे दिया जाय ताकि यह उद्योग पनप सके।

इतना ही नहीं, एक बात और बताना चाहता हूं। श्री राम विनायक, इन्स्पेक्टर है कोटा का, ११० बोरे नमक के भर लिये। लोड हो गये। सौ किलो ग्राम भरना था। एक बोरे में वहां ११० किलोग्राम भरा गया। १० किलोग्राम अधिक भरा गया। १२ लाख रुपया लगा है दस हजार रुपया बिजली के देने पड़ते हैं।

डीडवाना साल्ट में सरकार द्वारा नमक उत्पादकों के साथ होने वाले अन्याय अब बर्दाश्त काबिल नहीं है इसलिये नहीं कहे जा सकते क्योंकि नमक उत्पादक शान्तिपूर्वक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं जब कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस इमदाद लेकर उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक से पढ़ दें।

श्री गंगासहाय : वह अमानवीय व्यवहार है। उत्पादक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका यह टेलीग्राम आया है।

(समयसमाप्ति सूचक घंटी)

एक और निवेदन करना चाहता हूँ जयपुर उद्योग के सम्बन्ध में। आपने कुछ समय पहले सन् १६६३ में ६० लाख रुपयों का कर्जा दिया था। २० लाख की किश्त बाकी है। उद्योग मंत्री को लिखा कि पोस्टपोन कर दीजिये। इस प्रकार की छूट देना उचित नहीं होगा। जो ड्यू है वह तो पहले दे। जरूरत है तो फिर ले ले। आप क्यों पक्षपात कर रहे हैं? उद्योगों के प्रति भेदभाव और पक्षपात बरत रहे हैं उसको दूर करें।

पानी के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। अलवर जिले के गोविन्दगढ़ में नल योजना पूर्ण हो चुकी है। केवल इसलिये पड़ी हुई है वहां बिजली नहीं पहुँची है। जब तक बिजली नहीं पहुंचेगी तब तक योजना शुरू नहीं की जा सकती।

खडली मंडी की योजना को भी क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? लक्ष्मणगढ़ अलवर की जनता का एक लाख रुपया खर्च हुआ। वह योजना क्यों ठप्प पड़ी हुई है। जांच करवा कर पता लगायें ताकि लाखों रुपया लोगों का लगा है उसका उपयोग हो सके। इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री अमीलाल यादव।

(अनुपस्थित)

श्री नंदलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीनिवास शारदा।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १४ के सम्बन्ध में चित्तौड़गढ़ जिले की कुछ आवश्यकताओं के विषय को लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूं स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि राजस्थान में खनिज उद्योग के विकास के दृष्टिकोण से विचार करें तो यह अनुभव होता है कि माइनिंग विभाग ने माइनर मिनरल्स के लिये जो सक्रिय कदम अख्तियार करना चाहिये था उनको नजर अन्दाज किया है। मैजर मिनरल्स की, क्योंकि वे लाखों रुपयों की तादाद में होते हैं, और कीमत ज्यादा होती है, इसलिये उनकी चर्चा आम तौर पर हुआ करती है लेकिन माइनर मिनरल्स के चाहे इसे खुश किस्मती समझा जाय या बद-किस्मती समझा जाय चित्तौड़गढ़ जिले में चारों तरफ काफी भंडार है। लेकिन आज भी जब उस जिले की ओर ध्यान दिया जाय और विकास के दृष्टिकोण

(श्री श्रीनिवास शारदा)

से विचार किया जाय तो, मैं समझता हूं, आज भी उस जिले में इतनी खानें पत्थर की हैं, जितनी माइन्स हैं उनकी स्थिति ठीक हो, आजादी से पहले जो स्थिति थी और जो माइन्स की वर्क करने की आदत थी ठीक उसी ढंग से उन खानों पर आज भी काम हो रहा है। मैं इस सत्य से कदापि पीछे नहीं हटना चाहता कि खानों पर काम करने वाले लोगों की कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से आमदनी नहीं बढ़ी हो लेकिन यह भी सत्य है कि यदि उनकी आमदनी बढ़ी तो डिमाण्ड बढ़ने की वजह से ही कुछ स्थिति बढ़ी है। माल की डिमान्ड । लाइम एवं बिल्डिंग स्टोन्स उस इलाके में होता है और खास कर इस किस्म के पत्थर का उत्पादन चित्तौड़, भदेसर और निम्बाहेड़ा तहसील में ज्यादातर उपलब्ध होता है। लेकिन आज उन खानों पर काम करने वाले आम तौर पर बल्कि ६५ प्रतिशत मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खानों के मजदूर जो पूर्व के जमाने से काम करते आ रहे थे और खानों के मालिक या किरायेदार कहना चाहिये नहीं हैं और उनकी स्थिति में विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा लगता नहीं है। बल्कि मैं तो यह मान कर चलता हूँ कि आज इकोनोमिक पोईन्ट ओफ व्यू से उनका विकास भविष्य में चलकर एक अवरुद्ध सा प्रतीत होता है। कारणों में जाने का विशेष अवसर, मैं समझता हूं, मुझे इस समय मिलेगा नहीं क्योंकि डिमान्ड १४ के अलावा मुझे डिमान्ड १७ पर भी कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : गति तीव्र रखें तो हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : सोच समझ कर कह रहे हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : बहरहाल खानों के विकास के लिए मैं मैकेनाईज्ड माईनिंग की बात करूँ तो काफी स्कोप है। मेकेनाइज्ड माईनिंग का लक्ष्य रखें तो खानों के मजदूरों का विकास होगा और काफी माईनिंग एरिया में सरफेस डंप की वजह से पड़ी हुई है, मैं समझता हूँ, उससे हटाने से लोगों को काम करने के लिये और सरफेस उपलब्ध होगी।

मैकेनाइज्ड माइन्स में थोड़ी डिवाटरिंग की प्राब्लम होगी, डिवाटरिंग का साधन अगर उपलब्ध हो जाय तो मैं समझता हूँ साल भर में ७ महिने माइन्स का जो वरकिंग होता है वह बढ़ाया जाकर ८-९ महिने तक किया जा सकता है। माइन्स विभाग ने डी-वाटरिंग की व्यवस्था कर रखी है लेकिन रेटस इतनी ऊंची हैं कि खानों के मजदूरों को यह पार नहीं पड़ती है। यह मंहगी पड़ती है। इससे डी-वाटरिंग का फायदा इन लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके साथ मैं समझता हूँ कि इस जिले से लाखो रुपयों की तादाद में माईनिंग विभाग की रेवेन्यू इनकम है। यहां का रेवेन्यू एक्स्पेंडीचर सिवाय एस्टाब्लिशमेंट के और कुछ नहीं है। विकास की तरफ मुझे याद नहीं पड़ता कोई काम किया गया है। पिछले पांच सालों में विकासके लिये इस क्षेत्र में कोई सरफा नहीं किया गया है। हां, ५-७ साल पहले दो तीन सड़कें इस एरिया में माईनिंग विभाग द्वारा बनाई थी, उनकी हालत ७ वर्ष पूर्व बनने के

(श्री श्रीनिवास शारदा)

बाद, मेन्टीनेंस की व्यवस्था नहीं होने से ज्यादा खराब हो गई इसके अलावा यह ज्यादा आवश्यक है कि जिस जिस इलाके में ज्यादा तादाद में माइन्स है, उन इलाकों में सड़कों का अभाव है, इसलिये वहां सड़कें उपलब्ध हो जाय तो ट्रान्सपोर्ट की कास्ट कम पड़ेगी ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ खानों के मजदूरों को राहत मिलेगी। कास्ट आफ प्रोडक्शन में मजदूरों को लाभ होगा और उनकी इकोनोमी पर असर पड़ेगा। इस सन्दर्भ में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस इलाके के अन्दर, विशेष कर खान पर काम करने वालों के लिए जो राहत आप पहुँचा सकते हैं, वह सड़कों के जरिये ही उपलब्ध करा सकते हैं। माइनर मिनरल्स हमारी एक बुनियादी आवश्यकता है। इसको एक आवश्यक मिनरल मानकर चलना होगा। आज दिमाग जाता है हीरे की खान, पन्ने की खान को तरफ। बड़ी बड़ी मेजर मिनरल्स की तरफ ध्यान दिया जाता है। लेकिन इससे हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति माइनर मिनरल्स से हो सकती है। सोसलिस्टक पैटर्न के दृष्टिकोण से भी यह सोचा जाय तो मैं समझता हूं कि माईनिंग विभाग को सर्वे कराना पड़ेगा कि किस इलाके में खाने चलती है, हमारे कौनसे इलाके के अन्दर खनवालियों की क्या संख्या है, खान के अन्दर काम करने वाले इन खनवालियों की आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति डवलप हुई है या नहीं और अगर नहीं हुई है तो उसके लिए हमें मापदण्ड कायम करने होंगे, लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। और फिर यहां ऐसी स्थिति है कि जिस इलाके में आमद ज्यादा होती है, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे के अलावा कुछ न हो, तो उस इलाके के अन्दर सड़कें जुटाकर, मैकेनाइज्ड माइन्स की तरफ ध्यान दिया जाय तो इस इलाके की सेवा आप कर सकेंगे और जो मजदूर इस इलाके में काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अन्यथा मैं समझता हूँ आज उनकी इकोनोमिक कन्डीशन सेचुरेट है उसमें आगे बढ़ने की सूरत नजर नहीं आती है। उत्तरोत्तर महगाई बढ़ती जा रही है और वे इस पाइंट पर आकर सेचुरेट हो गये हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के अदन्र, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये जो आमद उनकी बढ़नी चाहिये, उसमें आप उनको कोई सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, जिस इलाके के अन्दर, दो, पांच हजार मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति को डवलप करने की कोई व्यवस्था नही है। वहां कोई डिस्पेन्सरी की व्यवस्था भी नहीं है। चाहे यह डिस्पेन्सरी सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हो लेबर वेल फेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हो, इसकी उस क्षेत्र में बड़ी सख्त आवश्यकता है। इन बातों का माइनिंग डिपार्टमेन्ट सर्वे करे कि किस प्रकार हम लेबर वेलफेयर के पाइन्ट आफ व्यू से इन लोगों को राहत दिला सकते हैं और मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा ग्रामीण—वाटर सप्लाई की ओर भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय चितौड़गढ़ जिले के अन्दर कई जगह पानी की समस्यायें हैं और किसी किसी

(श्री श्रीनिवास शारदा)

इलाके में पहाड़ों पर पानी की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर नजर आती है, वैसी भयंकर स्थिति इस इलाके में है। पीपुल्स कन्ट्रीब्यूशन के आधार पर विजयपुर, बस्सी, कनेरा सावा, घोसून्डा की योजनाएं बनीं। उनमें से दो, तीन योजनाएं ही हाथ में ली गई जबकि पीपुल्स कन्ट्रीब्यूशन या लोगों का कन्ट्रीब्यूशन नियमानुसार जितना प्रतिशत होता है, वह मैं समझता हूं कि सभी पंचायतों ने महकमे में जमा करा दिया है। कुछ योजनाओं के टेन्डर्स हो गये हैं। टेन्डर्स हुए महीनों गुजर गये हैं लेकिन वहां पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। यदि २५ प्रतिशत कुल योजनाओं की लागत का प्रथम वर्ष में खर्च कर दिया जाता तो लोगों को सन्तोष का अनुभव होता। लेकिन बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि ये योजनाएं खटाई में हैं और मैं नहीं समझता कि किस लेविल पर इन पर बाधा खड़ी हुई है। दो, तीन वर्षों से लगातार लिखा पढ़ी की गई, पंचायत और जिला परिषद के प्रस्ताव हैं। जिलाधीश ने लिखा पढ़ी की है और मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय ने आश्वासन भी दिया है, कुछ योजनाओं के टेन्डर्स आमन्त्रित किये गये हैं लेकिन वहां कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिये खासतौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पंचायतों का पीपुल्स कन्ट्रीब्यूशन आ गया है, और जहां काम मन्द गति से चल रहा है, वहां का काम तेज गति से कराया जाय और जहां काम बिल्कुल शुरु नहीं किया गया है, वहां यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

इसी प्रकार हमारे जिले में एक-दो पंचायत समितियां ऐसी हैं, जहां कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एवं सब सेन्टरस् बन कर तैयार हैं। आज उनको बने हुए तीन चार वर्ष गुजर चुके हैं। ६४ में सब सेन्टरस् बन चुके हैं लेकिन खेद है कि वांछित स्टाफ के अभाव में वे चालू नहीं हुए हैं। प्रधान, जिला परिषद ने इस बारे में राज्य सरकार का बराबर ध्यान आकर्षित किया है लेकिन वहां पर समुचित स्टाफ की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, सब सेन्टर कायम किये जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भवन निर्माण का जो काम होता है उनमें पैसा गांव वालों का होता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो निश्चय ही उन गांव वालों में असन्तोष रहना स्वाभाविक है। कनेरा का प्राइमरी हैल्थ सेन्टर तैयार हो चुका है। सब सेन्टर तैयार हो चुका है लेकिन वहां स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसी दशा में मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां यथाशीघ्र ही स्टाफ भेजकर काम शुरु करवाया जाय।

इसके अलावा मैं समझता हूं कोई विशेष समस्या बाकी नहीं रहती है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजी राम।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसके बारे में निवेदन करना

Page No 140

(श्री हरजीराम बुरडक)

चाहता हूँ। उद्योग विभाग द्वारा जो साला ऐरिया अलोटमेन्ट किया जाता है उसमें बहुत बड़ी अनियमितता की जाती है। उदाहरण के तौर पर चुरू जिले के तलसागर एरिया में कुछ जमीनों का अलोटमेन्ट किया गया है। यह जो अलोटमेन्ट किया गया है वह नियम विरुद्ध किया गया है। कुछ अलोटमेन्ट नियमानुकूल भी है। इससे पहले भी अलोटमेन्ट हुआ है। नियमों में दस साल तक लीज पर देने का प्रावधान है जब कि बहुत सी जमीन ९९ साल की लीज पर दी गई जो स्पष्टतः नियमों का उल्लंघन है। नियमों में यह व्यवस्था भी है छः महिने के अन्दर यदि डेवलपमेन्ट नहीं होगा अलोटमेन्ट केन्सिल हो जायगा। आज छः सात वर्ष के बाद भी जमीनें खाली पड़ी हैं। इसमें से बहुत सी जमीन इन्डीविज्युअल्स को दी गई है और कुछ को-आपरेटिव सोसाइटीज को दी गई है। इस बारे में विधान सभा में प्रश्न पूछा था उस पर कहा गया कि सारी जमीन को डेवलप कर दिया है। मैं मौके पर देखकर आया हूं एक दो को छोड़कर किसी ने डेवलपमेन्ट नहीं किया, किसी ने काम भी शुरू नहीं किया है ?

अब मैं जन स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ लाडनूं जल प्रदाय योजना के लिये दीपचन्द पहाड़िया से कुआ खरीदा गया था। उस समय जल प्रदाय योजना की शुरुआत ही नहीं हुई थी। सरकार ने कुए खुदवाये ट्यूब वेल लगाये लेकिन केवल एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये २२,७०० रुपये में वह कुआ खरीदा गया। यह कुआ ६५ में खरीदा गया और आज तक उसको काम में नहीं लिया गया। लाडनूं से सुजानगढ़ जसवन्तगढ़ पानी देने की बात थी सात आठ कुए ऐसे हैं उनको काम में नहीं लिया जा रहा है। विधान सभा में जब मैंने प्रश्न उठाया तो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया इस कुए को आज तक चालू नहीं किया गया, न उस पर बिजली खर्च हुई न उस पर लाइट ही लगी हुई है। जब इसी प्रकार का प्रश्न विद्युत मन्त्री जी से पूछा गया तो उन्होंने फरवरी ६९ तक के आंकड़े दिये हैं। कुआ खरीदते समय न तो ऐसटीमेट बनाया और न टेकनिकल रिपोर्ट ही ली फिर क्या आवश्यकता पड़ी। जब प्रश्न के उत्तर में सोनगढ़ योजना के लिये जिसको ६८ में स्वीकार किया गया उससे पहले प्रावधान का कारण नहीं बताया।

लाडनूं जल प्रदाय योजना के लिए कोई कुआ खोदना नहीं पड़ेगा वहां कुओं की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा लाडनू सुजानगढ़ के बीच जो पाइप लाइन डाली गई है उसके लिये ठेकेदार से जो एग्रीमेन्ट हुआ है उस हिसाब से उसने पाईप लाइन नहीं डाली है। उसने यह एग्रीमेंन्ट था कि पाइप तीन फिट गहरा गड्ढा करके डाली जायगी लेकिन मौके पर देखने से पता चलता है एक फिट गहरी भी लाईन नहीं डाली गई है और निर्धारित मात्रा के अनुसार शीशा भी नहीं लगाया है।

इसके अलावा नगरपालिकाओं की जितनी भी जल प्रदाय योजनायें हैं उन नगरपालिकाओं में बिजली का पैसा बकाया है वह इतना है कि एक तरफ तो सारे दूसरे

(श्री हजारीराम बुरडक)

महकमों का बजट और एक तरफ नगरपालिकाओं का बजट। उनसे न तो वसूली करते हैं इसी कारण से अन्य जल प्रदाय-योजनाओं को पैसा नहीं मिलता और पाइप लाइन नहीं डाली जाती। लाडनू और डीडवाना म्युनिसिपैलिटीज में ढाई लाख रुपया बकाया है। एक तरफ प्राइवेट कन्जूमर का बिल समय पर जमा नहीं होता है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है उसी प्रकार नगरपालिकाओं का भी काटा जाना चाहिये। इतनी बड़ी रकम उनमें बकाया होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल

(अनुपस्थित)

श्री रामकुमार नन्दवाना।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कुछ कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १७ के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हैं जो चित्तौड़गढ़ जिले से संबन्धित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य मन्त्री महोदय का ध्यान में अपने उन सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ जिले में सन् ५५-५६ में म्युनिसिपैलिटी कपासन और चित्तौड़ ने जल प्रदाय योजना राज्य सरकार से लोन लेकर प्रारम्भ की थी। सन् ६७-६८ में जब म्युनिसिपैलिटी नहीं थी तो उस समय वहां प्रशासक महोदय कार्य कर रहे थे, उन प्रशासक महोदय ने उस योजना को राज्य सरकार के हाथ में सुपुर्द कर दी। पिछले दस वर्षों में कई बस्तियां वहां बनी। नई बस्तियों में पाइप लाइन डालने की हिम्मत और हैसियत म्युनिसिपैलिटी में नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा........

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

(म० प० ३.५६)

कि जिस जल प्रदाय योजना से जल मिल रहा है उससे पानी नई बस्तियों के लिए भी दिया जाना चाहिए। कुम्भा नगर, बापूनगर जो कि नई बस्तियां हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है।

इसी तरह से चित्तौड़गढ़ किला जो बहुत ऊंचाई पर है वहां के निवासियों को भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है गर्मी के दिनों में काफी दिक्कत है। सार्वजनिक कुण्ड हैं उनमें गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है इस कारण बड़ी परेशानी होती है इसलिए मेरा सुझाव है कि चित्तौड़ के लिए अलग जल प्रदाय योजना चालू की जानी चाहिए या इसका विस्तार किया जाय ताकि इन नई बस्तियों को भी पानी मिल सके। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ म्युनिसिपल सीमा है, जिसके पास पंचायत सेंती आर्थिक सहयोग लेकर उसका विस्तार करना चाहती है। मैं चाहता

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

हूं राज्य सरकार इस ओर ध्यान देवे तो जो नयी बस्तियां।बसी हैं उनको पानी पहुँचाया जा सके।

चित्तौड़ जिले में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत सावा, घोसुण्डा एवं बसी में जल प्रदाय योजना सन् ६६ में स्वीकार की गई थी। ६६,६७ और ६८ में इन योजनाओं पर रुपया खर्च करने का प्रावधान था बसी जल प्रदाय योजना राज्य सरकार ने चालू योजना को कम्पलीट भी कर दी है लेकिन उस योजना को अभी तक चालू नहीं किया गया। दो तीन हजार के काम का बहाना बताया जा रहा है वहां के सरपंच इस जल प्रदाय योजना से हरिजन बस्ती को पानी देना चाहते थे और विभाग वाले लाइन नहीं ले जाना चाहते हैं इस पर वे अड़ गए हैं। इसी आधार पर वह योजना विभाग द्वारा टाली जा रही है। सरपंच एवं असिस्टेन्ट इंजीनियर के व्यक्तिगत झगड़े के कारण इसको रोक रखा है। सारी स्कीम कम्पलीट हो गई है लेकिन उसको शुरू नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार विजयपुर तहसील चित्तौड़गढ़ को भी ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में यह स्कीम अधूरी पड़ी हुई है इसको भी चालू किया जाना चाहिए और चित्तौड़गढ़ जल-प्रदाय योजना का विस्तार किया जाकर चित्तौड़ जिला एवं सेंती ग्राम को जल सप्लाई किये जाने के लिए योजना को पूरी की जानी चाहिये।

चित्तौड़गढ़ जिले के अन्य कस्बों में जैसे कपासन है और जहां नगरपालिका ने अपनी योजनाएं लागू की थी वहां नई बस्तियां बनाई जा चुकी हैं और स्टेशन एरिया, कोर्ट्स हैं, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है, वहां पाइप लाइन का विस्तार किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ के विजयपुर, निम्ब्म राश्मी गंगरार, भदेसर, अरणोद, बम्बोरी, इन्होंने भी अपने प्रस्ताव आपको भेजे हैं। ये पंचायतें आर्थिक श्रमदान के रूप में जितना हिस्सा चाहिये अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। इसको इसी वर्ष हाथ में लिया जाना चाहिये, सर्वे कराकर योजनाओं पर अमल किया जाना चाहिये।

इन सब कामों को देखने के लिए वहां एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर रहता है, और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर अजमेर में रहता है असिस्टेन्ट इन्जीनियर इन सारे कामों को देख नहीं पाता है, तो इसलिये मेरा यह सुझाव है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का दफ्तर वहां भी रखा जाय। अजमेर से आकर देखे यह सम्भव भी नहीं है। भीलवाड़ा जिला भी पास में लगता है। कभी कभी वहां जाकर भी योजनाओं को देखना पड़ता है। तो मन्त्री महोदय एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का आफिस वहां कायम करें ताकि योजनाओं पर काबू पाया जा सके।

इनके अलावा मेरी एक दूसरी मांग है कि चित्तौड़गढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। सीमेन्ट फैक्ट्री जो अभी आजादी के बाद वहां लगी है उससे पहले

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

वहां एक शूगर मिल भोपालसागर में थी। मैं देखता हूँ कि वह शूगरमिल्स एक प्रकार से मोनोपोलाइज हो रही है। किसानों को गन्ने का पैसा साल साल भर तक नौ नौ महीने पर नहीं चुकाते। यह व्यवस्था ठीक नहीं है, उनको पेमेन्ट तुरन्त मिलना चाहिये, इसकी समुचित व्यवस्था करावें।

साथ ही सीमेन्ट फैक्ट्री के कारण चित्तौड़ का नया विस्तार हुआ है। वह ड्राइ प्लान्ट की फैक्ट्री है इस कारण जो पत्थर पीसा जाता है उसकी धूल उड़कर आसपास में जाती है। इससे आसपास के खेतों को और बस्ती के लोगों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है। तो इसके लिए कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाय कि धूल उड़कर न जाने पावे।

चित्तौड़गढ जिले में और भी जगहों पर सीमेन्ट का काफी मात्रा में पत्थर उपलब्ध हुआ है। भारत सरकार की जीओलोजिकल सर्वे वालों की रिपोर्ट के आधार पर निम्बा-हेड़ा में भी सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का लाइ-सेंस दिया है जे. के. सिन्थेटिक्स को। पर दो ढाई साल हो गया इस पार्टी ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें। साथ ही पारसोली में भी सीमेंट पत्थर उपलब्ध है तथा इसके अलावा बानसी बोहेड़ा बड़ी सादड़ी में बांस होता है। चित्तौड़गढ़ खास तौर से कपास का सेन्टर है। तो इसके लिये टैक्स-टाइल मिल या सूती मिल की वहां काफी सम्भावना है। इस ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये।

कपासन के आस पास के इलाकों में काफी मात्रा में सण और जूट पैदा होती है तो यहां जूट का भी कोई उद्योग चलाये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव रखा था आपको सेवा में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, पी० डब्लू० डी० के और सरकारी विभागों के काफी मजदूर बाहर खड़े हैं, दस हजार मजदूर अपनी मांगों को लेकर आये हैं।....

श्री अध्यक्ष : प्रातः मैंने आपको सूचना दो थी कि मेरे पास ११॥ बजे आपका प्रस्ताव आया है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार के गलत रवैये के कारण ·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : सारे विभागों के मन्त्री, पी० डब्लू० डी० के मन्त्री, वेतन आयोग ने जो सिफारिश वेतन की की है उनके बारे में वे अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। जो पगार उनको मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिल रही है। सरकार दे नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास यह प्रश्न आज ही आया है। आप, प्रथम स्थान ग्रहण करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बाहर हजारों आदमी खड़े हैं। उनको तकलीफ हो रही है और आसन सुनना भी नहीं चाह रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले स्थान ग्रहण करें। आपने ११॥ बजे स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं यह जानकारी तो लूं कि उस पर सरकार का क्या कहना है, मैं देख रहा हूँ कि आखिर उस पर सरकार का स्टेटमेन्ट ही तो हो सकता है, यही तो प्रश्न है। अब बाहर आये हैं वे तो इससे सम्बन्ध नहीं है। सदन का सम्बन्ध नही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि प्रोसेशन निकला है, लोग अपनी तकलीफें सुनाने यहां आये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रोसेशन निकला है। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं, मेरा तो आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर व्यवस्था देने से सम्बन्ध है। वह देना अवशेष है। मैं वह कल दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : फिर पी०डब्लू-डी० मिनिस्टर मौजूद हैं और मन्त्री गण यहां हैं। मजदूर बाहर आये हुये हैं। सिचाई मन्त्री भी आ गये हैं। उनको भी पूछें। तीनों मन्त्री आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सभी मन्त्री यहां पर हैं और रहते हैं। लेकिन यह आसन इन मन्त्रियों को जो बाहर गतिविधि चल रही है, उसकी तरफ कोई संकेत नहीं कर सकता यह आपका और मन्त्रियों का प्रश्न है। सदन के बाहर का प्रश्न है। मेरे सामने तो प्रश्न आपके स्थगन प्रस्ताव का है। इसके औचित्य अनौचित्य के बारे में मैं कल अपना निर्णय दूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वेतन आयोग की सिफारिशों को यह सरकार स्वयं नहीं मान रही है। उसके बाबत हमारा प्रस्ताव है। उस पर हम स्टेटमेन्ट चाहते हैं कि मन्त्री गण उस पर कहें।

श्री अध्यक्ष : किस समय, कहां? अभी बजट का प्रश्न चल रहा है। कट मोशन्स चल रहे हैं ये कहना चाहें तो मैं नहीं कहने दूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मन्त्री बाहर जाकर बात नहीं कर सकते। अपने विभाग के आदमियों से। पैसा उनको पूरा नही देते। सरकार ने खुद मिनिमम वेजेज एक्ट पास किया है और उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है और इस पर भी वे उनसे बात नहीं कर सकते। हमसे हाथ ऊंचा उठा उठा कर एक्ट पास करवा लिया। ये नहीं जावेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। यह बात साफ है, सदन में एक्ट पास करवाया, सरकारी विभागों में मजदूर काम करते हैं, सरकार उनको भी मिनिमम वेजेज नहीं देती, इसके उपरान्त वे उनकी बातें भी सुनने को तैयार नहीं, उनकी तकलीफ सुनने को तैयार नहीं। आये हैं, यहां तक तो सुनने को तैयार नहीं। यह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन की गरिमा को भी अगर कायम रखना है तो सदन में जो कानून पास किया है उसकी पालना करना सरकार का कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां सदन के बाहर कई प्रोसेशन यदा कदा आया करते हैं। वह सदन की बात नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सदन में अपनी बात आकर सुनाने का उनको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : सदन के अन्दर आ गये हैं क्या ? सदन के अन्दर तो नहीं हैं। यह सदन की परम्परा रही है कि कोई भी प्रोसेशन किसी आन्दोलन के सिलसिले में बाहर आता है उनके सम्बन्ध में इस आसन से कभी कोई संकेत नहीं दिया जाता। यह मन्त्री महोदय के स्वयं के समझने का प्रश्न रहता है, मैं उनको इस पर संकेत नहीं करूंगा। आप कहेंगे मन्त्री महोदय ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको संकेत देने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मन्त्री सुने बाहर जाएं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। कई बार मजदूर संगठनों के लोग कानूनों से पीड़ित होकर, कानूनों की अवहेलना करने की सरकार की चलने की प्रवृत्ति के कारण वे ऐसा नहीं कर पावें इसलिये विधान सभा के सामने आते हैं। परम्परा यह रही है। पर मैं तो समझता हूं कि यह बहुत अच्छा मौका है मैं इस अवसर पर सरकार से भी कहना चाहता हूं कि यह सही परम्परा है कि जो जनता के लोग अपने अभाव अभियोगों को सुनाने आये हैं आपको उनके सामने जाना चाहिये। इसमें कोई संकोच और शर्म नहीं होनी चाहिए। आप में हिम्मत होनी चाहिये। गरीब मजदूर इतनी दूर से आये हैं। मन्त्री महोदय, आप तो, कांग्रेस के लिये नये हैं, कई लोग आप पर लांछन लगाते हैं, यह अच्छा मौका है, आप उनसे मिलिये उनकी शिकायतें सुनकर उनको तसल्ली दीजिये, यह अच्छा मौका है लान्छन दूर करने का।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह ठीक है आसन से इस सम्बन्ध में इस प्रकार के आदेश मन्त्रीगण को नहीं दिये जा सकते। पर यह भी स्पष्ट है कि जिस समय सदन चल रहा होता है तो बहुत से प्रदर्शन, जुलूस होते हैं आते हैं और उन सबकी यह मंशा होती है कि प्रदर्शनों के माध्यम से सदस्यों के सामने और सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रखा जाय और अपनी उन समस्याओं की तरफ सब का ध्यान आकर्षित करने की मंशा रहती है। इसी मंशा से प्रेरित होकर पी० डब्लू० डी० विभाग के और दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारी राणावत कमीशन की बात को और मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली उनकी असुविधाओं को लेकर यहां आए हैं। मैं समझता हूं कि जब कि सदन चल रहा हो और बजट पर हम लोग विचार कर रहे हों भले ही, राजस्थान की समस्याओं पर भी विचार करना पड़ेगा। आज राज्य का बड़ा भारी वर्ग इससे पीड़ित है वह अपनी समस्याएं लेकर यहां आया है। तो यह आवश्यक हो जाता है कम से कम मन्त्रीगणों के लिये कि वे उनकी बातों को सुनें उनके दुख दर्द को सुनें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को समझ गया हूं। मैंने जैसा निवेदन किया कि आन्दोलनों से जहां तक इस आसन का सम्बन्ध है मैं काफी बोल चुका हूं। माननीय सदस्यों की उद्विग्नता हो सकती है। माननीय मन्त्री महोदय स्वयं इसे समझ सकते हैं कि जन-प्रतिनिधि होने के नाते क्या हो सकता है।

Page No 146

(श्री अध्यक्ष)

मैं संकेत नही करूंगा। वे स्वयं समझ लें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी यहां लोगों के वोट पर बैठे हुए हैं। हमें न जनता के सामने जाने में शंका है और न डर है लेकिन में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें खुद को भी ध्यान रहता है और हम खुद मजदूरों से मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको हमारे खिलाफ शिकायत न हो। हमें मिलने में एतराज नहीं है लेकिन जिस चीज की जानकारी हो ही नहीं और एकदम कोई चीज पैदा हो जाय तो उसका क्या किया जाये। हमारे साथी हमें पहले भी बता सकते थे और कह सकते थे कि आज कोई आने वाला है और अगर हम उनकी सुनाई नहीं करते तो उसका आरोप हम पर लगाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता........

श्री अध्यक्ष : यह पी० डब्लू० डी० के कर्मचारी हैं यह तो पता है आपको।

श्री नत्थीसिंह : आपके घर पर सब मिल चुके हैं आपके हज से आने के बाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप दो साल से मिनिमम वेज नही दे रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आपको यह सूचना नहीं है कि आज आपके विभाग के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर जिसका निदान आप अभी तक नहीं कर सके हैं यहां विधान सभा भवन के सामने आ रहे हैं ? यह सूचना आपको नहीं है कि वह प्रदर्शन करने आयेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि जब भी इस तरह से प्रोसेशन्स आते हैं तो उनके प्रतिनिधियों को चेम्बर में बुलाकर बात कर ली जाती है और जो कुछ भी बात उनको कहनी होती है वह वहीं बुलाकर सुन ली जाती है। तो जो नीचे मजदूर साथी आये हैं उनके प्रतिनिधियों को हम अभी हमारे चेम्बर में बुलाकर संबंधित मंत्री महोदय दूसरे हैं वह उनसे बात कर लेंगे और में भी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया

(कोई उत्तर नहीं दिया)

श्री फूलचन्द बाफना

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या २१ के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। परम्परा यहां पर यही रही है कि कटौती प्रस्ताव दिये जायें लेकिन मैंने कहा है कि इस मद में ज्यादा रकम दी जाये। मैं इस खर्चे को कम मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग के लिए जो भी रकम निर्धारित की गई है वह कम है

(श्री फूलचन्द बाफना)

श्रौर उसका कारण यह है कि हाथ से धंधा करने वाले लोग इतनी ज्यादा संख्या में हैं श्रौर उनकी रोजी का सवाल इतना पेचीदा है श्रौर इतना कठिन है कि उनके लिए बहुत ज्यादा इन्तजाम होना चाहिए जिससे कि सबको रोज़गार मिल सके वर्ना क्या होगा कि बेरोज़गारी बढ़ेगी श्रौर भूखे ज्यादा होंगे तो यह निश्चित है कि जब हाथ के बदले मशीनों का युग श्राया जिसका नाम कलयुग है, मशीनों का युग है तो उसमें यह भी कह सकते हैं "संघे शक्ति कलौयुगे" तो ऐसे संगठन बनाना भी स्वाभाविक है श्रौर श्रान्दोलन होना भी स्वाभाविक है श्रौर यदि मैं यह कहूँ कि श्राज के इस कलयुग का कलकी श्रवतार श्रर्थात् कटन पर काम करने वाले हैं तो यह संगठन है श्रमिकों के विभिन्न संगठन ही श्रवतार है तो गलत नहीं होगा। श्राज कलयुग में श्रवतार श्राने की इन्तजार करते हैं वह संगठन बराबर बनता जा रहा है श्रौर वही उसका रूप बनेगा। इसलिए मैं खादी ग्रामोद्योग के लिए श्रापसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सन् ५१ में बेरोज़गारी की समस्या के बारे में विनोबा भावे से जो योजना श्रायोग की बात हुई थी उसके सदस्यों की तो विनोबा जी ने कहा था कि यदि सरकार स्वयं हर व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य कायम रखने योग्य रोज़गार देने का नया सिद्धान्त निकाल सके तो मैं श्रपने लकड़ी के चर्खे को जलाकर एक दिन का भोजन पकाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से खादी ग्रामोद्योग के कामों को कोई दकियानूसी बताता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बेरोज़गारों को रोजी देने के लिए इन्तजाम करना चाहिए। वर्ना यह भी मैंने एक समीक्षा पढ़ी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी ३ करोड़ बेरोज़गारों की संख्या हिन्दुस्तान में रह जायेगी जिनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा श्रौर इस तरह की हालत हुई तो बहुत कठिन समस्या पैदा हो सकती है। हमारे देश की सारी स्थिति बिगड़ सकती है। नेहरू जी ने भी यह सम्मिति व्यक्त की थी कि यदि बेरोज़गारों को रोजगार नहीं दे सकते तो हमको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए लेकिन श्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रगर बेरोज़गारी भत्ता भी एक करोड़ बेरोजगारों को दैनिक एक एक रुपया दिया जाये तब भी एक करोड़ रुपया होता है श्रौर ३६५ दिन जो साल में होते हैं तो उस हिसाब से ३६५ करोड़ रुपया चाहिये। इतना रुपया इसमें लगाया जाये इससे तो श्रच्छा यह हो कि खादी ग्रामोद्योग में यह रकम लगा दी जाये जिससे कुछ उत्पादन हो जाये व रोज़गार भी मिल जाये। मैं श्रापका ध्यान इस श्रोर दिलाना चाहता हूँ कि मील श्रौर कारखानों में जो करोड़ों रुपया लगता है उसके बनिस्पत यदि खादीग्रामोद्योग के कामों को देंगे तो कम रकम में ज्यादा लोगों को रोज़गार मिल जायेगा श्रौर बड़े उद्योगों में ज्यादा रकम लगाकर कम लोगों को रोज़गार मिल पाता है इसलिए इस बात को विचार करके हमारी जो बजट बनाने की प्रणाली है वह इस पर श्राधारित होनी चाहिए कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले, कोई भूखा श्रौर नंगा नहीं फिरे। श्रगर इसको ध्यान में रखकर हम बजट को नहीं बनायेंगे तो उसका

(श्री फूलचन्द वाफना)

फल यह होगा कि सारे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। आप छोटे-छोटे धन्धों को पनपायेंगे तो बहुत ज्यादा समस्यायें हल हो सकती हैं मिलों के लिये कपड़े की कुछ किस्में तय करें और हाथखादी के लिये कुछ किस्में तय कर दें तो आपका जो खादी ग्रामोद्योग कमिशन के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा और वह रुपया मजदूरों के हितों में काम में लाया जा सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार हम अपनी योजनायें बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि खादी ग्रामोद्योग के लिए यह बड़ा अनुकूल वातावरण बनेगा। मेरा फिर निवेदन है कि भूमि पर जो दवाव है वह इतना अधिक बढ़ गया है कि हम सब को खेती नहीं करा सकते इसलिए उद्योग ही उसकी पूर्ति कर सकते हैं और खेती और उद्योग मिलकर ही सारी समस्यायें हल कर सकते हैं। इसलिए खादी ग्रामोद्योग की जरूरत बढ़ गयी क्योंकि हमारे पास इतनी भूमि नहीं है। जितने परिमाण में आबादी बढ़ रही है इस पर मेरा सुझाव है कि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को इतना रोजगार नहीं दे सकते कि वह ५ रुपया रोज कमा सके तो वर्तमान मशीनी युग में उसका टिकना मुश्किल होता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि वैज्ञानिकों से आपको मदद लेनी चाहिए और ऐसी छोटी-छोटी मशीनें बनानी चाहिए जिससे एक व्यक्ति ८ घन्टे काम करके ५ रुपया कमा सके। इसके लिए अम्बर चर्खा जरूर निकला है लेकिन उसमें भी कमी रह गयी क्योंकि जो स्पिन्डल तकवे हैं उनका काम ठीक नहीं है। एक धागा टूटता है तो चारों स्पिन्डल को इन्तजार करना पड़ता है। जैसे मिल में हजार स्पिन्डल्स एक साथ काम करते हैं और उसमें से किसी एक स्पिन्डल का धागा टूटता है तो केवल वही काम करना बन्द करता है और बाकी सारे स्पिन्डल्स काम करते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों से मदद लेकर अम्बर चर्खे में ऐसा प्रबन्ध करवाना चाहिए कि धागा टूटने पर चारों स्पिन्डल्स नहीं रुकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार जो चालू प्रणाली चल रही है उसको चलाना कोई खास हमारा मकसद नहीं होना चाहिये। हमारा मकसद सब लोगों को रोजगार देना होना चाहिये और इस प्रकार सब लोगों को रोजगार मिलता है तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि जो खादी ग्रामोद्योग की संस्थायें हैं—हो सकता है कि उनमें चोर हों। क्योंकि आज का युग गड़बड़ी का है। हर क्षेत्र में गड़बड़ लोग घुसते हैं और वह कहीं न कहीं अपना रास्ता ढूंढते हैं और वह खादी ग्रामोद्योग में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर दही को पीतल के बरतन में रखते हैं और वह कसैला हो जाता है दही ही मत खाओ। दही खाने की चीज ही नहीं है ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बरतन खराब हो सकता है। परन्तु उसका मतलब यह नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सब उद्योगों को बढ़ाने

(श्री फूलचन्द व.फना)

के लिए हमें ठोस योजनायें बनानी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो खादी ग्रामोद्योग की संस्थायें हैं उनको सेल्स टैक्स आफिसर्स जाकर बहुत ज्यादा सताते हैं। जब कि खादी ग्रामोद्योग एक्ट में लिखा है कि उनके ऊपर सेल्सटैक्स नहीं लगेगा और सारी बातें स्पष्ट हैं। मैं आपको उदाहरण और देना चाहता हूँ कि एक संस्था सघन योजना है जिसका मेरे से सम्बन्ध है, मैं भी उस में काम करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो ब्लैकस्मिथी का खादीग्रामोद्योग है उसमें स्पष्ट है कि ब्लैकस्मिथि में भी जो प्रोडक्शन है खादी ग्रामोद्योग कमीशन का उसमें नियमानुसार सेल्स टैक्स नहीं लगता---

परन्तु क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों का कम्पीटिशन हुआ और व्यक्तिगत व्यापारी सामूहिक संस्था के सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर काम ठीक तरीके से चलता है तो यह योजना बनाई गई कि सामूहिक कार्य किसी तरह से फेल हो जाय और उसका कार्य बन्द हो जाय तो जैसे खिलाकर सेल्स टैक्स आफिसर को उनके पीछे लगाओ और आज उनको इस तरह से तंग किया जा रहा है। यह सारे राजस्थान की समस्या है। जहां जहां भी ग्रामोद्योग का काम संस्थाएं कर रही हैं वहां पर सेल्स टैक्स आफिसर तंग कर रहे हैं तो मेरा यही निवेदन है कि उद्योग मंत्री की हैसियत से आप इस बात में इन्टरेस्ट लें और जो एक्ट है और जो सरकार की भावना है उसके अनुसार उन सामूहिक कामों में मदद दें। जो संस्थाएं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत नफे से काम कर रही हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए उद्योग विभाग को काम करना चाहिए।

प्रवासी राजस्थानी बहुत से राजस्थान में उद्योग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने उनसे सम्पर्क किया होगा, हो सकता है कि उनको आपने विश्वास दिलाया हो। ये सारी बातें हुई हों फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई खामी तो है ही। उसका पता लगाना चाहिये। उनसे व्यक्तिगत बात करना चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस एक मिनट में समाप्त कर देता हूँ।

मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की है। उन्होंने यह कहा है कि हमको यह मालूम हुआ है कि यहां पर आफिसर लोग वृक्ष लगाने से पहले तंग करना शुरु कर देते हैं जब कि बम्बई में बहुत से आफिसर ऐसे हैं कि जो वृक्ष को लगने देते हैं फिर फल खाते हैं यहां तो फल लगने से पहले ही बीज खाने लगते हैं। मुझ से कहा कि अगर आप इसमें मदद देंगे, अगर कोई विचार रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आप इस मामले में दिलचस्पी लेकर हजारों बेरोजगारों की जो समस्या है उसमें आपको इन्टरेस्ट लेना चाहिए। इसमें दिलचस्पी लेकर इस बात की योजना बनाना चाहिये ताकि लोगों को फायदा मिले।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री फूलचन्द बाफना : एक और पानी के बारे में जो मांग है उसके बारे में एक मिनट में कह देता हूँ।

पानी की जो योजना है उस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पानी के लिए पाली जिले में १०-१२ गांवों की तरफ से सरकार के पास पैसा जमा हो चुका है। पांच पर्सेन्ट जो ग्राम पंचायत का हिस्सा है वह जमा हो चुका है। उसको दो तीन साल हो गये हैं परन्तु योजना में क्रियान्वित नहीं की गई है।

देसूरी गांव से जहाँ पानी की दिक्कत तो है ही लेकिन वहां के पानी में बाले भी निकलते हैं। उस समस्या को हल करने के लिए तीन दान-दाताओं से दान लेकर ५ परसेन्ट की राशि जमा कराई गई। उस बात को दो वर्ष होगये पर उस योजना का पता नहीं है और अभी तक पानी दिया जाना चालू नहीं हुआ है। समय की कमी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरों से पैसा लेते है तो काम करने के लिए पैसा लेना चाहिए न कि जमा रखने लिए। काम नहीं करना है तो पैसा मत लो। अगर आप लेते हैं तो काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के विषय में मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। और उनके जरिये में राज्य सरकार का ध्यान आपके जरिये इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला जालोर में लघु उद्योग के बारे में मैं राज्य सरकार के द्वारा आज तक ध्यान नहीं गया है जब कि इस जिले के अन्दर बहुत सी छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्कोप है। वहां पर ऊन की बहुतायत है और ऊन के छोटे छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं। इसके अलावा वहां जालौर जिले में आवल की छाल बहुत मिलती है और वहां पर चमड़े का भी स्कोप है और वहां चमड़े के लघु उद्योग खोले जा सकते हैं। परन्तु राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी जगहों पर यहां से भीनमाल से चमड़ा जाता है यह माननीय मन्त्रीजी को भली भांति मालूम है। वहां की जूतियां सारे हिन्दुस्तान में बहुत ही प्रसिद्ध हैं इस, बारे में राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय आजकल यहां गाँवों में कोई छोटे उद्योग धन्धे नहीं होने की वजह से और बड़े उद्योग धन्धों की ओर सरकार का ध्यान जाने की वजह से गाँवों में बेकारी ज्यादा है। औरतों के लिए कोई उद्योग धन्धा वहां पर नहीं है। साल में ६ महीने गाँव के लोग बेकार रहते हैं उनको ऐम्पलाय करने के लिए आज तक राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया है। पहले चरखे का उद्योग करते थे और चरखे का उद्योग गांधीजी द्वारा फैलाया गया था लेकिन वह बहुत पुराना पड़ गया है और उसको प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। जो कताई की दरें हैं वे बहुत ही कम हैं पुरानी दरें हैं और आज भाव

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बहुत बढ़ गए हैं। उन चीजों को देखते हुए माननीय उद्योग मन्त्रीजी ध्यान दें और कताई की दर बढ़ा दें तो बहुत स्कोप है। ऊन कताई का धन्धा वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से चल सकता है।

माननीय अध्यक्ष, इसके अलावा वहाँ हमारे जिले में गाँवों में बहुत अच्छे पट्टू बनाये जा सकते हैं। जट्ट के अच्छे पटिये बनाये जा सकते हैं। ऊंट की जट्ट के और बकरियों की जट्ट के अच्छे अच्छे पट्टे और पटि्टयां बनाई जा सकती हैं। इसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उस धंधे की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया है। गांवों में कुम्हारी उद्योग, सुथारी उद्योग में जो पुराने काम करने वाले लोग हैं वे भी दिनों दिन बेकार होते जा रहें हैं। उसके साथ साथ छोटे काम करने वाले लोगों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उनके जरिये से छोटे उद्योग धन्धों को गांवों में लगाना चाहिए था, परन्तु राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्षजी, इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत. सभानेत्री पदासीन)

(४-२६ म० प०)

छोटे उद्योग जैसे बढ़ई का काम है उनको प्रोत्साहन देकर उनके साथ न्याय करके यह काम करने की आवश्यकता है ताकि पुराने लोग भी बेकार न हो जायं और उनको भी धन्धा मिल सके। इस ओर राज्य सरकार का विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए वहाँ पर अच्छा स्कोप है इस लिए छोटे उद्योग धन्धों के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, इस बारे में मैंने राज्य सरकार का पहले भी ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे यहाँ जालोर में विशेष रूप से चमड़े का उद्योग बान मील का उद्योग और वहां पर बांस बहुत अधिक होते हैं तो चटाई उद्योग चल सकता है।

इसके अलावा वहाँ पर जो रा-मेटेरियल मिलता है उसके बारे में ध्यान दें तो छोटे उद्योग पनप सकते हैं, परन्तु राज्य सरकार ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

इसके अलावा सभापति महोदया, मैंने जो मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३७ के बारे में एक-दो कट मोशन रखे हैं उसमें मैंने एक कटमोशन के जरिये तथा आपके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मारवाड़ में मण्डोर के अन्दर जो पुरानी मूर्तियां थी, उसके अन्दर जो बड़े-बड़े राजाओं और महात्माओं की मूर्तियां स्थापित की गई थीं। राजा अभयसिंह के समय की मूर्ति खड़ी थी तो यह मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि उस मूर्ति के अन्दर चेन्जेज करके जाम्बाजी की मूर्ति जो कि मारवाड़ के इतिहास में मौजूद है जिसके ऊपर डा० माहेश्वरी ने अपनी पी० एच० डी० के सिलसिले में खोज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करके यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां पर जाम्बाजी की मूर्ति थी तो उसका नाम काटकर दूसरा चेंज कर दिया गया है। मूर्ति में चेन्जेज कर दी गई है। इस बारे मे माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जितनी मूर्तियां पुरानी स्थापित की गई हैं वे ऐतिहासिक घटनाएं बताती हैं उनमें चेन्जेज करके दूसरी बना दी है तो उसके बारे में राज्य सरकार जांच कराये और जिसने भी ऐसी हरकत की हो उनको सजा दें।

श्री केदारनाथ : कौन सी जगह ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्डौर में जो कि इतिहास के अन्दर मौजूद है सारे फैक्टस आर्कियोलाजिकल डिपार्टमेंट व ले कह सकते हैं कि चेन्ज की गई है या नहीं की गई है। इस बारे में राजस्थान सरकार ध्यान दे।

सभापति महोदया, इसके अलावा जिला जालौर में माइनिंग का बड़ा भारी स्कोप है। जालोर के अन्दर ग्रेनाइट कई रंगों का मिलता है। वहां पर बारह रंगों का ग्रेनाइट निकलता है और उसके उद्योग धन्धे छोटे-छोटे वहां पर लगाये जायं इसको ज्यादा प्रोत्साहन दें और वहां पर उसको विकसित करें। इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं।

इसके अलावा रानीवाड़ा पाल के पास मिट्टी का बड़ा उद्योग हो सकता है। चीनी मिट्टी के उद्योग को पनपाने के लिए राजस्थान सरकार ध्यान दे।

सभानेत्री महोदया, इसके अलावा भीनमाल तहसील में जो क्रिस्टल राक्स हैं उसके अन्दर बहुत सा तांबा है, लोहा है, सीसा है कई तरह के खनिज पदार्थ उस तहसील में निकल सकते हैं, परन्तु माइनिंग सर्वे इस जिले का नहीं हुआ है। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जालोर जिले का सर्वे कराया जाय ताकि वहां पर जो बहुमूल्य खनिज हैं उनके निकलने की सम्भावना है उनको एक्सप्लाइट किया जाय।

सभानेत्री महोदया, इसके अलावा दूसरा जालोर जिले में जल की समस्या है उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अभी कल परसों ही सूचना आई है,१६० गांव ऐसे हैं, जिनके नीचे का पानी खारा है। परन्तु मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग २०० गांव ऐसे हैं कि वहां पानी की समस्या है जो हल की जा सकती है। परन्तु राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे गांव ज्यादा आते हैं, जहां पानी नहीं है। वह तहसील सांचोर में है। स्व० जयनारायण व्यास के समय वहां स्कीम आरम्भ की गई थी। पहले वहां मलेरिया बहुत फैलता था। वह समस्या काफी हल हो गई है। परन्तु वहां की मुख्य समस्या है, गन्दे पानी की। वहां पानी के अभाव में मिट्टी मिला गन्दा पानी पीते हैं। स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। जन स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे आपके विभाग ने १६० गांवों की लिस्ट दी है। करीब ४० गांव और हैं, जहां पानी उपलब्ध नहीं है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत पानी की समस्या सरकार शीघ्र हल करें। एक दूसरी योजना हाड़ेती योजना कई वर्षों से विचाराधीन है। वित्त मन्त्री जब सांचोर पधारे, तो उन्होंने यह कहा था कि शीघ्र ही इस योजना का आरम्भ किया जाएगा। टेण्डर भी निकाले गये थे। परन्तु वाद में मालूम हुआ कि अप्रूवल से पहले ही टेण्डर निकाले गये थे। इसलिए सभानेत्री महोदया, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि क्षेत्रीय जल योजना सरकार ने बनाई है। उनको शीघ्र से शीघ्र आरम्भ किया जाये। तब तक ऐसी पाइप लाईन लगा दी जाये जिससे कि लोग दूर से आकर पानी पी सकें। फेमिन में जो राज्य सरकार खर्च कर रही है उसकी बचत हो जाएगी। और जब यह योजना बनकर तैयार होगी तो १५-२० गांव ऐसे हैं जिनको पानी मिलेगा। तो सभानेत्री महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहूँगा कि यह कब तक हो सकेगा। अभी जो खर्चा पानी पिलाने का हो रहा है वह भी बचत होगी। इस योजना को शीघ्र ही हाथ में लिया जाये। तहसील सांचोर में १०० गांव ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य गिरा हुआ रहता है। बिना अच्छा पानी के लोग बहुत तरह की बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं। राज्य सरकार वहां की स्कीम को हाथ में लेकर पानी की समस्या को दूर करे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात के लिए सूचित करे कि कब तक पानी मिल जायेगा ताकि लोगों को इस बात के लिए सूचित करें कि कब तक पानी मिल जायगा ताकि लोगों को इस बात के लिए सूचित करें कि उनकी समस्या अमुक समय तक हल हो जाएगी। पिछले २० साल से यह समस्या हल नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदया, हमें क्षेत्रीय जल योजना के बारे में आशा है कि पानी की समस्या निश्चित रूप से हल होगी। जोधपुर डिवीजन में जालोर में ऐसे गांव हैं जहां नीचे का पानी खारा है। आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। फिर भी पानी लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए राज्य सरकार यह खर्च करके इस क्षेत्र की जल योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करे। वहां के लोग गन्दा पानी पीकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार शीघ्र ही इसको पूरा करेगी। ताकि वह क्षेत्र हमेशा के लिए समृद्ध हो सके।

श्री सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता!

श्री मूलचन्द डागा : उनके यहां पानी की समस्या ही नहीं है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

(४.३६ म. प०)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, वहां १५०० खानें चल रही हैं। लगभग १० हजार मजदूर काम कर रहे हैं। वहां पर देखते हैं कि १५-१६ प्लाट मिल जाते हैं, जिनको वह अधिक धन पर बेच देते हैं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

फिर मजदूरों को कठिनाई होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया ऐसे लोगों को प्लाट देना बन्द करें जो हाथ से काम नहीं करते हैं। दूसरे जहां पर १०-१० हजार मजदूर काम करते हैं, लेकिन वहां पर कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है। दूसरे वहां पर मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। जहां इतने मजदूर हैं। उनके परिवार हैं। वहां लोग कठिन परिश्रम करके १५-२० रु० रोज कमा लेते हैं। शाम को वह शराब पीने चले जाते हैं। ऊपरमाल में शराब की दूकानें हैं। वहां से शराब की दूकानों को हटाइये। वहां पर डामर की कोई सड़क नहीं है। अब बन रही है, लेकिन कृपा करके तत्परता के लिए और उसे शीघ्र सम्पन्न करायें। चौथी बात यह है कि वहां पत्थर की खानों के पास मलवा पड़ा रहता है। दिनों दिन खानें बढ़ती जा रही हैं? मलवा वहां से हटवाया जायें। मै कुछ शब्द ग्रामोद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। एक वक्त था, में जिस गांव का रहने वाला हूँ सांगानेर का। वहां एक भी आदमी बेकार नहीं था। १०० घर छीपों के हैं। अच्छी छपाई होती है। दावद, गोदड़ा और बाम्बे तक कपड़े छपकर जाते थे। आज हालत यह है कि लोग बेकार हो रहे हैं। आज यन्त्र का उपयोग होता है। यन्त्र भी अपने स्थान पर उपयोगी है। लेकिन जहां पर एक अरब हाथ हों, वहां यन्त्र लगाते है तो आदमी बहुत बेकार होंगे। गांधी जी ने कहा था ग्रामोद्योग का यदि लोप हो गया तो भारत के ७ लाख गांवों का सर्वनाश ही समझिये। उन्होंने कहा था—यन्त्रों से काम लेना उसी अवस्था में अच्छा होता जब कि किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम हों। या नपे तुले हों। लेकिन हिन्दुस्तान में यह बात नहीं है; इसलिए उद्योगों के यन्त्रीकरण से बेकारी भी बढ़ेगी। यहां तो जरूरत इस बात की है कि साल में कई महिने जो यों ही बैठे बैठे आलस में बिताना पड़ता है उसका उपयोग कैसे किया जाय।

कुछ लोगों को मेरी बात शायद यह विचित्र लगेगी पर दरअसल बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः आज गांवों की जनता के लिए त्रास रूप हो रही है। उनकी रोजी पर ये मायाविनी मिलें छापा मार रही हैं।

उन्होंने आगे क्या कहा मेरी दृष्टि में सस्ता से सस्ता मिल का कपड़ा भी गांव में बनी हुई मंहगी से मंहगी खादी से भी ज्यादा मंहगा है क्योंकि हजारों का धन्धा छीन कर उन्हें बेकार बना दिया है।

उन्होंने आगे कहा यदि ग्रामवासियों को कुछ धन्धा देना है तो वह यंत्रों द्वारा सम्भव नहीं। उनके उद्धार का सच्चा मार्ग तो यही है कि जिन उद्योगों को अब तक वे करते आये हैं उन्हें भली भांति जीवित किया जाये।

उन्होंने आगे कहा सच तो यह है कि हमें गांवों वाला भारत और शहरों वाला भारत दोनों में से एक को चुनना है। गांव उतने ही पुराने हैं जितना कि भारत पुराना है। अगर स्वराज्य की

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

रचना अहिंसा के पाये पर करनी है तो गांवों को उनका उचित स्थान मिलना चाहिये।

चरखा मुझे जन साधारण का आशाओं का प्रतीक मालूम देता है। चरखा देहात की खेती की पूर्ति करता था और उसे गौरव प्रदान करता था। वह विधवाओं का मित्र और सहारा था। वह देहातियों को आलस्य से बचाता था क्योंकि चरखे के आगे और पीछे सब उद्योग आ जाते हैं मसलन लौढ़ाई, पिंजाई, ताना बाना आदि, इससे बढ़ई, लोहार सब काम में लगे रहते थे और इस प्रकार सात लाख गांव अन्न और वस्त्र में आत्म निर्भर थे। चरखे के चले जाने से तेल घानी आदि दूसरे ग्रामोद्योग भी नष्ट हो गये।

इसलिये यदि ग्रामीणों को फिर से अपनी स्थिति में वापिस लाना है तो चरखे और उससे लगे सब धन्धों का फिर से पुनरुद्धार हो और यह तब तक सम्भव नहीं जब तक बुद्धि और देश भक्ति वाले निस्वार्थ भारतीयों की एक सेना न हो और दत्त चित्त होकर चरखे का संदेश के लाने और उनकी निस्तेज आंखों में आशा और प्रकाश की किरण जगाने के लिए काम न करने लगें। तो मैंने आपसे निवेदन किया, मैं मानता हूँ कि आपने यहां खादी ग्रामोद्योग शुरु कर रखा है. मैं आपको बधाई देता हूँ लेकिन एक तरफ आप घानियों को मदद देते हैं और दूसरी तरफ जो एक्सपेलर हैं उसका भी रुपया देते हैं। इससे क्या करेंगे बेचारे घानी वाले। खादी ग्रामोद्योग के लिए यह कहा जाता है कि यह चोरों का अड्डा है। मैं यह नहीं कहता कि सब काम करने वाले ईमानदार हैं, लेकिन यह मानव स्वभाव है। चोर कुछ मिल सकते हैं, लेकिन कई खादी में काम करने वाली संस्थायें हैं वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप जाकर देखिये कि किस तरह से ऊन का बीकानेर में काम हो रहा है। इसी तरह मैं कई संस्थाओं के नाम गिना सकता हूं जिनके द्वारा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आखिर यह संस्था चलेंगी कैसे? अगर आप सचमुच चाहते हैं कि घानी चलें तो फिर ऐसा करिये कि जितने भी अखाद्य तेल हैं वह सारे के सारे मिलों में बनें और जितने भी खाद्य तेल हैं वह घानी से बने। इसी तरह से कम से कम कपड़े के लिए करिये, आप यह करिये कि अमुक नम्बर का कपड़ा या अमुक नम्बर का सूत है यह तो मिल में नहीं बनेगा। जब तक यह चीज नहीं करेंगे तब तक देश में बेकारी बढ़ेगी। मेरा निवेदन है कि आसानी से इस चीज को आप लागू कर सकते हैं। खादी ग्रामोद्योग के जरिये आप शिक्षा भी शुरु कर सकते हैं। कितना मजा आयेगा को अगर उससे आप कपड़ा बुनवाते हैं। वह घर पर जाकर अपने पिताजी को कहेगा कि यह जो सूत है यह हमने काता है। और जब उसके हाथ का कता सूत का कपड़ा पिता के शरीर पर आयेगा तो पिता कितना गौरव अनुभव करेगा। लेकिन आज हालत दूसरी है, जब बच्चे घर पर छुट्टी के दिनों में जाते हैं तो टेरेलीन के कोट पेंट पहन कर जाते हैं। आप टेरेलीन के कपड़ों से मानव को ऊपर नहीं उठा सकते हैं. ग्रामोद्योग को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। अगर उस बच्चे के बाप ने टी स्टाल खोल रखा है तो बच्चा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

वहां जाकर कप आदि धोने में शर्म अनुभव करता है . उपाध्यक्ष महोदय में आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप कृपा करके अपने को सम्भालिये। अगर नहीं सम्भालेंगे तो सर्वनाश होने वाला है। मैंने समाचार पत्र में देखा है कि एक पंचायत समिति आत्म निर्भर हो रही है लाटरी के जरिये। उसने भी लाटरी का काम शुरु कर दिया है। इससे भी ज्यादा प्रसन्नता की बात और भी देखने को मिली कि एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों ने पांच पांच पैसे की लाटरी शुरु कर दी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने जूआ खेलने का काम बड़े अच्छे ढंग से शुरू कर दिया है । इससे सर्वनाश ही होगा, कोई दूसरी बात नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि देश बचे, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान ने जिस तरह से देश का हमेशा मार्ग दर्शन किया है उसी तरह आगे करे तो आप अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाइये। आप राजस्थान की कला को देखिये, आज जो बड़े बड़े अमेरिकन आते हैं वह राजस्थान की पुरानी बनी चीजों को बड़े शौक से देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो यहां की एक एक चीज महत्व रखती है। आजआप जहां टेरेलीन पर आ रहे हैं वहां अमेरिका में आज मोटा कपड़ा पहनना गौरव समझा जाता है। अगर यह सब बातें चलें तो राजस्थान न भूखा रह सकता है और न नंगा रह सकता है। आपको अन्न और वस्त्र के बारे में इस देश को स्वावलम्बी बनाना पड़ेगा अगर इस देश को आपको जीवित रखना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह ।

श्री रामसिंह : मेरी पार्टी का समय है उसमें माननीय रामचन्द्रजी बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : वह हमारे हिसाब से हम देखेंगे ।

श्रीरामचन्द्र : आठ मिनिट का समय बचा है ।

श्री श्रवणलाल : हमारी पार्टी का भी समय बतादें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में जो डिमांड है उस पर मेरे चार कटौती प्रस्ताव है, मांग संख्या ३१ मुख्य शीर्षक ३५, इसी प्रकार जन स्वास्थ्य…… ….

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय मन्त्री महोदय ने पढ़ लिये हैं, इसमें समय खराब मत करिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह बता दूं । बारह मेरे कटौती प्रस्ताव थे, मैं यह उम्मीद करता था कि जो मैंने एक एक आइटम पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में तो सम्बन्धित मन्त्री महोदय इन्क्वायरी करानें के लिए आश्वासन दिलवायें। हमारे इलाके में जो एक पांडुसर गांव है, वहां १ लाख रुपया खर्च किया जाकर सरकार ने वाटर वर्क्स बनाया लेकिन वह बन्द पड़ा है और कुआ है उस गांव में………

श्री हंसराज आर्य : एक लाख नहीं डेढ़ लाख लगा था।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसमें मशीन फिट कर दी गई, जिससे लोगों को पानी नहीं मिलता है, न उसमें से इंजन निकालते हैं और न वाटर वर्क्स चालू किया जाकर लोगों को पानी देते हैं। अभी मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो पानी का बजट रखा है, राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा विकट समस्या पीने के पानी की है। पीने के पानी के लिए जितना बजट दिखलाया गया है, वहां राजस्थान में जब पीने के पानी की इतनी कठिनाई है, वहां आधे से ज्यादा रकम सरकारी गाड़ियों और कर्मचारियों के वेतन में और उनके मकान किराये और भत्ते में चली जाती है। और फिर ३ करोड़ ७२ लाख रुपया बचता है यह इतनी थोड़ी राशि है जिससे राजस्थान में कभी भी पीने के पानी का संकट दूर नहीं हो सकता है। अगर राजस्थान सरकार को पीने के पानी का लोगों के लिए प्रबन्ध करना है तो उसे पूरा बजट रखना पड़ेगा। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि यह तीसरा बजट है और यहां माननीय सदस्य बोलते हैं वह पानी के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी दलील देते हैं लेकिन होता क्या है वही ढाक के तीन पात। उसी मुताबिक बजट बनता है और कोई प्रगति नहीं होती है। अगर लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जाता है तो इस प्रकार की डिमांड मंजूर कराने से और रुपया खर्च करने से लोगों की समस्या हल नहीं होगी। मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि राजस्थान सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और जो गांव नहरी क्षेत्र के नजदीक में पडते हैं वहां पर लिफ्ट योजना के द्वारा पानी पहुँचाये यह कोई मुश्किल नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में जहां पन्द्रह मील दूर से पाइप लाइन डालकर तेल ले आते हैं तो क्या यहां पर पानी नहीं दिया जा सकता। लेकिन सरकार की नीति लोगों को पीने का पानी देने की नहीं है। लोगों को प्यासा मार रही है भयंकर अकाल में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान के अन्दर आये दिन भयंकर अकाल पड़ता रहता है। लेकिन पानी की समस्या को सरकार इतने साल में भी हल नहीं कर सकी है तो दूसरी समस्या को क्या हल कर सकती है।

सबसे पहले तो इन्सान को जिन्दा रखने के लिये पानी की आवश्यकता होती है, पर राजस्थान में हमारे इलाके में ऐसे कुएं है जिनमें जहर है, कोई यदि उन कुओं का पानी पी ले तो मर जाय, ऐसे पानी को वे लोग कैसे पी सकते हैं। वहां कुण्ड बनाये जाते हैं और वर्षा होने पर उन कुण्डों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। और लोग उन कुण्डों के पानी से गुजारा करते हैं। वर्षा नहीं होती है तो उन लोगों को पन्द्रह, पन्द्रह, बीस बीस मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है। आज आजाद हिन्दुस्तान में २० वर्षों की आजादी के बाद भी सरकार की इस प्रकार की व्यवस्था है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को कोई इस प्रकार का कदम उठाना चाहिये कि जिससे वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

(श्री रामचन्द्र ग्रार्य)

ग्रब मैं उद्योगों के बारे में कहूंगा। कुटीर उद्योगों की बात की जाती है पर मैं कहूंगा कि ग्राज राजस्थान में कुटीर उद्योग नहीं कोठी उद्योग हैं। इस भयंकर ग्रकाल के समय में भी यह सरकार सेक्रेटेरियेट पर १८ लाख रुपया खर्च कर रही है। इस सरकार के पास लोगों को पानी पिलाने के लिये पैसा नहीं, उद्योगों के लिए पैसा नहीं, इस सरकार के पास कोठियां बनाने के लिए, बंगले बनाने के लिए नाचघर बनाने के लिए लाखों रुपया है। यह सरकार पानी का प्रबन्ध करने को तैयार नहीं, उद्योगों की ग्रोर इस सरकार का ध्यान नहीं, जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कष्ट किसको कहते हैं, क्योंकि इनके यहां तो बंगलों में टूटियां लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं। ग्रानन्द से बंगलों में रहते हैं, इनको तो कोई तकलीफ नहीं, इनको क्या पता कि गांवों में लोग पानी के बिना किस प्रकार कष्ट पा रहे हैं।

उद्योगों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में काफी ईंटों के भट्टे हैं, उन लोगों को यह सरकार खदेड़ रही है कि लाइसेंस प्राप्त करो, लाइसेंस के लिए बीकानेर जाग्रो। ५० हजार ईंटें पकाने वाला एक ग्रादमी बीकानेर जा कर लाइसेंस प्राप्त करे, बड़ी ग्रजीब बात है, क्या ग्राप तहसीलदार के यहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते। गांवों में कुम्हार हैं, ईंटें बनाने वाले, वे मिट्टी खोद कर, गांवों में कूड़ा इकट्ठा कर के ईंटें बनाते हैं, ईंटें पकाते हैं ग्रौर लोगों को ईंटें सप्लाई करके ग्रपना गुजारा करते हैं, उनको भी ग्राप इस प्रकार बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। चिमनियां लगा कर ईंटों के भट्टे लगाए जाते हैं, वहां भी ऊंची बोलियां लगाई जाती हैं गरीब लोग इसे नहीं पा सकते क्योंकि नीलाम में पन्द्रह २, बीस बीस हजार तक की बोलियां लगती हैं। तो ग्राज पुराने उद्योगों को खत्म कर रही है, नये उद्योग चलाने का तो सवाल ही दूर रहा।

गंगानगर में खाद कारखाना लगाने का एक प्रश्न मेरा यहां ग्राया। गंगानगर में इतना कच्चा माल पड़ा हुग्रा है कि छोटी ग्रौर बड़ी फैक्टरियां वहां लग सकती हैं। कच्चे माल का वहां इतना ग्रटूट भण्डार भरा पड़ा है कि ५० साल तक भी वह कच्चा माल समाप्त नहीं हो सकता, उससे वहां दो-तीन फैक्टरियां चल सकती हैं। ३४-३५ हजार टन खाद की हर साल जिस इलाके में खपत है वहां ग्राश्चर्य की बात है कि कोटा से खाद मंगाया जाय, इससे बढ़ कर ग्रन्धेर गर्दी ग्रौर क्या हो सकती है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार गरीबों को रोजगार देने को तैयार नहीं, हमारे इलाके में चूना निकलता है गरीबों को देहातों से हटाया जाता है, लोगों को ग्राबादियों से उखाड़ दिया गया, उनके घरों से उखाड़ दिया गया, वे गरीब लोग चिल्लाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, गरीब काश्तकारों को रियायत दी हुई है मिट्टी निकालने की, ईंटें बनाने की फिर भी उनको परेशान किया जाता है, इस प्रकार की ग्रव्यवस्था है, इसको देखते हुए मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में उद्योग जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई है, गरीबों के हाथों में जितने पुराने उद्योग थे, वे सारे के

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सारे समाप्त कर दिए हैं, ऐसे नियम बनाये हैं कि वे समाप्त हो गये, लोग पनप नहीं सकते, गंगानगर जैसा कच्चा माल पैदा करने वाला इलाका है, वहां से कच्चा माल बाहर भेजा जाता है, वहां जो रुई पैदा होती है उसको तो बाहर भेजना पड़ता है और बाहर से रुई मंगाई जाती है, इस प्रकार का कारखाना सरकार वहां लगा सकती थी पर २० सालों में राजस्थान सरकार ने औद्योगीकरण की तरफ कुटीर उद्योगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, खादी उद्योग कर रही है पर उसमें लाखों के घोटाले हैं, इनके ही कितने ही आदमी उसमें पल रहे हैं। इतना छोटा छोटा बजट कुटीर उद्योगों के लिए रखा है कि कुल २ लाख और कुछ हजार रुपए कुटीर उद्योगों के लिए रखे हैं। इस प्रकार २ करोड़ जनता के लिए इतने लम्बे क्षेत्र में दो ढाई लाख रुपयों से कुटीर उद्योग थोड़े ही हो सकते हैं, इसके लिए तो करोड़ों रुपया खर्च करने की और लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

परिवार नियोजन में २॥ करोड़ रुपया रखा है, आदमियों को कम करने की इतनी चिन्ता है, आज आदमी तो वैसे ही मर रहे हैं. भूख से तड़प तड़प कर मर रहे है। और कहते हो कि लूप लगवा लो, नसबन्दी करवा लो। मैं तो कहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है। देश में तीन प्रधान मन्त्री हुए, जवाहरलालजी नेहरू, उन्होंने कहा कि देश में उद्योग धंधों को पनपाया जाय।

श्री नत्थीसिंह : यह तो खास सवाल है। इनको बोलने दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : नेहरू जी ने नारा दिया कि देश में बड़े कारखाने लगाये जायं, देश में खुशहाली लाई जाय। दूसरे प्रधानमन्त्री शास्त्री जी ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया और कहा कि खूब उत्पादन बढ़ाओ, खूब शस्त्रास्त्र बनाओ।

उनके बाद हमारी प्रधान मन्त्री इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा कि लूप लगा लो। इस तरह लूप लगाने से कोई गुजारा नहीं होना है, परिवार नियोजन से कोरा देश का भला नहीं हो सकता। अकाल से लोग मर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, महामारी फैल रही है और अगर यही व्यवस्था रही तो राजस्थान में लूप लगवाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अभी और भयंकर दिन आ रहे हैं, उनका सामना नहीं कर सकेंगे और भूख से तड़प तड़प कर लोग मरेंगे। इसलिये सरकार को परिवार नियोजन की चिन्ता नहीं होनी चाहिए और दूसरे धंधों में पैसा लगाना चाहिये। विशेष तौर से पानी की व्यवस्था होनी चाहिये, रोजगार बाद में। लोगों को पीने को पानी नहीं मिले, उस सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, इस सरकार ने बीस वर्षों में पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया है........

एक माननीय सदस्य : मीठे पानी का कहो, खारा पानी तो बहुत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी इन्सान में भी नहीं रहा है, इसलिये हमारी यह दुर्दशा हो रही है। अगर आप में पानी होता तो आप सुखाड़ियाजी को कहते कि आप शोषण करते हो राजस्थान के सेक्रेटेरियेट में २० लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते, पर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आप में हिम्मत नहीं है, आप सुखाड़ियाजी से दबे हुए हैं, मास्टरजी आकर बैठ जाते हैं तो फिर हिम्मत ही नहीं होती आपकी। सुखाड़िया जी दलील दें कि हम राज छोड़ेंगे तो राज को कौन सम्हालेगा, राजा लोग भी यही कहते थे, अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम चले जावेंगे तो राज को कौन सम्हालेगा, क्योंकि राज सम्हालने की लियाकत किसी हिन्दुस्तानी में है ही नहीं। उसी तरह से सुखाड़ियाजी कहते हैं। राज चलाने के लायक लोग हैं या नहीं यह आपका वहम है, सुखाडियाजी नहीं रहेंगे तो राज नहीं चलेगा यह आप लोगों की मैं बिलकुल निकम्मी बात समझता हूँ, यह तो आपका स्वार्थ है, इसलिये आप उनको चिलम पेश करते है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

सदन की अनुमति से इस बैठक का समय विचाराधीन मांगों के स्वीकार किये जाने तक के लिये बढ़ाया जाता हैं।

श्री श्रवणलाल : समय आपके दल का केवल दो मिनिट बचा है, इसलिये ५ से ७ मिनिट आप लें।

श्री हरिदेव जोशी : रिप्लाई का समय कब रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बस एक दो बोल लें।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे उद्योग, विज्ञान और जन स्वास्थ्य के संबंध में काफी कटौती प्रस्ताव थे। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा न कहते हुए मन्त्री महोदय का ध्यान अपने इलाके की तरफ दिलाने की कोशिश करूंगा जहां पर गरीबों का एक मुख्य धन्धा खानों से पत्थर निकलाना है। हमारे क्षेत्र में करौली और हिन्डौन के अन्दर जो खनिज विभाग की खानें हैं उनके अन्दर करीब करीब १५ हजार मजदूर कार्य करते है। वहां पर इतनी बड़ी सख्या में मजदूर काम करें जिससे कि सरकार को लाखों रुपए की सालाना आमदनी होती हो और सरकार उनके प्रति किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं करे, यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जहां मजदूर काम करते हों, उनके पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके जीवन रक्षा की चिकित्सा की, व्यवस्था नहीं हैं। जहां लाखों रुपए सालाना इस सरकार के लिए वह खानें देती हैं, वहां आने जाने के साधनों को देखा जाय तो वह इतने कठिन हो रहे हैं कि कोई चल नहीं सकता, जो गाड़ियाँ जाती है उनके रास्ते में दो दो तीन तीन फुट के गड्ढे हैं। कई बार विधान सभा में मैंने यह बात उठाई और निर्माण मन्त्री और अन्य उप मन्त्री भी वहां पहुंचे लेकिन उन्होंने आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही उस संबंध में नहीं की।

जो मोनोपोली का ठेका करौली के अन्दर चल रहा है, वह काफी समय से चल रहा है। जो भूमनलाल स्वरूप लाल को १९५९ से ठेका ३० वर्गमील की एरिया का उसको मिला था वह मोनोपोली सिस्टम से चला आ रहा था, लाखों मजदूरों का शोषण करते थे और १९६४ में इस सरकार ने उन मजदूरों की बात मानते हुए उस एरिया को

(श्री श्रवणलाल)

कम किया और उसको घटाकर १५ मील का एरिया उसको दिया गया। इस तरह हमने उस एरिया को कम जरूर किया लेकिन जो बाकी १५ मील घटाया गया, वह किसके नाम से किया ? उसका किसी को भी आज तक पता नहीं। उन खानों में से आदमी आज भी पत्थर निकाल रहे हैं, विभाग को जानकारी होते हुए भी, अधिकारियों की सांठगांठ होते हुए भी खानों से लाखों रुपए के पत्थर निकाल रहे हैं।

इस प्रकार आंकड़े उपलब्ध किए जायं गत वर्ष के मैंने पूछा था रायल्टी के सम्बन्ध में। आज लाखों की बकाया इन्हीं ठेकेदार के प्रति है झूमनलाल स्वरूप लाल करीब ढाई लाख रुपए जो इनका बटवारेटा के नाम ठेका है और ३-४ लाख की बकाया जो करौली का क्षेत्र है उसके अंदर है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब किसान पर किसी प्रकार की कोई बकाया रह जाती है तो उसके खिलाफ कुर्की के द्वारा तहसीलदार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, हल, बैल व चूल्हा और अन्य चीजें जो रोजाना काम में आने वाले हैं उनकी कुर्की कर लेते हैं लेकिन जो पत्थर के ठेकेदार हैं जिनके नाम आप ठेका देते हैं उनमें लाखों की बकाया जो है, उस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है, क्यों नहीं उनसे वसूल किया जाता है ? क्यों नहीं इस प्रकार के केसेज कोर्ट में दायर करते हैं ? लेकिन नहीं कर सकते। क्यों ? आपको चुनाव जीतना होता है और चुनाव के अंदर खर्चे की जरूरत पड़ती है, उनसे खर्चा लेते हैं चुनाव के नाम पर चंदा लेते हैं। इतना ही नहीं जीपों और अन्य प्रकार के साधन जुटाने की कोशिश करते हैं। उसके कारण आप उनसे बकाया वसूल करने की स्थिति में नहीं।

जो करौली में सीमेन्ट फैक्ट्री खुलने वाली थी, वहां पर हमारी सरकार ने सर्वे कराया, सब सुविधायें पाई गई। उसके बाद में षडयंत्र रचा गया और किसी कारण हमारे जिले के अंदर एक उद्योगपति की जो सीमेंट फैक्ट्री है जयपुर उद्योग के नाम से, जो काम कर रही है, उसने सोचा कि अगर दूसरी फैक्ट्री कायम हो गई तो हमारी जो किसी प्रकार इतनी आमदनी बढ़ती जा रही है उसमें घाटा होगा, मजदूर नहीं मिलेंगे, उत्पादन जो रहा है उसमें कमी आ जायगी। मोहनलालजी सुखाडिया कहकर आये थे कि सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ सुखाड़िया जी से वह कहां गई ? यह बताने की कोशिश की गई कि वहां पत्थर की तादाद कम है। जब संसद में इस बात के लिए सवाल उठा था तो उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है कि अन्य जगह सीमेन्ट फैक्ट्री का पत्थर जो सवाई माधोपुर में उपलब्ध है उससे भी ज्यादा यहां पर है। आप वहां पर फैक्ट्री खोल नहीं सकते क्योंकि साहू जैन जिसकी फैक्ट्री सवाई माधोपुर में चल रही है, उसके कारण यहां पर आप खोल नहीं सकते। ब्यावर में खोल सकते है, चित्तौड़गढ़ में खोल सकते हैं और उदयपुर में जरूर खोल सकते हैं लेकिन करौली में नहीं खुल सकती। इसी के साथ साथ........

श्री उपाध्यक्ष : पानी की तकलीफ

(श्री उपाध्यक्ष)

हो उस पर आ जांय। समय समाप्त हो रहा है।

श्री श्रवणलाल : मैं कह रहा था कि इस विभाग के अंदर जो रायल्टी बकाया है उसकी वसूली के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है उसकी व्यवस्था की जाय और करौली के अंदर जो हजारों की संख्या में बेरोजगार हैं जहां पर दूसरे प्रकार के धंधे नहीं हैं जमीन उपलब्ध नहीं है, वे मजदूर सीमेंट फैक्ट्री में आकर काम करेंगे, अपने नौजवान बच्चों का भविष्य बनायेंगे। अतः मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय सीमेंट फैक्ट्री के लिए यहां पर जरूर आश्वासन देंगे।

जो सबसे बड़ा मेरा कट मोशन है राज्य से अंदर १२ साल के शासन के अन्दर जो कहते थे जब उनके हाथ में शासन नहीं था घी और दूध की नदियां बहा देंगे। वह घी और दूध की नदियां तो दूर रहीं, उनका तो पता नहीं चला लेकिन यह जरूर है कि शराब की नदियां बह रही हैं यहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जहां पीने के पानी का सवाल आता है चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर चाहे बीकानेर आज पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं। आज १०-१० १२-१२ मील से पानी लाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में इस प्रकार की जगह हैं कि जहां पर आठ आठ मील दूर से पानी लाया जाता है। पीने के पानी की समस्या २१ वर्ष में हल नहीं कर सके। लाखों करोड़ों रुपया खर्च दिया। सर्विसेज का सवाल हो, उनको वेतन भत्ता आदि देने का सवाल है, एजीटेशन का सवाल हो यह सब अलग सवाल है। जनता को पीने का पानी भी आप उपलब्ध नहीं करा सके इससे अधिक शर्म की क्या बात हो सकती है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्डौन में नल योजना की बात ५७ में शुरु की थी। चुनावों का समय आता है मत्री लोग पहुंच जाते हैं और जनता को आश्वासन दे आते हैं। उद्घाटन भी कर आते हैं। ५७ से नल योजना को घसीटते घसीटते ६७ तक ले आये और मुख्य मन्त्री सुखाड़िया जी ने उसका उद्घाटन कर दिया और उन्होंने यह कहा कि मैंने जिस चीज का उद्घाटन किया है, निर्माण कराने के लिये उद्घाटन किया है, वह काम अधूरा नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं सुखाड़िया जी से आपका लगाया हुआ पत्थर है उस पर लोग पेशाब करते हैं, उसकी आड़ में खड़े होकर पेशाब करते हैं। कहां गया आपका आश्वासन ?

श्री नत्थीसिंह : यह गलती की कांग्रेस के मुकाबले जीत गये।

श्री श्रवणलाल : यह तो जनता का सौभाग्य था।

श्री विजयसिंह मकराना : यह तो जनता का सौभाग्य था कि कांग्रेस को नहीं चुना।

Page No 163

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि वाटर वर्क्स का काम हिन्डौन में शुरु हो गया है।

श्री श्रवणलाल : मुझे अधिक मालूम है। ६२ से लेकर पीने के पानी की समस्या जटिल हो गई है। मई जून और जुलाई में यह स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है। ६२ से विधान सभा में बार बार निवेदन करते हुए भी कुछ नहीं किया है। पानी के बिना जनता में तबाही मच जाती है। जनता बड़ी दुखी है। उस योजना को, चूंकि विरोधी जीतकर आया है इसलिये पार्टी बाजी के कारण शुरू नहीं करते हैं तो भी मान कर चलें आगे भी वहाँ से वोट नहीं मिलने वाले हैं। जितने मिलने थे वे मिल गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी काम कराने का इरादा नहीं मालूम पड़ता है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले गांवों में छोटे छोटे उद्योग चलते थे। आज हमारी सरकार की ओर से उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और प्रोत्साहन नहीं दिये जाने के कारण छोटे २ उद्योग चलते थे वे आज समाप्त होते जा रहे हैं। लोग बेकार हो रहे हैं। बेकार लोग शहरों की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। छोटे २ उद्योगों को अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा पनपाया जाना चाहिये था उनको प्रोत्साहन न देने के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी के कारण रोजगार के लिये शहरों की ओर भागना पड़ता है। मिलों में जाकर अनेक प्रकार की दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है। मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि जहाँ ग्राम उद्योग चल रहे हैं, छोटे २ उद्योग चल रहें हैं उनको जरूर प्रोत्साहन दें। उनको किसी प्रकार की सब्सिडी,लोन देकर,अनुदान देकर,वगैर किसी रुकावट के देकर उनको पनपाया जाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: आप का नाम सूची में नहीं था।

श्री कल्याणमल : सूची में नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम पुकारा तब तो आप उपस्थित नहीं थे।

श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर के गांवों में नल योजना न होने की वजह से वहां पर पानी की समस्या दिनों दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि वहां के निवासियों को दो-दो, तीन-तीन मील दूर से पानी लाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूँ कि जहाजपुर तहसील में चार गाँव ऐसे हैं जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं और उनको दो तीन मील दूर से पानी लाना पड़ता है। आज तो दो मील दूर से पानी लाना पड़ता है। लेकिन ज्योंहि गर्मी आ जाती है तो दो मील पर भी पानी नही मिलेगा। इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया और मंत्री महोदय को दिखाया भी था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी है। जहाजपुर तहसील में ६० हजार की जनसंख्या में पिछड़े हुए लोग रहते हैं और १५

(श्री कल्याणमल)

हजार फौजी हैं जो देश की रक्षा के लिये बलिदान करने के लिये तैयार हैं उनके परिवार के लिये कम से कम पानी की तो व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे भाषण नहीं देना है। जो समस्या है वह मैं संक्षेप में बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया, मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाया लेकिन सर्वे हो जाने के के बाद भी योजना चालू नहीं हो पाई है। उपाध्यक्ष महोदय, और जो समस्यायें हैं वह पूरी न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी पीने के लिए जो जरूर मिलना चाहिये। जहाजपुर तहसील में इटन्दा, पंढेर और ठीठोड़ा ये जो तीन-चार गांव हैं इनमें भयंकर अकाल की स्थिति हो गयी है और गर्मी में उन ग्रामों के लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा।

उस क्षेत्र में सफेद मिट्टी बहुत तादाद में निकलती है। उसका अगर कोई उद्योग हो तो वह बर्तन बनाने में काम आवे। पहाड़ी इलाका है, पत्थर की खाने हैं। अगर वहां पर उद्योग लगा दिया जाय तो काफी लोगों को मजदूरी मिलेगी।

एक बार और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि वे आश्वासन दिलायेंगे और पीने के पानी की समस्या को हल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। दो ही शब्द कहूँगा। जयपुर में दो करोड़ ४० लाख, उदयपुर में ४० लाख और गंगानगर में ८५ लाख, और माउंट आबू में २४ लाख कुल मिलाकर करोड़ों रुपया शहरों में खर्च करवा रहे हैं। जवाई से पानी ले जायं ६० मील दूर पर और पास में पाली के जो गांव हैं वे बिना पानी रहें यह नहीं होना चाहिये, फिर तो या तो इन्कलाब आना चाहिये। १६.६ पर्सेन्ट जनसंख्या पर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और जहां हमारी जनसंख्या १६ ६ के अलावा है, उन गांवों की जनता की,आपने कहना चाहिए, अवहेलना की है। यह सारी योजनाएं आप बनाते हैं उनमें गांव वालों की योजना नहीं होती। ८५ प्रतिशत जनसंख्या के लिये आप कई करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं और शहरों की योजनाओं के लिए आपने करोड़ों रुपया खर्च किया है। आप गांव वालों को पेय जल की कोई सुविधा नहीं देना चाहते। आप शहर वालों के लिए हेमावास बांध से ६० मील दूर तक पानी ले जाते हैं, लाइनें ले जाते हैं और इस बीच में पड़ने वाले गांवों को पानी नहीं देते हैं। मैं १० सालों से बराबर इन गांवों को पानी मुहैया करने के लिए कहता आ रहा हूं परन्तु इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां का पानी खारा है। पीने के लायक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे लोग मजदूरी करते हैं, पानी कच्चे रास्ते से लाते हैं। उनकी नहर को पक्की नहीं कर सकते। उनके लिए एक स्कीम बनाई जाय। उसकी नहर को पक्का किया जाय ताकि पानी का लाभ उनको मिल सके। जो नहर के पास के गांव

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं वे बिना पानी के रहें और पानी को आप मीलों दूर ले जावें, मैं पूछता हूं क्या यही समाजवादी योजना है ? इसी प्रकार से आप शहर वालों के लिए योजना बनाते हैं । यह सब बेकार है । शहरों की पानी की योजना के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और गांव के लिए कुछ नहीं है । फिर आप कहते हैं हम इसे कॉमर्शियल बेसिस पर चलाते हैं । गॉव वालों से आप ५ प्रतिशत लेते हैं, चन्दे के रूप में लेते हैं । आपने शहरों से कितना कन्ट्रीब्यूशन लिया है ? क्या शहर की जनता से रुपया लिया है ? फिर कैसे कॉमर्शियल बेसिस पर इसको चलाने की बात कहते हैं ? पाली नगरपालिका ने १२५ पब्लिक स्टेण्ड लगाये हैं । आप कौन सी धनराशि उससे वसूल कर रहे हैं ? गांव में पानी लायेंगे तो टैक्स लगायेंगे । पंचायत समिति से पैसा वसूल करेंगे और शहरों मे ११ करोड़ का खर्चा आपने बताया है । पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई पैसा आप उनसे वसूल नहीं कर सकते हैं । करोड़ों रुपया आपने बताया है कि माफ कर दिया गया है। फिर कहते हैं कॉमर्शियल बेसिस पर चल रहे हैं । पाली शहर में जल प्रदाय योजना काम कर रही है, कितना पैसा आपने उससे वसूल किया है, और कितना बाकी है ? इसका मतलब है, जो बोलना जानते हैं, जो सरकार पर आक्रमण करना जानते हैं सरकार उनकी सुनती है । और यह सरकार गांव वालों की अवहेलना करती है । गांव वालों की ज्यादा जनसंख्या है । खारा पानी उनको मिलता है । मैं चाहता हूँ कि पक्की नाली बना दी जाय । परन्तु यह नहीं करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं । परन्तु समय की कमी है । गांवों के पानी की समस्या का निराकरण किया जाय । जल-प्रदाय योजना शहरों के लिये ही न बनाई जाय । शहरों पर करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जाता है और हम गांव वाले यहां चुप बैठे रहें । यह गलत है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये सारे गांव वाले बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने उद्योग एवं खनिज से सम्बन्धित मांगों के ऊपर अपने बहुमूल्य विचार यहां पर रखे हैं । मैं जो विचार आज उन्होंने यहां दिये हैं, सुझाव दिये हैं उनके बारे में जहां तक हो सकेगा संक्षेप में प्रत्येक के ऊपर कहने का प्रयत्न करूंगा, किन्तु फिर भी यदि किन्हीं मुद्दों के ऊपर यह बता न सकूं तो वे ऐसा न समझें कि उनके प्रश्न की किसी प्रकार से उपेक्षा की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान प्रदेश का सवाल है, प्राकृतिक दृष्टि से जो इसकी स्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें राजस्थान के औद्योगिकरण की ओर विचार करना होगा । राजस्थान का भू-भाग जिस प्रकार का है, राजस्थान की वस्तु-स्थिति जिस प्रकार की है, उसी प्रकार से यहां पर उद्योगों का विकास हो सकता है । समुद्र तट से सैकड़ों मील दूर होने के

(श्री हरिदेव जोशी)

कारण, बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी होने के कारण से और बिजली और दूसरे साधनों, पानी वगैरह जितना होना चाहिये, उसकी बहुत बड़े भू-भाग के अन्दर कमी होने के कारण से राजस्थान के औद्योगिकरण में एक लम्बे अर्से तक व्यवधान रहा है। पिछले वर्षों में बिजली की कमी के कारण से, बरसात कम होने के कारण और भाखरा, चम्बल की बिजली कम मिलने के कारण से राजस्थान के औद्योगिकरण में अधिक गति आने में व्यवधान रहा है। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से स्थितियों ने पलटा खाया है और एक नये प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। उन स्थितियों में यह कहना उचित नहीं होगा कि आजादी के बाद राजस्थान के अन्दर औद्योगिकरण की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। अथवा जितना ध्यान दिया जाना चाहिए नहीं दिया गया। माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय यहां व्यक्त की है। उस पर मैं अपने विचार यहां रखना चाहूँगा। यह कहा गया है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी में जो कन्ट्री-ब्यूट करती थी, उसमें कमी आगई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत नहीं हूँ। जो इन्ड-स्ट्रीज का, माइन्स का कन्ट्रीब्यूशन है, उस सिलसिले में जो वार्षिक वार आंकड़े हैं, वे आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सेक्टर में

१६५४—५५ में	५०० लाख
१६५५—५६ में	४०६ लाख
१६६०—६१ में	८८६ लाख
१६६५—६६ में	२०७८ लाख
१६६६—६७ में	२:६६ लाख और
१६६७—६८ में	२६७२ लाख

का कन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है। इसी प्रकार स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के अन्दर ६,२२१ लाख और ८२१४ लाख, १०८२४ लाख, १०६५६ लाख और ११५४० लाख का कन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसी प्रकार माईनिंग के अन्दर—

१६५४—५५ में	२४० लाख
१६५५—५६ में	२६८ लाख
१६६०—६१ में	५२६ लाख
१६६५—६६ में	१०१६ लाख
१६६६—६७ में	१०६१ लाख
१६६७—६८ में	१०६० लाख

का कन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसके माने यह है कि प्रोग्रेसिवली प्रति वर्ष आमद, उत्पा-दन बढ़ा है। इसके द्वारा हमारे जन-जीवन के अन्दर कन्ट्रीब्यूशन रहा है। माननीय सदस्य ने जो पर्सेन्टेज यहां पर प्रस्तुत किया उन आंकड़ों के बारे में मैं ना नहीं कहता हूँ। वे आंकड़े विभाग द्वारा प्रकाशित हैं। तात्पर्य यह हो सकता है कि एग्री-कल्चर के सेक्टर में, या दूसरे सेक्टर में जो प्रगति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, उसके लिहाज से कमी हुई है। प्रोडक्शन किसी प्रकार से कम हुआ है, यह कम नहीं हुआ है। ठीक यही बात औद्योगिक उत्पादन के अन्दर है। राजस्थान के अन्दर माननीय सदस्य कोई भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि आजादी से पूर्व हमारे यहां पर फेक्ट्रीज रजिस्टर्ड कितनी थीं और आज कितनी हैं। कोई संख्या देखें तो चाहें कुछ फेक्ट्रीज कम हों, काम नहीं कर रही हों, परन्तु जो फेक्ट्रीज

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं और काम कर रही हैं उनकी संख्या लगभग पिछले वर्ष में, उपाध्यक्ष महोदय, ५०० के ऊपर है। ५०० के ऊपर फैक्ट्रीज राजस्थान के अन्दर रजिस्टर्ड की गई हैं और सन् १९६१ के अन्दर यह सख्या १०५० है। १९६८ में ७२३३ हो गई है। इसके मायने यह हैं कि नये उद्योग रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उनको संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। किन्तु इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हम चाहते हैं उतनी प्रगति इस सिलसिले में नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि पिछले दो-तीन वर्ष के अन्दर बिजली में जो कमी हुई है इस कारण जितने इन्टरप्रेन्योर्स आने चाहिये थे उतने नहीं आये। आज हम इस चीज को मद्देनजर रख कर देखें तो पूरे देश में इन दो वर्षों में इन्डस्ट्रीज में स्लम्प आया है। इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज में और टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज में क्राईसिस आया है जिनका गुजारा चलना मुश्किल था। राज्य सरकार ने जो इण्डस्ट्रीज क्राईसेस से गुजर रही थीं उनको अपनी ओर से मदद देने का भरसक प्रयत्न किया है। उदाहरण की तौर पर भीलवाड़ा का टैक्सटाइल मिल ही ले लीजिये जो एक प्रकार से बन्द हो रही थी, मजदूरों को वेजेज नहीं मिल रहे थे उसको गवर्नमेन्ट ने टेक ओवर किया ताकि उसमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेन्ट हो। आज खुशी की बात है वह मिल मरने से बच गई और मुनाफे में चल रही है। ठीक इसी प्रकार ब्यावर की महालक्ष्मी मिल को भी गवर्नमेन्ट ने टेक ओवर किया, उसको घाटे में बन्द होने से तो बचाने का प्रयत्न किया ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इण्डस्ट्रीज को हम....

श्री देवीदत्त गाड़िया : धौलपुर हाई टेक के बारे में....

श्री हरिदेव जोशी : मैं सारी चीजों के बारे में कह दूंगा। आप शान्ति रखिये। मैं निवेदन करता था इण्डस्ट्रीज को आइसोलेटेड-वे में नहीं देखना चाहिये। इण्डस्ट्रियल पॉलिसी है वह गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया द्वारा डिक्लेअर की हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार आगे बढ़ती जाती है। जो बेसिक इण्डस्ट्रीज हैं गवर्नमेन्ट आफ इण्डया और राजस्थान सरकार उन्हे अपनी तौर पर करने का प्रयत्न करते हैं। मगर कई माननीय सदस्यों को भ्रम है कि प्रत्येक उद्योग राज्य सरकार या भारत सरकार ही करेगी। इसके मायने यह हुए यहां इण्डस्ट्रीज क्या हैं और उसे कौन और कैसे चला सकते हैं उसके बारे में जानकारी करने का प्रयत्न नहीं होता। प्रत्येक उद्योग स्टेट सेक्टर में नहीं चले यह व्यवहारिक बात नहीं और पॉलसी के लिहाज से भी उचित नहीं है। कौन से उद्योग स्टेट सेक्टर में चलने चाहिये और कौन से प्राइवेट सेक्टर में होंगे इस बारे में औद्योगिक नीति घोषित की जा चुकी है जो पार्लियामेन्ट द्वारा भी अनुमोदित हो चुकी है। बेसिक इण्डस्ट्रीज में स्टील, पॉवर, रेलवे ये ऐसे उद्योग है जो स्टेट सेक्टर में लिये जा जाते हैं, इनको पब्लिक सेक्टर में रखा गया है। जो उद्योग स्टेट सेक्टर में नहीं चलने वाले हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में चलाते हैं। उनके लिए इन्टरप्रेन्योर्स को लाईसेन्स लेना होता है आज्ञा मांगनी होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ सदस्यों ने कहा हमारे यहां सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिये। इसके लिये इन्कार कौन करता है, लेकिन कोई लगाने

(श्री हरिदेव जोशी)

वाला तो हो....

श्री देवीदत्त गाड़िया : वही पुराना जवाब ।

श्री हरिदेव जोशी : वही पुराना ही जवाब होगा क्योंकि हमने इन्डस्ट्रियल पॉलिसी में स्वीकार किया है, क्योंकि सीमेंट को स्टेट सेक्टर में नहीं लिया गया है। सीमेन्ट प्राइवेट सेक्टर में है। आप अगर यह महसूस करते हैं कि आपके यहां सीमेंट फेक्ट्री लगे तो आप इन्टरप्रेन्योर को लाइये। सीमेन्ट फेक्ट्री के लिये लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं जो चाहे लगा सकता है। माननीय सदस्य जिन्होंने करौली के लिए कहा है अगर किसी की भी एप्लीकेशन दिला देंगे तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि उसके लिये मैं २४ घन्टे में स्वीकृति दिला दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे हाथ में पूंजीपति नहीं हैं ।

श्री हरिदेव जोजी : किसके हाथ में कौन हैं यह खूब अच्छी तरह सब जानते हैं। आप की सूचना के लिए निवेदन कर दूं करौली में जो लाइम स्टोन है वह एवरेज ग्रेड का नहीं जिससे सीमेन्ट बन सके। इसके अलावा करौली २४ माइल रेलवे लाइन से दूर है। ऐसी जगहों के लिये आम तौर से लोग नहीं आया करते हैं ।

बून्दी में लाइम स्टोन का एरिया है उससे सीमेंट भी बन सकता है। वहां पर एक पार्टी पिछले कई वर्षों से लाख रुपया खर्च करने के बावजूद फेक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर सका। उद्योगपति आखिर में उद्योग तभी लगाते हैं जब कि वह इकोनॉमिकली स्टेण्ड होता हो। अगर वह इकोनॉमिकली ठीक नहीं देखता है तो अपना पैसा नहीं फंसाता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या बून्दी की सीमेंट फेक्ट्री के लिये जिन महानुभाव ने काफी खर्च किया उन्होंने सरकार से कुछ सुविधा और मांगी थी ? सरकार द्वारा उनके मना करने पर छोड़ा है ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो इकोनॉमिकली साउन्ड प्रोपोजल्स होंगे मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से उन पर विचार किया जायगा। जो भी इन्टरप्रेन्योर आयेंगे उनको हर प्रकार की मदद मिलेगी यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं रेलवे लाइन डलवा दूंगा। अगर रेलवे लाइन इकोनॉमिकली गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के ध्यान में आयी तो वे डाल सकते हैं ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप दबाव डालिये ।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं बहुत आभारी हूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां उद्योग स्थापित होने चाहिए यह प्रत्येक व्यक्ति की लगन अच्छी है। वास्तव में जहां भी उद्योग स्थापित करवाने की बात हो प्रेक्टिकल और रीजनेबल होना होगा। उद्योग ऐसी चीज नहीं जिसमें हमारे कहने पर कोई पैसा लगाने को तैयार हो जाय। पैसा लगाने वाले आंख बन्द करके पैसा नहीं लगाते। मैं, उपाध्यक्ष

(श्री हरिदेव जोशी)

महोदय, माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार अपनी ओर से हर चन्द कोशिश कर रही है और प्रयत्न कर रही है कि राजस्थान में अधिक से अधिक उद्योग लगें। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कई बार आलोचना की है कि अमुक लोगों को अमुक प्रकार से इन्सेन्टिव देते हैं, यह करते हैं, आदि। आज से पांच साल पहले नेगोशियेशन्स करते थे और कन्सेशन्स देते थे अब उसको बन्द करके जो कन्सेशन या इन्सेटिव आज हम देने जा रहे हैं उस सम्बन्ध में पॉलिसी मेटर डिक्लेअर कर दी है कि राजस्थान के अन्दर बिजली किस भाव से दी जायगी किन-किन लोगों को कौन-कौन से कन्सेशन्स दिए जायेंगे इसकी एक पिक्चर आम लोगों के सामने रख दी गई है। इसके साथ-साथ चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन जगहों पर क्या क्या पोटेन्शियेलिटी है, क्या उद्योग लग सकते हैं, प्रत्येक जिले के अन्दर और राजस्थान के अन्दर किस-किस प्रकार का मेटेरियल उपलब्ध है इसकी एक सर्वे रिपोर्ट छपवा कर आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दी है। यह एक बहुत बड़ा साधन होगा इन्टरप्रेन्योर्स को उद्योग लगाने में। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय,जब हम उद्योगों की बात करते हैं उद्योगों के बाबत में बहुत साफ समझना चाहिए कि उद्योगों को तभी लेते हैं जब उसके लिए एक प्रकार से प्राथमिकता हो। माननीय सदस्या ने जो भीम से आती हैं उन्होंने यह कहा कि उद्योगों के लिए इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक से लोन क्यों नहीं लेते? इन लोनिंग एजेन्सीज का एक लोन का पेटर्न है कितना मिलना चाहिए और किस प्रकार मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। औद्योगिक आधार पर उनकी पोटेन्शियलिटी के आधार पर लोन दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर हम महसूस कर लें कि हम जिस बैंक से लोन चाहें वह लोन ऐसे ही नहीं मिला करता है। उदाहरण के तौर पर जे० के० सिन्थेटिक्स को ही लीजिए जिन्होंने

(म० प० ५-३८)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत,) सभापति, पदासीन

निम्ब हेड़ा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए कहा। जयपुर उद्योग लिमिटेड ने व्यावर में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव किया। इस कम्पनीज के दूसरेलोगों के कितने असेट्स हैं, कितना लोन दिया हुआ है रिपेइंग की केपेसिटी है या नहीं, यह सब देखकर लोनिग एजेन्सीज लोन देती हैं। गवर्नमेन्ट आज सोचे कि इस प्रकार से लोन दे दे तो वह नहीं दिया जाता। अगर कोई कार्पोरेशन होवे या कोई प्राइवेट पार्टी हो उसको इस प्रकार का लोन दिया जाता है। गवर्नमेन्ट लोन असेट्स पर दिया जाता है, उसके प्लान को देखकर दिया जाता है,गवर्नमेन्ट चाहे कोई स्टेट सेक्टर में कारखाना खोलना चाहे, एवर-ब्टली पांच-पच्चीस कारखाने हाथ में लेना चाहे, उस बारे में प्लान देना होगा किस प्रकार से रिपे करेंगे, उनके रिसोर्सेज क्या होंगे, उसको ध्यान में रख कर देखना होगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

किन्तु फिर भी में माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जैसे ऊन का सवाल है. नमक का सवाल है, अथवा सीमेंट का सवाल है, अथवा जो साधन हैं, जिनके जरिये जो बेसिक चीज हैं जो राजस्थान में बहुतायत से उपलब्ध हैं उन सबको राजस्थान सरकार इग्नोर करके नहीं चल रही है बल्कि उनको ध्यान में रखकर अधिक से अधिक आम लोगों के सामने लाने को प्रयत्न कर रही है।

सभापति महोदया, आप इस बात से सहमत होगीं कि ऊन के सेक्टर को आम लोगों के सामधे लाया गया है और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के माध्यम से एक ऊन मिल बीकानेर में आज कायम की गई है। उसकी शुरुआत हुई है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी उद्योग दौड कर नहीं चल सकता। धीरे-धीरे वह जमेगा। अमुक वर्षो में घाटा देगा। फिर उसकी इकोनॉमी जनरेट होगी तो नई चीज उस आधार पर आवेगी।

आज यह कहा गया है कि उस कार्पोरेशन के द्वारा चलाई जाने वाली मिल घाटे में चल रही है। मुझे भी मालूम है आप यह मानेंगे कि कोई भी उद्योग शुरु होता है तो शुरु-शुरु में घाटे में चलता है। घाटा देना है। क्योंकि शुरु होते ही पूरा उत्पादन नहीं कर सकता। एक फैक्ट्री को शुरु होने में समय लगता है, शुरु होते ही तो उत्पादन नहीं होता। पूरे उत्पादन में आने में समय लगता है। ऊन फैक्ट्रियों को ही लेलें। ४०० तकुओं की फैक्ट्री है अथवा बीकानेर की इतने तकुओं की है। ये तकुए धीरे-धीरे चलेंगे। फिर प्रोडक्शन पर आने में समय लगता है। पर जब पूरी स्पीड पिकअप कर लेता है तो मार्केट में कम्पीटीशन में आता है। शुरु में कम्पीटीशन में कठिनाई आती है। जो पहले हैं मार्केट में वे कम्पीटीशन करते हैं। उनको फेस करना होगा और उस समय अपनी अहमियत को उसे साबित करना होगा। तब जाकर जो फिटेस्ट है वह सरवाइव कर सकेगा। जो फिट नहीं है वह अपनी मौत से मर जायगा। तो ऊन में हम इस प्रकार से बढ़ रहे हैं।

इसी प्रकार चमड़े के बारे में है। दो राय नहीं है इसमें कि राजस्थान में पशु बहुत हैं उनको ध्यान में रखकर हम यहां पर राजस्थान में चमड़े की एक टेनेरी टोंक में कायम करने का विचार रखते हैं। आज ही मुझ से रोमानिया के प्रतिनिधि यहां जयपुर में मिले थे। उसके प्रति में आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि हमने इस बारे में वर्ल्ड टेण्डर्स मंगवा लिए हैं। रोमानिया, फ्रांस, बुलगारिया और युगोस्लाविया की कुछ फर्मों ने अपने टेंडर दिये हैं। उनकी स्क्रूटिनी हो रही है। श्री नायडम्मा, जो आल इण्डिया लैदर इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी के डाइरेक्टर हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले कुछ दिनों में महीने-डेढ़ महीने में इन सारी फार्मेलिटीज को पूरा कर देंगे और उसके बाद में कोई निर्णय लेलेंगे। और वह उद्योग भी जल्दी से जल्दी स्थापित होगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

पाइलेट प्रोग्राम के रूप में हम इसे स्थापित करना चाहते हैं। हम यह चाहते है कि जो थोड़ा समझौता करें, कोलोबोरेशन करें उसमें ५० या ६० पर्सेन्ट जो भी प्रोडक्शन हो उसको एक्सपोर्ट के लिये दे सकें। जो हमारी ये शर्तें मानेगें उसके साथ कोलोबोरेट करेंगे और जल्दी से जल्दी हम इसे स्थापित करना चाहते हैं। टोंक से उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारी इस बाबत में काफी उत्सुकता जाहिर की। हम भी देर नहीं करना चाहते हैं यह एस्योरेन्स दिलाते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : टोंक जिले का तो कोई सदस्य नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है। हम अनावश्यक जल्द बाजी भी नहीं करना चाहते। आम तौर पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि सोच समझकर इनवेस्टमेन्ट सरकार नहीं करती और इसलिये घाटा होता है। तो सोच समझकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पर राज्य सरकार की निगाहों से ये सब चीजें दूर नहीं है।

जहां तक दूसरे उद्योगों का सवाल है हाई टेक के बारे में इंगित किया गया। हाई टेक बन्द हो चुका था। गाड़ियाजी को यह मालूम है। फिर से उसे शुरू किया गया है। केवल इसलिये कि एक उद्योग बन्द नहीं रहना चाहिये। अगर हमारे बूते में है तो उसे शुरू किया जाना चाहिये। इस भावना से किया है। पहले दूसरे प्रकार का इन्वेस्टमेन्ट हो चुका था। गंगानगर शुगर मिल्स को लीज पर लिया गया है। अब वह काफी अच्छी चल रही है। अब साउन्ड फुटिंग पर आ जावेगी थोड़े दिनों में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक सेकण्ड के लिये। १६ अप्रेल से फिर यह हाई टेक बन्द होने वाली है। यह बात भी आपके नोटिस में है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप उतावल क्यों करते हैं। पुराना स्टाक था। सारा लगभग बिक चुका है क्योंकि अब हम काफी प्रिकाशन्स लेकर चलाना चाहते हैं। फरदर इन्वेस्टमेन्ट नहीं करना चाहते कि नुकसान हो। केवल एक भट्टी हमारे पास है। उसकी लाइफ कुछ महीनों की मानी गई थी। वह पूरी हो चुकी है लगभग। इसलिये ले-आफ का नोटिस दिया है। हम महीने दो महीने तीन महीने का जो समय होता है रिनोवेट करके काम जारी रखेंगे। आज नुकसान में नहीं हैं। बराबर प्राफिट दे रहा है इसलिये माननीय सदस्यों की इस भावना को मैं जानता हूँ कि राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगीकरण होना चाहिये उसकी कद्र भी करता हूँ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कर्मचारियों का इतने दिन फिर क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : कानून में जो होगा, जो नियम है, मेरे लिये, प्राइवेट सेक्टर के लिये सबके लिये वह समान लागू होगा। हम ले-आफ कर रहे हैं उसके जो परिणाम होंगे, पेमेन्ट करना होता है तो वह होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मिलना है मिलेगा। जितनी लेबर है, ले-आफ के पीरियड में जो भी काम उनमें से कुछ ले

(श्री हरिदेव जोशी)

सकते होंगे लेंगे, जितना उपयोग कर सकते हैं करेंगे। आज हम भी इतना समझते हैं कि जो लेबर आई है कम्पनी की कास्ट पर जिसने कुछ सीखा है. उसको चले जाने देना हम भी नहीं चाहते। हम उसका उपयोग करना चाहते हैं; अच्छे फैक्टरी ओनर्स की तरह से हम भी व्यवहार करना चाहते हैं। यह बात मैं कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय माननीय सदस्यों ने राजस्थान के अन्दर ग्रामोद्योगों के बारे में और खादी के बारे में भी कई बातें कहीं। मैं उन लोगों में से हूं जो खादी और ग्रामोद्योग को भारत के जीवन के लिये आवश्यक अंग मानकर चलता हूं और खादी केउद्योग और ग्रामोद्योगों में जीवित विश्वास है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो भारत सरकार की न राजस्थान सरकार की यह नीति है कि ग्रामोद्योग को नेग्लेक्ट किया जावे। पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि जो बेसिक इण्डस्ट्रीज हैं लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज है उनकी भी उपेक्षा की जावे। जन-जीवन के लिए सभी प्रकार की इण्डस्ट्रीज आवश्यक हैं मनुष्य के शरीर में जैसे विभिन्न अवयवों की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार की छोटी मोटी और ग्रामोद्योग की और बेसिक इण्डस्ट्रीज को दोनों की आवश्यकता है, हम उन सबको अहमियत देते हैं। पर जिस समय माननीय सदस्य अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं शायद उनको मालूम नहीं कि जो रकम यहां पर रखी गई है वह असिस्टेन्स नहीं है बल्कि खादी बोर्ड के दफ्तर को रन करने के लिये हैं। पेटर्न आफ असिस्टेन्स क्या है खादी और ग्रामोद्योगों के लिए खादी और ग्रामोद्योग को चलाने के लिए लोन, सहायता खादी बोर्ड और खादी बोर्ड का खादी कमीशन भारत सरकार को देता है, ग्रामोद्योगों की और खानी को पैसा और ऋण भी राजस्थान फाइनेन्सियल कारपोरेशन देता हैं। जो बड़े उद्योग हैं उनको इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन बैंक वगैरह फाइनेन्स और मदद देते हैं। तो वहां तक छोटे उद्योगों का ग्रामोद्योगों का सवाल है उसमें तेल घाणी आ जाती है, दूसरी चीजें आ जाती हैं उसको असिस्टेन्स खादी कमीशन के पैटर्न आफ असिस्टेन्स पर दिया जाता है।

राजस्थान सरकार तो केवल खादी बोर्ड के दफ्तर को चलाने के लिए उसको रन करने के लिये अपनी तरफ से असिस्टेन्स देती है और जो आंकड़े दिये गये हैं वे दफ्तर को चलाने के लिए है।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

बाकी करोड़ों रुपया खादी ग्रामोद्योग और दूसरे उद्योगों के लिये दिया गया है वह बजट में नहीं दिखाई देता है। इसलिए जो आपने कहा है कि २।। करोड़ की आबादी के लिए इतनी कम रकम रखी गई है। यह साबित करने की कोशिश करता हैं कि यह असिस्टेन्स कम हैं। यह बात सही नहीं है। बल्कि सही चीज यह है कि करोड़ों लाखों रुपया आज उन पर लगाया गया है।

आज जैसा कहा गया था ऊन का

(श्री हरिदेव जोशी)

उत्पादन हमारे प्रदेश में काफी बढ़ा है और मैंने स्वयं ने देखा है कि जब से खादी कमीशन ने ऊन का काम अपने हाथ में लिया, खादी बोर्ड ने ऊन का काम अपने हाथ में लिया तब से राजस्थान से ऊन पहले कच्चा हमारे मण्डियों में बोरों मे भरकर बाहर चला जाता है चाहे वह नेग्लीजेबल परसेन्टेज हो लेकिन आज उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका धागा बन रहा है और यहां से बन कर बाहर जाता है। खादी के अन्दर आज लगभग एक करोड़ का ऊन खादी के रूप में राजस्थान से बाहर जा रहा है तो यह जो प्रयत्न है इन पिछले पांच सात वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम है। पश्चिमी राजस्थान में चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, जालौर हो, नागौर हो उनके अन्दर अलग अलग संस्थायें अलग २ ढंग से इस काम को कर रही है ऊन के क्षेत्र के अन्दर और आज खादी कमीशन के पैटर्न आफ असिस्टेन्ट के अनुसार उन सबको असिस्टेन्स मिल रही है। मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि हम जो पैटर्न आफ असिस्टेन्स है उसको समझें। आज समस्या यह नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ वह समस्या यह है कि जो ग्रामोद्योग हैं उनकी समस्या पैसे को नहीं है बल्कि उनकी समस्या यह है कि जो लोग उसमें लगे हुए हैं वह अनपढ़ हैं, अनभिज्ञ हैं और जो असिस्टेन्स दी जाती है उस असिस्टेन्स को वह प्राप्त करने से असमर्थ हैं। इसलिए कौन उन्हें असिस्टेन्स दिलवाये, किस प्रकार से दिलवायें, कौन उसको ले इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूँ कि खादी बोर्ड को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को और संस्थाओं को भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको इनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत ही धीरज से प्रयत्न करने होंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कई कठिनाइयां सरकार ने भी महसूस की थीं दूसरी दूसरी बातों से और वह यह है कि पैटर्न आफ असिस्टेन्स के अनुसार केवल संस्थाओं को या सोसाइटियों को ही लोन दिया जा सकता है यही प्रावधान था मगर अब यह महसूस करके कि काफी बड़ी तादाद में हमारे आर्टीजन्स इन इन संस्थाओं से और सोसाइटियों से परे भी काम कर रहे हैं जैसे कुम्हार हैं, तेलघानी वाले हैं उन सबको भी असिस्टेन्स मिलनी चाहिए। इसलिए कानून में संशोधन किया गया है कि सोसाइटीज के सिवाय इन्डीविजुअल को भी लोन दिया जा सके, उनको सहयोग दिया जा सके इसका प्रावधान अब कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस संशोधन का अधिक से अधिक लाभ उठाया जायेगा और अधिक से अधिक इस दिशा में काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज हैं उनकी ओर आना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों के अन्दर लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज खोलने की बातें कहीं। किसी जगह फर्टीलाईजर फैक्ट्री के लगाने की बात कही गयी तो और किसी जगह किसी दूसरे उद्योग के लगाने की बात कही गयी। राजस्थान के अन्दर उद्योग कम है किन्तु इसके बावजूद भी कई उद्योग काफी स्ट्रेटेजिक ढंग के लगे हैं और हम आशा करते हैं कि राजस्थानियों के प्रयत्नों से हम सब लोगों के प्रयत्नों से आने वाले वर्षों

Page No 174

(श्री हरिदेव जोशी)

में जितने भी उद्योग लगें लेकिन जो चीजें आज उतनी उपयोगी नहीं हो सकी हैं अथवा साइन्स और टेक्नालाजी ने जो नयी नयी चीजें आम लोगों के सामने रखी हैं और उनके कारण से कई चीजें आज आउट-डेटेड हो गयी हैं। जैसे कई माननीय सदस्यों ने जिप्सम मिला और उसको लेकर क्यों नहीं फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगाई जाये। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारे यहां से कई चीजें बाहर क्यों जायें। रा-मेटेरियल का यहीं पर उपयोग किया जाना चाहिये। खाद यहां से आना चाहिए और यहीं पर बनाना चाहिए। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूँ मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो फर्टीलाइजर के क्षेत्र में रॉक फोस्फेट और पाइराइड और जिप्सम के द्वारा जो आज फर्टीलाइजर बनता है वह एक प्रकार से मंहगा और कम उपयोगी तरह का साबित हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर पहले जमीन एक्वायर करने की क्या जरूरत पड़ी। लोगों को आपने उजाड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बाद में अवसर मिलेगा।

श्री रामचंद्र आर्य : आपकी जिन्दगी में तो आप पूरा नहीं करा सकेंगे—कोई बादमें आने वाला ही कर सकेगा तो कर लेगा।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान के अन्दर राक फोस्फेट और पाइराइट के उपलब्ध होने के बाद हम यह प्रयत्न कर रहे है कि राजस्थान के अन्दर चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो एक बड़े पैमाने पर फर्टीलाइजर फैक्ट्री बने। माननीय सदस्य जो बाड़मेर जिले से आये हैं उन्होंने कहा था कि जैसलमेर के अन्दर बिरुमानिया में जो रॉक फोस्फेट मिला था उसका एफ०सी० आई० को लीज क्यों नहीं दिया गया और उसको खोदने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सारी चीजों को अखिल भारतीय आधार पर सोचना चाहिये कोई पैरोशियल या क्षेत्रीय आधार पर नहीं। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो चीजें हैं जैसे ही भारत सरकार ने हमारे सामने यह चीज रखी हमने भारत सरकार के समक्ष कहा है कि राजस्थान के अन्दर जो रॉक फास्फेट मिला है उसका बेनीफिट राजस्थान को तो कम से कम हो। मैंने निवेदन किया कि जैसे जिप्सम को खोदकर दूर ले जाते हैं और वहां फर्टीलाइजर बनाते हैं तो कम से कम यह आश्वासन तो दीजिए कि जो रॉक फास्फेट मिला है उसके ऊपर आधारित उद्योग राजस्थान में लगेंगे। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और एक स्टडी टीम यहां पर स्थापित की है मिस्टर कस्तूरी रंगन की चेयरमैन शिप में जिसमें हमारे सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज और डाइरेक्टर माइन्स एण्ड ज्यूलोजी हैं जो इसकी स्टडी करेंगे कि एक स्टेट के अन्दर रॉक फोस्फेट और पाइराइट है तब हम राजस्थान के अन्दर इस रॉक फास्फेट और पाइराइट का किस प्रकार

(श्री हरिदेव जोशी)

से उपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार ने हमसे यह आग्रह किया था कि हम जल्दी से जल्दी लीज़ देदें ताकि वह इसको देखें। हमने निवेदन किया कि हमें लीज़ देने में कोई ऐतराज नहीं है किन्तु राजस्थान के लागों की यह भावना है कि राजस्थान में उद्योग स्थापित हो। आज जब यहां पर आइल नहीं है, गैस नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है और बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं-जो भी चीज हमारे यहां पर प्राप्त हुई है उसको आधार बनाकर हम राजस्थान के जनजीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत सरकार सहयोग दे। हम आशा करके चलते हैं कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी भारत सरकार पूरा करेगी। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने स्टेट सेक्टर में रॉक फोस्फेट के खनन की हमको इजाजत दे दी है और उदयपुर के पास जो रॉक फोस्फेट झावर-कोटड़ा के अन्दर मिला है वह किसी भी जगह के रॉक फास्फेट की अपेक्षा काफी परसेन्टेज आई ४० से ५० की पी० टी० ओ० ५ क्वालिटी का है जिसको सीधा ही खोदकर सुपर फोस्फेट बनाने के काम में लाया जा सकता है अब हमने भारत सरकार से निवेदन किया है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने रॉक फास्फेट का खनन शुरु कर दिया है। यही नहीं उसको खनन और सप्लाई भी हमने शुरु कर दिया है और ट्राम्बे की जो फर्टीलाइजेर फैक्ट्री है उसने ५००० टन का सीधा आर्डर भी दिया है और हम आशा करके चलते हैं कि इसके मिलने के कारण से राजस्थान माइनिंग के ऊपर और खनिज उद्योग के ऊपर और दूसरे उद्योगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और राजस्थान को उससे काफी आमदनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर हमारे खनिज विभाग के बारे में भी बातें कहीं। मैं इसलिए नहीं कि यह विभाग मेरे पास है और मैं इसकी कोई तारीफ करना चाहता हूँ-मैंने कई आल इण्डिया कान्फ्रेंसेस खनिज से संबंधित अटेन्ड की हैं और उसमें राजस्थान की तारीफ इसके लिये की गयी है कि राजस्थान ने प्रास्पेक्टिंग के अन्दर और असिस्टेंस के अन्दर काफी बड़ा काम किया है। आज से कई वर्ष पहले यह स्थिति थी कि जो रूल्स हैं या दूसरी चीजें हैं वह उतने साफ नहीं थे लेकिन आज हमने यह प्रयत्न किया है कि जो माइन्स ओनर्स हैं उसको हम मदद करें। कई मानवोय सदस्य कह यह सकते हैं कि यह जो हमारी सहायता है वह नाकाफी है। मैं इसको मान सकता हूँ कि हम अपने वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर जितनी हम सहायता कर सकते हैं उतनी आज हम करते हैं।

किन्तु पम्प्स के रूप में, ट्रेक्टर्स के रूप में और दूसरे साधनों के रूप में इस कार्य के ऊपर हम उनको देते हैं। कर्ज भी उनको देते हैं जिससे माइन अनर्स अपनी माइन्स को खूब अच्छी तरह से डेवलप कर सकें और राजस्थान के धन को आगे बढ़ा सकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक माइन आनर्स

(श्री हरिदेव जोशी)

इस सहयोग को प्राप्त करें और अधिक से अधिक काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर एक माननीय सदस्य ने किसी एक पार्टी को ३० मील से ज्यादा एरिया के बारे में चर्चा की है। मैं उनसे सहमत हूं कि किसी एक पार्टी को इतना बड़ा लीज एरिया नहीं हो जिससे कि एक प्रकार से मोनोपोली हो। माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अनुसार ५ साल के लिए एक आदमी को लीज दी जाती है। फिर ५ वर्ष के लिए और अगले पांच वर्ष के लिए वह लीज रिन्यू की जाती है। हमने यह प्रयत्न किया है कि आज से कुछ वर्षों पहले वहां पूरी की पूरी तहसीलें,धौलपुर सब-डिवीजन के अन्दर बाड़ी, बसेड़ी और दूसरी पूरी की पूरी तहसीलें लीज के रूप में दे दी गई थी। जयपुर जिले के अन्दर पूरी की पूरी तहसीलें लीज के अन्दर दी गई थी। सवाई माधोपुर के एरिया में पूरी को पूरी तहसीलें लीज में दे दी गई थी। हमने इन लीज को कम्प्रोमाइज के जरिये कम किया है और जहां ३० मील थी उनको १५ मील किया है। जिनकी रायल्टी एक लाख थी उनकी दुगनी कर दी है। इस प्रकार से इस बात का भेद भाव नहीं किया है कि कोई आदमी बड़ा है तो भी उसकी रायलटी और डेडरेन्ट दुगुना किया है और एरिया कम कर दिया है। इसी प्रकार लाइम स्टोन क्षेत्र के अन्दर, सेण्ड स्टोन क्षेत्र के अन्दर और दूसरे क्षेत्रों के अन्दर जो एक मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्साज काम कर रही थीं उनको मोनोपोलीज को कम करके छोटे स्तर पर लाने का प्रयत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल यही काफी नहीं है कि छोटा एरिया कर दिया जाय, मगर यह अत्यन्त आवश्यक है कि माइन्स के डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाय, और मैं माननीय समस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि जैसा कि मकराने के अन्दर आज से ३०० वर्ष पहले जो हालत थी खनन की वही का वही हालत आज भी है और उसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्यों और मकराने से आने वाले माननीय सदस्य का सहयोग चाहूंगा कि वहां पर वे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करायें। वहां की माइन्स डेवलप हो सकें और अधिक अच्छे लोग वहां पर उसके अन्दर आ सकें। इस दिशा में मदद देने का वे प्रयत्न करें। मगर कई दिक्कतें सामने आ जाती हैं। अधिक इन्वेस्टमेंट के लिए माइन ओनर्स से कहा जाता है तो स्ट्राइक लाते हैं। और मजदूरों को सामने लाते हैं। अधिक पैसा वसूल करने की बात कहते हैं तो स्ट्राइक, जैसे कि जोधपुर में स्ट्राइक हुआ जैसा कि, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है और दूसरे माननीय सदस्यों को भी पता है। मजदूरों का पैसा वसूल करायें। तो स्ट्राइक, एरिया बढ़ाते हैं तो स्ट्राइक, और दूसरी बात करते हैं तो स्ट्राइक। तो इस प्रकार से मिनरल्स का डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मारबल का क्षेत्र है वह काफी बड़ा है। राजस्थान सौभाग्यशाली है, उपाध्यक्ष महोदय इस मामले में कि काफी बड़ी तादाद के अन्दर मारबल राजस्थान के अन्दर मिल

(श्री हरिदेव जोशी)

रहा है। मकराने का मारवल व्हाइट मारवल पुराना मारवल है और दूसरे स्थानों में जो मारवल मिला है। उमेरला में मारवल मिला है। बूंदी, सिरोही, शिवगंज में मारवल मिला है। भैंसलाना में मारवल मिला है, उदयपुर में मारवल मिला है। बांसवाड़े में मारबल मिला है, किशनगढ़ में मारवल मिला है, जो कि अलग अलग रंग और अलग अलग रंग की स्ट्रिप्स में मिला है। वह मारवल राजस्थान की शान कहा जा सकता है और बड़े बड़े स्थानों में वह मारवल लगाया जाता है, मगर निश्चित रूप से बड़ा इन्वेस्टमेन्ट करना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। मकराने में मारवल बाबाआदम के जमाने से होल करके उसको उड़ा कर निकालते हैं उसी तरह से आज निकाल रहे हैं तो उससे १५–२० प्रतिशत मारवल नष्ट हो जाता है और राष्ट्र की सम्पत्ति उपयोग के अन्दर जो आना चाहिए वह नहीं आ रही है। राजस्थान के अन्दर मारवल निकालने के इम्प्रूव्ड मैथ्ड्स काम में नहीं लाये जाते हैं। वह क्यों? केवल इसलिए कि पुराने जमाने से वह ऐसे लोगों के हाथ में है कि जिनके पास में इन्वेस्टमेंट का कोई जरिया नहीं है, जिनको स्किल्ड जानकारी नहीं है और न किसी के पास स्किल्ड एडवाइस है जिसके आधार पर वे काम कर सकें। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार के सहयोग को लेकर और इम्प्रूव्ड मैथड्स को काम में लाया जाय। कोई सहकारी समिति या ऐसी चीज फार्म करें कि जिसके जरिये अधिक इन्वेस्टमेंट हो सके और राष्ट्रीय धन है उसको आगे बढ़ा सकें और अधिक डेवलपमेंट कर सकें। मैं माननीय सदस्य के सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री विजयसिंह मकराना: मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं। यह तो खुशी होगी आपको जानकरके कि मकराने में आज दिन तक कोई राजस्थान सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का आन्दोलन नही हुआ है, तो मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री महोदय खुद यह महसूस करते हैं कि मारबल वहां का बहुत अच्छा है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बाबा आदम के जमाने से प्रसिद्ध है तो पुराने जमाने के तरीकों को खत्म करके नये तरीकों से वहां काम करायें और डेवलपमेंट करें जिससे राजस्थान को खुद को करोड़ों रुपयों का फायदा हो।

श्री हरिदेव जोशी: मैं सहमत हूं और आपका सहयोग लूंगा इस बारे में। मैं आशा करता हूं कि वह ना नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान में ग्रेनाइट के बारे में जालौर के अन्दर कई शेड्स ग्रेनाइट मिला है, और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि ग्रेनाइट को डेवलप करने के लिए मशीनरी और दूसरी चीजों के लिए जिस धन की आवश्यकता होगी वित्त विभाग अधिक से अधिक धन देगा, और ग्रेनाइट राजस्थान के बाहर जाकर और अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री दिग्विजयसिंह : फाइनेन्स कमीशन से प्राप्त होगा तब देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि राजस्थान के अन्दर आइल और गैस के लिए जो प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है उस आइल और गैस के प्रोस्पेक्टिंग को विगोरसली किया जाना चाहिए जिससे कि वह मिल सकें। मैं इस विषय में बहुत ज्यादा बात नहीं कहकर यही कहना चाहता हूं कि आज ही माननीय मुख्य मन्त्री के नाम से लिखे हुए पत्र का उत्तर आया है जो कि उन्होंने केन्द्र को लिखा था उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि उसके लिए अधिक से अधिक वे प्रयत्न कर रहे हैं। आज डिटेल्स के अन्दर में नहीं जाना चाहता हूं, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह मानेंगे कि हम इस बात से पूरी तरह से खुश होंगे अगर राजस्थान के अन्दर आइल मिल जाय। आज मिडिल ईस्ट अथवा दूसरे क्षेत्रों में, मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, हिन्दुस्तान के जिन क्षेत्रों के अन्दर आइल मिला है वहां की इकोनोमी चेंज होती चली जा रही है। राजस्थान में मिलेगा तो राजस्थान की सूखी हुई धरती के अन्दर पानी नहीं मिल सकता है और आईल मिल जाय तो पानी का मिलना दूभर नहीं रहेगा। पानी अपने आप दौड़ता हुआ पीछे चला आयेगा। इस दृष्टि से जितना प्रयत्न कर सकेंगे उसमें ढिलाई नहीं करेंगे। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

देवीदत्त गाड़िया : किस स्थान पर मिला है आइल ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसलमेर के एरिया में।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने हमारे हैंण्डीकाफ्ट्स और उनके एक्सपोर्ट के बारे में। उनके डेवलपमेंट के बाबत में बातें कहीं हैं। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता था कि बहुत कम बोलूं मगर फिर भी काफी समय हो गया यह हैण्डीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट ऐसी चीज नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसको कि बहुत ही आसानी से हल किया जा सके। एक्सपोर्ट मायने इस देश से बाहर भेजने का। जो मैंने दूसरे लोगों से चर्चा करके सुना है और इस चीज को समझने का प्रयत्न किया है कि विदेशों में लोग किसी भी चीज को एक अथवा दो की तादाद में नहीं चाहते हैं वे हजारों और लाखों की तादाद में आर्डर देना चाहते हैं, चाहे आइवरी की चीज हो चाहे सैण्डल की चीज हो ऐसी सब चीजों को वे लाखों की तादाद में चाहते हैं हमारे जो आर्टीजन्स हैं वे आर्टीजन्स उन चीजो को लाखों की तादाद में पैदा नही कर सकते हैं, किन्तु इसके बावजूद प्रयत्न यह किया जा रहा है कि राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट बढ़े और हमारे लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी और खास तौर से उन माननीय सदस्यों को, जो कि राजस्थान के कुछ आर्टीजन्स न केवल स्टेट लेवल के काम में काफी अच्छे हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी ख्याति हुई है और अखिल भारतीय पारितोषिक और प्रमाणपत्र उनको दिये गये हैं। पीतल के काम करने वालों को, सोने-चांदी

(श्री हरिदेव जोशी)

के काम करने वालों को, चीनी मिट्टी यानी ब्ल्यू पोटरी के काम करने वालों को अखिल भारतीय पारितोषिक मिला है। राजस्थान सरकार हैण्डीक्राफ्ट्स को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है। आज से कुछ वर्षों पहले उनकी तरफ से प्रोडक्शन एक साल में नोमीनल सा था। आज केवल कार्पोरेशन के मारफत. दूसरों के डेटा में नहीं कह रहा हूं, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के मारफत उनका प्रोडक्शन हजारों गुना बढ़ा है। माननीय सदस्या जिन्होंने इस बात को कहा था वे उसको स्वीकार करेंगी। माननीय सदस्या उस बोर्ड की मेम्बर भी है और मैं उनसे यह आशा करके चलता था कि वे उन सारी चीजों को उसमें कहेंगीं जो हैण्डीक्राफ्ट के उत्पादन के लिए कारपोरेशन व गवर्नमेंटने जो प्रयत्न किये हैं, उनको नरेट किया जायगा, यह मैं उनसे उम्मीद करता था। जो भी हो, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं उनको जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्डीक्राफ्ट्स मृतप्राय नहीं हुआ।है बल्कि आगे बढ़ रहा है। आज हम वर्किंग कैपिसिटी देखकर काम देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, मै कहूँगा कि उन्हीं के जिले में जो फड़े बनाने वाले हैं, आज उनकी इतनी मांग है कि वह सप्लाई नहीं कर पाते हैं। जितने भी छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं। जो मूर्तियों पर काम करने वाले लोग हैं, उनको लोन्स एड्वांस दिये जाते हैं। और यह प्रयत्न किया जाता है कि उनको प्रोडक्शन मिले।

एक माननीय सदस्य-मन्त्रियों की भी एक एक मूर्ति बनवादो।

(विराम)

श्री हरिदेव जोशी-उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे यहां इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कोई आदमी आता है तो यहां उसको रेडटाइप शाही मिलती है। उसको जल्दी स्वीकृति नहीं मिलती है। मेरा भी दूसरा तरीका है। मैं स्थान स्थान पर गया हूं। मैंने यह प्रयत्न किया है, कि जो भी एप्लीकेशन आए, उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। मैंने एक नया काम किया है, प्रत्येक इण्डस्ट्री की जो एप्लीकेशन आये उसको साथ लेकर आयें और शीघ्र उनको निपटा दिया जाये। आज कोई उद्योग वाला यह नहीं कह सकता है कि उसकी एप्लीकेशन अथवा उसका केस पड़ा रहा है। अलबत्ता मेरी यह शिकायत हो सकती है, कि उसकी कमियों के कारण उसको वापिस भेजना पड़ा। मैं आपकी मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मै यह हृदय से चाहता हूं कि राजस्थान में उद्योग धन्धे बढ़े। तरीकों को ग्रोन अप करने की जरूरत है। सेक्रेटेरियेट लेविल पर काम करने की जरूरत है। मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। जो उद्योग लगाये हुये हैं उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है राजस्थान में उद्योग लगे हुये हैं। मैंने प्रोडक्शन दिया है। प्रायरिटी राजस्थान के उद्योगों को दी जायेगी। अगर प्राइस हायर होगी तो भी राजस्थान के उद्योगों की प्रमुखता दी जायेगी। राजस्थान का कैपिटल उद्योग और लघु उद्योग और

(श्री हरिदेव जोशी)

दूसरे उद्योगोंका राजस्थानमें डेवलप्मेंट होगा। उद्योग भी बढ़ेंगे। मैंने विभिन्न स्थानों में जाकर राजस्थान के अलग अलग लोगों को जाकर समझाया है। प्रयत्न भी किया है। इसका परिणाम भी आया है। यह तभी हो सकता है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालोर के लिए भी करिए।

श्री हरिदेव जोशी : यह भी करेंगे। मैंने राजस्थान के रहने वालों के लिये यह कहा है कि आप राजस्थान में आ जाइये। बल्कि यह कहना होगा कि हम राजस्थानी हैं तो राजस्थान के विकास की जिम्मेदारी हमारी भी होगी। एक और जगह उन्होंने पैसा लगाया है। यहां भी लगायेंगे तो भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो मांग रखी है उनको पास करने की प्रार्थना करता हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने बताया कि हम टोंक में एक उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। यह प्राइवेट सेक्टर में होगा या पब्लिक सेक्टर में ?

श्री हरिदेव जोशी : पब्लिक सेक्टर में।

श्री हरजीराम बुरड़क : कस्बा थापड़ के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सलाइन एलाटमेंट का सवाल उठाया था।

श्री हरिदेव जोशी : सलाइन एरिया रूल ६२ में लागू हुआ जिस वक्त एलाटमेंट हुआ उस समय रूल था नहीं। इसलिए ९९ वर्ष की लीज पर दी गई हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : लीज पर दी गई लेकिन उनके सम्बन्ध में डेवलपमेंट नहीं किया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में यही है। अगर डेवलपमेंट नहीं किया गया है तो उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने बताई है कि डेवलपमेंट कर लिया है। मैंने खुद जाकर देखा है कि वैसी की वैसी ही जमीन पड़ी हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : आप अपनी जानकारी हमें पास आन कर दीजियेगा।

श्री दौलतराम सारण : वहां गैर कानूनी ढंग से जमीन दी गई। भू०पू० उद्योग मन्त्री ने अपने रिश्तेदारों और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को जमीन दी। अवैधानिक ढंग से जमीन दी कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। जवाब देने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि हमको पास आन कर दो। यह चाल खेलते हैं। राष्ट्रीय धन को गलत तरीके से हड़प कर गये हैं। आप कहते हैं कि पास आन कर दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी - मैं कह रहा हूं। इसकी सूचना नहीं है। आप जो कहते हैं मैं उसका खण्डन करता हूँ - मैं कहता हूँ कि अलाटमेंट नियमानुसार किये गये हैं।

Page No 181

श्री दौलतराम सारण : मैं कहता हूं कि गैर वाजिब है।

श्री हरिदेव जोशी : फरदर फैक्ट्स दीजिए। मैं इन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री दौलतराम सारण : आप क्या इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार लीगल और वैलिड हैं, एलाटमेंट। मैं फिर कहता हूं कि आप लिख कर दीजिए मैं इन्क्वायरी कराऊंगा। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप ऐसे आरोप लगायें तो मैं नहीं मानूंगा। यह कहना तथ्यों से परे है।

श्री दौलतराम सारण : आप कहते हैं कि लिख कर दीजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह बता दूं....

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक आपका सवाल है, मैं कण्टेस्ट नहीं करता हूं।

श्री दौलतराम सारण। हम पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात करते हैं। आप इस प्रकार का जवाब देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य की कन्टेम्पचुअस टोन से और जोर से बोलने से घबराने वाला नहीं हूं। मैं यह निवेदन कर दूं कि जो इन्फार्मेशन आज मेरे पास है, उसके अनुसार अलाटमेंट वेलिड है और लीगल है। आपके पास में अगर कोई भी दूसरी प्रकार की इन्फार्मेशन हो तो आप मेहरबानी करके मुझे दे दीजिये। मैं उसकी जांच करूंगा और आपको भी एसोसियेट करूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मेहता जी !

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने एक तो यह निवेदन किया था, वहां सोलह सोलह प्लाट ऐसे लोग ले लेते हैं जो हाथ से काम नहीं करते हैं और जो दिन रात श्रम करते हैं उनको बाद में बेच देते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक तो मैंने यह निवेदन किया था। जो मैंने आपको निवेदन किया, उनका आपने उत्तर नहीं दिया। इसलिए फिर से निवेदन कर रहा हूं।

दूसरे जहां दस हजार मजदूर काम करते हैं, वहां पर एक भी डिस्पेंसरी उस जगह के बीच में नहीं है।

तीसरा मैंने यह निवेदन किया कि तीन, चार, पांच लाख आप कमाते हैं और पांच लाख की दारू बिक जाती है। इससे जो दिन

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

भर कमाते हैं उनकी कमाई वहां नष्ट हो जाती है। इसलिए आप वहां से शराब की दुकानें हटाने के लिए क्या कर रहे हैं?

चौथे जो वहां मलबा पड़ा है, उसके कारण तमाम खान खराब हो रही है। उसको हटाने के लिए आप कुछ करें तो जमीन निकल सकती है और खान के लिए कुछ जमीन और उघड़ सकती है और फिर खान से पत्थर निकाला जा सकता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो हलवा आपके सामने पड़ा है, उसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि आपकी बातों का उत्तर नहीं दिया जाय। जितना मुझसे सम्भव हो सकता था उतना जवाब देने का मैंने प्रयत्न किया है।

खान के लिए अर्ज यह है कि एक आदमी को केवल एक ही प्लाट देने की पाबन्दी नहीं है, इसलिए बहुत मुमकिन है क्योंकि यह लीजेज बहुत लोअर लेवल पर दे दी जाती हैं, हायर लेवल पर आती नहीं हैं। मांडलगढ़ एरिया की बात है न?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जी हां?

श्री हरिदेव जोशी : उसमें रेंट कम रायल्टी लीजेज हैं, जो एक साल तक के लिए दी जाती हैं। वहां के प्लाट पचास इन्च पचास के हैं। कितने के हैं?

श्री मनोहर सिंह मेहता : पचास।

श्री हरिदेव जोशी : पचास इन्च पचास के हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनको बड़ा किया जाय लेकिन कई लोग रेसिस्ट कर रहे हैं कि बड़ा नहीं किया जाय। मगर जब तक बड़ा नहीं किया जायगा, बड़ी जमीन पर काम नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेन्ट की पालिसी है कि बड़े प्लाट किये जाने चाहिए।

रहा सवाल इसका कि वहां पर कोई शराब पीते हैं अथवा डिस्पेंसरी नहीं है तो माननीय सदस्य यह तो जानते हैं कि डिस्पेंसरी का माइन्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया है। आपकी बात मैं पास-ओन कर दूंगा मैडीकल मिनिस्टर और एकसाइज मिनिस्टर साहब को कि वहां पर शराब की दुकान नहीं हो और वह जैसा होगा वैसा देख लेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर जो गोटा और किनारी का काम होता था, उसमें सूरत, राजस्थान और राजस्थान में खंडेला जगह है, जहां पर सबसे पुराना यह कुटीर उद्योग है लेकिन आज तक उनको बिजली नहीं मिली है। उसके सम्बन्ध में आप जानकारी करके कार्यवाही करवायें ताकि इस उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य सरकार की इससे आमदनी हो।

श्री हरिदेव जोशी : कौनसे कट मोशन के बारे में कह रहे हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : खंडेला ।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : कट मोशन कौनसा है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : शाहाबाद के सम्बन्ध में कट मोशन है स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आज आपको अवसर नहीं मिला था चर्चा में. वैसे मन्त्री महोदय ने उनका जवाब दिया है जिन कट मोशन पर बोलने का अवसर मिला है····

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कट मोशन शाहाबाद में स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री के सम्बन्ध में था·······

श्री उपाध्यक्ष : उसका आप चाहेंगे तो अलग से उत्तर भेज दिया जायगा ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं······

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक तो मैंने पूछा था कि जालौर में माइनिंग सर्वे की गई है, उसका जवाब नहीं दिया है । जो गांवों के अन्दर छोटे आर्टीजन्स हैं,उनको कोओप-रेटिव सोसाइटी बना कर कितना खर्चा किया है । इसका जवाब नहीं दिया है । आपने इसका जनरल वे में जवाब दे दिया है । जितना अन एम्प्लायमेंट गांवों में हुआ है उसके लिए सरकार की ओर से क्या किया गया है इसका जवाब नहीं दिया गया है ।

आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट के बारे में मेरा कट मोहन था उसके बारे में जवाब नहीं आया है ।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट का सवाल है, मुझे सूचना दी गई है उसके अनुसार मण्डौर में....

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बता दूंगा ।

श्री हरिदेव जोशी : अच्छी बात है आप बता देंगे ।

जहां तक सर्वे का सवाल है, जालौर जिले की जीयोलोजीकल सर्वे हुई है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : माइनिंग सर्वे !

श्री हरिदेव जोशी : ज्योलोजीकल का मतलब यही है । उसका मुझे ठीक पता नहीं है, एरियल सर्वे राजस्थान के अरावली एरिया की हो चुकी है.और जो इन्डीकेशन उसमें दिये गये हैं, उसके सम्बन्ध में फरदर स्पेड वर्क करके जो इन्डीकेशन मिले होंगे उनके अनुसार काम किया जायगा....

श्री परसराम गंगाराम : अध्यक्ष जी....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आर्कोलोजि-कल डिपार्टमेंट का मेरा स्पेसिफिक कट मोशन था उसका बरकत साहब जवाब देंगे ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक्स का रुपया काम

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

में नहीं लिया है, उसकी जो आलोचना की थी उसके बारे में मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है कि उसका एक नियम होता है, उसमें पांच साला योजना होती है उसमें उसको पुट-अप करना पड़ेगा। नियम तो होता है और नियम होना चाहिए लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार के पास कोई इन्डस्ट्री लगाने को नहीं थी जो कि नियम में आ सके? क्या जयपुर में कोई ऐसी इन्डस्ट्री पुट-अप नहीं कर सकती थी?

दूसरा सवाल यह था, डीडवाना का सोडियम सल्फेट बेकार जा रहा है, उससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है तो उसको काम में लेने के लिए कास्टिक सोडा की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं?

जैसलमेर का इलाका जो है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास में चला गया था, उसमें जो गैस की धारा है, जो धारा वहां से आ रही है, उसका उन्होंने तो उपयोग कर लिया है और इतना उपयोगहो गया है कि वहां सरप्लस है। तो आपने राजस्थान के अन्दर इसका पता क्यों नहीं लगाया है-इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्या जिस समय चेयर पर थीं उस समय मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया था।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : उत्तर दिया था लेकिन मैं चेयर पर थी इसलिए आपसे प्रश्न पूछ नहीं सकी।

श्री हरिदेव जोशी : उत्तर जरूर दिया था और उत्तर यह था कि इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक स्टेट गवर्नमेंट को एज सच किसी इन्डस्ट्री के लिए लोन नहीं देता। अगर कोई प्राइवेट पार्टी अथवा कोर्पोरेशन, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इतने इनवेस्टमेंट के ऊपरऔर उसकी कैपेसिटी और नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए, अगर उसको लाइसेन्स मिल गया हो, तो लोन देतो है।

रहा सवाल कास्टिक सोडा के बारे में तो कोई प्राइवेट पार्टी लाइसेन्स लेगी, तो क्योंकि इन्डस्ट्रियल पालिसी के अनुसार अमुक अमुक चीजें स्टेट सेक्टर में हो सकती हैं और अमुक अमुक चीजें प्राइवेट सेक्टर में हो सकती हैं, तो कास्टिक सोडा के लिये कोई लाइसेन्स लेना चाहेगी तो गवर्नमेंट उस पर विचार करके लाईसेन्स के बारे में विचार करेगी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : गैस के बारे में?

श्री हरिदेव जोशी : गैस के बारे में, ओइल के बारे में मैंने कहा था, शायद उस समय आप बाहर चली गई थीं..

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मैंने कहा कि पाकिस्तान में जब गैस निकल चुका है और एक ही ट्रेन है तो हमारे यहां क्यों नहीं मिली?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए नहीं मिली क्योंकि लोकेट नहीं हुई है। पार्टी अर्नेस्टली काम कर रही है। और मुख्य

(श्री हरिदेव जोशी)

मंत्री जी को आज ही पत्र मिला है गवर्नमेंट आफ इंडिया का, उसके लिए बराबर एफर्ट्स किये जा रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री जी से मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला यह है कि मैंने जो बकाया के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया था उसके सम्बन्ध में आपने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा यह है कि जैसा आपने बताया कि हमारे यहां ३० स्क्वायर मील का एरिया था उसको घटाकर पन्द्रह मील पर रखा गया है। मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जो आपने घटा कर पन्द्रह मील किया वह कब घटा कर किया और कब उसको दुबारा किसकी मार्फत किसके लिए एलाट किया और जब आपने एलाट किया है और जब आपने ओनर से छुड़वाया था उसके बीच में किस आदमी के पास रहा है और उसमें से कितना माल उसने निकाला है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि उन्होंने यह बात याद दिलाई, उसके साथ ही दूसरी बात भी उन्होंने याद दिला दी, जिसका मैं जवाब देना भूल गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बाँसवाड़ा में रबर टायर फैक्ट्री में मेरे अथवा मेरे रिश्तेदारों के किसी के शेअर्स हैं। मैं माननीय सदस्य से, जो विधान सभा के एक जिम्मेदार मेम्बर हैं, यह अपेक्षा करके चलता था कि वह फैक्ट्स को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर नहीं रखेंगे। जहां तक रबर टायर फैक्ट्री बांसवाड़ा में लगाने का सवाल है, वह लगाने का प्रयत्न किया गया है। मुझे खुशी होगी कि बांसवाड़ा का कोई आदमी अपना शेअर दे सके तो दे। मुझे जहां तक पता है अभी तक किसी आदमी का उसमें हिस्सा नहीं है। मेरे रिश्तेदारों का तो प्रश्न पैदा नहीं होगा, वैसे अगर हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती ...

श्री बरकतुल्ला खां : यह उधार दिलवादें।

श्री हरिदेव जोशी : उधार दे दें, दिलवा दें-यह दूसरी बात है।

रहा सवाल माननीय श्रवणलालजी का, मुझे बहुत परफेक्ट तो याद नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो फिगर आपने बताये वह सही है। बंध बारेठ और क्या कहा .. ....

श्री श्रवणलाल : बंध बारेठ और करौली।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, एक बंध बारेठ है और दूसरी ओर है जिसकी स्वरूप लाल और भूमरलाल की दो लीजेज हैं, पैसा नहीं देने के कारण लीजेज को कैंसिल कर दिया गया और जो माल था वह जब्त कर लिया गया वह गवर्नमेंट के कब्जे में है। हाई कोर्ट में केस गया तो उसको यह इजाजत दे दी कि माल बेच सकता है किन्तु सारा का सारा पैसा बैंक अथवा ट्रेजरी में जमा कराना होगा। उसके बाद में माल बिक रहा है और सारा का सारा पैसा जमा हो रहा है। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए कह दूं कि जितना उनके अन्दर बकाया है उससे पांच सात गुना माल हमारे

(श्री हरिदेव जोशी)

पास पड़ा हुआ है और लगभग २ लाख के ऊपर पैसा बैंक में जमा हो चुका है। रहा सवाल जो एरिया है उसको दूसरे को देने का तो क्योंकि उसकी सर्वे और उसके डिमार्केशन में डिले हुई है इसलिए अभी तक नहीं दिया गया है किसी को। एप्लीकेशन्स हमारे सामने पेंडिंग हैं और उन पर डिसीजन करने के लिए जल्दी से जल्दी विचार कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मण्डौर के अन्दर मूर्ति के बारे में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पास में बैठे हैं। कभी भी पूछ लें। फिर क्यों सवाल कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाउस का सवाल है।

श्री बरकतुल्ला खाँ : उपाध्यक्ष महोदय, एक कटौती प्रस्ताव आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट के ऊपर आया है। मैं ऐसा समझता हूँ, जहाँ तक आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है दूसरा कोई स्टेट है नहीं, यहां की कल्चर या कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। उसके अलावा पीली बंगा, चम्बल के किनारे और उदयपुर के पास में कुछ कल्चर के ट्रेसेज मिल रहे हैं। यही नहीं, बल्कि राजस्थान में जो बहुत पुरानी रिपब्लिक थीं उनके ट्रेसेज मिल रहे हैं। लेकिन इस जमाने के अन्दर ऐसे खतरनाक लोग पैदा हुए हैं कि जितने मन्दिर महमूद गजनवी ने नहीं तोड़े थे, उनसे ज्यादा इन नये महमूद गजनवियों ने तोड़े हैं जो कि मूर्ति बेच रहे हैं और उन्होंने मूर्ति बेचने का धन्धा शुरू किया है वह लोग मूर्तियां यहां से चुरा चुरा कर हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के बाहर बेच रहे हैं इसकी परेशानी पूरे देश में और राजस्थान में है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उनकी हरकतों को रोका जाय।

जहां तक आर्कोलोजी का सवाल है, अमेरिका के अन्दर एक नया म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसमें हिन्दुस्तान और राजस्थान की भी मूर्तियां जा रही हैं, वह चिन्ताजनक है। हिन्दुस्तान से बाहर और राजस्थान से बाहर मूर्तियां आज से २० साल पहले अमेरिका में कैसे पहुंच गई। जब तक माननीय सदस्य सहयोग नहीं दें, मूर्तिचोरों को नहीं पकड़ायें, यह बड़ा मुश्किल काम है, चोरी की प्रथा को रोकने में सबके साथ की जरूरत है।

जहां तक मंडोर में श्री जाम्भाजी की मूर्ति का प्रश्न है, एक मूर्ति है ८ नं० की मूर्ति है वह जाम्भाजी की है, पर उसके नीचे से नाम मिट गया है। मैंने डायरेक्टर आर्कोलोजी को कहा है कि ८ नं० की मूर्ति जाम्भाजी की है, उसको मानते हुऐ उसके नीचे जाम्भाजी का नाम लिख दिया जाय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें अगर किसी ने बदमाशी की है, जानकर नाम मिटाया है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे पास जहां तक जानकारी है, जितनी मूर्तियां हैं उनके नीचे नाम लिखे हैं। ८ नं० की मूर्ति का आपने कहा, हमारी जानकारी में यह नहीं है। इसमें कोई दूसरी बात हो तो आप जांच करें।

श्री बरक्कतुल्ला खां : ऐसी कोई बात हुई तो मैं विश्वास दिलाता हूं, ८ नं० की मूर्ति हमारे रेकार्ड में जाम्बाजी की मानी हुई है, उसी के नीचे जाम्बाजी का नाम लिखा दिया जायगा।

श्री परसराम गंगाराम : काफी ऊठ बैठ के बाद आपने नम्बर दिया, पता नहीं हमारे साथ ऐसी क्या बात है। हमें इतनी ऊठ बैठ के बाद दो मिनिट का समय दिया, शुक्रिया।

बात यह है, उद्योग मंत्रीजी से निवेदन किया था कि मकराना का मार्बल पत्थर, चमड़े के चप्पल एक्सपोर्ट होते हैं, भीनमाल से चमड़ा एक्सपोर्ट होता है, चमड़ा इन्डस्ट्री के लिये आपने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि रूस में यह सब माल खप जाता है और देहली की काफी फर्में, अजमेर, भीनमाल, मकराना आदि से चमड़ा लेकर एक्सपोर्ट करती हैं, उसके बारे में आपने कुछ भी फर्माया नहीं है इसलिये निवेदन कर रहा हूं

श्री हरिदेव जोशी : मार्बल के बारे में इतनी बातें तो कह दीं।

श्री उपाध्यक्ष : जिन कट मोशन्स के बारे में माननीय सदस्य बोले नहीं हैं, उनके बारे में अब यहां प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में मेरा कट मोशन था।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा में यह नहीं आया।

श्री परसराम गंगाराम : मैंने अपने भाषण में चमड़े के एक्सपोर्ट के बारे में कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि यह फिगर्स मेरे पास नहीं हैं कि मकराने से कितने चप्पल एक्सपोर्ट होते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रंगाई, छपाई के धंधे को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

मांगों पर मतदान

मांग संख्या २१

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,५३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या १४

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७८,२२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३९

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३५,३७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

स्वास्थ्य मंत्रीजी।

(श्री भीखाभाई बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री हरिदेव जोशी को सदन से प्रस्थान करते देख कर) भीखाभाई ने तो आपके भाषण को सुना और भीखाभाई का भाषण शुरू हुआ तो आप वाक आउट कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई (जन-स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का बहुत ही बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पहले सत्र में मेरे विभाग की मांगों को सर्व सम्मति से पास किया था और मुझे अब भी खुशी है कि माननीय सदस्यों ने १३५ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और उन पर उन्होंने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं वे हमारे विभाग द्वारा विकास योजनाओं की क्रियान्विति में ध्यान में रखे जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जल के बारे में जो मीमांसा है, उसकी महिमा और गरिमा है है और जो जन्म से मृत्यु पर्यन्त जिस प्रकार इसकी आवश्यकता है, पवन के बाद में अगर किसी की बेसिक आवश्यकता होती है तो वह है पानी, जल। इसलिये हमने हमारे विभाग की पत्रिका के ऊपर यह लिखा है :

"आपः आत्मा, जन स्वास्थ्य ध्येय"

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्न के बाद में अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, अन्न के ऊपर तो वह है जल। इसीलिये रहीमजी ने भी कहा है :

रहिमन या संसार में, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून॥

(श्री भीखा भाई)

उपाध्यक्ष महोदय, नौहर से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी की बात कही थी तो मैंने उनसे कहा था कि आपके अन्दर बहुत पानी है, फिर भी वे नाराज हुए, खुश नहीं हुए क्योंकि वे नौहर में पाण्डुसर को पानी की व्यवस्था के बारे में पूछना चाहते थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जल विभाग के बारे में कोई चर्चा करें तो यह चर्चा अधूरी होगी। चर्चा तभी पूरी होगी जब कि उसके सन्दर्भ में, पृष्ठभूमि में जो आज से लगभग २० साल पहले पेय जल की क्या व्यवस्था हमारे यहां थी। और पेय जल की व्यवस्था आज से २० साल पहले कैसी थी। मैं यह इसलिये कहता हूं कि सात आठ ढाणियों में, नगरों के अन्दर नलों की व्यवस्था थी और गांवों के अन्दर जहां देखा जाय कुओं की कमी थी। ज्यों ही देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद विकास के काम आने लगे, योजनाएं बनने लगीं तो धीरे धीरे विकास विभाग, जल बोर्ड या अन्य सूत्रों के द्वारा पानी की कठिनाई को अनुभव करने के बाद में डिमाण्ड करने की कोशिश की। जब राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी का अभ्युदय नहीं हुआ था, उस वक्त में यह हालत थी कि चैरिटी-दया के जरिये, पुण्य के नाम से, कुएं और जलाशय बनाये जाते थे, बड़े बड़े श्रेष्ठीवर्ग, राजे, महाराजे जहां खुश हो जाते थे, वहां के नागरिकों के लिये कुओं या जलाशयों का निर्माण कराते थे। बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों का नाम आपने सुना होगा। बड़े बड़े राजा हुए, शेरशाह हुआ, जगह जगह सड़कों का निर्माण किया, वहां जलाशय और बावड़ियों का निर्माण किया। स्थिति इस प्रकार की राजस्थान में थी।

आज राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैंने कई राज्यों में देखा है, थोड़े दिन पहले में सेवाग्राम गया था, वहां गांधी शताब्दी कमेटी की ओर से बेसिक अमेनीटीज कमेटी का आयोजन किया गया था। वहां भी यही प्रश्न उठाया गया था कि प्रत्येक गांव के अन्दर कुआं होना चाहिए और उसके लिए धन इकट्ठा किया जाना चाहिए। आज यहां भी जितने हम माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनका फर्ज है कि इस बात के लिए, गांधीजी के इस वर्ष में इस बात पर बड़े बड़े लोगों ने चिंतन किया है, हम सोचें किस प्रकार जनता के सहयोग के द्वारा कितने कुएं हम दे सकेंगे, इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए। वहां जो इसाई मिशनरीज हैं वे २५ हजार कुए देंगे। उन्होंने इसलिए दिया कि वे बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के इलाकों के अन्दर कुएं खुदवाना चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने भी प्रयास किया कि पानी कि समस्या को हल किया जा सके। राजस्थान में पानी की समस्या बहुत ही कठिन है जटिल है, कई प्रकार की भूमि है- अधोभूमि है, कहीं गहरा है, कहीं खारा पानी है कहीं अपर्याप्त है और कहीं अस्वस्थकारी है। इस बारे में विवेचन किया गया है माथुर कमेटी के द्वारा, उसका मूल्यांकन हुआ है कि किस प्रकार की पानी की आवश्यकता है इस राज्य के अन्दर। उस बारे में उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उसके बाद हमने महायोजना बनाई है जिसे मास्टर प्लान कहते हैं और राज्य सरकार ने उस

(श्री भीखाभाई)

मास्टर प्लान को मई १९६६ के अन्दर भारत सरकार के पास भेजा था और उस महा योजना की सारी लागत ७० करोड़ रुपए की थी। राजस्थान में कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर योजना के बारे में सर्वेक्षण करके और असेसमेंट तैयार करके नोट बनाया हुआ है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव भेजे हैं जिनका आशय है कि राज्य सरकार उदासीन है और पेय जल की समस्या के निराकरण के बारे में कुछ नहीं सोचती। लेकिन यहां स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने १९५९ के अन्दर एक सबसे बड़ी कमेटी बनाकर ग्रामीण और शहरी योजनाओं के बारे में एक मूल्यांकन किया। उसके बाद में एक मास्टर प्लान बनाया और बनाने के बाद में भारत सरकार को भेजा और जिसके लिये ७० करोड़ रुपये की मांग की गई। हमारे यहां ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको सुमित्रा जी से जवाब दिलवाना चाहिये।

श्री भीखाभाई : खास तौर से पाकिस्तान सीमा पर जो ६४२ वर्ग मील लंबी और ५० मील की एक लंबी स्ट्रिप है वहां पानी की कठिनाई है और मरु भूमि है—वहां किस प्रकार से हमें पानी की समस्या का हल करना पड़ेगा उस पर विचार करना पड़ेगा। आज कई ऐसे स्थान हैं जैसे पचपदरा, जहां आज भी पानी रेल के द्वारा पहुंचाया जाता है। राजस्थान में जिस समय पानी की कठिनाई महसूस हुई तो ई० टी०ओ० के मार्फत २५० कुएं खुदवाये, उनमें से १०१ कुएं राजस्थान की पेय जल की योजनाओं के लिए हैं। राज्य सरकार ने जो वित्त आयोग यहां आया था उनके सामने भी इस बात को रखा है कि हम यहां पर २५ करोड़ रुपए ग्रामीण जल समस्या के समाधान के लिए चाहते हैं इस प्रकार की चीज वहां पर नहीं है लेकिन उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर लगभग १० करोड़ रुपये राज्य सरकार ने खर्च किए। इतना ही नहीं, १८० योजनायें, जो पाइप वाटर योजनायें कहलाती हैं, उनको पूरा कर लिया। इसके साथ साथ में शहरी क्षेत्रों में जहां १४५ नगरपालिकायें हैं, उसमें से १५ निकालकर बाकी १३० सम्पूर्ण हो गई.........

श्री देवीदत्त गाड़िया : राज्य मन्त्राणी मंत्रीजी को सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से बोलना चाहिये।

श्री भीखाभाई : नगरीय क्षेत्रों के अन्दर इस बात..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोड़ी अमर रहे।

श्री भीखाभाई : अब १४५ में से ११ रह गई हैं। यह हालत यहां की है। हम पूरे पूरे क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। वहां जो पानी की समस्या है उसको हल करना चाहते हैं। इसके लिये ११५ लाख का बजट था। थोड़े दिन पहले बजट स्पीच में

(श्री भीखा भाई)

वित्त मन्त्री ने २६५ लाख रुपये की घोषणा की है। इसमें से एक करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जायगा। इसलिये हमारा ध्यान बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है। इसलिये यह कहना कि राज्य सरकार केवल शहरी क्षेत्रों को देखती है और ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं, यह गलत है। राजस्थान में जो उपलब्धियां पानी की जल विभाग की जो हैं वे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अजमेर वाटर सप्लाई को देखें, कितनी बड़ी स्कीम है ७० मील दूरी से पानी लाना-ऐसी स्कीम हिन्दुस्तान में कहां है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जो कह रहे हैं आपकी समझ में आता होगा। ये खाली तालियां बजाते हैं।

श्री भीखाभाई : मेरी आदत कुछ खराब सी है वह यह कि माननीय सदस्य इन्टरप्ट करने के लिये उठते हैं तो मुझको बैठ जाना चाहिये लेकिन मेरा स्वभाव खराब है।

श्री उपाध्यक्ष :(श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) समय काफी हो गया, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भीखाभाई : इस तरह से जोधपुर की समस्या जटिल व कठिन है। जैसा मैंने निवेदन किया राजस्थान में अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियां हैं। आज सवाई माधोपुर के अन्दर डिफिकल्ट एरियाज हैं। हम जानते हैं मकराना में भी डिफिकल्ट एरियाज हैं। उसके सिवा नोहर के अन्दर खारा पानी है...........

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको मालूम होना चाहिये कि आपकी जाति के लोगों के पास कोई ऊंट नहीं और वे १५-१५ मील सर पर मटकियां रखकर..........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कभी जिन्दगी में खारा पानी पीया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : सुमित्राजी से जब व दिलाओ तो समझ में भी आवे।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को मैंने पानी की बात कही तो बुरी लगी होगी, उनके प्रश्नों का उत्तर.......

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि आपका उत्तर नकारात्मक है, कोई तथ्य की बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री भीखाभाई : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उनका महत्वपूर्ण प्रस्ताव पांडूसर का है। जहां वे पांडूसर की वकालत करना चाहते हैं वहां लोगों को थोड़ा प्रेरणा दें, समझायें.......

Page No 192

श्री रामचन्द्र आर्य : ६ साल से डेढ़ लाख रुपया खर्चा किया, ६ साल से उनको पानी नहीं मिल रहा है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय आप उनके कटौती प्रस्ताव का आखिर में जब मांग पेश होने पर जवाब दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : छः वर्ष से १।। लाख रुपया खर्च किया वह योजना मृतप्रायः पड़ी हुई है उसको चालू करिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

मंत्री महोदय उनके कटौती प्रस्तावों का जवाब आखिर में जब मांग पास होने पर आये तब दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बस ठीक है।

श्री भीखाभाई : राजस्थान के अन्दर जल विभाग की उपलब्धियों के लिये मैं निवेदन कर रहा था। मास्टर प्लान अपने आप में यह सिद्ध करता है कि राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से पानी की समस्या के लिये जागरुक है। राजनैतिक आधार पर कोई योजना छोड़ी गयी हो ऐसी कोई बात नहीं है। राजनैतिक बातों को लेकर किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। मास्टर प्लान में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। राजस्थान के २६ जिलों की योजना तैयार की हुई है। कोई यह कहे कि राजस्थान में पक्षपात किया जा रहा है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ।

जोधपुर के बारे में कहा। पानी समस्या है, वह अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये राज्य सरकार ने सोचा कि दूर से भी पानी लाया जाय और जवाई से लाकर के जोधपुर को पानी दिया गया। ११० मील दूर से उसकी सप्लाई को रेगूलेट किया जाय इसका प्रयत्न बराबर जारी है।

जल विभाग की जो उपलब्धियां हैं वे मैंने बतायीं। कठिनाइयां भी हैं। सांचोर से आये माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया। वह स्कीम पूरी हो चुकी है। काम जल्दी से शुरू हो जावेगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उण्ड योजना के लिये कहा। योजना बना कर भारत सरकार के पास भेज दी है। हम उस योजना को स्वीकार नहीं कर सकते थे इसलिये भारत सरकार के पास भेज दी है।

निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव के जरिये कहा कि कनेरा, थोसुन्डा की योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये काम किया जाय। योजना का काम चालू है और जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होती जावेगी उसको पूरा किया जावेगा।

पांडुपुर के लिये अर्ज करना है। योजना पास हो गई। मशीन लग गई। वहां पर पार्टीबन्दी हो गई। कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सरकार को एक लाख रुपये का ब्याज का घाटा हो रहा है। माननीय सदस्य कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। एक ही प्रश्न के पीछे पड़े हुए हैं। माननीय सदस्य

(श्री भीखा भाई)

देख लें कि कितनी बार यह प्रश्न विघान सभा में आया है। दीपचन्द पहाडिया का एक कुआ है । ७२ हजार में खरीदा गया है। उनका कहना है कि उपयोग नहीं हो रहा है । जसवन्तगढ़ के लिये कहा। वह हो जायगा। नगरपालिकाओं के बिजली और पानी के जितने रुपये हैं वे काटते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव भेजे। इन्डिविजुअल के पास उनके कटौती प्रस्तावों का जवाब में भेज दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद कोई प्रश्न उठता नहीं है।

(विराम)

मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,४६,४४,००० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक २१ मार्च १९६९ के ११. म. पू. तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

तारांकित प्रश्न सं.४०७ की सूची

प्रेषक :

आयुक्त एवं सचिव,
गृह विभाग ।

प्रेषिती :

१: समस्त जिलाधीश ।
२: समस्त अधीक्षक आरक्षी ।

क्रमांक एफ २: १२:५।गृह:क: ६८

जयपुर दिनांक २१-३-६९

महोदय,

राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थान हैं । इनमें से कुछ तो केन्द्रीय सरकार और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा आरक्षित किए गए हैं, कुछ के आरक्षण की घोषणा अभी तक नहीं भी हुई है । उदयपुर, भीलवाडा, बीकानेर और अन्य जिलों में इस प्रकार की महत्वपूर्ण पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई भी हुई है कि जिससे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है तथा भारत और राजस्थान की प्राचीन संस्कृति का महत्व संसार को विदित हुआ है । निश्चय ही इस प्रकार की मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ।

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों से अदूरदर्शी अथवा लालची लोग प्राचीन मूर्तियों और प्राचीन कलाकृतियों को नुकसान पहुँचाते हैं अथवा चुराते हैं । यह भी शिकायत हुई है कि पुलिस में जब इस प्रकार की चोरियों की रिपोर्ट की जाती है तो उसको महज पाषाण खंडों की चोरी समझी जाकर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता ।

राज्य सरकार का आदेश है कि सार्वजनिक महत्व के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाय और इनको नष्ट करने अथवा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के चुराने के मामलों की सख्ती से रोक और गिरफ्त की जाय ।

इस प्रकार के जो केसेज इस समय जेर तफतीश हों उन पर विशेष ध्यान दिया जाकर बरामदगी आदि की कार्यवाही की जाय ।

भवदीय—
(ह०) विष्णुदत्त शर्मा
आयुक्त एवं सचिव, गृह विभाग ।

प्रतिलिपिः—

१—डा० ए० एम० डी० रोजेरियो, संयुक्त सचिव, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार को उनके मुख्य सचिव राजस्थान को लिखे गये उनके अर्धशा० पत्र क्रमांक एफ ५।१५२:६७: सी. ए. आई. १: दिनांक ४ मार्च, १९६८ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

२—निदेशक पुरातत्व, विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।

३—महा निरीक्षक आरक्षी, राजस्थान, जयपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ह०) विष्णुदत्त शर्मा,
आयुक्त एवं सचिव, गृह विभाग

राजस्थान सरकार
(गृह : क : विभाग)

संख्या : एफ २/१२(५) गृह(क)। ६८

जयपुर, दिनांक ४/७–सितम्बर, ६८

प्रेषक :

श्री दीपेन्द्र उपाध्याय,
उप शासन सचिव।

प्रेषती :

१–समस्त जिलाधीश।
२–समस्त अधीक्षक आरक्षी।

महोदय,

इस विभाग के आदेश संख्या एफ २।१२ (५)गृह(क)। ६८ दिनांक २१-३-६८ द्वारा राज्य के पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए आगाह किया गया है कि वे प्राचीन मूर्तियों, प्राचीन शिल्प खण्डों और ऐतिहासिक कलाकृतियों की चोरियों, के मामलों पर खास निगाह रखें और जब इस प्रकार की चोरी की सूचना प्राप्त हो तो उस पर पूरे ध्यान और तेजी के साथ कार्यवाही करें ताकि देश की सांस्कृतिक स्मृद्धि के ये चिन्ह गलत हाथों में पड़कर तस्करों द्वारा दूसरे देशों में न भेज दिये जावें और इनका दुरुपयोग न हो।

हाल ही में देश भर में इस प्रकार की वस्तुओं की चोरियों की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं और केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने इस विषय पर बड़ी चिन्ता प्रगट की है।

इस प्रकार की चोरी और तस्करों का काम करने वाले संगठित गिरोह हैं जिनमें न सिर्फ सामान्यतः संदिग्ध नीचे तबके के लोग शामिल हैं बल्कि बहुत से पढ़े-लिखे खुशपोश और शरीफ दिखने वाले ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कलाकृतियों के महत्व को समझते हैं। इसलिये आवश्यक है कि इस प्रकार के अवैध कारोबार की पकड़ के लिए न सिर्फ मामूलन जरायम करने वाले लोगों पर ही निगाह रखी जाये बल्कि ऐसे लोगों पर भी निगाह रखी जाये जो इन कलाकृतियों का मूल्य समझते हैं लेकिन ऊपरी शराफत और कलाप्रियता की आड़ में इन वस्तुओं का तस्कर

व्यापार करना चाहते हैं। अतः तारीख २१-३-६८ को जारी किए आदेशों के क्रम में फिर आदेश दिये जाते हैं कि इस प्रश्न को महत्त्वपूर्ण समझा जावे और कला वस्तुओं की चोरी और अवैध व्यापार करने वालों की निगरानी रखी जाकर उनके खिलाफ शिकायत आने पर जांच-तफतीश को फौरन कार्यवाही की जाकर आवश्यकतानुसार अदालती कार्यवाही अमल में लायी जावे। इस प्रकार की कलाकृतियों का अवैध निर्यात देश के बड़े बड़े बन्दरगाहों और हवाई अड्डों से होता है इसलिए जब इस प्रकार की कला वस्तुओं की चोरी हो तो उसकी सूचना डी० आई०जी० सी. आई. डी. को भी भिजवाई जावे ताकि वे बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर काम करने वाले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इसकी इत्तला भेज सकें और ऐसी सूचना मिलने पर ऐसे सीमाशुल्क प्राधिकारी इन वस्तुओं की तस्करी के स्थानों पर निगाह रख सकें।

इन हिदायतों की पूरे एहतियात से तामील की जावे और जिला पुलिस अधीक्षक गण अपने दौरों और मुआयनों के वक्त जांच करें कि इस प्रकार की तस्करी की कितनी घटनायें किस थाने के इलाके में हुई हैं और उनकी तफतीश में कैसी एहतियात बरती गई है। इस काम में लापरवाही पायी जाने पर गाफिलान के खिलाफ आवश्यक अनुशासिक कार्यवाही की जावे।

भवदीय
(दीपेन्द्र उपाध्याय)
उप शासन सचिव.

प्रतिलिपि :-

१-निजी सचिव मंत्री गृह मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। यह मुख्य मन्त्री महोदय राजस्थान द्वारा मन्त्री महोदय गृह मन्त्रालय भारत सरकार को सम्बोधित अर्द्ध शासकीय सम संख्यक पत्र दिनांक २२-८-६८ के क्रम में है।

२-डा० ए. एम. डी. रोजेरियां, संयुक्त सचिव, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

३-निदेशक, पुरातत्व विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।

४-महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

५-समस्त उप महानिरीक्षक आरक्षी खण्ड, राजस्थान।

(दीपेन्द्र उपाध्याय)
उप शासन सचिव,

व्यास। ५-९-६८

Page No 197

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ की सूची)

केन्द्रों की सूची

बीकानेर जिले में निम्न केन्द्र हैं और प्रत्येक केन्द्र की पशु संख्या उसके सामने अंकित कर दी गई है —

क्र. सं.	नाम केन्द्र	पशु संख्या
१,	बीकानेर	१३,०००
२.	महाजन	२०,०००
३.	लूणकरणसर	२०,०००
४.	छतरगढ़	१२,०००
५.	देशनोंक	६२,०००
६.	कोलायत	२५,०००

परिशिष्ट ३

सन् १९६७-६८ में जिलेवार खाद की खपत की तालिका

तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ की सूची

क्र.	जिला	नत्रजन खाद अमोनियम सल्फेट	फासफोटिक खाद	मुरियेट आफ पुटाश
१.	अजमेर	२४८७	४३१	४८
२.	अलवर	६०३४	१५७८	५२८
३.	भरतपुर	२७५२	१०८२	—
४.	जयपुर	३५८७	१२८८	—
५.	झुंझनू	६१६	१२७	३१
६.	सीकर	८४३	४४४	३८
७.	सवाई माधोपुर	३६७८	१६३१	३२
८.	टोंक	१०५०	४६२	७०
९.	श्री गंगानगर	२०५५०	२७९२	११७
१०.	हनुमानगढ़	१४१०३	२०७६	५३
११.	बीकानेर व चूरू	९९	१४१	८
१२.	बाड़मेर	४४१	४६७	—
१३.	जैसलमेर	११	१	७
१४.	जालोर	६२९	१२२	१
१५.	जोधपुर	६७४	३२८	२
१६.	नागौर	४९२	—	१५
१७.	पाली	६४४४	२६७२	३४
१८.	सिरोही	१८८८	९१०	४८
१९.	बूंदी	१९६०	११०४	११७
२०.	झालावाड़	३४२	२४२	११
२१.	कोटा	८०४२	५३१०	३२०
२२.	बांसवाड़ा	५१८	१४२	३१
२३.	भीलवाड़ा	३०१८	१३३५	१४८
२४.	चित्तौड़गढ़	२७८३	२५९०	८३
२५.	डूंगरपुर	५७९	५३६	३७
२६.	उदयपुर	४०६४	२२५६	—

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न सं० ४२० की सूची)

Permit of Mini Buses issued for All-Rajasthan.

S. No.	Name of Pt. Holders	Veh. No.	Pt. No.	Date of Issue of permit	Validity upto.
1.	Sh. K.B. Singh S/o Amrik Singh, Jaipur.	RSL 7787	790	5.9.67	4.9.70
2.	M/s Afzal Tempo Service, Jaipur.	RSL 7790	791	8.9.67	7.9.70
3.	M/s Rama Bai Devidas Purana, Tonk.	RSL 8052	799	20.10.67	19.10.70
4.	M/s Meena Quick Service, Jaipur.	RSL 7983	800	23.10.67	22.10.70
5.	Sh. Rwati Raman S/o Rajan Lal, Tonk.	RSL 8085	805	9.11.67	8.11.70
6.	Modern Architects & Designers, Jaipur.	RSL 8037	802	24.10.67	23.10.70
7.	Janak Raj Sahai	RJTR 5022	812	22.11.67	21.11.70

१	२	३	४	५	६
8.	Smt. Ramjanki W/o Jalabi Ram, Jaipur.	RSL 7811	297	6.10.67	5.10.70
9.	Sh. Gajadhar Pd. Pathak Jaipur.	RSL 8043	801	23.10.67	22 10.70
10.	Vimlesh Kumari W/o Bhagwan Bansal Jaipur.	RSL 8108	898	15.1.68	14.1.71
11.	Satish Dosi, M. K. Transport Ajmer.	RJZ 3000	915	31.1.68	30.1.71
12.	Sh. Ajeet S/o Ganga Singh, JhunJhunu.	RJP 1280	925	6.2.68	5.2.71
13.	Sita Ram Maskara S/o Sh. Gajanand, Jaipur.	RSL 8504	927	8.2.68	7.2.71
14.	M/s Kalyan Mal Yaswant Kumar, Tonk	RJX 597	947	22.2.68	21.2·71
15.	M/s Jeet Mini bus Service, Jaipur.	RSL 8778	948	23.2.68	22.2.71
16.	Sh. Siya Ram Tikiwal S/o Ram Surjan Singh.	RSL 7300	949	23.2.68	22.2.71
17.	M/s Neetu Quick Service, Jaipur.	RSL 8835	957	8.3,68	7.3.71

१	२	३	४	५	६
18.	M/s Nathu Singh Ram Karan, Khetri.	RSL 8887	957	8.3.68	7.3.71
19.	Ikbal Singh S/o Avtar Singh	RSL 9235	995	28.5.68	27.5.71
20.	Sh. Nawal Kishore S/o Chandiprkash, Sikar.	RJV 1136	999	3.6.68	2.6.71

Copy of Section 2 sub-Section (3) of Motor Vehicles Act,1939.

(3) "Contract carriage" means a motor vehicle which carries a passenger or passengers for hire or reward under a contract expressed or implied for the use of the vehicle as a whole at or for a fixed or agreed rate or sum and from one point to another without stopping to pick-up or set down along the line of route passengers not included in the contract, and includes a motor cab notwith standing that the passengers may pay separate fares.

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न सं० ४२१ की सूची)

1 .	Minister for Town Planning,	Chairman
2 .	Secretary, Town Planning Deptt.,	Vice Chairman
3 .	Secrtary, Revenue,	Member
4 .	Secretary, Finance	„
5 .	Secretary, Industries	„
6 ,	Collector, Jaipur	„
7 .	Director of Agriculture	„
8 .	Chief Engineer, P. W. D. (B&R)	„
9 .	Chief Engineer, Health,	„
10 .	Development Commissioner,	„
11 .	Divisional Superindtendent Western Railway,	„
12 .	Station Commander, Jaipur	„
13 .	President, Municipal Council, Jaipur	„
14 .	President, Chamber of Commerce & Industries, Raj., Jaipur.	„
15 .	Chairman, Improvement Trust, Jaipur.	„
16 .	Shri Ram Karan Josi,	„
17 .	Shri Brij Sunder Sharma,	„
18 .	Shri Narain Chaturvedi, Pramukh Zila Parishad, Jaipur.	„

परिशिष्ट ६

समयाभाव के कारण समय पर न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर दुग्ध वितरण योजना पर व्यय

४२३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर दुग्ध वितरण योजना पर अब तक कुल कितने रु० खर्च हुए हैं और उनसे कुल कितनी आमदनी हुई है ?

(२) क्या इस योजना में लाखों रुपयों का घोटाला होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की है और किस किस के खिलाफ ?

उत्तर

जयपुर दुग्ध वितरण योजना पर वर्ष ६७-६८ तक ८७,४१,९७१ रुपये (आवर्तक ६८,७४,४८५ रुपये व अनावर्तक १८,६७,४८६ रुपये) का व्यय हुआ है व इसकी तुलना में ४३,५९,९०२ रुपये की आय हुई है। माह अप्रेल ६८ से जनवरी ६९ तक १९,९९,०५५ रुपये का व्यय हुआ है तथा इसकी तुलना में १०,४८,९२० रुपये की आय हुई है।

(२) मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक ४-१-६७ से २३-५-६७ तक के हिसाबात का विशेष आडिट किये जाने पर केवल ५,०६४-८५ रुपये का संभावित गबन पाया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा छानबीन तथा विभागीय कार्यवाही चालू है।

मारवाड़ जंकशन-जोजावर-दीवेर सड़क

४२४. **श्री फूलचन्द बाफना :** (सुमेरपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंकशन (जिला पाली) से जोजावर (जिला पाली) एवं उसके आगे दीवेर जिला उदयपुर की ओर मैटल रोड़ बनी हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़क को राष्ट्रीय उच्च सड़क नं० ८ से जोड़ने की योजना थी परन्तु जोजावर व दीवेर के बीच के मार्ग में एक मील की दूरी (काली घाटी की लम्बाई) की सड़क दो साल हुए (निर्माण नहीं होने से) नहीं बनाई गई है ? शेष रही हुई इस एक मील की सड़क के निर्माण में और कितने वर्ष लगेंगे ?

(३) क्या यह सही है कि प्रायः चार

(श्री फूलचन्द बाफना)

वर्ष हो गए परन्तु राणकपुर (जिला पाली) से गोगूंदा (जिला उदयपुर) तक की सड़क अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो और कितने वर्ष इसके निर्माण में लगेंगे ?

(स्थगित किया गया)

राजपूताना साल्ट सोर्सेज कोऑपरेटिव लेबर एण्ड सेविंग्स सोसायटी लि० सांभर लेक के मैनेजर के विरुद्ध शिकायतें

४२५. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजपूताना साल्ट सोर्सेज को-आपरेटिव लेबर एण्ड सेविंग्स सोसायटी लिमिटेड, सांभर लेक के मैनेजर कौन हैं और कब से हैं ?

(२) इस मैनेजर तथा इस सोसायटी के विरुद्ध इनकी इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस विभाग को कब कब, किस किस प्रकार की शिकायतें मजदूरों या अन्य लोगों से प्राप्त हुई हैं ? कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।

(३) इन शिकायतों पर विभाग द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है और नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

खादी तथा ग्रामोद्योग को सहायता ऋण एवं अनुदान

४२६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई सु०) : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में खादी तथा ग्रामोद्योग को हर साल सरकार कितना अनुदान व कर्जा देती है ? गत पांच साल के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(२) राजस्थान को केन्द्रीय सरकार से इस कार्य के लिये हर साल कितनी सहायता व कर्जा मिलता है ?

(३) राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग की कुल कितनी संस्थायें हैं ? और उन पर सरकार का किस प्रकार का कितना नियन्त्रण है ? उनको उद्योग विभाग, सहकारी विभाग, खादी ग्रामोद्योग व अन्य कहां कहां से सब-सिडी व कर्जा दिया जाता है ? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राज्य सरकार द्वारा गत पांच साल में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को संलग्न सूची के अनुसार धनराशि दी गई है।

(२) भारत सरकार से बोर्ड को कोई सीधा ऋण व सहायता की रकम प्राप्त नहीं होती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग से गत ५ सालों में जो ऋण व सहायता प्राप्त हुई है उसकी सूची संलग्न है।

(खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री)

(३) राजस्थान में बोर्ड द्वारा अनुमानित ९७ संस्थायें हैं। सरकार का सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० के प्रावधान के अनुसार ही नियंत्रण है। उसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता देने के बाद संलग्न शर्तों के अनुसार बोर्ड का नियंत्रण रहता है। उनको सबसिडी व कर्जा बोर्ड द्वारा दिया जाता है उद्योग विभाग से नहीं। सहकारी विभाग से ऋण दिये जाने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

परबतसर मकराना सड़क

४२७. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि १९६८ की बाढ़ के समय ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर के पास की पक्की सड़क टूट गई थी और बहुत दिनों तक पानी भरा रहने की वजह से यह मार्ग ठप्प हो गया था ?

(२) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपरोक्त सड़क को जो परबतसर से मकराना जाती है, श्यामपुरा के पास लाल कंकरों डालकर जमीन से करीब ६ फुट ऊंची कच्ची बनाई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस कच्चे टुकड़े में एक मोटर के साथ साइकिल भी पार नहीं हो सकती है ?

(४) क्या यह सही है कि इस सड़क पर कच्ची व संकड़ी होने की वजह से प्राय: बसें ट्रक उलट जाते हैं जिससे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है ?

(५) क्या सरकार यहां जल्दी ही पक्का पुल बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह सही नहीं है।

(४) बसों ट्रकों के उलटने व मृत्यु के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(५) जी हां।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, बुडाणा

४२८. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम बुडाणा जिला झुंझनूं में ग्राम सेवा सहकारी समिति रजिस्टर्ड है तथा उसकी प्रबन्ध समिति के तथा कथित चुनाव अभी हाल ही में कुछ लोगों ने फर्जी ढंग से किये थे ? यदि हां, तो उस समिति के कितने शेयर होल्डर्स ने सहायक रजिस्ट्रार, झुंझुनूं को लिखित शिकायत की कि चुनाव फर्जी किये हैं ? उक्त शिकायत के विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि अभी

(श्री रामनारायण चोधरी)

तक सहायक रजिस्ट्रार, झुंझुनूं ने शेयर-होल्डरों की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने दिनांक २९-१-६९ को रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी विभाग को भी शिकायत पेश की है कि स्थानीय अधिकारी शेयर होल्डरों की शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ?

(३) झुंझुनूं जिले में फर्जी चुनावों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें क्या कार्यवाही हुई है ?

(४) सहकारी समितियों के फर्जी चुनावों की शिकायतों के शीघ्र तथा स्थायी हल खोजने की क्या सरकार की कोई तजबीज है ? यदि हाँ, तो क्या ?

उत्तर

(१) ग्राम बुडाना जिला झुंझुनूं में ग्राम सेवा सहकारी समिति रजिस्टर्ड है। सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। प्रबन्धकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में विवाद होने पर राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम ६५ की धारा ७५ के तहत पंचनिर्णायक फ़ीस जमा कराने एवं आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्णय पंचनिर्णायक द्वारा दिया जाता है।

(२) सहायक रजिस्ट्रार द्वारा चुनाव के विवाद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की पंचनिर्णायक की फीस जमा होने पर ही कार्यवाही की जाती है। सहायक रजिस्ट्रार, झुंझुनूं के कार्यालय में बुढाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव के निर्णय हेतु कोई पंचनिर्णय फीस जमा नहीं हुई है।

(३) झुंझुनूं जिले में चुनावों के विवाद के सम्बन्ध में अब तक सहकारी वर्ष ६८-६९ तक ५ शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

१. दो मामलों में पंचनिर्णायक नियुक्त कर दिये गये हैं।

२. तीन मामलों में फीस जमा नहीं होने से पंचनिर्णायक की नियुक्ति नहीं हुई है।

(४) विभाग के पास नियमानुसार चुनावों सम्बन्धी विवाद के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम की धारा ७५ के तहत कार्यवाही की जाती है।

ग्राम साहवा का राजकीय आयुर्वेद औषधालय

४२९. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) ग्राम साहवा में राजकीय आयुर्वेद औषधालय कब कायम किया गया था और उसे कब तक वहां रखा गया ?

(२) इस औषधालय को साहवा से हटा कर किस गांव में रखा गया और क्यों ?

(राजवी श्री रूपसिंह)

(३) जिस गांव में यह औषधालय रखा गया है उस गांव की जन संख्या व साहवा की जनसंख्या कितनी है ?

उत्तर

१. ग्राम साहवा में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय सन् १९५० के पूर्व से ही संचालित था। यह औषधालय जनवरी १९६७ तक संचालित रहा।

२. ग्राम साहवा में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खुल जाने के कारण वहां के औषधालय को उसी तहसील के ग्राम पुनसीसर में परिवर्तित कर दिया गया।

३ ग्राम पुनसोसर की जन संख्या १५०० तथा ग्राम साहवा की जन संख्या ८००० है।

राजकीय सीड मल्टीप्लिकेशन एग्रीकल्चर फार्म, नौगांवाँ

४३०. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर–सु.): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजकीय सीड मल्टीप्लिकेशन एग्रीकल्चर फार्म नौगांवां जिला अलवर कब आरम्भ किया था? कुल कितना स्टॉफ इस फार्म पर कार्य करता है ? स्टाफ पर कितना खर्च प्रतिवर्ष होता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) गत दो वर्षों में इस कृषि फार्म से कितना शंकर बाजरे का बीज किसानों को सप्लाई किया गया है और उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) वर्ष १९६८–६९ में शंकर बाजरे के वितरण का कितना टारजेट निश्चित किया गया था ? क्या यह टारजेट पंचायत समितियों की मांग के अनुसार निश्चित किये जाते है ? क्या मंगाया गया शंकर बाजरे का बीज सभी पंचायत समितियों को वितरित किया जा चुका है ?

(४) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में जो शंकर बाजरे का बीज राजकीय फार्मों में उत्पन्न हुआ था, बाहर भेजा गया और बाहर का बीज भेज कर अलवर जिले में वितरित किया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ?

उत्तर

(१) यह फार्म १२-३-६३ से आरम्भ हुआ था। इस फार्म पर एक फार्म मैनेजर एक क्लर्क, एक फोल्डमैन, २ ट्रैक्टर ड्राईवर, एक पम्प ड्राइवर व ८ हाली कार्य करते हैं जिन पर गत वर्ष १८,९८६)रु० खर्च हुआ था तथा फार्म पर गत वर्ष ५७,६६७ रु० का व्यय हुआ था।

(२) गत २ वर्षों में इस कृषि फार्म से निम्नलिखित शंकर बाजरे का बीज किसानों को सप्लाई किया गया:—

१९६६-६७ ४२६ किलो ६) प्रति किलो २५२६)रु०

Page No 208

(कृषि मंत्री)

१९६७-६८ १५३ किलो ६) प्रति किलो ९६८) रु०

(३) १९६८-६९ में शंकर बाजरे का वितरण का लक्ष्य ८०,००० एकड़ के लिये निश्चित किया गया था। टारगेट पंचायत समितियों की मांग को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। १९६८-६९ में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संकर बाजरे का बीज समस्त पंचायत समितियों को वितरित कर दिया गया है।

(४) जी हां। अन्य जिलों से तात्कालिक मांग आने पर बीज भेजा गया।

अस्थाई कर्मचारी

४३१. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार में कर्मचारियों को कितने सेवाकाल के पश्चात् स्थायी कर दिया जाता है? क्या राज्य सरकार ने इस विषय में नियम बना रखे हैं?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसे कर्मचारी हैं जो आवश्यक योग्यता प्राप्त होते हुये तथा ५ वर्ष से अधिक सेवाकाल में रहते हुए भी स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सके हैं?

(३) गजेटियर विभाग में कितने कर्मचारी हैं जो स्थायी हैं और कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो पद विशेष के लिये न्यूनतम योग्यता प्राप्त होते हुये भी स्थायी नहीं है, और उनके स्थायी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(१) स्थायी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्त कर्मचारियों को दो वर्षों के परिवीक्षाकाल के पश्चात् तथा पदोन्नति द्वारा नियमित नियुक्त कर्मचारियों को एक वर्ष के परिवीक्षाकाल के पश्चात् समान्यतया स्थायी कर दिया जाता है।

स्थायीकरण के विषय में कोई अलग नियम नहीं हैं किन्तु जिन पदों के लिये सेवा नियम बने हुये हैं उनमें स्थायीकरण के लिए भी अलग से एक नियम होता है।

(२) स्थायीकरण के लिये स्थायी पद का उपलब्ध होना, पद पर नियुक्ति का नियमानुसार नियमितहोना तथापरिवीक्षाकाल में निर्धारित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। केवल आवश्यक योग्यता तथा सेवाकाल की कोई अवधि का होना ही पर्याप्त नहीं है अतः राज्य में ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जो आवश्यक योग्यता रखते हुए तथा ५ वर्षों से अधिक सेवाकाल में रहते हुए स्थायीत्व प्राप्त नहीं कर सके हैं।

(३) गजेटियर विभाग में कुल ५६ पद हैं। (१४ राजपत्रित, ४२ अराजपत्रित)। इनमें से १६(९ अधिकारी तथा ७ कर्मचारी) प्रति नियुक्ति पर हैं और इनका ग्रहणाधिकार (लीयन) उनके मूल विभागों में है। ३१ पदों पर कर्मचारियों को सीधी

(श्री मुख्य मंत्री)

नियुक्ति की गई है। ९ पद रिक्त हैं। ये अधिकारी। कर्मचारी पद विशेष की न्यूनतम योग्यता रखते हैं परन्तु पद स्थायी होने के कारण इनका स्थायीकरण नहीं हो सका है।

ट्रकों के अस्थायी परमिट

४३२. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ट्रकों के टेम्प्रेरी परमिट आल राजस्थान व दूसरे राज्यों के लिये अब यातायात आयुक्त, जयपुर के कार्यालय से ही दिये जावेंगे ?

(२) क्या यह भी सही है कि अब तक यह परमिट स्थानीय आर. टी. ओ. व ए. आर. टी. ओ. कार्यालय द्वारा जारी किये जाते रहे हैं ?

(३) मोटरों व ट्रकों के परमानेन्ट परमिट कहां से दिये जायेंगे।

(४) क्या यह सही है कि इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के आपरेटर-बस आदि को जयपुर ही जाकर परमिट प्राप्त करने में समय व आर्थिक नुकसान आने-जाने का उठाना होगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) अन्तर्राज्यीय अन्तर-प्रादेशिक मार्गों के स्थायी अनुज्ञापत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिये जावेंगे। व प्रादेशिक अनुज्ञापत्र प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिये जावेंगे।

(४) जी नहीं। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह काम हाथ में लेने पर मोटर आपरेटर्स को अधिक सुविधा मिलेगी व कम समय खर्च होगा।

मुकाम पर बस स्टेण्ड की मांग

४३३. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर से जयपुर आने वाली यात्री गाड़ियों का बस स्टेन्ड "मुकाम" स्थान पर अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि "मुकाम" एक विश्नोई समाज का तीर्थ स्थान है जहां हिन्दुस्तान भर में असंख्य यात्री दर्शन के लिये आते हैं ? अगर हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर बस स्टेण्ड क्यों नहीं कायम किया जाता है ?

(१) क्या यह भी सत्य है कि बस स्टेण्ड को कायम करने बाबत कई बार सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन आ चुके हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? अब मुकाम बस स्टेण्ड कब तक कायम कर दिया जावेगा ?

(यातायात मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। "मुकाम" बीकानेर से नोखा-सालासर रूट पर स्थित है और इस रूट पर चलने वाली बसें यहां ठहरती हैं। इस रूट पर काफी बसें चलती हैं। जयपुर-बीकानेर के दरमियान शीघ्र सेवा (फास्ट सर्विस) चालू है जहां पर १० से ज्यादा ठहराव करना मुमकिन नहीं। १० ठहराव निश्चित किये गये हैं वे "मुकाम" से वड़े व अधिक सवारी बैठाने वाले हैं। इन कारणों से बस स्टेण्ड कायम नहीं किया गया।

(३) जी हां, दस स्थानों से ज्यादा बस रुकने की अनुगति प्रादेशिक परिवहन अधिकरण व राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा नहीं दी गई है। अतः मुकाम बस स्टेण्ड कायम करने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी मकानों में कारपोरेशन एवं अन्य संस्थाओं के व्यक्ति

४३४. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मकानों में काफी अर्से से ऐसे व्यक्ति रहते चले आ रहे हैं जो किसी कारपोरेशन व अन्य संस्थाओं में काम करते हैं? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त व्यक्ति इन मकानों में रहने के अधिकारी नहीं हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और उनसे कब तक मकान खाली करा लिये जायेंगे?

उत्तर

(१) सूची प्रस्तुत है।

(२) अधिकृत अधिकारी की आज्ञा से रहते हैं। खाली कराने का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं है।

सूची

उन कर्मचारियों की सूची जो किन्हीं कार्पोरेशन अथवा अन्य संस्थाओं में काम करते हैं किन्तु सरकारी भवनों में रह रहे हैं।

क्रमांक	नाम एवम् पद		कार्यालय
१	श्री एस० एल० खुराना, चेयरमैन		रा० रा० विद्युत् मण्डल
२	,, मनोहरलाल सहायक,,		,,
३	,, के० एम० भटनागर, व० लिपिक	,,	,,
४	,, परशराम व लिपिक	,,	,,

Page No 211

१	२	३	
५	,, मदनलाल, लेखा लिपिक	,,	,,
६	,, इन्द्रभान मुख्य लिपिक	,,	,,
७	,, हरीसिंह, लेखा लिपिक	,,	,,
८	,, दीनदयाल, सहायक सचिव	,,	,,
९	,, प्रकाशचन्द्र व० लिपिक	,,	,,
१०	,, सांवतमल, लेखाकार	,,	,,
११	,, सुरेशप्रसाद, सीनियर ड्राफ्टमैन	,,	,,
१२	,, शिवदयाल, अधीक्षक	,,	,,
१३	,, कल्याणरमन, लेखाधिकारी	,,	रा० रा० परिवहन निगम
१४	,, किशनगोपाल गुप्ता सहायक लेखाधिकारी		,,
१५	,, मण्डलदत्त जोशी		खाद्य विभाग
१६	,, एम० श्री० मोटवानी		,,
१७	,, एम० एम० श्री वास्तव क० लिपिक		,,
१८	,, एन० डी० चौरडिया शीघ्र लिपिक		,,
१९	,, प्रहलादसिंह मैसेजर		,,
२०	,, के० आर० लयाने शीघ्र लिपिक		मालविया इंजीनियरिंग कालेज
२१	,, आत्माराम व० लिपिक		,,
२२	,, एन० एल० शर्मा सहायक लेखाधिकारी		,,
२३	,, रूपचन्द माथुर संचालकीय प्रबन्धक		रा० रा० वेयरहाउसिंग निगम
२४	,, मुरलीधर भार्गव, लेखाकार		,,
२५	,, देवीसिंह सोलंकी ले० लिपिक		,,
२६	,, कपूरचन्द व० लिपिक		,,
२७	,, हमीरसिंह झाला उप प्रबन्धक		रा० क्रिय विक्रय संघ लिमिटेड
२८	,, एन० के० जैन, शीघ्र लिपिक		जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भ०
२९	,, रामेश्वरप्रसाद जोशी लेखाकार		राज० वित्त निगम
३०	,, के० एल० खन्ना लेखाकार		नगर विकास न्यास
३१	,, प्रतापसिंह सहायक लेखाधिकारी		राज० लघु उद्योग निगम
३२	,, कुलवन्तसिंह व० लिपिक		रा० रा० परिवहन निगम
३३	,, बी० डी० सक्सेना निजी सहायक		रामप्रकाश सिनेमा के पास रा० रा० परिवहन निगम
३४	,, रामसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		,,

१	२	३
३५	श्रीमती० एस० भारतिया प्रिन्सिपल महारानी कालेज	राजस्थानशिक्षा बिभाग
३६	श्री बालमुकन्द अग्रबाल	प्रवक्ता कामर्स कालेज
३७	,, एस० एल० व्यास एडमिनिस्टेटिव सहायक	राज० पलाइडु क्लब लिमिटेड
३८	,, एम० सी० जैन अधिदर्शक	पंचायत समिति जैसलमेर
३९	,, प्रकाशमल विकास अधिकारी	,,
४०	,, एस० एस० जोसी सहायक अभियन्ता	विद्युत विभाग नागौर
४१	,, के० एस० शिवप्रकाशन म० अ० राना प्रताप-सागर कोटा एण्ड जे० एस० डेम० सी०पी० कोटा	
४२	,, आर० एस० के० बी० कोटा	,,
४३	,, दुर्गासिंह हैड टेलीफोन मोनीटर	,,
४४	,, रूपनारायण लेखक नगर परिषद कोटा	नगर परिषद कोटा
४५	,, यू० एस० बादल प्रोजेक्ट डाइरेक्टर यू० एन० डी० पी० सी० पी० कोटा	,,
४६	,, एस० एल० तलवार अ० अ० टैक्नीकल प्लानिंग सी० ई० आर० पी० एस० एण्ड० एस० डेप० सी० पी० कोटा	,,
४७	,, सुजानचंद सिंघवी व० लेखक	खाद्य निगम
४८	,, बालचन्द नागर शीघ्र लेखक खाद्यनिगम कोटा	,,

मारवाड़ बालिया नमक उत्पादन सहकारी समिति लि.

४३५ **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील डीडवाना जिला नागौर में मारवाड़ बालिया नमक उत्पादन सहकारी समिति लि. नाम की सहकारी समिति रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो उक्त समिति के रजिस्टर्ड उपनियमों की प्रति मय सदस्यों की सूची के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त समिति के सदस्य बनने वाले व्यक्तियों को उक्त समिति के कार्य क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तो उक्त सदस्यों द्वारा इस शर्त का पालन कहां तक हुआ है ?

(३) उक्त समिति ने रजिस्टर्ड होने से लेकर अब तक किस किस वर्ष में क्या क्या कार्य किया तथा नफा नुकसान क्या

(श्री हरजीराम बुरडक)

क्या रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) उक्त समिति का यदि ग्राडिट हुग्रा हो तो ग्राडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने को कृपा करें ।

(५) किस किस व्यक्ति ने कितने कितने मूल्य के हिस्से खरीदे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

कार्बन पेपर की खरीद

४३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १९६७-६८ में मैसर्स कार्बोनिक्स प्रोडक्टस मद्रास को कार्बन पेपर सप्लाई करने का ग्रार्डर दिया गया था जब कि भारत कार्बन कम्पनी तथा कोरस जैसी कम्पनियों ने भी टेन्डर दिये थे ? विभिन्न टेण्डरदाताग्रों द्वारा प्रस्तुत दरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) यदि हां, तो क्या इस फर्म मैसर्स कार्बोनिक्स के कार्बन पेपर की क्वालिटी अन्य कार्बन कम्पनियों की ग्रपेक्षा ग्रच्छी थी ?

(३) क्या यह सही है कि सितम्बर, १९६७ के ग्रन्तिम सप्ताह में एक कमेटी जिसके सदस्य श्री शिवदत्त रामदेव, ग्रधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर तथा लेखापाल श्री गुलराज बहादुर थे ग्रपनी रिपोर्ट में दर्ज किया कि फर्म कार्बोनिक्स प्रोडक्ट्स द्वारा सप्लाई किए गए कार्बन ग्रनुमोदित नमूनों के ग्रनुसार नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त ग्राशय का एक नोट स्टोर कीपर, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर ने उक्त फर्म के बिल पर भी दर्ज किया ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त ग्रापत्ति के होते हुए भी निदेशक, मुद्रण एवं लेखनसामग्री विभाग ने फर्म को १० प्रतिशत भुगतान करने के ग्रादेश दिये ?

(६) क्या यह सही है कि निदेशक, मुद्रण विभाग की उक्त ग्राज्ञा के ग्रनुसार श्री शिवदत्त रामदेव ने भी फर्म को १० प्रतिशत भुगतान के ग्रादेश दे दिए ?

(७) क्या यह सही है कि ग्रधीक्षक, जयपुर मुद्रणालय के उक्त ग्रादेश प्राप्त होने पर श्री गुलराज बहादुर, लेखापाल ने फिर ग्रापत्ति उठाई कि चूंकि मैसर्स कार्बोनिक्स प्रोडक्ट्स, मद्रास द्वारा दी गई ग्रनुमोदित नमूने के ग्रनुसार नहीं है, इसलिए १० प्रतिशत भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ?

(८) क्या यह सही है कि उक्त ग्रापत्ति को श्री शिवदत्त रामदेव, ग्रधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर ने ग्रोवर रूल किया ग्रौर फर्म को रु० ९१,००० का भुगतान कर दिया गया ?

(९) यदि हां, तो यह भुगतान क्यों ग्रौर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किन परिस्थितियों में कर दिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि वर्ष ६७–६८ के लिए कार्बन पेपर सप्लाई करने का आदेश मैसर्स कार्बोनिक्स प्रोडक्ट्स, सेलम के पक्ष में ही लेखन सामग्री क्रय समिति के द्वारा स्वीकृत दरों पर जारी किया गया था।

विभिन्न टेण्डरदाताओं से प्राप्त दरों की तुलनात्मक सूची की प्रति मेज पर रख दी गई हैं।

(२) इसके सम्बन्ध में लेखन सामग्री क्रय समिति का निर्णय स्पष्ट है। लेखन सामग्री क्रय समिति की कार्यवाही का उदाहरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) अनुमोदन समिति की बैठक माह सितम्बर, १९६७ के अन्तिम सप्ताह में न होकर दिनांक ३-१०-६७ को हुई थी। समिति ने फर्म मैसर्स कार्बोनिक्स प्रोडक्ट्स द्वारा सप्लाई किये गये कार्बन पेपर की सप्लाई कम होने के कारण नमूने के अनुसार नहीं मान, मामले को निदेशालय को रैफर करने का निर्णय लिया था।

(४) जी हां। यह सही है कि फर्म द्वारा प्रदाय उक्त सामग्री के अनुमोदित नहीं होने का एक नोट तत्कालीन भण्डारी की लेखनी द्वारा अधीक्षक के हस्ताक्षरों से फर्म के एक बिल सं० १५६४ दिनांक १५-९-६७ र लगाया गया है।

(५) निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा फर्म के शेष १० प्रतिशत भुगतान करने के आदेश सामग्री की किस्म के स्वीकृत नमूने के अनुसार होने की पुष्टि सम्बन्धी उद्योग एवं रसद विभाग द्वारा संचालक प्रयोगशाला से परीक्षण परिणाम प्राप्त होने पर ही अधीक्षकों को दिये गये थे। उक्त आदेश माह जनवरी, ६८ में जरिये पत्र सं० ६१३।१५ दिनांक १६-१-६८ जारी किये गये थे।

(६) जी, हां।

(७) जिस समय उक्त वर्णित सामग्री का १० प्रतिशत भुगतान किया गया उस समय सम्बन्धित लेखाकार श्री गुलराज बहादुर नहीं होकर श्री रामस्वरूप शर्मा थे। अतः श्री गुलराज बहादुर द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(८) प्रश्न ७ के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए श्री गुलराज द्वारा कोई आपत्ति उठाना व उसको श्री शिवदत्त रामदेव द्वारा ओवर रुल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त वर्णित सामग्री के १० प्रतिशत भुगतान की राशि ९१ ००) रु० नहीं होकर केवल ९९०५) २७ पैसे थी जिसमें से वांछित कटौती करके फर्म को ९३३५) रु. ३० पैसे का भुगतान किया गया है।

(९) उक्त प्रश्न ८ के लिये दिये गये उत्तर के बाद इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती।

(विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय भेज दी गई।)

स्थगित प्रश्न

(२६–२-६९)

राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनायें

३५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार-जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान बनने से लेकर अब तक राज्य में कुल कितनी बार पुलिस द्वारा नागरिकों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर गोलियां चलाई गईं ? इसकी एक तालिका मय स्थान, चलाई गई गोलियों की संख्या, आहत और मृत व्यक्तियों की संख्या सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नागरिकों की भीड़ों पर अव्यवस्था की स्थिति में गोली किस प्रकार और किन किन परिस्थितियों में चलाई जावे इस सम्बन्ध के क्या कोई नियम या आदेश जारी किए हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सन् १९५० से अब तक ६८ बार राज्य की पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोलियां चलाई गईं। वांछित तालिका संलग्न है।

(२) जाब्ता फौजदारी की धारा १२७। १२८। १४६। १५२। तथा भारतीय दंड संहिता की धारा ९९। १००। १०१। १०२। १०३ १०५। में संबंधित कानूनी प्रावधान दिये गये हैं। राजस्थान पुलिस रेगूलेशन्स १९४८ की धारा १६० से १६५ में आवश्यक हिदायतें दी गई हैं।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न

(२७–२-६९)

जयपुर में सूचना केन्द्र का स्थान

६९. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर में वर्तमान में सूचना केन्द्र किस स्थान पर स्थित है और इसके चारों तरफ किस किस के बंगले बने हुए हैं।

(२) सूचना केन्द्र जिस प्लाट में बना हुआ है उसका कुल एरिया प्रारम्भ में कितना था और क्या वर्तमान में भी उतना है।

(३) क्या यह सच है कि सूचना केन्द्र के कुछ भाग में से पड़ौसी प्लाट वालों ने जमीन दबा ली है ? यदि हां, तो किस किस ने जमीन दबाई है और कितनी कितनी ?

उत्तर

(१) सूचना केन्द्र वर्तमान में रामबाग

(स्वायत्त शासन मंत्री)

रोड पर स्थित है तथा इसके आसपास सर्व श्री रामकिशोर जी व्यास, दामोदरलाल जी व्यास, टीकाराम जी पालीवाल, जयनारायण जी व्यास, जे. एस. राणावत, मदन गोपाल दलेला, एस. बी. चतुर्वेदी एवं श्री मुरारीलाल के बंगले हैं।

(२) सूचना केन्द्र के भूखंड का कुल एरिया ५१९५४ वर्ग फीट था और अब भी उतना ही है।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६९)

नगरपालिका पाली द्वारा भूमि की नीलामी एवं आबंटन

१२८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(१) वर्तमान नगरपालिका पाली ने अपने अवधिकाल में पाली नगर की किन किन कालोनी की कितनी कितनी भूमि नीलाम की या भूखंड आवंटन किए या बेचे और कितनी कितनी धनराशि किस किस कालोनी से प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य हैं कि जिन कालोनी से भूखंड की जो रकम आती है वह उस कालोनी के विकास हेतु खर्च होनी चाहिए ? यदि हां, तो कितनी धन राशि खर्च की गई और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि वर्तमान नगरपालिका पाली द्वारा कालोनीज के भूखंडों को नीलाम करके और बेचान करके या आवंटन करके जो रकम प्राप्त की वह उन कालोनीज के विकास में खर्च नहीं करके अन्य कामों में खर्च कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार नगरपालिका पाली के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) भूमि विक्रय से प्राप्त समस्त आय को नगरपालिका, पाली के क्षेत्र में विकास कार्यों पर व्यय नहीं किया गया है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका पाली के वर्तमान बोर्ड द्वारा नगर को विभिन्न उप बस्तियों में आवंटन व नीलाम द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का विवरण।

क्र० सं०	बस्ती का नाम		कुल संख्या	प्राप्त धन राशि
(१)	विनय नगर		३७	३३,३००-००
(२)	आदर्श नगर (विस्तार)		३९	५४,७५०-००
(३)	वीर दुर्गादास नगर (विस्तार)		२८	२१,३८१-००
(४)	तिलकनगर (७६ प्लाटों की पूरी कीमत ७९,१४३-७५, ३१ प्लाटों किश्तों पर ६,६५४-००)		१०७	८५,७९७-२५
(५)	वीर दुर्गादास नगर	२२ प्लाट आवंटन द्वारा		१६,२९८-५०
		३० प्लाट नीलाम द्वारा		१,०८,९९८-००
	(अ) आय भूमि विक्रय			३,२०,५२५-२५
	(ब) अर्ध सरकारी संस्थाओं को आवंटन की गई भूमि से प्राप्त रकम			४२,७८८-००
	(स) नगर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रीफ ग्राफ लेन्ड व नीलाम की गई जमीन से प्राप्त रकम			१,१८,५१०-१०
		योग कुल आय		४,८१,७२५-३५

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६९)

खेतों में सिणिये लगाने सम्बन्धी मामले की जांच

२६८. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या वर्ष १९६६-६७ में नागौर तहसील के गांव बिरलोका में भू-संरक्षण के अकाल राहत कार्य में किसानों के खेतों में सिणिये लगा दिये जो उन्हीं खेतों में काट कर लगाये व बिल बना कर पाइयों के रु० २६,०००) उठा लिये और खेतों में पाइयां नहीं लगाई ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि जिला परिषद् नागौर ने ता. १४-१५ अप्रेल, १९६७ की बैठक में प्रस्ताव संख्या ३६ इस सम्बन्ध में पास किया तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, नागौर ने जिला परिषद् नागौर की बैठक दिनांक ३-१०-६७ में बताया कि विभागीय जांच हो रही है ? क्या अभी तक जांच पूरी नहीं हुई ? क्या काश्तकारों से वसूली चालू हो गई है ?

(३) यदि जांच पूरी हो गई है तो जांच रिपोर्ट सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट ७

(अ. प्र. सं. २७८ की सूची)

नक्शा मूर्ति चोरी माह जनवरी सन् १९६८ से माह जनवरी सन् १९६९ मण्डल सवाई माधोपुर

क्र० सं०	अनवान मुकदमा	स्थान जहां से मूर्ति चोरी हुई	मूर्ति का विवरण	मूर्ति बरामद हुई या नहीं	चालान हुआ या नहीं	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	अभियोग सं० ६ धारा ३८० ता० हि० दि० १६-१-६८ थाना करौली	मंदिर रामजी कुडगांव	एक मूर्ति रामजी	—	एफ० आर० अदमपता	
२.	अ० सं० १०० धारा ३८० ता० हि० दि० ३-१-६७ थाना करौली	मंदिर श्री गणेशजी मोहल्ला बडवाडा कस्बा करौली	मूर्ति गणेशजी	मूर्ति मिल गई है	,,	पहाड़ियों में मिली मुजरिम का पता नहीं चला
३.	अ० सं० १३२ दि० ३-१२-६८ धारा १७९ ता० हि० थाना करौली	ग्राम मगनपुरा	हनुमानजी की मूर्ति	मूर्ति बरामद की गई	चालान	
४.	अ० सं० १३५ दि० १३-१२-६८ धारा ३७९ ता० हि० थाना करौली	ग्राम सलिमपुर	मूर्ति श्री सीतारामजी	—	एफ० आर० अदमपता	

Page No 219

१	२	३	४	५	६	७
५.	अ० सं० २ दि० १–२–६८ धारा ३७९ ता० हि० थाना मासलपुर	ग्राम मंदिर भोजपुर	मूर्ती अन्नपूर्णा देवी	मूर्ति बरामद हो चुकी	,,	पहाड़ियों में मिली मुलजिम का पता नहीं चला
६.	अ० सं० ६ दि० १५–२–६८ धारा ३७९ ता० हि० थाना मासलपुर	किला टीकमगढ़ थाना मासलपुर	पत्थर की मूर्ति	—	एफ० आर० अदमपता	
७.	अ० सं० १७ दि० ७–२–६८ धारा ३७९ ता० हि० थाना गंगापुर	कस्बा गंगापुर	मूर्ति रामजी की	—	एफ० आर० अदमपता	
८.	अ० सं० ११० दि० २–१०–६८ धारा ३७९ ता० हि० थाना गंगापुर	मोजा केथला	मूर्ति हनुमानजी	—	,,	
९.	अ० सं० २७ धारा ३८० ता० हि० दि० ३–१२–६८ थाना सपोटरा	ग्राम गुडी	मूर्ति लक्ष्मीनारायणजी	—	,,	
१०.	अ० सं० २४ धारा ४५७।३८० ता० हि० दि० २५–६–६८ थाना खाजनाडूंगर	मंदिर रामकंवारजी खाजनाडूंगर	मूर्ति गोपालजी	—	,,	
११	अ० सं १६ दि० १४–९–६८ धारा ३८० थाना महुवा	कस्बा महुवा	एक मूर्ति बलरामजी	—	एफ० आर० अदमपता	
१२.	अ० सं० १० दि० ११–१–६८ धारा ३७९ ता० हि० थाना हिन्डौन	मंदिर श्री महावीरजी हिन्डौन	एक मूर्ति अष्ट धातु	—	,,	

१	२	३	४	५	६	७
१३.	अ० सं० १६७ धारा ३७९ ता० हि० ता० १९–९–६८ थाना हिन्डौन	मंदिर श्री गणेशजी हिन्डोन	एक मूर्ति गणेशजी की	—	,,	
१४.	अ० सं० २११ धारा ४११ ता० हि० ता० ३०–११–६८ थाना हिन्डौन	खेत श्योनारायण मीणा ग्राम मेठी	—	—	,,	
१५.	अ० सं० १६७ धारा ३७९ ता० हि० ता० २८–१२–६८ थाना सवाई माधोपुर	मंदिर कालागोरा भैरू दरवाजा सवाई माधोपुर	मंदिर में से मूर्तियां चोरी की गई	बरामदगी	,,	मुलजिम का पता नहीं चला
१६.	अ० सं० १११ धारा ३८० ता० हि० दि० ६–१०–६८ थाना करौली	मंदिर श्री मुरली मनोहर जी ग्राम बहादुर	मूर्ति एक मुरली मनोहर	—	,,	
१७.	अ० सं० ६७ धारा २९५।३७९ ता० हि० ता० २–५–६८	भीमा दरवाजा बरवाडा	दो मूर्ती विष्णु	—	,,	
१८.	अ० सं० १२७ धारा ३८० ता० हि० दि० १९–७–६८ थाना हिन्डौन	मंदिर श्री रघुनाथ जी ग्राम बिडला	ग्राम बिडला पीतल की मूर्ती	—	,,	
१९.	अ० सं० ३ धारा ३७९ ता० हि० दि० १३–१–६९ थाना मासलपुर	मूर्ति पार्वती की मोजा मासलपुर	मूर्ती पार्वती की	—	जेर तफतीश पुलिस	
२०.	अ० सं० ६ धारा ३७९ ता० हि० ता० १२–१–६९ थाना गंगापुर	मीणा पीलौदा मंदिर बटनवा	मूर्ति घटनवास	—	,,	

परिशिष्ट ८

(अ. ता. प्र. संख्या २८२)

मनोनीत मण्डी समितियां जिला-सवाई माधोपुर

नाम मंडी समिति	मनोनयन का दिनांक
१. कृषि उपज मंडी समिति, सवाई माधोपुर	२५-२-१९६५
२. कृषि उपज मंडी समिति, गंगापुर	२२-४-१९६५
३. कृषि उपज मंडी समिति, हिन्डोन	२२-४-१९६५
४. कृषि उपज मंडी समिति, महुआ मंडावर	२२-४-१९६५

निर्वाचन विधायक सूची	निर्वाचन का दिनांक
१. कृषि उपज मंडी समिति, सवाई माधोपुर	१६-८-१९६८
२. कृषि उपज मंडी समिति, गंगापुर	१६-८-१९६८
३. कृषि उपज मंडी समिति, हिन्डोन	२२-१२-१९६८
४. कृषि उपज मंडी समिति, महुआ मंडावर	१६-८-१९६८ २४-१-१९६९ (कृषक प्रतिनिधियों के चुनाव जिलाधीश सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत समिति के प्रतिनिधि की सूचना प्रेषित की गई।

Page No 222

परिशिष्ट ६

(अ०प्र० संख्या २८३ की सूची)

परिशिष्ट 'घ'

कोटा डिविजन की सहकारी कृषि समितियों की पंचायत वार स्थिति

यूनिट का नाम	क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	सहकारी कृषि समितियों की संख्या
बूंदी	१.	बूंदी म्यूनिसिपल क्षेत्र (बूंदी-लाखेरी)	२
	२.	तालेड़ा	१४
	३.	हिन्डोली	३
बांरां	१.	शाहबाद	२८
	२.	छीपाबड़ौद	६
	३.	अटरू	३
	४.	अन्ता	१
	५.	बांरा	१
	६.	छबड़ा	१
झालावाड़	१.	झालरापाटन	४
	२.	मनोहर थाना	२
	३.	डग	१
	४.	खानपुर	२
कोटा	१.	चैंवट	३
	२.	सांगोद	२
	१.	सुल्तानपुर	१
	४.	इटावा	२
टौंक	१.	टौंक	१४
	२.	निवाई	२
	३.	टोडारायसिंह	१
	४.	देवली	६
	५.	उनियारा	२
	६.	मालपुरा	२
		कुल योग !	१०६

परिशिष्ट १०

अ. ता. प्रश्न संख्या २९६ की सूची

सूची नगरपालिकाएं जिनकी आबादी सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार २५००० हजार से अधिक है।

१. अजमेर
२. व्यावर
३. जयपुर
४. किशनगढ
५. सीकर
६. फतहपुर
७. टौंक
८. अलवर
९. भरतपुर
१०. धौलपुर
११. बीकानेर
१२. सुजानगढ
१३. चूरू
१४. रतनगढ
१५. सरदारशहर
१६. गंगानगर
१७. जोधपुर
१८. पाली
१९. बाड़मेर
२०. उदयपुर
२१. भीलवाड़ा
२२. कोटा
२३. बूंदी

परिशिष्ट ११

(अ.ता. संख्या ३०१ की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४ सा० नि० मं० दिनांक ३१-१-६९ खर्चा ग्रैवल रोड रोल से आलोपा रोड वर्ष १९६० से १९६८ तक।

वर्ष	मरम्मत धन-राशि
१९६०-६१	४४८८-५७
१९६१-६२	४३७२-१९
१९६२-६३	५०२६-५६
१९६३-६४	५१४१-२७
१९६४-६५	१००४०-६१
१९६५-६६	११३०७-१७
१९६६-६७	७२३१-४१
१९६७-६८	६१३९-४९

परिशिष्ट—१२

(अ० ता० प्रश्न संख्या ३०२ की सूची)

सूची 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या ११२ सा० नि० मं. दिनांक ३१-१-६६)

क्रम सं०	नाम कार्य	नाम वर्ष	नाम जिला	कार्य आरंभ का दिनांक	कार्य समाप्ति का दिनांक
१.	सुधार मील ७-८ बुन्दी नैनवा रोड	६४-६५	बूंदी	२२-६-६४	२१-९-६४
२.	रिनेवल एण्ड सरफेस पैंटिंग ग्राफ तालेरा पाटन रोड मील १९	,,	,,	२०-१०-६४	१९-२-६५
३.	,, मील २५ से २७	,,	,,	,,	,,
४.	मैटल्ड रोड केशोराय पाटन से लवान मील ६ से २२	,,	,,	७-१-६५	६-१०-६५
५.	,, मील १३ से १६	६५-६६	,,	२०-४-६५	१९-१-६६

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २० मार्च, १६६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	११	लेखक सामग्री बिभाग	लेखन सामग्री विभाग
१२	अन्तिम से २	भागाई	लगाई
१३	३	शिकयत	शिकायत
,,	४	स्घयं	स्वयं
,,	६	क्वर	कवर
१४	५	नैवस्ट	नेक्स्ट
२१	७	नियमों अनुसार	नियमों के अनुसार
३१	७	प्रोपेक्ट्स	प्रोस्पेक्ट्स
३६	६	नेज पर रखने	मेज पर रखने
,,	६	समस्थ	समस्त
४१	६	कान्ट्रेन्स	कान्ट्रेक्ट
४५	२	आपका मास्टर प्लान	आपका तात्पर्य मास्टर प्लान
,,	६	नगर पालिका आदेश	नगर पालिका को आदेश
,,		बार में	बाद में
४७	५	रनी	रही

१	२	३	४
६८	३	एफ. आर.	एफ. आई. आर.
७१	शीर्षक	१६ मार्च, १९६६	२० मार्च, १९६६
,,	अन्तिम से ३	२२८	२८२
७६	शीर्षक	१६ मार्च, १९६६	२० मार्च, १९६६
८२	अन्तिम से ७	मिट्टी	मिट्टी
८३	१४	रे वे	रेल्वे
,,	१३	कार्य रा	कार्यपूरा
८५	३	श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर)	२६१ श्री रिद्धिचन्द पल्लोवाल (गंगापुर)
८७	११	नेपेड	नेयड़
९२	१०	६००	३०७.
९३	१०	मुंडवा	मूंडवा
९४	शीर्षं	(श्री फूलचन्द वाफना)	(यातायात मंत्री)
,,	अन्तिम से ६	छाबड़ा	छबड़ा
९८	११	इस	इन
९९	५	स्थगत	स्थगन
१०१	१	श्री रामचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
१०५	शीर्षक	प्रतिवेदनों का उपस्थान	याचिकाओं का उपस्थापन
१०८	२	का	से
११०	अन्तिम से १२	कहते कहते	कहते
१११	६	उपाथुंक्त	उपायुक्त
११२	६	chairmand	chairmans

१	२	३	४
११२	अन्तिम से ११	electicn	election
,,	११	रिपोर्पटेड	रिपीटेड
११६	१४	फिक्टिशाम	फिक्टिशिअस
,,	१७	माइवोरिटी	माइनोरिटी
१२०	१	(अध्यक्ष)	अध्यक्ष महोदय
,,	१९	चुनाय	चुनाव
१२१	७	प्रस्तुनं	प्रस्तुतं
१२३से२४३	शीर्षक	अनुदानों की मांगों पर-२० मार्च, १९६९ अग्रेत्तर वाद-विवाद	अनुदानों की मांगों का–२० मार्च, १९६९ –उपस्थापन
१२३	४	श्री रामचन्द्र आयं	श्री रामचन्द्र आर्य
१२४	अन्तिम से ९	अनुदानों की मांगों पर अग्रेत्तर वाद-विवाद	अनुदानों की मांगों का उपस्थापन
१२७	५	के अन्तर्गत	उद्योग के अन्तर्गत
१४०	८	ने	में
१४१	६	मांग सं० २१	मांग संख्या २१
१४२	अन्तिम से ९	१० रुपया	१०० रुपया
१५७		अम्तर्गत	अन्तर्गत
१५८	५	यांग	मांग
१७१	२	शीषक	शीर्षक
,,	३	विया जाय (जन प्रदाय	दिया जाय (जलप्रदाय
१७२	५	पनी	पानी
,,	१०	उक्षोग	उद्योग
१७६	शोर्षक	प्रस्तुनं	प्रस्तुत

१	२	३	४
१७६	६	सराकारी नीति का अनुमोदन	सरकारी नीति का अनुमोदन
,,	अन्तिम से ६	पिभिन्न	विभिन्न
१८०	४	ग्रथिक	ग्राथिक
,,	१०	कठिाई	कठिनाई
,,	अन्तिम लाइन	संख	संख्या
१८१	शीर्ष	(श्री ग्रईदाहिं)	(श्री ग्राइदान सिंह)
१८२	अन्तिम से ८	के चर्चा में	में चर्चा के
१८४	१३	धय का	घटा कर
१८६ से ३८२ तक	शीर्षक	प्रस्तुन किये गये कटौती प्रस्ताव	वादविवाद
१८६	अन्तिम से १२	उद्योगा का विकास पूरा	उद्योगों का विकास पूरी
१८७	६	था	थी
,,	१२	चटकर	घटकर
,,	अन्तिम से १५	किरन्तर	निरन्तर
,,	३	जद्योगों	उद्योगों
१९४	१६	ग्रापक	ग्रापको
१९५	अन्तिम से ५	लघृ	लघु
१९६	१६	खते	खाते
१९९	शीर्ष	(श्री कृष्ण कुमार गोयल)	(श्री मुकुट बिहारी लाल)
२००	५	संग्राम के नानी थे,	संग्राम के सेनानी थे,
२०९	३	रत्तनागर्भ	रत्नागर्भा

१	२	३	४
२१५	अन्तिम से २	लेफिन	लेकिन
२१६	६	त्तउर	उत्तर
२१८	३	(Matser Koy)	(Master Key)
२२३	१८	और और	और
२२५	अन्तिम से ६	चाहए	चाहिये
२२७	१६	इग	इन
२३५	८	श्री बिरदा रम	श्री बिरदाराम
२४१	२	ट्यूब	ट्यूब
२४४से २४६ तक	शीर्षक	मांग सं० २१, १७, १४ व ३१ पर–२० मार्च, १९६९–प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव	विरोधी सदस्यों द्वारा–२० मार्च, १९६९–धरने की घोषणा
२४५	४	थीं	भी
,,	१७	रिपोर्ड	रिपोर्ट
२४६	२	उठाययेंगे	उठायेंगे
२४८	अन्तिम से ६	जब एक जुडिशिमल	अब एक जुडिशियल
२५०से३८२	शीर्षक	वि. स. द्वारा धरने की घोषणा	मांग सं० २१, १७, १४ व ३१ पर वादविवाद
२५१	शीर्ष	(डूंगाराम राजोरिया)	(श्री डूंगाराम राजोरिया)
२५७	५	शिड्यूल्ड कास्ट्स	शिड्यूल्ड कास्ट्स
२६०	१४	सहकी	सहकारी
२६३	२	इंडस्ट्रंज	इंडस्ट्रीज
२६५	३	जेधपुर	जोधपुर
,,	६	यहु	यह
,,	१८	कम्पाउडर	कम्पाउन्डर

१	२	३	४
२६७	अन्तिम से ८	खडली	खेडली
२७२	,,	अपन्र	अन्दर
२७४	,,	सेन्टरस्	सेन्टर्स
२७६	अन्तिम से १२	एग्रोमेन्ट	एग्रीमेन्ट
२७८	६	महीदय	महोदय
,,	अन्तिम से ६	बोजना	योजना
२८३	८	श्री अध्यक्ष	क्षी अंध्यक्ष
२८५	३	काँगेस	कांग्रेस
२९०	१०	लम्मिति	सम्मति
२९१	अन्तिम से १२	परिमाण	एरिणाम
२९३	३	ग्रौर	ग्रोर
२९५	१	सामप्त	समाप्त
३०५	१४	ग्रत्म	ग्रा।ग
३०६	अन्तिम से १३	ग्रायेगा को ग्रगर उससे	ग्रायेगा वच्चों को ग्रगर उनसे
३०७	६	वह्	वहां
३०८	७	कटोती	कटोती
३११	१४	इन ो	इगको
३१२	५	गरब	गरीब
,,	१४	मल	माल
३१३	अन्तिम से ५	मंना	मंत्री
३१४	६	इन्तजम	इन्तजाम

१	२	३	४
३१७	अन्तिम से १३	के	में
,,	१४	ठेकेदर	ठेकेदार
३१८	२	करण	कारण
,,	५	सीसेन्स	सीमेन्ट
३१६	शीर्ष	(श्री उ पध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	२	समप्त	समाप्त
,,	७	रज्य	राज्य
३२३	१५	जो	तो
३२४	१३	१६६	१६.६
३२६	१४	उन्होंने	उन्होंने
,,	१७	में जो	जो
३२७	अन्तिम से १३	विचार	विचार
३३०	शीर्षक	किगे	किये
,,	अन्तिम से १०	चजने	चलने
,,	११	अमुनमोदित	अनुमोदित
३३४	१३	निम्बहेड़ा	निम्बाहेड़ा
३३५	३	यदु	यह
,,	१४	सामघे	सामने
३४१	१८	अमग	अलग
३४६	अन्तिम से १४	मानवीव	माननीय
,,	५	अनर्स	आनर्स

१	२	३	४
३४७	२	डस	इस
३६४	अन्तिम से १०	हिस्न्दुतान	हिन्दुस्तान
३७४	८	अस्वस्थकारी	अस्वास्थ्यकारी
३७७	१४	श्री रामचन्द आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
३७८	१४	जब्र ब	जबाब
,,	३	वकलत	वकालत
३७६	६	दोजना	योजना
,,	१०	चलू	चालू
३८०	१०	आधे	आये
३८२	८	(स्वीकृति)	(स्वीकृत)
३८५	३	पेंषती	प्रेषिति
३८६	१०	स्मृंद्धि	समृद्धि
३८७	११	बन्दरगहों	बन्दरगाहों
३६४	१०	Superindtendent	Superintendent
३६७	शीषंक	परिष्टि-१६ मार्च, १६६६	परिशिष्ट-२० मार्च, १६६६-परिशिष्ट
३६६	,,	१६ मार्च, १६६६	२० मार्च, १६६८
४०५	,,	१६३६	१६६६
४०६	अन्तिम से ७	कमंचारियों	कर्मचारियों
४२१	शीर्षक	परिशिष्ट	परिशिष्ट
४२६	,,	—१६ मार्च	२० मार्च